

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

सामाजिक, सामान्य, आर्थिक और राजस्व क्षेत्रों पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



जम्मू एवं कश्मीर सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 1

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का**

सामाजिक, सामान्य, आर्थिक और राजस्व क्षेत्रों पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**जम्मू एवं कश्मीर सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 1**

विषय सूची

| विवरण | संदर्भ | |
|--|-----------|--------------|
| | पैराग्राफ | पृष्ठ संख्या |
| प्राक्कथन | | xi |
| विहंगावलोकन | | xiii-xx |
| भाग I: सामाजिक, सामान्य और आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र | | |
| अध्याय I: प्रस्तावना | | |
| बजट रूपरेखा | 1.1 | 1 |
| राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग | 1.2 | 2 |
| निरंतर बचत | 1.3 | 2 |
| राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को सीधे हस्तांतरित की गई निधियाँ | 1.4 | 3 |
| भारत सरकार से सहायता अनुदान | 1.5 | 3 |
| लेखापरीक्षा प्रक्रिया | 1.6 | 4 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पैराग्राफों पर सरकार की प्रतिक्रिया | 1.7 | 4 |
| लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया | 1.8 | 5 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई | 1.9 | 6 |
| स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति न करना/ विलंब से प्रस्तुत करना | 1.10 | 7 |
| अध्याय II: अनुपालन लेखापरीक्षा | | |
| शिक्षा विभाग | | |
| मॉडल स्कूलों की स्थापना न करना | 2.1 | 9-12 |
| वित्त विभाग | | |
| सरकारी विभागों में बैंक खातों का प्रबंधन | 2.2 | 12-29 |

| विवरण | संदर्भ | |
|---|-----------|--------------|
| | पैराग्राफ | पृष्ठ संख्या |
| खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग | | |
| देय राशि का गैर-संग्रहण/ कम प्रेषण | 2.3 | 29-31 |
| गृह विभाग | | |
| गैर-प्रकार्यात्मक सौर विद्युत संयंत्रों के कारण निष्फल व्यय | 2.4 | 32-34 |
| सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग | | |
| जल भण्डारण टैंकों पर निष्फल व्यय | 2.5 | 35-38 |
| लिफ्ट सिंचाई योजना पर निष्फल व्यय | 2.6 | 38-40 |
| विधिक माप विज्ञान विभाग | | |
| धर्मकांटा परीक्षण किटों से युक्त मोबाइल क्रेनों का कम उपयोग | 2.7 | 40-42 |
| विद्युत विकास विभाग | | |
| अप्रयुक्त वेतन का अप्राधिकृत भुगतान | 2.8 | 43-44 |
| जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | | |
| निष्फल व्यय तथा निधियों का अवरोधन | 2.9 | 44-46 |
| भाग II: राजस्व क्षेत्र | | |
| अध्याय III: प्रस्तावना (राजस्व क्षेत्र) | | |
| राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति | 3.1 | 47 |
| राजस्व के बकायों का विश्लेषण | 3.2 | 50 |
| निर्धारणों में बकाया | 3.3 | 50 |
| विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन | 3.4 | 51 |
| प्रतिदाय मामलों का लंबन | 3.5 | 52 |

| विवरण | संदर्भ | |
|--|-----------|--------------|
| | पैराग्राफ | पृष्ठ संख्या |
| लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया | 3.6 | 53 |
| निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति | 3.7 | 54 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई | 3.8 | 55 |
| लेखापरीक्षा योजना | 3.9 | 56 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 3.10 | 57 |
| अध्याय IV: अनुपालन लेखापरीक्षा (राजस्व क्षेत्र) | | |
| क. सामान्य | | |
| कर प्रशासन | 4.1 | 59 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 4.2 | 59 |
| ख. अनुपालन लेखापरीक्षा | | |
| इस अध्याय की कवरेज | 4.3 | 61 |
| वित्त विभाग (राज्य कर विभाग) | | |
| खरीदों के छिपाव के कारण कर की कम उगाही | 4.4 | 61-62 |
| कर छूट की अनियमित स्वीकृति के कारण ब्याज और कर की कम मांग | 4.5 | 62-64 |
| इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित अनुमति के कारण कम मांग | 4.6 | 65-66 |
| इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित लाभ लेने के कारण कम मांग | 4.7 | 67-68 |
| राजस्व विभाग | | |
| सरकारी धन का दुर्विनियोजन | 4.8 | 68-70 |
| भाग III: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | | |
| अध्याय V: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति | | |
| प्रस्तावना | 5.1 | 71 |
| सामान्य | 5.1.1 | 71 |

| विवरण | संदर्भ | |
|---|-----------|--------------|
| | पैराग्राफ | पृष्ठ संख्या |
| जवाबदेही रूपरेखा | 5.1.2 | 72 |
| सांविधिक लेखापरीक्षा | 5.1.3 | 73 |
| सरकार और विधानमण्डल की भूमिका | 5.1.4 | 74 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के योगदान का प्रभाव | 5.1.5 | 74 |
| राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण | 5.1.6 | 75 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश | 5.1.7 | 75 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता | 5.1.8 | 77 |
| जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान | 5.1.9 | 79 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण | 5.1.10 | 80 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन | 5.1.11 | 82 |
| मुख्य मापदंड | 5.1.12 | 85 |
| सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर) | 5.1.13 | 88 |
| ऐतिहासिक लागत और इस प्रकार के निवेश के वर्तमान मूल्य के अनुसार निवेश की तुलना | 5.1.14 | 89 |
| पीएसयू के निवल मूल्य का ह्रास | 5.1.15 | 90 |
| लाभांश का भुगतान | 5.1.16 | 93 |
| कंपनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण | 5.1.17 | 93 |

| विवरण | संदर्भ | |
|--|-----------|--------------|
| | पैराग्राफ | पृष्ठ संख्या |
| ब्याज कवरेज अनुपात | 5.1.18 | 93 |
| पीएसयू का ऋण-कारोबार अनुपात | 5.1.19 | 95 |
| राज्य के निष्क्रिय पीएसयू | 5.1.20 | 96 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक लेखाओं पर टिप्पणियाँ | 5.1.21 | 97 |
| निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ | 5.1.22 | 99 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई | 5.1.23 | 100 |
| सीओपीयू के प्रतिवेदनों की अनुपालना | 5.1.24 | 101 |
| अध्याय VI: निष्पादन लेखापरीक्षा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) | | |
| परिवहन विभाग (जम्मू एवं कश्मीर राज्य पथ परिवहन निगम) | | |
| जम्मू एवं कश्मीर राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली | 6.1 | 103-141 |
| अध्याय VII: अनुपालन लेखापरीक्षा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) | | |
| लोक निर्माण विभाग (जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड) | | |
| एक पुल के निर्माण पर संस्वीकृत लागत से अधिक किया गया व्यय | 7.1 | 143-145 |
| पुल के निर्माण पर किए गए अधिक व्यय की वसूली नहीं करना | 7.2 | 145-147 |
| प्रशासनिक ओवरहेडों की कम वसूली | 7.3 | 148-149 |

| विवरण | संदर्भ | |
|--|-----------|--------------|
| | पैराग्राफ | पृष्ठ संख्या |
| विद्युत विकास विभाग (जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड) | | |
| अनुमोदित लागत से अधिक में कार्य का निष्पादन | 7.4 | 150-153 |

परिशिष्ट

| परिशिष्ट संख्या | विवरण | संदर्भ | |
|-----------------|---|--------------|--------------|
| | | पैराग्राफ | पृष्ठ संख्या |
| 1.1.1 | वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रमों/ योजनाओं के तहत विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण | 1.4 | 155-158 |
| 2.2.1 | अनुरक्षित 1,138 बैंक खातों के विवरण सहित 131 डीडीओ की सूची को दर्शाने वाला विवरण | 2.2.3 | 159-165 |
| 2.2.2 | जमा शीर्षों के बजाय बैंक खाते में रोके गए भूमि प्रतिकर के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण | 2.2.4.4 | 166 |
| 2.2.3 | निर्माचित निधियों की तुलना में नियोजित निर्माण कार्यों की बहुत कम अनुमानित लागत वाली इकाइयों का विवरण | 2.2.4.7 (ए) | 167 |
| 2.2.4 | अपूर्ण और गैर-निष्पादित योजनाओं से संबंधित अप्रयुक्त निधियों का ब्लॉक-वार विवरण | 2.2.4.7 (बी) | 168 |
| 2.3.1 | (ए) खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के 11 नमूना जांच कार्यालयों से प्राप्त और जारी राशन कार्डों को दर्शाता विवरण (बी) 11 नमूना जांच की गयी इकाइयों में जारी राशन कार्डों की बिक्री प्राप्तियों के कम प्रेषण को दर्शाता विवरण | 2.3 | 169-170 |

| परिशिष्ट संख्या | विवरण | संदर्भ | |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | पैराग्राफ | पृष्ठ संख्या |
| 2.5.1 | बीएडीपी के अंतर्गत जुलाई 2020 के अंत में स्टोरेज टैंकों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति को दर्शाता विवरण | 2.5 | 171-172 |
| 3.1.1 | वर्ष 2018-19 के दौरान स्वीकार की गई वसूली और वसूली किए गए मामलों का इकाई-वार विवरण | 3.10 | 173 |
| 5.1.1 | 31 मार्च 2019 तक राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण | 5.1.7 | 174-176 |
| 5.1.2 | 31 मार्च 2019 तक राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) के अभिलेख की तुलना में, जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण, गारंटी का विवरण | 5.1.9 | 177-179 |
| 5.1.3 (ए) | लेखाओं की प्रस्तुति से संबंधित स्थिति | 5.1.10 | 180 |
| 5.1.3 (बी) | सितंबर 2019 तक बकाया लेखाओं वाले राज्य के कार्यशील पीएसयू में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति का विवरण | 5.1.10 | 181-182 |
| 5.1.3 (सी) | निवेश पर प्रतिफल -जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड | 5.1.12 (बी-1) | 183-184 |
| 5.1.4 | 30 सितंबर 2019 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र की छह कंपनियों के कार्य परिणामों और वित्तीय स्थिति का विवरण | 5.1.11 (ए) और 5.1.15 (ए) | 185-186 |

| परिशिष्ट संख्या | विवरण | संदर्भ | |
|-----------------|--|---------------|--------------|
| | | पैराग्राफ | पृष्ठ संख्या |
| 5.1.5 | 30 सितंबर 2019 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण | 5.1.11 (बी) | 187-190 |
| 5.1.6 | 30 सितंबर 2019 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) | 5.1.12 (बी-2) | 191 |
| 5.1.7 (ए) | पाँच विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में उनकी स्थापना से 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों का विवरण | 5.1.13 (ए) | 192-193 |
| 5.1.7 (बी) | वर्ष 1999-2000 से 2018-19 के दौरान, राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों का विवरण | 5.1.13 (बी) | 194-197 |
| 5.1.7 (सी) | राज्य सरकार द्वारा वर्ष-वार निवेश और वर्ष 1999-2000 से 2018-19 तक की अवधि हेतु सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) | 5.1.13 (बी) | 198 |
| 5.1.8 | 30 सितंबर 2019 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) के वित्तीय परिणामों का विवरण | 5.1.15 (बी) | 199-200 |
| 6.1.1 | संगठनात्मक संरचना | 6.1.2 | 201 |
| 6.1.2 | चयनित नमूना और निगम की इकाइयों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण | 6.1.4 | 202 |

| परिशिष्ट संख्या | विवरण | संदर्भ | |
|-----------------|---|-----------|--------------|
| | | पैराग्राफ | पृष्ठ संख्या |
| 6.1.3 | नमूना इकाइयों के संबंध में लक्ष्य और प्राप्ति | 6.1.7.1 | 203 |
| 6.1.4 | वर्ष 2014-2019 की अवधि के दौरान निगम के अनंतिम लेखाओं के अनुसार इसके कार्य परिणाम | 6.1.8 | 204 |
| 6.1.5 | नमूना इकाइयों में वाहनों की रोक | 6.1.9.2 | 205 |
| 6.1.6 | नमूना इकाइयों में वाहनों की कम-उपयोगिता | 6.1.9.2 | 206-208 |
| 6.1.7 | नमूना इकाइयों में ईंधन खपत | 6.1.9.6 | 209 |
| 6.1.8 | 31 मार्च 2019 तक विभिन्न विभागों के प्रति बकाया राशि का विवरण | 6.1.10.3 | 210-211 |
| 6.1.9 | नमूना कार्यशालाओं में राजस्व निहितार्थ सहित कार्यशाला प्रबंधन और वाहनों की रोक | 6.1.12 | 212 |

प्राक्कथन

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत तैयार किया गया है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निर्णय (जून 1994) के अनुसार, जहाँ कहीं भी राष्ट्रपति शासन एक वर्ष से अधिक विस्तारित किया जाता है, राज्य से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। अतः यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, यह प्रतिवेदन आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपालों को भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में तीन भाग हैं।

भाग I: सामाजिक, सामान्य और आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र

इस भाग में सामाजिक, सामान्य और आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

भाग II: राजस्व क्षेत्र

इस भाग में प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

भाग III: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

इस भाग में मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी जाने वाली सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 139 और 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे मामले हैं जो 2018-19 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वे मामले भी, जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2018-19 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक हो, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा का संचालन, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप किया गया है।

इस प्रतिवेदन के भाग-I और II भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं जबकि भाग III को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के तहत विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के तीन भागों में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के सामाजिक, सामान्य और आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) (भाग I) क्षेत्रों के अंतर्गत विभागों/ स्वायत्त निकायों, राजस्व क्षेत्र के कार्यालयों (भाग II) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (भाग III) पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। इस प्रतिवेदन का संयुक्त राजस्व निहितार्थ ₹949.03 करोड़ है।

भाग I: सामाजिक, सामान्य और आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्र

इस प्रतिवेदन के भाग I में बैंक खातों के प्रबंधन, निष्फल व्यय, अप्रयुक्त वेतन का अप्राधिकृत भुगतान इत्यादि से संबंधित ₹192.47 करोड़ को शामिल करने वाले नौ पैराग्राफ सम्मिलित हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ नीचे वर्णित हैं:

वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान राज्य का कुल व्यय¹ ₹34,550 करोड़ से बढ़कर ₹64,572 करोड़ हो गया, जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय में वर्ष 2014-15 में ₹29,329 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹56,090 करोड़ तक 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान अनियोजित/ सामान्य राजस्व व्यय में ₹26,457 करोड़ से ₹53,578 करोड़ तक 102 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और पूँजीगत व्यय में ₹5,134 करोड़ से ₹8,413 करोड़ तक 64 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2014 से 2019 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का 80 से 87 प्रतिशत और पूँजीगत व्यय का 13 से 20 प्रतिशत शामिल था।

(पैराग्राफ: 1.2)

अनुपालन लेखापरीक्षा

मॉडल स्कूलों की स्थापना न करना

ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त धनराशि के समय पर उपयोग हेतु कार्रवाई करने में शिक्षा विभाग की विफलता का परिणाम अभिप्रेत हितभागियों को गुणता शिक्षा से वंचित रखने और उपलब्ध कुल ₹44.13 करोड़ की निधियों के गैर-उपयोग के रूप में हुआ। राज्य सरकार का ₹5.74 करोड़ का योगदान तथा प्रोद्भूत ब्याज सहित ₹44.13 करोड़ की उपलब्ध निधियों का भी, दस वर्षों के लिए अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ: 2.1)

¹ कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण शामिल किए गए हैं।

सरकारी विभागों में बैंक खातों का प्रबंधन

आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के बैंक खातों में निधियों की उपयोगिता के समेकन और सुव्यवस्थीकरण पर समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया था। दिसंबर 2016 से फरवरी 2017 की अवधि के दौरान डीडीओ के व्यतिरिक्त बैंक खातों से ₹64.10 करोड़ की अल्प राशि ही हस्तांतरित की गयी थी। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान तीन चयनित सरकारी विभागों के 131 डीडीओ के 1,138 बैंक खातों में संचित शेष ₹116.41 करोड़ से ₹399.94 करोड़ तक बढ़ गया। संचित शेष में वृद्धि आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को राहत/मुआवजे की निधियाँ संवितरित नहीं करने, अनुचित योजना तथा योजनाओं के गैर-समापन, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में व्यय के अधिक विवरण, निधियों के प्रतिधारण, सरकारी खाते से बाहर सांविधिक कटौतियों और भूमि मुआवजे के प्रतिधारण के कारण थी।

(पैराग्राफ: 2.2)

देय राशि का गैर-संग्रहण/ कम प्रेषण

वर्ष 2015 से 2018 की अवधि के दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की 11 नमूना जांच की गयी इकाइयों में उपभोक्ताओं को 1,30,121 मुद्रित राशन कार्डों का वितरण नहीं होने के कारण ₹1.07 करोड़ के गैर-संग्रहण के साथ-साथ सरकारी खाते में ₹1.69 करोड़ के कम प्रेषण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

(पैराग्राफ: 2.3)

गैर-प्रकार्यात्मक सौर विद्युत संयंत्रों के कारण निष्फल व्यय

राज्य कर विभाग के साथ कार्य अनुबंध कर (डब्ल्यूसीटी) भुगतान के निपटान नहीं होने के कारण, मई 2014 से जनवरी 2015 के मध्य ₹9.70 करोड़ का व्यय करने और रखरखाव की मुफ्त वारंटी उपलब्ध होने के बावजूद, सितंबर 2014 से पुलिस प्रतिष्ठानों में संस्थापित 128 सौर विद्युत संयंत्र गैर-प्रकार्यात्मक बने रहे।

(पैराग्राफ: 2.4)

जल भण्डारण टैंकों पर निष्फल व्यय

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा निजी भूमि के अधिग्रहण और वन विभाग/ रक्षा प्राधिकरण से पूर्व निर्बाधता प्राप्त किए बिना जल भण्डारण टैंकों पर कार्य के निष्पादन को आरंभ करने का परिणाम ₹3.67 करोड़ के निष्फल व्यय के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ: 2.5)

लिफ्ट सिंचाई योजना पर निष्फल व्यय

कार्यपालक अभियंता, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, सुंबल द्वारा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए निर्माण कार्यों का निष्पादन आरंभ करने से पूर्व पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन न करने से योजना की लागत में संशोधन तथा योजना समापन के लिए आठ वर्षों की अवधि से अधिक तक अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करने में असमर्थता का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसने योजना पर ₹2.23 करोड़ के व्यय को निष्फल कर दिया।

(पैराग्राफ: 2.6)

धर्मकांटा परीक्षण किटों से युक्त मोबाइल क्रेनों का कम उपयोग

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई ₹1.18 करोड़ की राशि की धर्मकांटा परीक्षण किटों से युक्त मोबाइल क्रेनों के संचालन के लिए चालक/ प्रशिक्षित स्टाफ को विनियोजित करने में विधिक मापविज्ञान विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप उनका कम उपयोग हुआ तथा मापांकन की मैनुअल प्रथा/ धर्मकांटों के सत्यापन को आधुनिक बनाने और परिवर्तित करने के अभिप्रेत उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ: 2.7)

अप्रयुक्त वेतन का अप्राधिकृत भुगतान

विद्युत विकास विभाग की या तो संस्वीकृत संख्या से अधिक परिनियोजित चालकों/ शोफरों का स्थानांतरण करने या उनकी सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफलता का परिणाम मार्च 2015 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान चालकों/ शोफरों को ₹79.46 लाख के अप्रयुक्त वेतन के भुगतान और अप्राधिकृत आहरण के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ: 2.8)

निष्फल व्यय तथा निधियों का अवरोधन

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सात वर्षों की अवधि से अधिक में जलापूर्ति संवर्धन योजना को प्रकार्यात्मक बनाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹78.28 लाख का निष्फल व्यय और ₹39 लाख का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ: 2.9)

भाग II: राजस्व क्षेत्र

भाग II में राजस्व क्षेत्र के लेखापरीक्षा निष्कर्षों में खरीदों के छिपाव के कारण कम मांग, कर छूट की अनियमित स्वीकृति, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित अनुमति तथा सरकारी धन के दुर्विनियोजन पर ₹2.03 करोड़ मूल्य के पाँच पैराग्राफ सम्मिलित हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ नीचे वर्णित हैं:

प्रस्तावना

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य की समग्र प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹14,175.70 करोड़) पूर्ववर्ती वर्ष में 29 प्रतिशत की अपेक्षा कुल राजस्व प्राप्तियों का 28 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के दौरान शेष 72 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार (जीओआई) से हुई थी, जिसका 62.25 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में आया था। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान राज्य की कुल प्राप्तियों का 45.02 प्रतिशत हिस्सा रहा।

(पैराग्राफ: 3.1)

वर्ष 2018-19 के दौरान संचालित राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन विभाग की 398 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 54 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 502 मामलों में कुल ₹900.11 करोड़ के अवनिर्धारण/ कम उगाही/ राजस्व की हानि का पता चला। केवल आठ इकाइयों से ₹2.46 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य अनियमितताओं की स्वीकृति से संबंधित विभागीय जवाब प्राप्त हुए थे। विभागों ने वर्ष 2018-19 से पूर्व की अवधि के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 51 मामलों में वर्ष 2018-19 के दौरान ₹1.55 करोड़ की वसूली की थी।

(पैराग्राफ: 3.10)

अनुपालन लेखापरीक्षा

निर्धारण प्राधिकारी का डीलर का आंकलन करते समय कुल कारोबार के छिपाव को पहचानने में असफल होने का परिणाम ₹17.67 लाख के कम कर, ब्याज और जुर्माने की उगाही के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ: 4.4)

निर्धारण प्राधिकारी वाणिज्यिक कर सर्किल-I और II, ऊधमपुर द्वारा, दो औद्योगिक इकाइयों जिन्होंने वर्ष 2010-11 और 2013-14 के दौरान ₹12.32 लाख की खरीदों को छिपाया था और जिसके द्वारा वे जम्मू एवं कश्मीर मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 69(1)(एफ) के तहत अपराध की दोषी थी, को अनियमित कर छूट की अनुमति का परिणाम ₹26.22 लाख की कम मांग के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ: 4.5)

निर्धारण प्राधिकारी वाणिज्यिक कर सर्किल-II, ऊधमपुर तथा सर्किल 'एल' जम्मू के डीलरों द्वारा उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र की निलंबन अवधि के दौरान की गई खरीदों पर दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने की विफलता का परिणाम ₹1.26 करोड़ की कम मांग के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ: 4.6)

एक डीलर द्वारा फाइल किए गए रिटर्न का सही प्रकार से सत्यापन करने तथा समाप्त समयावधि/ लौटाई गई वस्तुओं पर दावा किए गए अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने में राज्य कर सर्किल अनंतनाग-I की विफलता का परिणाम ₹16.04 लाख की कम मांग के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ: 4.7)

तहसीलदार, कठुआ सरकारी राजस्वों को संभालने संबंधी निर्धारित नियमों का कार्यान्वयन करने में विफल रहा तथा लेखापरीक्षा को भी गलत सूचना उपलब्ध कराई जिसने ₹16.81 लाख की राजस्व प्राप्तियों का दुर्विनियोजन सुकर बनाया।

(पैराग्राफ: 4.8)

भाग III: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

भाग III में सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के ₹754.53 करोड़ मूल्य के लेखापरीक्षा निष्कर्ष में 'जम्मू एवं कश्मीर राज्य पथ परिवहन निगम' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और संस्वीकृत लागत से अधिक किया गया व्यय, अधिक व्यय की वसूली नहीं करने, प्रशासनिक ओवरहेडों की कम वसूली और अनुमोदित लागत से अधिक में कार्य के निष्पादन से संबंधित चार पैराग्राफ शामिल हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ नीचे वर्णित हैं:

31 मार्च 2019 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के तहत 39 सरकारी कंपनियों (जिनमें से नौ अक्रियाशील थी) और तीन सांविधिक निगमों सहित 42 पीएसयू थे। इनमें से एक पीएसयू अर्थात् जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड (जुलाई 1998) स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है। बैंक की प्रदत्त कुल इक्विटी का, 59.23 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा रोका गया है तथा शेष 40.77 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेशकों, व्यक्तियों और अन्य द्वारा अधिकार में रखा गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, छह पीएसयू निगमित किये गये थे तथा कोई भी पीएसयू बंद नहीं किया गया था। 33 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने, अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 30 सितंबर 2019 तक ₹9,784.90 करोड़ का वार्षिक कारोबार पंजीकृत किया और ₹448.02 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया। यह कारोबार वर्ष 2018-19 के लिए ₹1,54,441 करोड़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 6.33 प्रतिशत के बराबर था।

(पैराग्राफ: 5.1.1)

निष्पादन लेखापरीक्षा

एक पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाले परिवहन उपक्रम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) की स्थापना सितंबर 1976 में, राज्य में सामान्य जन के लिए यात्रियों और वस्तुओं दोनों की परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई थी। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा में नियोजन, परिचालन निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण इत्यादि में कुछ कमियों के दृष्टांत पाये गये। इस निष्पादन लेखापरीक्षा का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹737.57 करोड़ है, निष्पादन लेखापरीक्षा के कुछ प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं:

- वर्ष 2014-15 में ₹204.74 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹245.57 करोड़ तक प्रदत्त शेयर पूँजी में 20 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, संचित हानियों में ₹1,229.56 करोड़ से ₹1,639.01 करोड़ तक 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जिसने इंगित किया कि सरकार द्वारा निवेश की गई पूँजी का निगम ने कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया था।

(पैराग्राफ: 6.1.6)

- निगम के योजना विंग ने इसके पुनः प्रवर्तन के लिए कोई भावी योजना या दीर्घकालीन योजना तैयार नहीं की थी।

(पैराग्राफ: 6.1.7)

- प्रवर्ती बेड़े के लक्ष्यों और राजस्व संग्रहण के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान क्रमशः 28 से 33 प्रतिशत एवं 31 और 37 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान राजस्व के लक्ष्य की प्राप्ति में कुल ₹165.22 करोड़ की कमी थी।

(पैराग्राफ: 6.1.7.1)

- निगम इसके परिचालन राजस्व को अर्जित करने में विफल रहा, क्योंकि वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान परिचालन हानि ₹15.03 प्रति किमी से ₹34.68 प्रति किमी के बीच रही।

(पैराग्राफ: 6.1.8)

- वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान बेड़े की कुल संख्या 133 वाहनों (14 प्रतिशत) तक घट गई। इसी अवधि के दौरान 142 वाहनों की वृद्धि के बावजूद निगम वाहनों की उपलब्धता में सुधार नहीं कर सका।

(पैराग्राफ: 6.1.9)

- वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान बेड़े परिचालन 51 और 59 प्रतिशत के बीच रहे तथा कार्यशाला में वाहनों की रोक 29 से 44 प्रतिशत के बीच रही।

अप्रयुक्त वाहनों का प्रतिशत वर्ष 2014-15 में पाँच प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 19 प्रतिशत तक हो गया।

(पैराग्राफ: 6.1.9.2)

- संपत्तियों की स्वामित्व हकदारिता को अर्जित करने में विफलता, संपत्तियों का मूल्यांकन नहीं करना, हस्तांतरित भूमि के प्रतिकर की वसूली नहीं करना, संपत्तियों की गैर-उपयोगिता, पट्टों का नवीकरण नहीं करना इत्यादि ने इसकी परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए निगम की अपर्याप्त पहल को इंगित किया।

(पैराग्राफ: 6.1.13)

- चालकों/ परिचालकों की सेवाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि कार्यशालाओं में अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध होने के बावजूद, कार्यशालाओं में चालक/ परिचालक रोके गए वाहनों के साथ संलग्न रहे जिसका परिणाम अप्रयुक्त रहे स्टाफ को ₹44.95 करोड़ के भुगतान के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ: 6.1.14)

- निगम की आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि अपर्याप्त थी, बोर्ड बैठकों, मासिक बैठकों, प्रशासनिक निरीक्षणों और सतर्कता जाँचों को नियमित रूप से संचालित नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ: 6.1.15)

अनुपालन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में दो पीएसयू (जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के चार पैराग्राफ शामिल हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ संस्वीकृत लागत से अधिक किये गये व्यय, अतिरिक्त व्यय की गैर-वसूली, प्रशासनिक ओवरहेडों की कम वसूली और अनुमोदित लागतों से अधिक में निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबंधित हैं। इन टिप्पणियों का मौद्रिक निहितार्थ ₹16.96 करोड़ है, पैराग्राफों के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड ने संस्वीकृत लागत में एक पुल के निर्माण कार्य और संबद्ध कार्यों को प्रतिबंधित नहीं किया, जिसका परिणाम निर्माण कार्य पर किए गए ₹1.88 करोड़ के व्यय की गैर-वसूली के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ: 7.1)

जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड ने संशोधित लागत प्रस्तावों के अनुमोदन और निधियों का निर्मोचन सुनिश्चित किए बिना दरहाली नाला, उज्जान (राजौरी) के ऊपर एक पुल का निर्माण किया, जिसका परिणाम ₹6.85 करोड़ के प्रतिपूर्ति नहीं हुये व्यय के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ: 7.2)

परियोजना प्राधिकरण के निकी तवी पुल के निर्माण हेतु ₹20.50 करोड़ तक कार्य के मूल्य को प्रतिबंधित करने के स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद, जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड ने संस्वीकृत लागत को बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.64 करोड़ के प्रशासनिक ओवरहेडों की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ: 7.3)

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अनुमोदित लागत के अनुसार कार्य के निष्पादन में जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड की विफलता से ₹1.92 करोड़ की वित्तीय हानि हुई, इसके अलावा वर्ष 2014-15 से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ₹4.67 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई।

(पैराग्राफ: 7.4)

भाग I
सामाजिक, सामान्य और आर्थिक
(गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र

अध्याय I
सामाजिक, सामान्य और आर्थिक
(गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र
प्रस्तावना

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 बजट रूपरेखा

जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) राज्य में 36 विभाग हैं। वर्ष 2018-19 के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु बजट अनुमान की समग्र स्थिति ₹1,11,850 करोड़ थी और ₹95,386 करोड़ का व्यय हुआ था। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों और उसके प्रति वास्तविक की स्थिति निम्नलिखित तालिका 1.1 में दी गयी है।

तालिका 1.1: वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक |
| राजस्व व्यय | | | | | | | | | | |
| सामान्य सेवाएं | 12,923 | 12,039 | 14,895 | 13,675 | 16,445 | 15,110 | 17,314 | 16,888 | 23,051 | 22,850 |
| सामाजिक सेवाएं | 9,114 | 8,501 | 11,416 | 11,331 | 13,028 | 11,564 | 13,909 | 13,117 | 20,355 | 17,931 |
| आर्थिक सेवाएं | 9,466 | 8,789 | 10,886 | 11,414 | 13,095 | 13,138 | 12,659 | 10,911 | 15,636 | 15,309 |
| सहायता अनुदान ¹ एवं अंशदान | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुल (1) | 31,503 | 29,329 | 37,197 | 36,420 | 42,568 | 39,812 | 43,882 | 40,916 | 59,042 | 56,090 |
| पूँजीगत व्यय | | | | | | | | | | |
| पूँजीगत परिव्यय | 10,221 | 5,134 | 12,685 | 7,331 | 16,904 | 8,286 | 22,126 | 10,353 | 27,124 | 8,413 |
| संवितरित ऋण और अग्रिम | 71 | 87 | 93 | 94 | 91 | 76 | 569 | 25 | 575 | 69 |
| सार्वजनिक ऋण ² की चुकौती | 8,412 | 8,549 | 8,812 | 10,815 | 15,367 | 17,023 | 18,401 | 22,490 | 17,977 | 20,647 |
| आकस्मिक निधि | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| लोक लेखा संवितरण ³ | 3,690 | 17,796 | 3,939 | 24,094 | 5,535 | 19,458 | 4,961 | 15,286 | 7,132 | 9,656 |
| अंत नकद शेष | - | 1,401 | - | 527 | - | 429 | - | 554 | - | 511 |
| कुल (2) | 22,394 | 32,967 | 25,529 | 42,861 | 37,897 | 45,272 | 46,057 | 48,708 | 52,808 | 39,296 |
| कुल योग (1+2) | 53,897 | 62,296 | 62,726 | 79,281 | 80,465 | 85,084 | 89,939 | 89,624 | 1,11,850 | 95,386 |

(स्रोत: राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण और वित्त लेखे)

¹ राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान को सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में शामिल किया गया है।

² अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत संव्यवहारों सहित।

³ वास्तविक में रोकड शेष और विभागीय रोकड शेष के निवेश के संव्यवहारों को शामिल नहीं किया है।

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय⁴ में ₹34,550 करोड़ से ₹64,572 करोड़ तक की वृद्धि हुई थी, जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय में वर्ष 2014-15 में ₹29,329 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹56,090 करोड़ तक 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान अनियोजित/ सामान्य राजस्व व्यय में ₹26,457 करोड़ से ₹53,578 करोड़ तक 102 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और पूँजीगत व्यय में ₹5,134 करोड़ से ₹8,413 करोड़ तक 64 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का 80 से 87 प्रतिशत और पूँजीगत व्यय का 13 से 20 प्रतिशत शामिल था।

1.3 निरंतर बचत

पिछले पांच वर्षों के दौरान छह अनुदानों के अंतर्गत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक की और कुल अनुदान के 10 प्रतिशत या अधिक तक निरंतर बचत देखी गई जिसे तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान निरंतर बचत वाले अनुदानों की सूची
(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान संख्या और नाम | बचत राशि | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
| राजस्व (दत्तमत) | | | | | | |
| 1. | 10 कानून विभाग | 97.04 (34) | 102.19 (37) | 154.81 (48) | 154.33 (42) | 85.99 (15) |
| पूँजीगत (दत्तमत) | | | | | | |
| 2. | 06 विद्युत विकास विभाग | 250.25 (64) | 707.60 (70) | 2,177.61 (76) | 5,591.27 (89) | 5,384.26 (96) |
| 3. | 12 कृषि विभाग | 222.70 (55) | 179.63 (33) | 634.82 (67) | 333.92 (37) | 738.86 (83) |
| 4. | 19 आवासीय तथा शहरी विकास विभाग | 568.44 (77) | 220.61 (42) | 394.59 (51) | 519.54 (53) | 1,208.42 (72) |
| 5. | 25 श्रम, स्टेशनरी तथा मुद्रण विभाग | 76.70 (98) | 31.79 (29) | 14.54 (13) | 100.74 (84) | 59.48 (57) |
| 6. | 28 ग्रामीण विकास विभाग | 1,104.58 (60) | 496.69 (38) | 798.19 (42) | 541.36 (23) | 1,257.67 (41) |

(स्रोत: विनियोजन लेखे)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल अनुदान के बचत प्रतिशत को दर्शाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा इन शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतों के कारणों की सूचना नहीं दी गयी (मई 2020) थी।

⁴ कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण शामिल किए गए हैं।

1.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई निधियाँ

भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य बजट में डाले बिना विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (संस्थानों, निगमों, सोसाइटियों, इत्यादि) को ₹895 करोड़ (परिशिष्ट 1.1.1) सीधे हस्तांतरित किए थे। इसके परिणामस्वरूप, यह राशि वर्ष के दौरान राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं (वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे) के दायरे से बाहर रह गई।

1.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| अनियोजित अनुदान | 3,343 | 11,135 | 12,776 | - | - |
| केन्द्रीय सहायता प्राप्त राज्य नियोजन योजनाओं/ केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान | 12,720 | 4,365 | 7,766 | 9,096 | 7,608 |
| केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित नियोजन योजना हेतु अनुदान | 87 | 1,228 | 56 | - | - |
| वित्त आयोग अनुदान (उत्तर हस्तांतरण राजस्व घाटा अनुदान) | - | - | - | 11,849 | 12,952 |
| ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुदान | - | - | - | - | 204 |
| शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुदान | - | - | - | - | 126 |
| राज्य आपदा राहत कोष हेतु सहायता अनुदान | - | - | - | - | 253 |
| अन्य हस्तांतरण/ राज्यों को अनुदान | - | - | - | 620 | 461 |
| जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति | - | - | - | 1,137 | 1,462 |
| कुल | 16,150 | 16,728 | 20,598 | 22,702 | 23,066 |
| पिछले वर्ष में वृद्धि/ कमी की प्रतिशतता | 17 | 4 | 23 | 10 | 2 |
| राजस्व प्राप्तियां | 28,939 | 35,781 | 41,978 | 48,512 | 51,231 |
| राजस्व प्राप्तियों से कुल अनुदानों की प्रतिशतता | 56 | 47 | 49 | 47 | 45 |

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जीओआई से प्राप्त कुल सहायता अनुदान में वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान ₹16,150 करोड़ (2014-15) से ₹23,066 करोड़ (2018-19) तक की वृद्धि हुई थी।

1.6 लेखापरीक्षा प्रक्रिया

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/ परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ शुरू होती है, जिसमें कार्यकलापों की महत्वपूर्णता/ जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रणों और हितधारकों की चिंताओं और पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार किया जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर, लेखापरीक्षा की निरंतरता और सीमा पर निर्णय लिया जाता है और एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

लेखापरीक्षा पूरी होने के उपरान्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली एक निरीक्षण रिपोर्ट एक माह में उत्तर देने के अनुरोध के साथ कार्यालयाध्यक्ष को जारी की जाती है। उत्तर प्राप्त होने पर या तो लेखापरीक्षा निष्कर्ष का निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु अगली कार्रवाई का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संसाधित किया जाता है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए निष्कर्ष केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के संव्यवहारों की नमूना जांच पर ही आधारित होते हैं। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा दूसरे सरकारी विभागों में भी विशेष रूप से दर्शाये गये मामलों की विस्तृत जांच की जाए।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर के कार्यालय द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य के 727 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और 25 स्वायत्त निकायों की 74 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा का संचालन किया गया था।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पैराग्राफों पर सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों, जिनमें विभागों के कार्यक्रमों एवं कार्यप्रणाली की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव हुआ है, में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों/ कार्यकलापों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों की सूचना दी है। नागरिकों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने और सेवा सुपुर्दगी सुधारने के लिए कार्यपालक को उचित अनुशंसायें करने हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों/ योजनाओं के लेखापरीक्षण पर पूरा ध्यान दिया गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभाग के प्रधान सचिवों/ सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनके ध्यानाकर्षण और छह सप्ताह में उनकी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करते हुए भेजा जाता है। विभागों/

सरकार से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल ऐसे पैराग्राफों के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित 23 पैराग्राफों को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को भेजा गया था। इनमें से इस प्रतिवेदन में शामिल नौ पैराग्राफों के संबंध में उत्तर (सितंबर 2020 तक) प्राप्त नहीं हुए थे।

1.8 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों/ निरीक्षण रिपोर्टों (आईआर) के शीघ्रता से निपटान हेतु अनुदेशों की हस्त-पुस्तिका में निर्धारित नियमों एवं कार्यविधियों का अनुपालन करते हुए उपचारात्मक/ आशोधन कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा जारी आईआर पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा शीघ्र उत्तर देने का प्रावधान किया गया है। कार्यालयाध्यक्षों और अगले उच्च अधिकारियों से आईआर में निर्दिष्ट टिप्पणियों का अनुपालन करने और त्रुटियों को परिशोधित करने और उनके अनुपालन की सूचना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को देने की अपेक्षा की जाती है।

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर, 31 मार्च 2019 को बकाया 11,531 आईआर में निर्दिष्ट 49,523 लेखापरीक्षा टिप्पणियों को तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: 31 मार्च 2019 की समाप्ति पर बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां दर्शाते ब्यौरे

| क्षेत्र का नाम | आदि शेष (1 अप्रैल 2018) | | वर्ष 2017-18 के दौरान वृद्धि | | वर्ष 2018-19 के दौरान निपटाए गए | | अंत शेष (31 मार्च 2019) | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या | पैराग्राफों की संख्या | निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या | पैराग्राफों की संख्या | निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या | पैराग्राफों की संख्या | निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या | पैराग्राफों की संख्या |
| सामाजिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू) | 5,289 | 23,981 | 444 | 4,304 | 149 | 1,493 | 5,584 | 26,792 |
| सामान्य क्षेत्र (गैर-पीएसयू) | 1,634 | 5,198 | 151 | 921 | 68 | 432 | 1,717 | 5,687 |
| आर्थिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू) | 4,093 | 15,991 | 337 | 2,943 | 200 | 1,890 | 4,230 | 17,044 |
| कुल | 11,016 | 45,170 | 932 | 8,168 | 417 | 3,815 | 11,531 | 49,523 |

पैराग्राफों का बड़ी संख्या में लंबन लेखापरीक्षा हेतु सरकारी विभागों की पर्याप्त प्रतिक्रिया में कमी को दर्शाता है। सरकार को इस मामले पर विचार-विमर्श करना चाहिए और विभागों से समयबद्ध तरीके से लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उचित प्रतिक्रिया

सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली को सुधारना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान केवल दो लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित की गयी थी जिनमें 28 लेखापरीक्षा पैराग्राफों का निपटान किया गया जो कि मार्च 2019 तक लंबित आक्षेपों का 0.06 प्रतिशत है।

संबंधित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया जाए, इसकी बैठकें आयोजित की जाएं तथा पैराग्राफों के निपटान की प्रगति की निगरानी की जाए।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

1.9.1 स्वप्रेरणा से कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत न करना

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किए गए मामलों पर कार्यकारी अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने इस पर ध्यान दिए बिना कि इन पर समितियों द्वारा चर्चा की गई थी या नहीं, लोक लेखा समिति (पीएसी)/ सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (सीओपीयू) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर स्वप्रेरणा से कृत कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) को प्रस्तुत करने हेतु प्रशासनिक विभागों को जून 1997 में अनुदेश जारी किए थे। इन एटीएन को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह की अवधि में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा यथावत् जांच के बाद इन समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है।

तथापि, यह देखा गया कि 2000-01 से 2015-16 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में दर्शाये गये 495⁵ लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से 146 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्वप्रेरणा एटीएन 30 सितंबर 2020 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

1.9.2 पीएसी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

पीएसी/ सीओपीयू द्वारा चर्चा किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उनके द्वारा की गई टिप्पणियाँ/ अनुशंसाओं पर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा यथावत् जांच के बाद कृत कार्रवाई टिप्पणियों को इन टिप्पणियों/ अनुशंसाओं की तिथि से छह माह के अंदर इन समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में दर्शाए गए 495 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से केवल 245 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर 31 मार्च 2020 तक पीएसी द्वारा चर्चा की गई है। पीएसी द्वारा 223 लेखापरीक्षा पैराग्राफों से संबंधित अनुशंसाओं दी गयी हैं। तथापि, समितियों के 165 पैराग्राफों के संबंध में अनुशंसाओं पर एटीएन जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख राज्य सरकार से लंबित हैं।

⁵ वर्ष 2016-17 और 2017-18 हेतु सीएण्डएजी के प्रतिवेदनों में दर्शाये गये लेखापरीक्षा पैराग्राफों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि कि इन्हें 23 सितंबर 2020 को संसद में प्रस्तुत किया गया है।

1.10 स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति न करना/ विलंब से प्रस्तुत करना

सीएण्डएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारारें 19(3) और 20(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) द्वारा लेखापरीक्षा हेतु अपेक्षित दस स्वायत्त निकायों ने भी वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे, जो निम्नानुसार हैं:

तालिका 1.5: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का अप्रस्तुतीकरण

| क्रम.सं. | निकाय/ प्राधिकरण का नाम | वर्षों की संख्या में विलंब | लेखाओं की संख्या | 2018-19 के दौरान अनुदान (₹ करोड़ में) |
|----------|--|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. | लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद्, लेह | 24 | 24 | 546.24 |
| 2. | लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद्, कारगिल | 16 | 16 | 597.95 |
| 3. | प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण | 10 | 10 | शून्य |
| 4. | शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर | 09 | 09 | 228.60 |
| 5. | शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू | 03 | 03 | 101.00 |
| 6. | कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड, श्रीनगर | 04 | 04 | शून्य |
| 7. | जम्मू एवं कश्मीर राज्य आवासीय बोर्ड | 07 | 07 | शून्य |
| 8. | खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड | 04 | 04 | 23.00 |
| 9. | भवन एवं अन्य निर्माण संबंधी मजदूर कल्याण बोर्ड | 06 | 06 | शून्य |
| 10. | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण | 01 | 01 | 12.48 |
| | कुल | | 84 | 1,509.27 |

लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद् (एलएचडीसी), लेह और एलएचडीसी, कारगिल की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। एलएचडीसी, लेह इसके आरंभ अर्थात् 1995-96 से ही लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत करने में विफल रहा है, यद्यपि परिषद् को पर्याप्त निधियाँ निर्गत की जा रही हैं और वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राज्य के लोक लेखा में गैर-व्ययगमन योग्य निधि में क्रेडिट रहता है। यही स्थिति एलएचडीसी, कारगिल के संबंध में है जो वर्ष 2004-05 में अस्तित्व में आई और इसके लेखे आरंभ से ही बकाया हैं।

राज्य बजट से पर्याप्त निधि प्राप्त करने वाले इन निकायों द्वारा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण/ विलंब से प्रस्तुतीकरण, एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जो वर्षों से जारी है। अननुपालन के मद्देनजर, इन सांविधिक निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अभी तक राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जैसा कि उन सांविधियों के अंतर्गत अपेक्षित है जिनके अंतर्गत इन निकायों का गठन किया गया था। इससे राज्य विधानमंडल उनके कार्यकलापों एवं वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने के अवसर से वियुक्त रहा।

अध्याय II
सामाजिक, सामान्य और आर्थिक
(गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय II

अनुपालन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में सामाजिक, सामान्य और आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्रों से संबंधित नौ अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। टिप्पणियाँ अप्राधिकृत भुगतान, निधियों की उपलब्धता के बावजूद भी परिसंपत्तियों का गैर-सृजन, परिसंपत्तियों की कम उपयोगिता, निर्माण कार्यों का गैर-निष्पादन, निधियों का अवरोधन, व्यय का अधिक विवरण तथा निष्फल व्यय इत्यादि से संबंधित हैं। इन टिप्पणियों का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹192.47 करोड़ है। उत्तरवर्ती पैराओं में टिप्पणियों पर विस्तार से चर्चा की गयी है।

शिक्षा विभाग

2.1 मॉडल स्कूलों की स्थापना न करना

ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त धनराशि के समय पर उपयोग हेतु कार्रवाई करने में विभागीय विफलता का परिणाम अभिप्रेत हितभागियों को गुणता शिक्षा से वंचित रखने और उपलब्ध कुल ₹44.13 करोड़ की निधियों के गैर-उपयोग के रूप में हुआ। राज्य सरकार का ₹5.74 करोड़ का योगदान तथा प्रोद्भूत ब्याज सहित ₹44.13 करोड़ की उपलब्ध निधियों का भी, दस वर्षों के लिए अवरोधन हुआ।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीएसईएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार (जीओआई) ने शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए प्रत्येक ब्लॉक (ईबीबी) में कम से कम एक बेहतर गुणता वाले माध्यमिक स्कूल (मॉडल स्कूल) होने के उद्देश्य सहित एक योजना प्रारंभ (नवंबर 2008) की। योजना वर्ष 2009-10 से कार्यान्वित की जानी थी। क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) एक विशेष श्रेणी का राज्य है, अतः योजना के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तपोषण का प्रतिमान भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) के लिए क्रमशः 90:10 था।

जीओजेएण्डके ने डीएसईएल, एमएचआरडी, जीओआई की सहायता अनुदान समिति (जीआईएसी) को ईबीबी के लिए 24 (17 नए स्कूलों और सात विद्यमान स्कूलों का प्रत्यावर्तन) स्कूलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव (नवंबर 2009) प्रस्तुत किये। इसकी

तीसरी बैठक (नवंबर 2009) के दौरान, जीआईएसी ने पाया कि ₹6.18 करोड़ की अनुमानित इकाई लागत ₹3.02 करोड़ प्रति मॉडल स्कूल के योजना मानदंड से अधिक थी और इसलिए, राज्य सरकार को या तो प्राक्कलन संशोधित करना या अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना अपेक्षित था। इसी बैठक में, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के प्रतिनिधि ने जीआईएसी को सूचित किया कि प्राक्कलनों को संशोधित किया जाएगा जिससे इसे योजना मानदंडों के अंदर लाया जा सके। जीआईएसी ने इस प्रकार से राज्य में 19 नए मॉडल स्कूलों की स्थापना (नवंबर 2009) किए जाने की अनुशंसा की। तत्पश्चात्, वर्ष 2010-11 में योजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) को लागत का संशोधन प्रस्तुत किया जाना उल्लिखित किया गया था।

तदुपरांत, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीएसईएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा विद्यमान प्रावधानों में संशोधन किये गये, जिसने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को एक बार ईबीबी के लिए संस्वीकृत 19 मॉडल स्कूलों के संबंध में दरों की राज्य अनुसूची (एसएसओआर) के आधार पर लागत को संशोधित करने के अवसर की अनुमति (अप्रैल 2014) प्रदान की। राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, जेएण्डके नूर सोसाइटी¹ द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, जीओजेएण्डके द्वारा एसएसओआर 2012 पर आधारित एक प्रस्ताव डीएसईएल को प्रस्तुत (अगस्त 2014) किया जाना उल्लिखित किया गया था। संशोधित प्रस्तावों का सुसंगत विवरण इस आधार पर उपलब्ध नहीं कराया गया था कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निदेशालय (आरएमएसए) सितंबर 2014 के माह में आयी विनाशकारी बाढ़ों में 25 दिनों से अधिक की अवधि के लिए जलमग्न रहा तथा हार्डकॉपी के अधिकांश अभिलेख नष्ट हो गये थे। तत्पश्चात्, जीओआई ने फरवरी 2015 में योजना को जीओआई सहायता से अलग कर दिया।

सहायता अनुदान के ₹25.82 करोड़ (90 प्रतिशत) की पहली किस्त (फरवरी 2010) निर्गत की गई थी तथा राज्य सरकार ने राज्य परियोजना निदेशक, (एसपीडी) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को ₹2.87 करोड़ निर्गत (जून 2010) किये। ₹29.23 करोड़² की संपूर्ण राशि दिसंबर 2010 में हस्तांतरित की गयी थी और राज्य

¹ जेएण्डके नूर सोसाइटी आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी है।

² केंद्रीय शेरर: ₹25.82 करोड़; राज्य शेरर: ₹2.87 करोड़ और ब्याज: ₹0.54 करोड़।

परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा जेएण्डके नूर सोसाइटी के निपटान पर रखी गयी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने ₹2.87 करोड़ का अतिरिक्त राज्य शेरर निर्गत (जनवरी 2011) किया।

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा³ के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2019) से पता चला कि ₹25.82 करोड़ का सहायता अनुदान तथा ₹5.74 करोड़ का राज्य शेरर जेएण्डके नूर सोसाइटी के बचत बैंक खाते में पड़े हुए थे। दस वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद भी सरकार ने राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त पहल (जुलाई 2019) नहीं की है।

इस प्रकार, मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए जीओआई से प्राप्त धनराशि डीएसईएल, एमएचआरडी, जीओआई द्वारा मानदंडों में छूट के बावजूद समय पर कार्रवाई करने में विभाग की विफलता का परिणाम न केवल दस वर्षों की अवधि से अधिक ₹44.13 करोड़⁴ अप्रयुक्त रहने के रूप में हुआ बल्कि अभिप्रेत हितभागियों को गुणता शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। राज्य के ₹5.74 करोड़ शेरर के बाद भी ब्याज सहित ₹44.13 करोड़ अवरुद्ध रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (जनवरी 2019) किए जाने पर, मुख्य लेखा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जम्मू एवं कश्मीर राज्य ने (जुलाई 2019/ जून 2020) कहा कि मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु प्रारंभिक रूप से अनुमोदित राशि निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए अपर्याप्त थी, हालांकि, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) को प्रस्तुत (2010-11) लागत के संशोधन से संबंधित मामला अनिर्णीत (जून 2020) रहा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि विभाग ने या तो प्रत्येक स्कूल के इकाई लागत प्राक्कलन को संशोधित करने के लाभ का या डीएसईएल, एमएचआरडी, जीओआई द्वारा मानदंडों की छूट के बावजूद वित्तीय भार को वहन करने का उपयोग नहीं किया था। इसके अलावा, वर्ष 2015 में जीओआई सहायता से योजना को डिलिंक करने के उपरांत, विभाग को इसके स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करनी थी जिसके लिए कोई कदम नहीं उठाये गये थे और ₹44.13 करोड़ का बैंक खाते में पड़े रहना जारी रहा।

³ समग्र शिक्षा- विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत योजना में तीन योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) शामिल कर ली गयी हैं।

⁴ केंद्रीय शेरर: ₹25.82 करोड़; राज्य शेरर: ₹5.74 करोड़ और ब्याज: ₹12.57 करोड़ (दिसंबर 2018 की समाप्ति)।

यह मामला विभाग/ सरकार को मई 2020 में भेजा गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

राज्य सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्वीकृति आदेश में निहित शर्तों तथा मॉडल स्कूलों की स्थापना नहीं करने हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व के अनुसार प्रोद्भूत ब्याज सहित अव्ययित राशि का प्रतिदाय किया जाए।

वित्त विभाग

2.2 सरकारी विभागों में बैंक खातों का प्रबंधन

डीडीओ के बैंक खातों में निधियों की उपयोगिता के समेकन और सुव्यवस्थीकरण पर समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया था। दिसंबर 2016 से फरवरी 2017 की अवधि के दौरान डीडीओ के व्यतिरिक्त बैंक खातों से ₹64.10 करोड़ की अल्प राशि ही हस्तांतरित की गयी थी। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान तीन चयनित सरकारी विभागों के 131 आहरण और संवितरण अधिकारियों के 1,138 बैंक खातों में संचित शेष ₹116.41 करोड़ से ₹399.94 करोड़ तक बढ़ गया। संचित शेष में वृद्धि आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को राहत/ मुआवजे की निधियाँ संवितरित नहीं करने, अनुचित योजना तथा योजनाओं के गैर-समापन, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में व्यय के अधिक विवरण, निधियों के प्रतिधारण, सरकारी खाते से बाहर सांविधिक कटौतियों और भूमि मुआवजे के प्रतिधारण के कारण थी।

2.2.1 प्रस्तावना

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा कोषागार से निधियों के आहरण की प्रक्रिया को जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता (जेकेएफसी) द्वारा विनियमित किया जाता है। जेकेएफसी के नियम 2-27 के अनुसार, डीडीओ द्वारा कोषाधिकारियों (टीओ) को अपेक्षित निधियों के आहरण के लिए बिलों/ दावों को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। उसके उपरांत निधियाँ कोषागार द्वारा डीडीओ के बैंक खातों में जमा की जाती हैं, जो बदले में सीधे ही हितभागियों के बैंक खाते में भुगतानों को जमा करने के लिए बैंक संज्ञापनों को जारी करते हुए भुगतान करता है। जेकेएफसी का वित्तीय नियम 2-33, निवेश या अन्यत्र जमा करने के लिए सरकार की सहमति

के बिना डीडीओ द्वारा कोषागार से धन के आहरण करने को निषिद्ध करता है। हालांकि, जहाँ एक पृथक खाता खोलने की अनुमति दी जाती है, वहाँ नियम जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (जेकेबीएल) के कार्यालय में खाता खोलने का उपबंध करते हैं और जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात् डाक घर बचत बैंक में या अन्य किसी बैंक में खाते खोले जा सकते हैं।

सरकारी विभागों में बैंक खातों के प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा का संचालन (फरवरी 2019 से फरवरी 2020) यह आंकलन करने के लिए किया गया था कि क्या डीडीओ द्वारा वित्तीय मामलों से संबंधित विहित नियमों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्रों/ निर्देशों का अनुपालन किया गया है या नहीं। सरकारी विभागों में बैंक खातों के समेकन और संख्या में कमी से संबंधित 9 दिसंबर 2016 के सरकारी अनुदेशों का डीडीओ द्वारा अनुपालन करने के आंकलन पर जोर दिया गया था। राज्य के 22 जिलों में से छह⁵ में तीन विभागों⁶ के 131 डीडीओ के अभिलेखों की यादृच्छिक चयन के आधार पर नमूना-जांच की गयी थी।

2.2.2 बैंक खातों का सुव्यवस्थीकरण तथा रोकी गई निधियों का समेकन

वित्तीय अनुशासन सुधार के साथ-साथ निधियों के परिसमापन को सुनिश्चित करते हुए असंवितरित वेतनों, संविदाकार भुगतानों और अन्य देयताओं के कारण संबंधित विभागों के उल्लेखनीय उच्च बैंक शेषों के निपटान या परिसमापन के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली की पूर्वापेक्षा होती है। इस उद्देश्य के साथ, वित्त विभाग ने 09 दिसंबर 2016 को, सरकारी विभागों में डीडीओ के बैंक खातों की संख्या में कमी और समेकन के लिए निर्देश जारी किये थे।

इन निर्देशों के अनुसार, डीडीओ के सभी सरकारी बैंक खाते जो निर्देश जारी होने की तिथि को 'शून्य' शेष रखते थे, और जो दो वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अप्रवर्ती थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना था। इसके अतिरिक्त, डीडीओ के सभी सरकारी बैंक खाते जो दो वर्षों से अधिक के लिए अप्रवर्ती रहे और सकारात्मक रोकड़ शेष रखते थे, वे बंद किए जाने थे और धन को वित्त सचिव, जम्मू एवं

⁵ जम्मू प्रभाग में जम्मू, रियासी और राजौरी तथा कश्मीर प्रभाग में अनंतनाग, बारामूला और कारगिल।

⁶ लोक निर्माण, राजस्व और ग्रामीण विकास।

कश्मीर सरकार (जीओजेण्डके) के आधिकारिक बैंक खाते⁷ में हस्तांतरित किया जाना था। हालांकि, एक वर्ष से अधिक के लिए अप्रवर्ती रहे सभी सरकारी खातों के रोकड़ शेष को वित्त सचिव, जीओजेण्डके के आधिकारिक खाते में हस्तांतरित किया जाना था, यद्यपि इन खातों को बंद नहीं किया जाना था।

वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध (अक्टूबर 2018) कराई गई सूचना के अनुसार, जेकेबीएल ने पहचान की कि जेकेबीएल में परिचालित 19,260 बैंक खातों में से 12,241 खाते (64 प्रतिशत), जो एक वर्ष से अधिक के लिए अप्रवर्ती थे, उन्हें बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया गया था। इन खातों में पड़े हुए ₹64.10 करोड़ के समेकित शेष (20 फरवरी 2017 तक) को सरकारी खाते में हस्तांतरित किया गया था। हालांकि, वित्त विभाग ने कहा (अक्टूबर 2018) कि जमा शेष सहित कुछ बैंक खाते केस-टू-केस आधार पर बाद में पुनः स्थापित किए गए।

बैंक खाते जो पूर्व में फ्रीज थे और बाद में पुनः स्थापित किए गए थे, से संबंधित सूचना वित्त विभाग द्वारा सितंबर 2020 तक प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग द्वारा केवल जेकेबीएल में परिचालित खातों में से अप्रवर्ती खातों के संबंध में पहचान प्रक्रिया (दिसंबर 2016 से फरवरी 2017 में) की गई थी। विभाग द्वारा जेकेबीएल के अलावा अन्य बैंको में डीडीओ के अप्रवर्ती बैंक खातों की पहचान नहीं की गई (अक्टूबर 2018) थी।

2.2.3 बैंक खातों में असंवितरित/ अप्रयुक्त शेष

छह जिलों में (राज्य के 22 जिलों में से) चयनित तीन विभागों के 131 डीडीओ के अभिलेखों (फरवरी 2019 से फरवरी 2020) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिचालित 1,138 बैंक खातों (परिशिष्ट 2.2.1) में असंवितरित/ अप्रयुक्त शेष का संचय हुआ और जिसे तालिका 2.2.1 में दर्शाया गया है।

⁷ खाता संख्या: 0110010200000852

तालिका 2.2.1: संबंधित वर्ष के 31 मार्च तक बैंक खातों में असंवितरित/ अप्रयुक्त राशियाँ

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग | डीडीओ की संख्या | परिचालित बैंक खातों की संख्या | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | राजस्व | 58 | 231 | 57.47 | 110.47 | 98.17 | 222.23 | 280.32 |
| 2. | लोक निर्माण | 10 | 34 | 17.70 | 15.93 | 35.47 | 56.85 | 49.55 |
| 3. | ग्रामीण विकास | 63 | 873 | 41.24 | 50.38 | 90.71 | 68.94 | 70.07 |
| कुल | | 131 | 1,138 | 116.41 | 176.78 | 224.35 | 348.02 | 399.94 |
| पिछले वर्ष से अधिक प्रतिशतता वृद्धि | | | | अनुपलब्ध | 52 | 27 | 55 | 15 |

(स्रोत: डीडीओ द्वारा उपलब्ध सूचना और बैंक विवरण)

जैसा तालिका 2.2.1 से स्पष्ट होता है कि 31 मार्च 2015 को 131 डीडीओ के 1,138 बैंक खातों में संचयी शेष ₹116.41 करोड़ था, जो मार्च 2019 के अंत में ₹399.94 करोड़ तक बढ़ गया। लेखापरीक्षा में डीडीओ के बैंक खातों में उल्लेखनीय शेषों के संचय हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारणों का विश्लेषण किया गया और निष्कर्षों की उत्तरवर्ती पैराओं में चर्चा की गई है। 131 डीडीओ और उनसे संबंधित 1,138 बैंक खातों का विवरण **परिशिष्ट 2.2.1** में दिया गया है।

2.2.4 परिचालित बैंक खातों में असंवितरित निधियाँ

जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता के नियम 2-33 में उल्लिखित था कि निधियों को कोषागार से केवल तभी आहरित किया जाना चाहिए जब उनका तत्काल संवितरण आवश्यक हो। बजट अनुदानों के व्यपगत होने को टालने की दृष्टि से निधियों के आहरण की रीति निषिद्ध है। लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2019 से फरवरी 2020) कि डीडीओ के परिचालित बैंक खातों में शेषों का संचय कोषागार से आहरित असंवितरित/ अप्रयुक्त निधियों के कारण था। यह इंगित करता है कि कोषागार से डीडीओ द्वारा निधियों का आहरण वास्तविक आवश्यकता/ संवितरण के अनुमान में या वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों के व्यपगत होने को टालने के लिए किया गया था। वास्तविक व्यय, जो कि बाद में संवितरित/ उपयोग नहीं किया गया था, के अनुमान में कोषागार से निधियों के आहरण के उदाहरणों की चर्चा नीचे की गयी है।

2.2.4.1 खुंदरू अचाबल के आग पीड़ितों को मुआवजा

11 अगस्त 2007 की खुंदरू अचाबल सेना आयुध भंडार की आग के परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने आग की घटना के पीड़ितों को संवितरण हेतु उपायुक्त, अनंतनाग के पक्ष में ₹26.74 करोड़ निर्गत (2007) किये। अभिलेखों

की संवीक्षा (फरवरी 2020) से पता चला कि दिसंबर 2009 तक प्रभावित आबादी की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ₹23.19 करोड़ की मुआवजा राशि का संवितरण किया गया था। उसके बाद मुआवजे के तौर पर किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया। मार्च 2019 तक मुआवजे की ₹3.55 करोड़ की शेष राशि लगभग एक दशक के लिए डीडीओ के बैंक खाते⁸ में असंवितरित पड़ी रही और ब्याज को शामिल करते हुए यह संचित शेष ₹5.41 करोड़ था। मुआवजे के असंवितरित रहने के विशेष कारण न तो रिकॉर्ड में दर्ज थे और न ही संबंधित डीडीओ द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए थे। क्योंकि निधियाँ रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी अतः असंवितरित/ अप्रयुक्त निधियों को भारत सरकार को लौटाना अपेक्षित था। यद्यपि, यह विभाग/ सरकार के ध्यान (फरवरी 2020) में लाया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

2.2.4.2 कछारी भूमि के लिए मुआवजा

भूमि जो विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए अधिग्रहित की जानी है, तीन श्रेणियों में वर्गीकृत की गई है:

- सांपत्तिक भूमि,
- राज्य भूमि; और
- कछारी⁹ भूमि

अधिग्रहित भूमि के प्रति मुआवजे का भुगतान केवल सांपत्तिक भूमि से संबंधित भूमि मालिकों को किया जाता है, जबकि कछारी भूमि के अधिग्रहण के प्रति लागत का उपयोग उस गांव के, जहाँ से यह भूमि अधिग्रहित की गई है, विकास निर्माण कार्यों जैसे लिंक सड़कों का निर्माण, गलियों/ नालियों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है।

उपायुक्त, अनंतनाग के अभिलेखों (अक्टूबर 2019) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कछारी भूमि की लागत, जैसा कि तालिका 2.2.2 में विवरण दिया गया है, कलेक्टर भूमि अधिग्रहण, लोक निर्माण विभाग के बैंक खाते से हस्तांतरित कर दी गई थी और विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए, वर्ष 2012 से 2017 अवधि के दौरान अपर उपायुक्त (एडीसी), अनंतनाग के भिन्न-भिन्न बैंक खातों में जमा कर दी गई।

⁸ खाता संख्या: 0014040100093667 जेकेबीएल, तहसील परिसर (टीपी), अनंतनाग।

⁹ कछारी: सामान्य चारागाह।

तालिका 2.2.2: अपर उपायुक्त, अनंतनाग द्वारा रखी गयी कछारी भूमि की लागत

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | वर्ष | परियोजना/ कार्य का नाम | हस्तांतरित राशि (₹ करोड़ में) | बैंक खाता संख्या | मार्च 2019 को बैंक खाते में राशि (₹ करोड़ में) | जमा शीर्ष को प्रेषित राशि (₹ करोड़ में) | बैंक खातों में शेष राशि (₹ करोड़ में) |
|----------|--------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 1. | 2013 | रेलवे अप्रोच रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 0.38 | जेकेबीएल अनंतनाग का 0014040100093001 | 13.72 | 16.40 ¹⁰ | 10.13 |
| | 2015 | | 13.70 | | | | |
| 2. | अनुपलब्ध | राज्य लोक निर्माण विभाग सड़क | 1.32 | जेकेबीएल अनंतनाग का 0014040500000086 | 2.94 | | |
| 3. | 2016 | पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड टावर्स किश्तवाड सिमथान अनंतनाग रोड, बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन | 8.56 | जेकेबीएल अनंतनाग का 0014040500000081 | 8.34 | | |
| 4. | 2012 से 2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग | 17.31 | जेकेबीएल अनंतनाग का 0014040500000083 | 1.53 | | |
| | | कुल | 41.27 | | 26.53 | 16.40 | 10.13 |

(स्रोत: विभागीय अभिलेख और बैंक विवरण)

जैसा कि तालिका 2.2.2 में दर्शाया गया है, विभागीय गौण कार्यों के लिए उपयोग किए जाने के बजाय, एडीसी अनंतनाग के बैंक खातों में ₹26.53 करोड़ दो से सात वर्षों के बीच की अवधि के लिए अप्रयुक्त रहे।

लेखापरीक्षा में (अक्टूबर 2019) यह इंगित किए जाने पर, डीडीओ ने जमा शीर्ष (एमएच-8443) में केवल ₹16.40 करोड़ हस्तांतरित (दिसंबर 2019) किए, तथा ₹10.13 करोड़ की शेष राशि बैंक (सितंबर 2020) में पड़ी हुयी है।

2.2.4.3 सरकारी नौकरी के बदले में नकद मुआवजा

नकद मुआवजा नियमावली ने (10 जुलाई 1990) निर्धारित¹¹ किया कि ₹ एक लाख की अनुग्रह राहत आतंकवाद से संबंधित कार्रवाई में मारे गये नागरिक के परिवार के सदस्य को तुरंत संवितरित की जानी थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने (4 जुलाई 2008) जम्मू-कश्मीर अनुकंपा नियुक्ति नियमावली, 1994 में सरकारी नौकरी के बदले नकद मुआवजे से संबंधित संशोधन निर्धारित¹² किया। संशोधित

¹⁰ टीआर संख्या: 2 दिनांक 03.12.2019: ₹2.99 करोड़ और टीआर संख्या: 3 दिनांक 03.12.2019: ₹13.41 करोड़।

¹¹ वर्ष 1990 का सरकारी आदेश संख्या: 723-जी(जीएडी) दिनांक 10.07.90

¹² पृष्ठांकन संख्या: जीएडी/एमटीजी/III/3/2007 दिनांक 04.07.2008 के तहत जारी एसआरओ-199 का अवलोकन करें।

नियमों के अनुसार आतंकवाद से संबंधित कार्रवाई में मारे गये नागरिक के परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में नियुक्ति के बदले ₹ चार लाख के नकद मुआवजे के लिए हकदार होंगे। ₹ चार लाख की मुआवजा राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा हितभागियों के निवास स्थान की निकटतम बैंक शाखा में मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन के नाम पर जमा कराया जाना आवश्यक है, बशर्ते दावेदार सरकारी नौकरी के बदले नकद मुआवजे की स्वीकृति हेतु सहमति प्रस्तुत करें।

उपायुक्त (डीसी), अनंतनाग और डीसी, बारामूला के अभिलेखों की (अक्टूबर/नवंबर 2019) लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के परिवार के लोगो में से सरकारी नौकरी के बदले नकद मुआवजे के लिए क्रमशः 372 और 111 लोगों द्वारा दावा किया गया था। हालांकि, डीसी अनंतनाग तथा डीसी बारामूला द्वारा केवल क्रमशः 281 मामलों और 84 दावेदारों के संबंध में राशि का संवितरण किया गया। वर्ष 2008-09 से 2017-18 के दौरान डीसी, अनंतनाग द्वारा कोषागार से ₹14.88 करोड़ की राशि का आहरण किया गया था तथा डीडीओ¹³ के बैंक खाते में जमा करा दी गयी थी। हालांकि, 91 दावेदारों के लिए आहरित ₹3.64 करोड़ की नकद मुआवजा राशि डीसी, अनंतनाग के बैंक खाते में पड़ी (मार्च 2019) रही। इसी प्रकार, डीसी, बारामूला द्वारा प्रस्तुत (नवंबर 2019) की गयी सूचना के अनुसार, कोषागार से आहरित ₹4.44 करोड़ की नकद मुआवजा राशि में से, मार्च 2019 तक ₹3.36 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसलिए, ₹5.71 करोड़¹⁴ और ₹2.13 करोड़¹⁵ के शेष क्रमशः डीसी अनंतनाग¹⁶ और बारामूला¹⁷ के बैंक खातों में पड़े हुए (मार्च 2019) थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित जमा प्राप्तियां, हितभागियों द्वारा बैंक खाते का नहीं खोला जाना, सरकारी नौकरी के बदले में नकद सहायता की स्वीकृति के लिए दावेदारों द्वारा सहमति प्रस्तुत न करने जैसी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण मुआवजा राशि संवितरित नहीं की गई थी।

¹³ जेकेबीएल अनंतनाग का खाता संख्या: 0014040500000021

¹⁴ 91 दावेदारों से संबंधित आहरित ₹3.64 करोड़ की असंवितरित नकद मुआवजा, राहत के ₹0.94 करोड़ के पिछले असंवितरित भुगतान और ₹1.13 करोड़ का ब्याज शामिल हैं।

¹⁵ 27 नहीं निपटाये गये मामलों के कारण ₹1.08 करोड़, आत्मसमर्पण किए हुए आतंकवादियों के तीन नहीं निपटाये गये मामलों के कारण ₹0.12 करोड़ और ब्याज के कारण ₹0.93 करोड़ शामिल हैं।

¹⁶ जेकेबीएल अनंतनाग का खाता संख्या: 0014040500000021

¹⁷ जेकेबीएल बारामूला का खाता संख्या: 0070040500000197

इसलिए, आतंकवादी घटनाओं में मारे गए मृत व्यक्तियों के दावेदार को भुगतान करने के लिए कोषागार से ₹4.72 करोड़ की कुल मुआवजा राशि का आहरण करना और बैंक खातों में लगभग दस वर्षों की अवधि से अधिक के लिए राशियों का प्रतिधारण वित्तीय सांपत्तिक सिद्धांतों के विरुद्ध था।

लेखापरीक्षा द्वारा (अक्टूबर 2019 में) इंगित किए जाने पर डीसी, अनंतनाग ने बैंक खाते में ₹0.94 करोड़ की शेष राशि छोड़कर ₹4.77 करोड़ जमा शीर्ष में हस्तांतरित (नवंबर 2019) किये।

2.2.4.4 भूमि मुआवजे का सरकारी खाते से बाहर प्रतिधारण

वित्त विभाग ने सरकारी खातों से बाहर भूमि अधिग्रहण हेतु निर्गत सरकारी निधियों के प्रतिधारण से बचने और “राजस्व जमा” में राशि को जमा करने के लिए, संबंधित कोषागार को भूमि मुआवजे के लिए बैंक खातों में रोके गये सभी शेषों के हस्तांतरण के लिए निर्देश जारी (फरवरी 2010) किये। भूमि अधिग्रहण के कलेक्टर को सबसे पहले “राजस्व जमाओं” में क्रेडिट करते हुए भूमि मुआवजे की राशि का आहरण करना था तथा बाद में कुछ भागों में या पूर्णरूपेण इसका आहरण करना है, जब कभी भू-स्वामियों को तत्काल संवितरण की आवश्यकता हो। कोषाधिकारी को राजस्व जमा शीर्ष के अंतर्गत इस राशि को जमा करना था और नकद आहरणों से बचना था। बाद में अवॉर्डों (भू-स्वामियों) के पक्ष में बैंक खाता संख्या सहित वाउचर (फॉर्म एफसी-34) के प्रति जमा चुकौती आदेश के रूप में कोषागार के जमा शीर्ष से आहरण किए जाने थे। कोषाधिकारी द्वारा धन का हस्तांतरण डीडीओ के बिल सहित संज्ञापन के आधार पर हितभागियों के बैंक खातों में सीधे ही किया जाना था। इन निर्देशों के उल्लंघन के मामले में त्रुटिकर्ता अधिकारियों से ब्याज 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूलनीय था।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2019) से पता चला कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, भूमि मुआवजे के संवितरण हेतु छह डीडीओ¹⁸ द्वारा प्राप्त ₹75.07 करोड़ वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान वर्तमान निर्देशों के उल्लंघन में बैंक खातों में पड़े रहे (परिशिष्ट 2.2.2)।

¹⁸ 1. सहायक आयुक्त राजस्व, कारगिल; 2. उपायुक्त, कारगिल; 3. सहायक आयुक्त राजस्व, जम्मू; 4. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट उत्तर, जम्मू; 5. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट दक्षिण, जम्मू; 6. उपायुक्त, रियासी।

अतः, वित्त विभाग के निर्देशों के उल्लंघन में सरकारी खाते से बाहर बैंक खातों में भूमि मुआवजे की राशि का प्रतिधारण उस आदेश में उल्लिखित नकद प्रवाह सुप्रवाहन की अवधारणा के मूल उद्देश्य को असफल बनाता है। इसके अतिरिक्त, अभी तक आदेशों के उल्लंघन के लिए डीडीओ के प्रति 17 प्रतिशत की दर पर ब्याज की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

2.2.4.5 बाढ़ पीड़ितों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

सितंबर 2014 में बाढ़-पीड़ितों की विभिन्न श्रेणियों के पक्ष में डीडीओ द्वारा हितभागियों के विवरण¹⁹ सहित बैंक संज्ञापन जारी होने के पश्चात् प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से मुआवजे का भुगतान किया गया था। बैंक संज्ञापन में सूचित विवरण के अनुसार हितभागियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से मुआवजा राशि जमा करना अपेक्षित था।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2019) से पता चला कि नमूना जांच के लिए चयनित राजस्व विभाग के 58 डीडीओ में से आठ डीडीओ²⁰ द्वारा बैंक को अधूरा/ गलत विवरण सूचित करने के कारण हितभागियों के बैंक खातों में मुआवजा भुगतानों को जमा नहीं कराया गया था। कुछ मामलों में, हितभागियों को एकमुश्त भुगतान के बदले आंशिक भुगतान किया गया था। परिणामस्वरूप, अर्जित ब्याज के अतिरिक्त, इन डीडीओ के बैंक खातों में ₹5.48 करोड़²¹ की असंवितरित राशि पड़ी हुई (मार्च 2019) थी।

2.2.4.6 प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा

सीमा पार से गोलीबारी के कारण विस्थापित हुए लोगों सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने हेतु समय-समय पर डीडीओ को निधियाँ आबंटित की गई थी। अप्रयुक्त निधियाँ, निधि संस्वीकृत प्राधिकारी को लौटाई जानी अनिवार्य थी।

¹⁹ हितभागी का नाम, बैंक/ शाखा और बैंक खाता संख्या इत्यादि।

²⁰ 1. सहायक आयुक्त राजस्व, जम्मू; 2. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट उत्तर, जम्मू; 3. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट दक्षिण, जम्मू; 4. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, नौशेरा; 5. उपायुक्त, रियासी; 6. तहसीलदार, कटरा; 7. तहसीलदार, पौनी; 8. उपायुक्त, बारामूला।

²¹ सहायक आयुक्त राजस्व, जम्मू: 5 खाते, ₹270.17 लाख; 2. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट (उत्तर), जम्मू: 1 खाता, ₹20.72 लाख; 3. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट (दक्षिण), जम्मू: 01 खाता, ₹102.68 लाख; 4 उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, नौशेरा: 01 खाता, ₹5.92 लाख; 5. उपायुक्त, रियासी: 01 खाता, ₹89.87 लाख; 6. तहसीलदार, कटरा: 01 खाता, ₹13.17 लाख; 7. तहसीलदार, पौनी: 01 खाता, ₹2.23 लाख; 8. उपायुक्त, बारामूला: 01 खाता, ₹42.88 लाख।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा (फरवरी 2019) से पता चला कि राजस्व विभाग से नमूना इकाइयों में 58 डीडीओ में से चयनित सात डीडीओ में, 31 मार्च 2019 तक इन सात डीडीओ के बैंक खातों में ₹4.28 करोड़ का अप्रयुक्त शेष पड़ा हुआ था, जिसका विवरण तालिका 2.2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.2.3: 31 मार्च 2019 तक डीडीओ-वार असंवितरित/ अप्रयुक्त मुआवजा भुगतानों का विवरण
(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | डीडीओ का नाम | खाता संख्या तथा बैंक की शाखा | राशि |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| 1. | बॉर्डर फायरिंग माइग्रेन्ट्स | तहसीलदार, अखनूर | 0024010100000540 जेएण्डके बैंक, मुख्य बाजार, अखनूर में | 1.25 |
| 2. | क्रोप रिलीफ पैड़ी 2010-11 | तहसीलदार, बिश्नाह | 0215010200000672 जेएण्डके बैंक, मुख्य बाजार, बिश्नाह में | 0.19 |
| 3. | राहत 2009 | तहसीलदार, आरएस पुरा | 0025010200000616 जेएण्डके बैंक, आरएस पुरा | 1.18 |
| 4. | सूखा राहत | तहसीलदार, सुंदरबनी | 0093010200000087 जेएण्डके बैंक, मेन मार्केट, सुंदरबनी | 0.19 |
| 5. | राहत 2009 | तहसीलदार, नौशेरा | 0085010200000342 जेएण्डके बैंक, नौशेरा | 0.71 |
| 6. | राहत | तहसीलदार, रियासी | 29040500010325 जेएण्डके बैंक, रियासी | 0.66 |
| 7. | राहत | सहायक आयुक्त (राजस्व), राजौरी | 0259040500016637 जेएण्डके बैंक, गुज्जर मार्केट, राजौरी | 0.10 |
| | | कुल | | 4.28 |

(स्रोत: विभागीय अभिलेख तथा बैंक विवरण)

यह भी देखा गया कि वर्ष 2014-15 से पूर्व आबंटित निधियाँ भी आबंटित निधियों की वास्तविक राशि से पूर्व भी इन खातों में उपलब्ध थी। हालांकि, बैंक खातों में ₹4.28 करोड़ के जमा शेष ने यह इंगित किया कि आबंटित निधियों को अभिप्रेत हितभागियों के मध्य पूर्णरूपेण संवितरित नहीं किया गया (मार्च 2019) था।

कार्यालय तहसीलदार नौशेरा की लेखापरीक्षा के दौरान, पाया कि इसने ₹0.71 करोड़ की असंवितरित राशि उपायुक्त, राजौरी को नवंबर 2019 में लौटा दी थी। इसी प्रकार, तहसीलदार, सुंदरबनी ने भी (नवंबर 2019) ₹0.19 करोड़ की असंवितरित राहत राशि लेखापरीक्षा के कहने पर उपायुक्त, राजौरी को लौटा दी थी।

2.2.4.7 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियाँ

(ए) बैंक खातों में शेष का प्रतिधारण

वर्ष 2015 से 2016 की अवधि के लिए 14वें वित्त आयोग (एफसी) अधिनिर्णय के अंतर्गत विकास कार्यों के निष्पादन हेतु पंचायतों के बैंक खातों में निधियाँ दो किस्तों में जमा की गयी (फरवरी 2016 से फरवरी 2017 में) थी। योजना के अंतर्गत, खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई निधियों के अनुसार निर्माण कार्यों की योजना बनाना अनिवार्य था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2019 से फरवरी 2020) से पता चला कि 15 खण्ड विकास अधिकारियों (बीडीओ)²² के मामले में, कार्य योजना में योजनागत कार्यों की अनुमानित लागत वर्ष 2015-16 के लिए आबंटित निधियों से 20 प्रतिशत कम थी। आबंटित निधियों से कम राशि हेतु कार्य योजना की तैयारी व प्रस्तुतीकरण, का परिणाम ₹5.07 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं होने और संबंधित पंचायतों के बैंक खातों में पड़ी रहने के रूप में हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.3** में वर्णित है।

(बी) निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने (फरवरी 2019) पाया कि मार्च 2019 तक 34 नमूना आधारित ग्रामीण विकास खण्डों में 2,459 योजनागत कार्यों में से केवल 1,902 कार्यों को ही पूर्ण किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.4** में वर्णित है। विलंब/ कार्यों के गैर-निष्पादन के कारण 557 विकासात्मक कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ₹12.51 करोड़ तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़े रहे।

विभाग यह पहचान करने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है कि क्या ये शेष 14वें वित्त आयोग के निर्माचनों से संबंधित जीओआई को प्रस्तुत किये गये यूसी में सही तरह से दर्शाये गये हैं, और जीओआई को अविलंब रूप से बकाया शेषों का प्रतिदाय किया गया यदि नहीं तो क्या अनुगामी वर्ष के निर्माचनों से पहले ही कटौती की जा चुकी है।

²² 1. बीडीओ, भलवाल; 2. बीडीओ, भोमाग; 3. बीडीओ, कलाकोट; 4. बीडीओ, पंथाल; 5. बीडीओ, वस्सू; 6. बीडीओ, पहलगाम; 7. बीडीओ, चित्तरगुल; 8. बीडीओ, बेरीनाग; 9. बीडीओ, काजीगुंड; 10. बीडीओ, लारनू; 11. बीडीओ, अनंतनाग; 12. बीडीओ, शानगुस; 13. बीडीओ, खोवरी प्रोआ; 14. बीडीओ, शाहबाद और 15. बीडीओ, बोनीयार।

2.2.4.8 कर की सांविधिक कटौतियों के कारण राशि का प्रतिधारण

आयकर नियमावली का नियम 30 उपबंधित करता है कि यदि स्रोत पर आयकर की कटौती चालान सहित नहीं है तो उसी दिन जमा की जाएगी या उस माह के सात दिनों के भीतर जमा की जाएगी जिसमें कटौती की गई है। जम्मू एवं कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 (2) उपबंधित किया कि अधिनियम के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती, उस माह की समाप्ति के उपरांत जिसमें इस प्रकार की कटौती की गयी थी, सरकार को दस दिनों के भीतर जमा करा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियमावली, 1998 का नियम 5 उपबंध करता है कि एकत्रित उपकर की राशि ऐसे सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय प्राधिकरण या उपकर संग्रहणकर्ता द्वारा विहित चालान फार्म सहित इसके एकत्रीकरण से तीस दिनों के भीतर बोर्ड को हस्तांतरित की जाएगी।

ग्रामीण विकास विभाग के डीडीओ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2019 से फरवरी 2020) से पता चला कि श्रमिक उपकर, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, आदि जैसे सांविधिक कर कटौतियों के रूप में संविदाकारों/ मेट्स²³/ आपूर्तिकर्ताओं से ₹20.56 लाख²⁴ की राशि की कटौतियाँ की गई थी जो 15 बीडीओ द्वारा तीन माह से तीन वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए संबंधित विभागों/ प्राधिकरणों को जमा (मार्च 2019) नहीं कराई गई थी। बीडीओ, भलवाल ने (फरवरी 2020) स्रोत पर कर कटौती का प्रेषण नहीं करने हेतु राज्य कर विभाग को देरी से कर कटौती संख्या जारी करने और संविदाकारों/ मेट्स द्वारा जीएसटी संख्या नहीं बताने को जिम्मेदार ठहराया।

²³ ग्रामीण विकास विभाग में निर्माण कार्यों के निष्पादन का पर्यवेक्षण और श्रम के आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करता है।

²⁴ 1. बीडीओ, भलवाल: ₹3.61 लाख; 2. बीडीओ, कलाकोट: ₹1.59 लाख; 3. बीडीओ, मायरा मॅट्रियान: ₹0.57 लाख; 4. बीडीओ, रियासी: ₹0.04 लाख; 5. बीडीओ, थानामंडी: ₹1.19 लाख; 6. बीडीओ, शंगस: ₹0.95 लाख; 7. बीडीओ, चत्तरगुल: ₹1.26 लाख; 8. बीडीओ, वेरीनाग: ₹1.05 लाख; 9. बीडीओ, पहलगाम: ₹2.78 लाख; 10. बीडीओ, ब्रॅंग: ₹2.56 लाख; 11. बीडीओ, लारनू: ₹2.25 लाख; 12. बीडीओ, संग्रामा: ₹0.50 लाख; 13. बीडीओ, रोहामा: ₹0.61 लाख; 14. बीडीओ, टंगमर्ग: ₹0.06 लाख; 15. बीडीओ, डुंगी: ₹1.54 लाख।

उनके उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि सांविधिक कटौती के कारण काटी गई राशि का सरकार के खाते में प्रेषण नहीं करना निर्धारित नियमों के विरुद्ध था तथा इन बीडीओ के बैंक खातों में शेष के संचय का कारण बना।

2.2.4.9 उपायुक्त, रियासी द्वारा निधियों का प्रतिधारण

फरवरी/ मार्च 2015 के महीनों के दौरान, मूसलाधार बारिश/ ओलावृष्टि होने के कारण आवश्यक बचाव, राहत तथा पुनर्वास कार्यों को आरंभ करने के लिए प्रभागीय आयुक्त, जम्मू ने उपायुक्त (डीसी), रियासी को ₹1.50 करोड़²⁵ निर्गत किए। हालांकि, डीसी, रियासी (अप्रैल 2015 और अक्टूबर 2015) ने नवंबर 2015 के दौरान केवल ₹1.35 करोड़²⁶ (90 प्रतिशत) तीन तहसीलदारों को उन किसानों को देने के लिए निर्गत किए जिनकी 2015 की रबी मौसम की फसल भारी बारिश के कारण नष्ट हो गई थी। डीसी रियासी ने बिना किसी अभिलेखबद्ध कारण के शेष ₹15 लाख की राशि रोके रखी। यह राशि 42 महीनों (नवंबर 2015 से अप्रैल 2019 तक) की अवधि के लिए बैंक खाते²⁷ में अप्रयुक्त पड़ी (अप्रैल 2019) रही।

2.2.4.10 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में व्यय का अधिक विवरण

भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212 के अनुसार, डीडीओ संबंधित प्रशासनिक विभागों को भारत सरकार से प्राप्त निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करते हैं। डीडीओ द्वारा प्रस्तुत यूसी के आधार पर, प्रशासनिक विभाग समेकित यूसी भारत सरकार को प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा ने तीन डीडीओ के लेन-देन की संवीक्षा (अगस्त 2019) की जिन्हें भारत सरकार द्वारा निधियाँ निर्गत की गई थी। उपलब्ध कराए गए अभिलेख के अनुसार, इन डीडीओ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में प्रस्तुत किये गये व्यय के आँकड़े किए गए वास्तविक व्यय से अधिक थे। तालिका 2.2.4 में वर्णित विवरण के अनुसार, प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी)/ राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ)/ लोक सभा चुनावों से संबंधित डीडीओ द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में ₹2.48 करोड़ के व्यय का अधिक विवरण देखा गया।

²⁵ अप्रैल 2015: ₹0.50 करोड़; अक्टूबर 2015: ₹1.00 करोड़।

²⁶ तसीलदार, कटरा: ₹0.45 करोड़; तहसीलदार, रियासी: ₹0.45 करोड़ और तहसीलदार, पौनी: ₹0.45 करोड़।

²⁷ जम्मू एवं कश्मीर बैंक, रियासी का खाता संख्या: 0029040500020099

तालिका 2.2.4: 31 मार्च 2019 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में वर्णित अधिक राशियों का उदाहरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | डीडीओ का नाम | कोषागार से आहरित निधियाँ | मार्च 2019 के अंत में राशि का संवितरण | उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत | यूसी में व्यय का अधिक विवरण |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 |
| 1. | पीएमडीपी | उपायुक्त, रियासी | 29.16 ²⁸ | 29.02 | 29.13 | 0.11 |
| 2. | राहत 2014 | सहायक आयुक्त, | 2.17 | 1.93 | 2.17 | 0.24 |
| | पीएमडीपी | राजस्व (सामान्य) जम्मू | 62.03 | 60.21 | 62.03 | 1.82 |
| 3. | 2013-14 के लोकसभा/ विधानसभा चुनाव | मुख्य योजना अधिकारी (डीसी, जम्मू) | 2.86 | 2.55 | 2.86 | 0.31 |
| | | कुल | 96.22 | 93.71 | 96.19 | 2.48 |

(स्रोत: विभागीय अभिलेख तथा बैंक विवरण)

यूसी में ₹2.48 करोड़ के व्यय का अधिक विवरण, भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212 के प्रावधानों के विरुद्ध था तथा विशेषतः जब बैंक खाते में धनराशि रखी हो तो कपटपूर्ण आहरण का खतरा अधिक बढ़ जाता है।

2.2.4.11 बंद/ प्रतिस्थापित योजनाएं

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), जो कि एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, को वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में पुनर्गठित किया गया था। ब्लॉक स्तर पर हितभागियों को आर्थिक सहायता संवितरित करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अपनाते हुए केंद्रीय भुगतान संवितरण व्यवस्था में बदला गया था। लेखापरीक्षा ने (फरवरी 2019) पाया कि ग्रामीण विकास विभाग के 17 डीडीओ ने 2016-17 में योजना के बंद होने के बाद भी ₹1.32 करोड़²⁹ की आईएवाई अव्यतित निधियाँ 22 बैंक खातों में ही रखीं, जो कि आवासों को पूर्ण करने

²⁸ ₹2,934.15 लाख के प्रति कोषागार से केवल ₹2,916.05 लाख आहरित किए गए हैं।

²⁹ 1. सहायक आयुक्त विकास (एसीडी) जम्मू: 01 खाता, ₹7.92 लाख; 2. एसीडी, राजौरी: 02 खाते, ₹2.87 लाख; 3. बीडीओ, मायरा मैदियान: 02 खाते, ₹0.54 लाख; 4. बीडीओ, अचाबल: 01 खाता, ₹0.01 लाख; 5. बीडीओ, ब्रैंग: 02 खाते, ₹0.391 लाख; 6. बीडीओ, शंगुस: 01 खाता, ₹7.32 लाख; 7. बीडीओ, अनंतनाग: 02 खाते, ₹ 98.68 लाख; 8. बीडीओ, बिजबेहरा: 01 खाता, ₹0.13 लाख; 9. एसीडी, कारगिल: 02 खाते, ₹2.58 लाख; 10. बीडीओ, कारगिल: 01 खाता, ₹0.23 लाख; 11. बीडीओ, टीएसजी तेसपुल: 01 खाता, ₹0.007 लाख; 12. बीडीओ, पहलगाम: 01 खाता, ₹0.07 लाख; 13. बीडीओ, दछनीपोरा: 01 खाता, ₹0.21 लाख; 14. एसीडी, बारामूला: 01 खाता, ₹9.35 लाख; 15. बीडीओ, संकू: 01 खाता, ₹1.08 लाख; 16. बीडीओ, पश्कुम: 01 खाता, ₹0.04 लाख; 17. बीडीओ, कुंजर: 01 खाता, ₹0.09 लाख।

के लिए विद्यमान हितभागियों के मध्य अव्ययित राशि का नियतन करते हुए योजना के अंतर्गत प्रयुक्त की जानी आवश्यक थी।

विभाग को आईएवाई के अंतर्गत आवास कार्य समापन हेतु अपूर्ण घरों के वित्त पोषण द्वारा बैंक खातों में शेषों का परिसमापन करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आईएवाई के तहत अपूर्ण घरों के कार्य समापन हेतु निधियों की गैर-आवश्यकता की स्थिति में, पीएमएवाई के अंतर्गत इसका उपयोग किया जा सकता है या जीओआई को सुपुर्द किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।

2.2.5 जेकेबीएल के अलावा बैंक खाते

जेएण्डके वित्तीय संहिता खण्ड-1 का नियम 2-33 इस बात का उपबंध करता है कि जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से किसी कानून या नियम या कानूनी प्रभाव वाले आदेश द्वारा प्राधिकृत न हो तब तक सरकार की अनुमति के बिना धन अन्यत्र निवेश या जमा करने हेतु लोक लेखा से निकाला नहीं जा सकता है। हालांकि, जहाँ एक पृथक खाता खोलने की अनुमति दी जाती है, वहाँ जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड के कार्यालय में खाता खोला जाएगा और जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो डाक घर बचत बैंक में या वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से किसी बैंक में खाते खोले जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी 2019) पाया कि तीन विभागों में, 44 डीडीओ ने 182 बैंक खाते वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना जेकेबीएल के अलावा अन्य दूसरे बैंकों में खोले गये हैं। तालिका 2.2.5 में स्थिति-वार विवरण दिया गया है:

तालिका 2.2.5: जेएण्डके बैंक के अलावा अन्य बैंकों में खोले गये विभाग-वार बैंक खाते

| क्र.सं. | विभाग | निजी बैंक में खोले गए खाते | | राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते | | कुल | |
|---------|---------------|----------------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | डीडीओ | खाते | डीडीओ | खाते | डीडीओ | खाते |
| 1. | राजस्व | 11 | 17 | 01 | 01 | 12 | 18 |
| 2. | लोक निर्माण | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| 3. | ग्रामीण विकास | 29 | 150 | 02 | 13 | 31 | 163 |
| | कुल | 41 | 168 | 03 | 14 | 44 | 182 |

(स्रोत: संबंधित डीडीओ द्वारा उपलब्ध सूचना)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 41 डीडीओ ने निजी बैंकों में 168 बैंक खाते खुलवाए थे।

2.2.6 बैंक खातों के सुव्यवस्थीकरण तथा समेकन पर अनुदेशों का अननुपालन

वित्त विभाग द्वारा 09 दिसंबर 2016 को जारी सरकारी अनुदेशों के अनुरूप सभी डीडीओ को निर्देश दिया गया था कि:

- सभी सरकारी बैंक खाते, जिनमें शून्य शेष था तथा दो वर्ष से भी अधिक के लिए अप्रवर्ती हैं, बंद किये जायेंगे;
- डीडीओ के सभी सरकारी बैंक खाते जो दो वर्षों से भी अधिक के लिए अप्रवर्ती थे और सकारात्मक शेष रखते थे, बंद किये जायेंगे तथा जमा शेष को वित्त सचिव³⁰ के आधिकारिक खाते में हस्तांतरित किया जाना था;
- सभी सरकारी खातों के नकद शेष, जो एक वर्ष से भी अधिक के लिए अप्रवर्ती थे, बिना बैंक खाते को बंद किए वित्त सचिव के आधिकारिक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे; तथा
- वित्त विभाग की सहमति के बिना, सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कोई भी नया बैंक खाता जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत/ अधिसूचित बैंक में नहीं खोला जाएगा।

लेखापरीक्षा में इन निर्देशों की अननुपालना देखी गयी क्योंकि दो डीडीओ³¹ के सात खातों में जमा शेष 'शून्य' था, जो दिसंबर 2016 तक दो वर्षों की अवधि से भी अधिक के लिए अप्रवर्ती थे, तथा तक ये बंद (मार्च 2019) नहीं किए गए थे। इसी तरह 12 डीडीओ³² के 21 बैंक खाते, जो दिसंबर 2016 तक दो वर्षों से भी अधिक के लिए अप्रवर्ती थे, बंद नहीं किए गए थे और ₹3.48 करोड़ का जमा शेष (मार्च 2019) वित्त सचिव, के आधिकारिक बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया था। पाँच डीडीओ³³ के पांच बैंक खातों में ₹4.39 करोड़ का जमा शेष, जो 09 दिसंबर 2016

³⁰ खाता संख्या: 0110010200000852

³¹ खण्ड विकास अधिकारी, मठवार: 3 खाते; सहायक राजस्व आयुक्त, जम्मू: 04 खाते।

³² 1. तहसीलदार, कुंजेर: 01 खाता, ₹0.97 लाख; 2. तहसीलदार, टंगमार्ग: 05 खाते, ₹0.60 लाख; 3. तहसीलदार, सोपोर: 03 खाते, ₹3.26 लाख; 4. तहसीलदार, बारामूला: 01 खाता, ₹14.90 लाख; 5. तहसीलदार, अनंतनाग: 01 खाता, ₹0.001 लाख; 6. तहसीलदार समेकन, अनंतनाग: 02 खाते, ₹0.78 लाख; 7. तहसीलदार, दूरू: 01 खाता, ₹3.01 लाख; 8. तहसीलदार, पहलगाम: 01 खाता, ₹0.007 लाख; 9. तहसीलदार, काजीगुंड: 01 खाता, ₹0.10 लाख; 10. सहायक आयुक्त (रेन्टल), जम्मू: 02 खाते, ₹0.68 लाख; 11. तहसीलदार, अखनूर: 01 खाता, ₹125.11 लाख; 12. तहसीलदार, नौशेरा: 02 खाते, ₹198.99 लाख।

³³ 1. उपायुक्त, बारामूला: 01 खाता, ₹126.98 लाख; 2. सहायक आयुक्त (राजस्व), बारामूला: 01 खाता, ₹114.00 लाख; 3. एसडीएम, उत्तरी जम्मू: 01 खाता, ₹0.02 लाख; 4. तहसीलदार, बिशनाह: 01 खाता, ₹18.83 लाख 5. तहसीलदार, अरनिया: 01 खाता, ₹178.75 लाख।

को एक वर्ष से भी अधिक के लिए अप्रवर्ती था, संबंधित डीडीओ द्वारा 31 मार्च 2019 तक वित्त सचिव के आधिकारिक बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि वित्त विभाग की सहमति के बिना 09 दिसंबर 2016 के बाद भी 21 डीडीओ³⁴ में 40 बैंक खाते खोले गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा (जुलाई 2019) अनुदेशों की अननुपालना ध्यान में लाने के बाद डीसी, बारामूला ने (अक्टूबर 2019) दो बैंक खातों से संबंधित ₹2.43 करोड़ की शेष जमा राशि को वित्त सचिव के आधिकारिक बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया।

2.2.7 निष्कर्ष

बैंक खातों के समेकन और सुव्यवस्थीकरण पर दिसंबर 2016 को जारी सरकारी अनुदेशों का पालन नहीं किया गया। गैर-परिचालन वाले बैंक खाते बंद नहीं किए गए थे और उनमें जमा शेष को, जैसा कि अनिवार्य था, वित्त सचिव के आधिकारिक बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया था। बैंक खातों के समेकन तथा सुव्यवस्थीकरण ने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया क्योंकि अवधि के दौरान, व्यतिरिक्त बैंक खातों से केवल ₹64.10 करोड़ की ही मामूली राशि हस्तांतरित की गयी थी। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान चयनित तीन सरकारी विभागों के 131 डीडीओ के 1,138 बैंक खातों के संचित शेष में ₹116.41 करोड़ से ₹399.94 करोड़ की वास्तविक वृद्धि हुई। संचित शेष में वृद्धि राहत निधियों के असंवितरित रहने/आतंकवाद से पीड़ितों को मुआवजा, प्राकृतिक आपदाओं, अनुचित योजना बनाने तथा योजनाओं के पूर्ण न होने, निधियों के प्रतिधारण, सांविधिक कटौतियों तथा सरकारी खाते से बाहर भूमि मुआवजे आदि के प्रतिधारण के कारण थी। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में व्यय से अधिक विवरण के उदाहरण भी पाये गये तथा निजी बैंकों में 168 खाते खोले गए थे जो कि जेएण्डके वित्तीय संहिता नियमावली का उल्लंघन था।

³⁴ 1. सहायक आयुक्त विकास, जम्मू: 01 खाता; 2. उपायुक्त, रियासी: 01 खाता; 3. खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ), भलवाल: 01 खाता; 4. बीडीओ, मठवार: 01 खाता; 5. बीडीओ, मंजाकोट: 01 खाता; 6. बीडीओ, डूंगी: 01 खाता; 7. अपर उपायुक्त, कलाकोट: 02 खाते; 8. कार्यपालक अभियंता पीडब्ल्यूडी (आरएण्डबी) डिवीजन-III, जम्मू: 02 खाते; 9. बीडीओ, अखनूर: 02 खाते; 10. बीडीओ, कटरा: 04 खाते; 11. बीडीओ, खौर: 01 खाता; 12. बीडीओ, खराबली: 02 खाते; 13. बीडीओ, लंबेरी: 01 खाता; 14. बीडीओ, सांवन: 01 खाता; 15. बीडीओ, सिओट: 13 खाते; 16. बीडीओ, सुंदरबनी: 01 खाता; 17. कार्यपालक अभियंता, पीडब्ल्यूडी (आरएण्डबी) डिवीजन, राजौरी: 01 खाता; 18. एसडीएम, नौशेरा: 01 खाता; 19. एसडीएम, उत्तरी जम्मू: 01 खाता; 20. डीपीओ, जम्मू: 01 खाता; 21. डीपीओ, राजौरी: 01 खाता।

2.2.8 अनुशासन

विभाग यह सुनिश्चित करे कि:

- बैंक खातों में निधियों के प्रतिधारण के सुव्यवस्थीकरण हेतु जारी सरकारी अनुदेशों को सख्ती से लागू किया जाए।
- प्रभावी निगरानी तंत्र बनाया जाए ताकि डीडीओ द्वारा तुरंत संवितरण के पूर्वानुमान में कोषागार से बैंक खातों में अवितरित शेष संचय से बचने के लिए निधियाँ आहरित नहीं की जा सकें।
- जब भी डीडीओ द्वारा बैंक खाता खोला जाना आवश्यक हो, वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके जेकेबीएल में खोला जाए।

यह मामला विभाग/ सरकार को मई 2020 में भेजा गया था। उनके उत्तर (सितंबर 2020) प्रतीक्षित थे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

2.3 देय राशि का गैर-संग्रहण/ कम प्रेषण

वर्ष 2015 से 2018 की अवधि के दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की 11 नमूना जांच की गयी इकाइयों में उपभोक्ताओं को 1,30,121 मुद्रित राशन कार्डों का वितरण नहीं होने के कारण ₹1.07 करोड़ के गैर-संग्रहण के साथ-साथ सरकारी खाते में ₹1.69 करोड़ के कम प्रेषण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग (एफसीएसएण्डसीए), जम्मू ने जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (जेकेबीएल) के संयुक्त तत्वाधान में 2011 की जनगणना के आधार पर हितभागियों के मध्य वितरित किए जाने वाले 15.35 लाख राशन कार्डों के मुद्रण हेतु आदेश (2015-16 से) दिया। मुद्रित राशन कार्डों की लागत को एफसीएसएण्डसीए विभाग और जेकेबीएल द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाना था। ये मुद्रित राशन कार्ड उपभोक्ताओं³⁵ को निर्धारित दरों³⁶ पर वितरित किए

³⁵ परिवार प्राथमिकता (पीएचएच) अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) पीएचएच गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल-अन्य) तथा गैर-परिवार प्राथमिकता (एनपीएचएच) गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)/ अपवर्जन (गैर-राशन उद्देश्य हेतु)।

³⁶ पीएचएच (एएवाई), (बीपीएल-अन्य) तथा गैर-पीएचएच (एपीएल)/ क्रमशः ₹30, ₹75 तथा ₹100 की प्रति दर से प्रत्येक राशन कार्ड उपभोक्ताओं का अपवर्जन।

जाने थे। विभाग ने जेकेबीएल को मुद्रित लागत³⁷ के रूप में ₹1.82 करोड़ निर्गत किये।

नवंबर 2017 से फरवरी 2020 की अवधि के दौरान 11 नमूना जांच की गयी क्षेत्र इकाइयों³⁸ (एफसीएसएण्डसीए के सहायक निदेशकों) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उपभोक्ताओं को वितरण के लिए एफसीएसएण्डसीए निदेशालय से इकाइयों द्वारा कुल 9,94,204 राशन कार्ड³⁹ प्राप्त किये गये थे। हालांकि, केवल 8,64,083 राशन कार्ड⁴⁰ ही जारी किये गये थे तथा शेष 1,30,121 कार्ड⁴¹ जैसा कि **परिशिष्ट 2.3.1 (ए)** में वर्णित है, संबंधित सहायक निदेशकों के पास ही पड़े हुए थे। राशन कार्डों के वितरण नहीं होने के परिणामस्वरूप ₹1.07 करोड़ का गैर-संग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को वितरित किए गए 8,64,083 राशन कार्डों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार, ₹7.02 करोड़⁴² की बिक्री प्राप्तियाँ वसूल की जानी थी। हालांकि, ₹5.33 करोड़ ही सरकारी खाते में प्रेषित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹1.69 करोड़ का कम संग्रहण/ कम प्रेषण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.3.1 (बी)** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने के उपरांत, मुख्य लेखा अधिकारी, एफसीएसएण्डसीए विभाग, जम्मू ने (जनवरी 2018) कहा कि राशन कार्ड अधिकतम संख्या में जारी किये गये थे। आगे यह भी कहा गया कि पूर्व में राशन कार्ड इसलिए जारी नहीं किये जा सके क्योंकि सरकार द्वारा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को

³⁷ ₹3.03 करोड़ की कुल लागत का 60 प्रतिशत (2018 के दौरान 0.49 लाख के मुद्रित राशन कार्डों के अलावा)।

³⁸ 1. सिटी सर्किल-I, जम्मू (नवंबर 2017); 2. कठुआ (फरवरी 2018); 3. रियासी: (सितंबर 2018); 4. ग्रामीण-II (अप्रैल 2019); 5. रामबन (अक्टूबर 2019); 6. पुंछ (मई 2019); 7. किशतवाड (जनवरी 2019); 8. सांबा (अगस्त 2019); 9. राजौरी (फरवरी 2020); 10. ग्रामीण-I (जनवरी 2020) तथा 11. डोडा (फरवरी 2020)। लेखापरीक्षा ने मार्च 2017, मार्च 2018 और मार्च 2019 की अवधि की समाप्ति पर इकाइयों की लेखापरीक्षा के दौरान टिप्पणियाँ पार्यी और स्थिति को समय-समय पर अद्यतित किया गया है।

³⁹ गैर-पीएचएच (एपीएल)/ अपवर्जन: 3,98,423; पीएचएच (बीपीएल-अन्य): 5,17,791 तथा पीएचएच (एवाई): 77,990

⁴⁰ गैर-पीएचएच (एपीएल)/ अपवर्जन: 3,41,072; पीएचएच (बीपीएल-अन्य) 4,55,184 तथा पीएचएच (एवाई): 67,827

⁴¹ गैर-पीएचएच (एपीएल)/ अपवर्जन: 57,351; पीएचएच (बीपीएल-अन्य): 62,607 तथा पीएचएच (एवाई): 10,163

⁴² गैर-पीएचएच (एपीएल)/ अपवर्जन: ₹3.41 करोड़; पीएचएच (बीपीएल-अन्य): ₹3.41 करोड़ तथा पीएचएच (एवाई): ₹0.20 करोड़।

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पात्र हितभागियों की पहचान हेतु नामित किया गया था। सत्यापन/ पहचान सूचियाँ समय पर प्राप्त नहीं हुई थी जिसका परिणाम राशन कार्डों के वितरण में देरी के रूप में हुआ। सहायक निदेशकों, (रियासी/ किशतवाड/ ग्रामीण II, जम्मू/ पुंछ तथा डोडा) ने कहा (अक्टूबर 2018/ जनवरी/ अप्रैल/ मई 2019/ फावरी 2020) कि सभी तहसील आपूर्ति अधिकारियों को शेष राशन कार्डों को हितभागियों को जारी करने और लंबित राशि को प्रेषित करने के लिए निर्देश दिए गए थे। सहायक निदेशक, सांबा (अगस्त 2019) ने गैर-वितरण के कारणों के लिए राशन कार्ड डिजिटाइजेशन को जिम्मेदार ठहराया जिसके परिणामस्वरूप हितभागियों ने मुद्रित कार्डों को प्राप्त नहीं किया था। सहायक निदेशक, ग्रामीण-I (जनवरी 2020) ने कहा कि शेष राशन कार्डों को शीघ्र ही वितरित किया जाएगा।

हालांकि, तथ्य यह रहता है कि मुद्रित और अवितरित राशन कार्ड अभी तक सहायक निदेशकों के पास ही पड़े हुए हैं। 7,348 राशन कार्डों की 2015 से 2025 तक की वैधता के अपवाद सहित, राशन कार्डों की वैधता जून 2018 तक थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटाइजेशन की दृष्टि से भविष्य में इन राशन कार्डों के उपयोग की संभावना बहुत ही कम है और अब वे व्यतिरिक्त हो गए हैं।

इस प्रकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की 11 नमूना जांच की गई इकाइयों में वर्ष 2015 से 2018 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को 1,30,121 मुद्रित राशन कार्ड वितरित नहीं होने के कारण सरकारी राजस्व के प्रति ₹1.07 करोड़ की वसूली नहीं हुयी। इसके अतिरिक्त, राशन कार्डों को जारी करने से संग्रहित ₹1.69 करोड़ का कम संग्रहण/ कम प्रेषण हुआ था।

यह मामला विभाग/ सरकार को मई 2020 में भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) था।

विभाग को भविष्य में सुनिश्चित करना चाहिए कि मुद्रित राशन कार्ड अविलंब रूप से जारी किये जा रहे हैं जिससे लागत की वसूली मानदण्डों के अनुसार की जा सके। सभी इकाइयों के लिए राशि को संग्रहित कर और अविलंब रूप से सरकारी खाते में प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

गृह विभाग

2.4 गैर-प्रकार्यात्मक सौर विद्युत संयंत्रों के कारण निष्फल व्यय

राज्य कर विभाग के साथ कार्य अनुबंध कर (डब्ल्यूसीटी) भुगतान के निपटान नहीं होने के कारण, मई 2014 से जनवरी 2015 के मध्य ₹9.70 करोड़ का व्यय करने और रखरखाव की मुफ्त वारंटी उपलब्ध होने के बावजूद, सितंबर 2014 से पुलिस प्रतिष्ठानों में संस्थापित 128 सौर विद्युत संयंत्र गैर-प्रकार्यात्मक बने रहे।

राज्य में पुलिस प्रतिष्ठानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा 523 स्थानों पर सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए ₹37.94 करोड़ का प्रस्ताव⁴³ राज्य सरकार को (25 अगस्त 2011) अनुमोदन और आगे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई), मंत्रालय भारत सरकार (जीओआई) को भेजने के लिए प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि विभाग द्वारा कहा गया, केवल दो दिनों के बाद, अतिरिक्त 25 स्थानों (जिला पुलिस कार्यालयों) को शामिल करते हुए ₹43.31 करोड़ के कुल वित्तीय निहितार्थ के साथ एक पुनः निर्मित प्रस्ताव⁴⁴ (27 अगस्त 2011) प्रस्तुत किया गया था।

जीओआई ने केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के अंतर्गत, ₹37.94 करोड़ की अनंतिम लागत पर जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) पुलिस के प्रतिष्ठानों में 1,408.6 केडब्ल्यूपी की कुल क्षमता के साथ 523 सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्रों (एसपीपी) के संस्थापन के लिए ₹33.54 करोड़ संस्वीकृत (फरवरी 2012) किये।

इसी दौरान, राज्य स्तरीय खरीद समिति (एसएलपीसी) की अनुशंसा (मार्च 2012) के अनुरूप, परियोजना के लिए अप्रैल 2012 में एक निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी करने का निर्णय लिया गया था। छोड़े गए 25 जिला पुलिस कार्यालयों, 04 पुलिस स्टेशनों और 10 पुलिस चौकियों को शामिल करके व स्थानों की कुल संख्या को 562 तक लाने के लिए आवश्यक 523 स्थानों की पुनः गणना की गयी और इसे 25 अप्रैल 2012 को जारी एनआईटी में विधिवत् रूप से दर्शाया गया। एल1 बोलीदाता ने परियोजना के लिए ₹36.14 करोड़ (करों सहित) का मूल्य उद्धृत किया। 562 स्थानों के लिए विभिन्न क्षमताओं (समेकित 1553.76 केडब्ल्यूपी) के सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्रों की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, कमीशनिंग और अनुरक्षण के लिए संविदा (मार्च 2013) एल1 फर्म को ₹36.14 करोड़ के लिए इस

⁴³ पत्र व्यवहार सं. पीआरओवी-II/ईएलईसीटी-26/10-11/39524-26 दिनांक 25.08.2011 के अनुसार।

⁴⁴ पत्र व्यवहार सं. पीआरओवी-II/ईएलईसीटी-26/10-11/40013-16 दिनांक 27.08.2011 के अनुसार।

आधार पर प्रदान की गयी थी कि एल1 फर्म द्वारा उद्धृत मूल्य ₹37.94 करोड़ के अनुमोदित बजट के अंदर था।

जैसा कि एनआईटी के उपबंध 16 में उल्लिखित था, जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) सेवा कर तथा मूल्य वर्धित कर (वीएटी) इस संविदा पर लागू नहीं होना था और यदि राज्य कर विभाग द्वारा प्रभारित किया जाता है, तो उसका अतिरिक्त भुगतान पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा।

एसपीपी की सुपुर्दगी, संस्थापन और कमीशनिंग आपूर्ति आदेश देने की तिथि से छह महीनों के भीतर पूरी की जानी थी। आपूर्ति आदेश के निबंधन और शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता एसपीपी के लिए पांच साल की मुफ्त वारंटी, सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) मॉड्यूल के लिए दस साल की विद्युत उत्पादन वारंटी और एसपीवी मॉड्यूल के लिए 20 साल की प्रतिस्थापन गारंटी हेतु उत्तरदायी था।

इस योजना के अंतर्गत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को ₹243 प्रति वाट का सीएफए या संस्वीकृत परियोजना लागत का 90 प्रतिशत जो भी कम हो, उपलब्ध कराना था। इसलिए, एमएनआरई, जीओआई ने परियोजना की निविदा लागत के आधार पर सीएफए को ₹29.43 करोड़ तक कम (जून 2013) कर दिया। जीओआई द्वारा जून 2013 में राज्य सरकार को ₹14.71 करोड़ की राशि, सीएफए के 50 प्रतिशत की पहली किस्त निर्गत की जिसमें से ₹14.39 करोड़ की राशि संस्थापित 252 एसपीपी में से 187 के भुगतान के प्रति मई 2014 से जनवरी 2015 की अवधि के दौरान दी गयी थी। इन 252 एसपीपी के संस्थापन के पश्चात्, 163 एसपीपी गैर-प्रकार्यात्मक पाये गये, जिनमें वे 128 एसपीपी शामिल थे जिनके लिए ₹9.70 करोड़ का भुगतान किया गया था।

आपूर्तिकर्ता द्वारा संस्थापित एसपीपी की स्थिति, विभाग द्वारा निर्गत (दिसंबर 2016) भुगतान और गैर-प्रकार्यात्मक एसपीपी तालिका 2.4.1 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 2.4.1: मई 2014 से जनवरी 2015 के दौरान संस्थापित एसपीपी और किए गए भुगतान की स्थिति

| संस्थापित एसपीपी | एसपीपी जिनके लिए भुगतान किया गया | | गैर-प्रकार्यात्मक एसपीपी | गैर-प्रकार्यात्मक एसपीपी जहां भुगतान निर्गत किया गया | |
|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|--|--------------------|
| | संख्या | राशि (₹ करोड़ में) | | संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
| 252 | 187 | 14.39 | 163 | 128 | 9.70 |

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

विभाग ने संस्थापित 163 एसपीपी में आई खामियों को दूर करने के लिए आपूर्तिकर्ता को निर्देश (अगस्त 2015) दिया। आपूर्तिकर्ता ने विभाग को सूचित (अगस्त 2015) किया कि इन एसपीपी की पुरानी विद्युत कंडीशनिंग इकाई की मरम्मत के बजाय, नई विद्युत कंडीशनिंग इकाइयों को जम्मू एवं कश्मीर के लिए भेजा गया था। सामग्री को, हालांकि, बिक्री कर विभाग द्वारा कार्य अनुबंध कर (डब्ल्यूसीटी) जमा नहीं करने के आधार पर रोका गया था। विभाग ने मामले को सरकार के साथ या तो 10.50 प्रतिशत की दर से डब्ल्यूसीटी के कारण ₹3.80 करोड़ की राशि निर्गत करने या इस प्रकार के कर की छूट के लिए (फरवरी 2015 से मई 2018) उठाया।

पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जम्मू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2017) से पता चला कि डब्ल्यूसीटी से संबंधित मामला, हालांकि, पांच वर्षों से अधिक के बीत जाने के बाद भी हल नहीं किया गया है और 128 एसपीपी गैर-प्रकार्यात्मक रहे हैं जिनके लिए जनवरी 2015 तक ₹9.70 करोड़ का भुगतान किया गया था।

पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जम्मू ने उत्तर में (जून 2020) कहा कि गैर-प्रकार्यात्मक एसपीपी की मरम्मत नहीं की जा सकती क्योंकि डब्ल्यूसीटी का भुगतान न करने के कारण वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अतिरिक्त कलपुर्जे जब्त कर लिए गये थे। विभाग ने कहा कि जैसे ही सरकार डब्ल्यूसीटी की राशि निर्गत करेगी या उसमें छूट देगी, सभी मामलों का समाधान कर लिया जाएगा।

इस प्रकार, बिक्री कर विभाग के साथ डब्ल्यूसीटी के भुगतान संबंधी मामले के निपटान और प्रभावी ढंग से समन्वयन करने में विभाग की विफलता ने फर्म द्वारा भेजे गए अतिरिक्त कलपुर्जे को जब्त करने का मार्ग प्रशस्त किया जिसका परिणाम गैर-प्रकार्यात्मक एसपीपी के रूप में हुआ। परिणामस्वरूप, इन 128 एसपीपी के संस्थापन हेतु ₹9.70 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, 128 एसपीपी के संस्थापन और कमीशनिंग के लाभ नहीं उठाये जा सके।

मामले की सूचना सरकार (मई 2020) को दी गयी थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) है।

कार्य अनुबंध कर के भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और निष्क्रिय एसएसपी में कमियों के सुधार को अविलंब रूप से किये जाने की आवश्यकता है, जिससे एसएसपी में किये गये निवेश का लाभप्रद रूप से उपयोग किया जाए।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग

2.5 जल भण्डारण टैंकों पर निष्फल व्यय

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा निजी भूमि के अधिग्रहण और वन विभाग/ रक्षा प्राधिकरण से पूर्व निर्बाधता प्राप्त किए बिना जल भण्डारण टैंकों पर कार्य के निष्पादन को आरंभ करने का परिणाम ₹3.67 करोड़ के निष्फल व्यय के रूप में हुआ।

हंदवाड़ा और कुपवाड़ा तहसील में कृषिगत गतिविधियों हेतु किसानों को सिंचाई संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, कार्यपालक अभियंता (ईई), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (आईएण्डएफसी) प्रभाग, हंदवाड़ा ने वर्ष 2013 में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत, ₹26.42 करोड़⁴⁵ की अनुमानित लागत पर ब्रिनयाल रजवाड़, नतनुस्सा कांडी एवं रजवाड़ में 27 भण्डारण टैंकों का निर्माण शामिल करते हुए तीन परियोजनायें प्रस्तावित की। निर्माण कार्यों के समापन की निर्धारित अवधि परियोजना की संस्वीकृति की तिथि से दो वर्षों तक थी।

मार्च 2019 तक भण्डारण टैंकों के कार्य की स्थिति तालिका 2.5.1 में दी गई है।

तालिका 2.5.1: मार्च 2019 तक भण्डारण टैंकों के कार्य की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| भण्डारण टैंकों का विवरण | प्रस्तावित भण्डारण टैंकों की संख्या | क्रियान्वयन के लिए भण्डारण टैंकों को नहीं लिया गया | | क्रियान्वयन के लिए भण्डारण टैंकों को लिया गया | | | भण्डारण टैंक जो प्रकार्यात्मक हैं | | भण्डारण टैंक जो प्रकार्यात्मक नहीं हैं | |
|---|-------------------------------------|--|---------------|---|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--|---------------|
| | | सं. | अनुमानित लागत | सं. | अनुमानित लागत | किया गया व्यय | पूर्ण रूपेण | आंशिक रूप से | सं. | किया गया व्यय |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (2-3) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| वन/ निजी भूमि की आवश्यकता वाले भण्डारण टैंक | 16 | 7 | 6.21 | 9 | 11.49 | 3.37 | 0 | 2 | 7 | 3.04 |
| वन/ निजी भूमि की अनावश्यकता वाले भण्डारण टैंक | 11 | 1 | 0.92 | 10 | 7.80 | 3.06 | 1 | 6 | 3 | 0.63 |
| कुल | 27 | 8 | 7.13 | 19 | 19.29 | 6.43 | 1 | 8 | 10 | 3.67 |

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना)

⁴⁵ ₹11.08 करोड़ की अनुमानित लागत पर नतनुस्साकांडी में 13 टैंक; ₹10.80 करोड़ की अनुमानित लागत पर रजवाड़ में 13 टैंक और ₹4.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर रजवाड़ में एक ब्रिनयाल टैंक।

जैसा कि तालिका 2.5.1 से देखा जा सकता है, कुल 27 भण्डारण टैंकों में से 11 में निजी/ वन भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं थी और निर्मित किए जाने वाले 27 भण्डारण टैंकों में से केवल एक पूरी तरह प्रकार्यात्मक (मार्च 2019) था। वर्ष 2013 से 2019 की अवधि के दौरान ₹9.90 करोड़⁴⁶ की राशि निर्गत की गई थी और डिवीजन ने मार्च 2019 तक ₹6.43 करोड़⁴⁷ का व्यय किया था।

अभिलेखों की जांच (अक्टूबर 2017) से पता चला कि ₹9.90 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद, ₹3.47 करोड़ (कुल आबंटन का 35 प्रतिशत) की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, 27 भण्डारण टैंकों में से केवल एक भण्डारण टैंक को पूरा किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.5.1** में विवरण दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि तालिका 2.5.1 में इंगित किया गया, 16 भण्डारण टैंक जो कुल 41.05 हेक्टेयर⁴⁸ निजी/ वन भूमि की आवश्यकता सहित निर्माण किये जाने के लिए प्रस्तावित थे, में से नौ भण्डारण टैंकों को वन विभाग से निर्बाधता या इन निर्माण कार्यों को निष्पादित करने के लिए निजी (जुलाई 2019) भूमि अधिग्रहित किए बिना निर्माण हेतु लिया गया था। इन नौ भण्डारण टैंकों पर वर्ष 2013 से 2019 की अवधि के दौरान ₹3.37 करोड़ का व्यय किया गया था।

जहाँ तक निजी/ वन भूमि के 35.15 हेक्टेयर सहित नौ भण्डारण टैंकों (अनुमानित लागत: ₹11.49 करोड़) का संबंध है, ₹3.37 करोड़ का व्यय उन भण्डारण टैंकों पर किया गया था जो पूर्ण नहीं हुए थे और केवल दो भण्डारण टैंक अर्ध-प्रकार्यात्मक थे। इसलिए, सात अधूरे और गैर-प्रकार्यात्मक भण्डारण टैंकों पर ₹3.04 करोड़⁴⁹ का व्यय व्यर्थ था।

इसी तरह, 11 भण्डारण टैंकों (अनुमानित लागत: ₹7.80 करोड़⁵⁰) के मामले में, जिन्हें किसी भी निजी/ वन भूमि की आवश्यकता नहीं थी, दस भण्डारण टैंकों (भूमि विवाद के कारण एक भण्डारण टैंक निर्माण हेतु नहीं लिया गया था) के कार्य

⁴⁶ 2013-14: ₹1.80 करोड़; 2014-15: ₹2.20 करोड़; 2015-16: ₹3.40 करोड़; 2016-17: ₹1.00 करोड़; 2017-18 ₹1.24 करोड़; 2018-19: ₹0.26 करोड़।

⁴⁷ 2013-14: ₹1.80 करोड़; 2014-15: ₹1.11 करोड़; 2015-16: ₹1.02 करोड़; 2016-17: ₹1.00 करोड़; 2017-18: ₹1.24 करोड़; 2018-19: ₹0.26 करोड़।

⁴⁸ वन भूमि: 10.251 हेक्टेयर; निजी भूमि: 30.80 हेक्टेयर।

⁴⁹ नौ टैंकों पर किया गया ₹3.37 करोड़ का व्यय माइनस दो अर्ध-प्रकार्यात्मक टैंकों पर किया गया ₹0.33 करोड़ का व्यय।

⁵⁰ अनुमानित लागत: ₹92.00 लाख वाले भण्डारण टैंक ज़िन्नर को छोड़कर जो निष्पादन हेतु नहीं लिया गया।

के निष्पादन पर ₹3.06 करोड़ का व्यय (2013 से 2019) किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन दस भण्डारण टैंकों में से केवल एक भण्डारण टैंक पूरी तरह प्रकार्यात्मक था और छह अर्ध-प्रकार्यात्मक थे। इसके अलावा, शेष तीन भण्डारण टैंक, इन टैंकों पर ₹63.19 लाख का व्यय किए जाने के बावजूद आंशिक रूप से भी प्रकार्यात्मक नहीं थे। इन तीन भण्डारण टैंकों में से, दो⁵¹ पर ₹43.59 लाख व्यय करने के बाद छोड़ दिया गया था। क्योंकि गुन्सनार भण्डारण टैंक के लिए पहचानी गई भूमि सेना के आयुध भण्डार के करीब थी जिसके लिए सेना से निर्बाधता की स्वीकृति (जुलाई 2020) नहीं मिली थी तथा इस भण्डारण टैंक के लिए चयनित वैकल्पिक स्थान किंजलदूरी निचामा मृदा परीक्षण में असफल रहा जिसके कारण ₹43.59 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, ईई, आईएण्डएफसी डिवीजन, हंदवाड़ा ने (जुलाई 2019) में कहा कि निधियों के अभाव और निर्गत करने में देरी के कारण वन विभाग के साथ मांगपत्रों को प्रोसेस नहीं किया जा सका और निजी भूमि भी अधिग्रहित नहीं की जा सकी।

यह जवाब तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि विभाग ने भूमि अधिग्रहण के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी जैसा कि डीपीआर से देखा गया, एक कार्य के अलावा, अन्य कार्यों के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया (जुलाई 2020) था। इसके अलावा, वर्ष 2013 से 2019 की अवधि के दौरान डिवीजन आबंटित निधियों का उपयोग करने में समर्थ नहीं था और ₹3.47 करोड़ (35 प्रतिशत) की बचत थी, जो व्यपगत हो गई।

इस प्रकार, निजी भूमि अधिग्रहण, वन विभाग/ रक्षा प्राधिकरण से पूर्व निर्बाधता प्राप्त किए बगैर भण्डारण टैंकों का निर्माण प्रारंभ करने की अनुचित योजना का परिणाम, निधियों की उपलब्धता के बावजूद ₹3.67 करोड़⁵² के व्यर्थ व्यय के रूप में हुआ।

यह मामला विभाग/ सरकार को मई 2020 में भेजा गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

⁵¹ किंजलदूरी निचामा: ₹38.29 लाख; गुन्सनार ₹5.30 लाख।

⁵² सात गैर-प्रकार्यात्मक भण्डारण टैंकों पर व्यय, जिनमें निजी /वन भूमि की आवश्यकता होती है: ₹3.04 करोड़ और तीन गैर-प्रकार्यात्मक भण्डारण टैंकों पर व्यय जिसमें निजी/ वन भूमि की आवश्यकता नहीं थी: ₹0.63 करोड़।

विभाग को बाधा रहित योजनाओं का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए जिससे आरंभ की गयी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

2.6 लिफ्ट सिंचाई योजना पर निष्फल व्यय

कार्यपालक अभियंता, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, सुंबल द्वारा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए निर्माण कार्यों का निष्पादन आरंभ करने से पूर्व पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन न करने से योजना की लागत में संशोधन तथा योजना समापन के लिए आठ वर्षों की अवधि से अधिक तक अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करने में असमर्थता का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसने योजना पर ₹2.23 करोड़ के व्यय को निष्फल कर दिया।

जिला बांदीपोरा के सुंबल-सोनवारी निर्वाचन क्षेत्र में शिलवत से सुंबल और वांगीपोरा से अंखोला क्षेत्र में 1,436 एकड़ भूमि को सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए, कार्यपालक अभियंता (ईई), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (आईएण्डएफसी) डिवीजन, सुंबल ने वर्ष 2007-08 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत ₹1.77 करोड़⁵³ की अनुमानित लागत पर बाबाजंगी-वांगीपोरा-खुरवान लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) के निर्माण का कार्य आरंभ किया। योजना को एक कार्य मौसम⁵⁴ में पूरा किया जाना प्रस्तावित था।

ईई, आईएण्डएफसी डिवीजन, सुंबल और ईई, यांत्रिक सिंचाई (एमआई) डिवीजन, शादीपोरा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2018) से पता चला कि योजना के वर्टिकल पम्पिंग स्टेशन के निर्माण के लिए मूल स्थान का चयन पर्याप्त प्रारंभिक सर्वेक्षण के बिना किया गया था और बाद में व्यवहार्य नहीं पाया गया। संविदा प्रदान करने के बाद इसे (जनवरी 2009) बदल दिया गया था। इसके अतिरिक्त, योजना के अतिरिक्त निर्माण कार्यों का निष्पादन करना प्रस्तावित किया गया था जिसने योजना पर लागत में संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया। तदनुसार, मुख्य अधीक्षण अभियंता, हाइड्रोलिक सर्किल बारामूला/ बांदीपोरा द्वारा मुख्य अभियंता, श्रीनगर को ₹3.11 करोड़⁵⁵ की अनुमानित लागत (जनवरी 2012) के साथ एक संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुत किया गया जिसे अनुमोदित (जून 2020) नहीं किया गया था। इसकी ₹1.77 करोड़ की मूल लागत के प्रति योजना के निष्पादन पर

⁵³ सिविल कार्य: ₹96.90 लाख; यांत्रिक कार्य: ₹79.90 लाख।

⁵⁴ सितंबर से आरंभ होकर आगामी वर्ष के मार्च तक।

⁵⁵ सिविल कार्य: ₹202.58 लाख; यांत्रिक कार्य: ₹108 लाख।

₹2.23 करोड़⁵⁶ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.46 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, योजना प्रकार्यात्मक नहीं (जून 2020) थी। एमआई डिवीजन, शादीपोरा द्वारा ₹0.83 करोड़ की लागत पर खरीदे गए विद्युत-यांत्रिक उपकरण⁵⁷ भी संस्थापित/ चालू नहीं थे, और ये उपकरण जून 2020 तक भण्डार में या कार्य स्थल पर अप्रयुक्त ही पड़े हुए थे। इस प्रकार, लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को आरंभ करने से पहले पम्पिंग स्टेशन के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल का चयन न करने में ईई, आईएण्डएफसी डिवीजन, सुंबल की विफलता ने योजना की लागत में संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा, योजना के समापन के लिए प्रस्तावित ₹0.88 करोड़ की अतिरिक्त निधियों की आठ वर्षों की अवधि से अधिक में भी व्यवस्था नहीं की जा सकी, जिसने ₹2.23 करोड़ के व्यय को निष्फल कर दिया।

इसे इंगित किए (मार्च 2018) जाने पर ईई, आईएण्डएफसी डिवीजन, सुंबल ने कहा (मार्च 2018/ जुलाई 2019) कि योजना के सिविल कार्य लगभग पूर्ण हो चुके थे, यांत्रिक कार्यों का समापन प्रतीक्षित था और कुछ महत्वपूर्ण कार्यों⁵⁸ के समापन के लिए ₹25.22 लाख की राशि अपेक्षित थी। ईई, एमआई डिवीजन, शादीपोरा ने कहा (मई 2016/ मार्च 2018) कि सिविल घटक के समापन नहीं होने के कारण और निधियों के अभाव में कुछ मदों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका और योजना को प्रकार्यात्मक नहीं बनाया जा सका। यह भी कहा गया था (जून 2020) कि योजना को पूरा करने के लिए ₹1.77 करोड़ की अनुमानित लागत से अतिरिक्त वित्तपोषण की अनुमति दी गई थी और मुख्य अभियंता ने मौखिक रूप से दोहराया था कि योजना के समापन के पश्चात् संशोधित लागत की औपचारिक संस्वीकृति जारी की जायेगी।

कार्यकारी अभियंता का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु मूल स्थल के परिवर्तन से पुष्टि हुई कि कार्य के निष्पादन को आरंभ करने से पहले उचित सर्वेक्षण का संचालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, संशोधित डीपीआर के अनुमोदन के बिना योजना कार्य के निष्पादन सहित इसके समापन हेतु

⁵⁶ सिविल कार्य: ₹1.40 करोड़; यांत्रिक कार्य: ₹0.83 करोड़।

⁵⁷ पम्प मोटर को फरवरी 2020 में साइट पर स्थानांतरित कर दिया गया, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन सृजित, मुख्य यांत्रिक घटक जैसे पंप माउंटिंग स्ट्रक्चर, ओवरहेड क्रेन वर्किंग प्लेटफॉर्म, साइट पर संस्थापित राइजिंग मेन, अन्य यांत्रिक एवं विद्युत घटक और डिविजनल स्टोर्स में पड़े हुए ट्रांसफार्मर।

⁵⁸ वांगिपोरा-खुरवान नहर के दोनों किनारों पर अस्तर की दीवार का निर्माण: ₹18.07 लाख; चैन लिंक फेंसिंग और लोहे के गेट का निर्माण: ₹2.70 लाख और फेस लिफ्ट और संबद्ध कार्यों का निर्माण: ₹4.45 लाख।

पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता ने योजना पर किये गये ₹2.23 करोड़ के व्यय को निष्फल कर दिया।

यह मामला विभाग/ सरकार को मई 2020 में भेजा गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

विभाग को कार्य शीघ्रता से पूरा करने लिए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में परियोजना के निष्पादन से पूर्व तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है।

विधिक माप विज्ञान विभाग

2.7 धर्मकांटा परीक्षण किटों से युक्त मोबाइल क्रेनों का कम उपयोग

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई ₹1.18 करोड़ की राशि का धर्मकांटा परीक्षण किटों से युक्त मोबाइल क्रेनों के संचालन के लिए चालक/ प्रशिक्षित स्टाफ को विनियोजित करने में विधिक मापविज्ञान विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप उनका कम उपयोग हुआ तथा मापांकन की मैनुअल प्रथा/ धर्मकांटों के सत्यापन को आधुनिक बनाने और परिवर्तित करने के अभिप्रेत उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

भारत सरकार (जीओआई) ने 'वजन और माप अवसंरचना का सुदृढीकरण' योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) के विधिक माप विज्ञान विभाग को ₹1.18 करोड़⁵⁹ (दिसंबर 2008 और मार्च 2012) की राशि की धर्मकांटा परीक्षण किटों से युक्त दो मोबाइल क्रेनों को उपलब्ध कराया। उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, जम्मू⁶⁰ ने इन मोबाइल परीक्षण किटों के उपयोग से न्यूनतम राजस्व ₹ दस लाख प्रति वर्ष का अनुमान (मार्च 2009) लगाया। जेएण्डके सरकार ने पूरे राज्य में संस्थापित धर्मकांटों के सत्यापन के लिए परीक्षण भारों के साथ लोडेड मोबाइल किटों के उपयोग के लिए ₹2,000 उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में निर्धारित (नवंबर 2011) किया।

अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2018) से पता चला कि चालक/ प्रचालक और अनुरक्षण हेतु अपेक्षित निधियों की अनुपलब्धता के आधार पर, दिसंबर 2008 में प्राप्त एक

⁵⁹ दिसंबर 2008 में प्राप्त क्रेन की लागत: ₹50.94 लाख; मार्च 2012 में प्राप्त क्रेन की लागत: ₹66.88 लाख।

⁶⁰ प्रति वर्ष ₹10 लाख की दर से एकत्र किया जाना था।

मोबाइल क्रेन को मई 2010 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका। तदुपरांत, मई 2010 से नवंबर 2010 तक, इसे जम्मू एवं कश्मीर राज्य पथ परिवहन निगम (जेकेएसआरटीसी) से प्रतिनियुक्ति पर एक चालक प्राप्त करके केवल सात महीने के लिए उपयोग किया गया था। इस अवधि के दौरान, केवल 11 धर्मकांटों का सत्यापन किया गया था। यह मोबाइल क्रेन निधियों की अनुपलब्धता के कारण नवंबर 2010 से ऑफ रोड थी और कठुआ के औद्योगिक इस्टेट में एक निजी उद्योग के परिसर में खड़ी थी। मोबाइल क्रेन के पिछले टायर चोरी हो गए हैं (जनवरी 2011) जिसके लिए पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

तदुपरांत, संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, जम्मू ने (अगस्त 2012) निदेशक, विधिक माप विज्ञान विभाग, जीओआई, नई दिल्ली से इस वाहन को वापस लेने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया कि इसके बड़े आकार के कारण, इसका बेहतर उपयोग गलियों में तथा जम्मू की औद्योगिक इकाइयों की संकीर्ण गलियों में नहीं किया जा सका, और आगे यह भी कहा गया कि उक्त वाहन को वापस ले लिया जाए और किसी अन्य मांग करने वाले और जरूरतमंद राज्य को आबंटित कर दिया जाए। भारत सरकार से एक दूसरी मोबाइल क्रेन मार्च 2012 में प्राप्त हुई थी और चालक की आंतरिक व्यवस्था करने के उपरांत केवल फरवरी 2015 से जून 2018 तक इसका उपयोग किया गया था। यह दूसरी मोबाइल क्रेन भी चालक की अनुपलब्धता के कारण जुलाई 2018 से गैर-प्रकार्यात्मक रही।

इस पर इंगित किए जाने पर, उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, जम्मू ने कहा (जुलाई 2020) कि विभाग द्वारा 2009-18 के दौरान 887 धर्मकांटों का सत्यापन/पुनः सत्यापन किया गया था, जिसके लिए ₹17.74 लाख की राशि वसूल की गयी थी। यह भी कहा गया था कि लॉगबुक के अनुसार केवल 171 धर्मकांटों को उपलब्ध करायी गई परीक्षण किट द्वारा सत्यापन/पुनः सत्यापन किया गया था और शेष 716 धर्मकांटें परीक्षण किट के उपयोग के बिना ही पारित किए गए थे। इसलिए, ₹3.42 लाख⁶¹ का उपयोगकर्ता शुल्क केवल मोबाइल परीक्षण किटों के उपयोग द्वारा वसूल किया गया था।

चूंकि विभाग इन क्रेनों की कार्यशैली के प्रभावी उपयोग और अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए चालक/प्रशिक्षित कर्मचारियों को विनियोजित करने में विफल रहा,

⁶¹ 171 धर्मकांटों के संबंध में ₹2,000 की दर पर उपयोगकर्ता प्रभार ₹3,42,000 है।

इसलिए ₹1.18 करोड़ की उपलब्ध करायी गयी ये मोबाइल क्रेन अप्रयुक्त रहीं। जैसा कि उनके स्वयं के उत्तर में कहा गया था कि विभाग केवल 2009-18 के दौरान ₹17.74 लाख के उपयोगकर्ता प्रभार की वसूली करने में समर्थ था, जो उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, जम्मू द्वारा मोबाइल परीक्षण किटों के उपयोग से अनुमानित ₹90 लाख⁶² (मार्च 2009) के उपयोगकर्ता शुल्क के अनुमानित संग्रह से काफी कम था। इसलिए, विभाग मापांकन की मैनुअल प्रथा/ धर्मकांटों के सत्यापन को आधुनिक बनाने और उनमें परिवर्तन करने में असफल रहा, जिसके कारण मानव इंटरफेस को कम नहीं किया जा सका।

जब यह मामला (मई 2020) विभाग को भेजा गया, तो उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, जम्मू ने प्रशासनिक विभाग के निर्देशों पर एक व्यापक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की (जुलाई 2020) जिसमें यह पुष्टि की गई थी कि उपलब्ध चालकों/स्टाफ का उपयोग मोबाइल परीक्षण किटों के परिचालन के लिए नहीं किया गया था। ये किट अब स्क्रेप हो गयी हैं, क्योंकि अब वे वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण के लिए नए मानदंडों का पालन नहीं करती हैं और विभाग 2008 में इसकी प्राप्ति के उपरांत वार्षिक ₹ दस लाख के अनुमानित राजस्व (उपयोगकर्ता प्रभार) की वसूली नहीं कर सका। नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, जम्मू एवं कश्मीर ने अपने जवाब में (अगस्त 2020) कहा कि वाहन का न तो परिवहन विभाग में पंजीकरण हुआ है, और न ही इस संबंध में अभी तक कोई प्रयास किए गए हैं।

इस प्रकार विभाग इन क्रेनों की कार्यशैली हेतु प्रभावी उपयोग और अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए चालक/ प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था करने में विफल रहा, जिसके द्वारा ₹1.18 करोड़ की उपलब्ध कराई गयी ये मोबाइल क्रेन अप्रयुक्त रहीं। इसके अलावा, मापांकन की मैनुअल प्रथा/ धर्मकांटों के सत्यापन को आधुनिक बनाने और परिवर्तित करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया था।

यह मामला विभाग/ सरकार को मई 2020 में भेजा गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मशीनरी की आवश्यकता को प्रोसेस करने से पूर्व उनकी आधुनिकता के साथ-साथ अनुकूलतम उपयोग के लिए अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध है तथा कार्य प्रक्रियाओं का रूपांतरण प्राप्त कर लिया गया है।

⁶² प्रति वर्ष ₹10 लाख की दर से संग्रह किया जाना था।

विद्युत विकास विभाग

2.8 अप्रयुक्त वेतन का अप्राधिकृत भुगतान

विद्युत विकास विभाग की या तो संस्वीकृत संख्या से अधिक परिनियोजित चालकों/ शोफरों का स्थानांतरण करने या उनकी सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफलता का परिणाम मार्च 2015 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान चालकों/ शोफरों को ₹79.46 लाख के अप्रयुक्त वेतन के भुगतान और अप्राधिकृत आहरण के रूप में हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता (खण्ड-1) के नियम 4 और 6 उस कार्यविधि को निर्धारित करते हैं जिसके तहत अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को विनियमित किया जाना है। विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होता है कि कार्यालय की प्रभावी कार्यपद्धति को सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में स्टाफ पदस्थापित है।

सब ट्रांसमिशन डिवीजन-III, कठुआ में चालकों/ शोफरों के दो पद संस्वीकृत थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान डिवीजन में उपलब्ध चार विभागीय वाहनों में से तीन अनुपयोगी/ नीलामीकृत (27 अप्रैल 2007/08 फरवरी 2017) थे और एक वाहन अगस्त 2013 से परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं था। डिवीजन ने सितंबर 2013 से एक वाहन को किराये पर लिया क्योंकि केवल एक शेष बचे हुए वाहन को अनुपयोग (दिसंबर 2019) हेतु अनुशंसित किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2017) और उसके उपरांत सूचनाओं के संग्रहण (फरवरी 2018 से जुलाई 2019 के बीच) से पता चला कि दो चालकों/ शोफरों की संस्वीकृत संख्या के प्रति डिवीजन में पांच चालक/ शोफर (मार्च 2015 से) कार्यरत थे। इस बीच, मार्च 2015 से जनवरी 2019 के दौरान चालकों की संस्वीकृत संख्या से अधिक तीन अतिरिक्त चालकों के वेतन का आहरण किया गया। बिना किसी आधिकारिक इयूटी/ चालन हेतु उपलब्ध वाहन होने के बावजूद चार चालकों के लिए वेतन और भत्तों का आहरण अप्राधिकृत था और किसी आधिकारिक इयूटी के निष्पादन के बिना वेतन के भुगतान को बढ़ा दिया। इस प्रकार, चालकों/ शोफरों, जिसके लिए उन्हें भर्ती किया गया था, की सेवाओं का अनुपयोग नियमों के विरुद्ध है, जिसका परिणाम अवधि (मार्च 2015 से जनवरी 2019) के दौरान उनको अप्रयुक्त वेतन के भुगतान के रूप में हुआ। मार्च 2015 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान अधिशेष चालकों/ शोफरों के

अप्रयुक्त वेतन और भत्तों की राशि ₹79.46 लाख⁶³ थी। संस्वीकृत संख्या से परे वेतन एवं भत्तों का आहरण अप्राधिकृत है और इसकी जांच की आवश्यकता है।

डिवीजन के कार्यपालक अभियंता (ईई) ने कहा (फरवरी/ अक्टूबर 2019/ जुलाई 2020) कि डिवीजन में दो चालकों के संस्वीकृत पदों के प्रति दो शोफर और एक चालक विभिन्न तिथियों से पदस्थापित थे। इन चालकों/ शोफरों में से एक किराये के वाहन को चला रहा है और जुलाई 2019 तक दो चालक/ शोफर सेवानिवृत्त⁶⁴ हो गए हैं। आगे यह भी कहा गया था कि चालकों की सेवाओं के उपयोग से संबंधित मामले को उच्च प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर उठाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिना किसी वाहन को चलाए चालक, बिना किसी आधिकारिक ड्यूटी के डिवीजन में लगातार अक्रियाशील रहे। दिसंबर 2017 तक तीन पदों के विनियमन से संबंधित आदेश अभी तक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

यह मामला मई 2020 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक जनशक्ति नहीं रोकी गयी है और वेतनों के आहरण हेतु पर्याप्त नियंत्रण का प्रयोग किया गया है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.9 निष्फल व्यय तथा निधियों का अवरोधन

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सात वर्षों की अवधि से अधिक में जलापूर्ति संवर्धन योजना को प्रकार्यात्मक बनाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹78.28 लाख का निष्फल व्यय और ₹39 लाख का अवरोधन हुआ।

आलिया, बिस्सी कालाकोट और देहारी गांवों के स्थानीय निवासियों के लिए पेयजल की आपूर्ति की वृद्धि हेतु कार्यपालक अभियंता (ईई), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) डिवीजन, रियासी ने ₹1.19 करोड़ की अनुमानित लागत पर आलिया में जलापूर्ति संवर्धन/ सुधार योजना को प्रस्तावित (2006) किया। इस योजना को इन गांवों में निवास करने वाली वर्तमान जनसंख्या 1,586 के प्रति आगामी 15 वर्षों में होने वाली अनुमानित जनसंख्या 5,386 को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए

⁶³ 2015-16: ₹19.86 लाख; 2016-17: ₹20.22 लाख; 2017-18: ₹21.30 लाख; 2018-19: ₹18.08 लाख

⁶⁴ एक चालक 31 मार्च 2018 को और दूसरा चालक 31 जुलाई 2019 को।

अभिकल्पित किया गया था। नाबार्ड⁶⁵ और राज्य सरकार से 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण सहित ₹1.17 करोड़ की लागत एक वर्ष की निर्धारित समापन अवधि सहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को योजना के लिए अनुमोदित (2011-12) किया गया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2018/ जुलाई 2019) से पता चला कि वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि के दौरान निर्गत ₹1.17 करोड़⁶⁶ की राशि के प्रति सामग्री की अधिप्राप्ति, योजना के कुछ घटकों⁶⁷ के निर्माण आदि पर ₹1.17 करोड़⁶⁸ का व्यय किया गया था। हालांकि, संवर्धन योजना को प्रस्तावित स्रोत के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया, योजना हेतु एक खुदे हुए कुएं को खोदा गया जिसे अगस्त 2019 तक प्रकार्यात्मक नहीं किया गया, और ₹39 लाख मूल्य की सामग्री (अगस्त 2019) अप्रयुक्त रही।

लेखापरीक्षा में इंगित (सितंबर 2018/ जुलाई 2019) किए जाने पर, ईई, पीएचई डिवीजन, रियासी ने कहा (मई 2019/ अगस्त 2019) कि बोरवैल को खुदाई के पश्चात् ढंक दिया गया और इसकी सुरक्षा के लिए पंप रूम का भी निर्माण किया गया था। हालांकि, पंप को नीचे करते समय यह देखा गया था कि बोरवैल पत्थरों से भर गया था जिसे साफ नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसके लिए रूम के स्लैब और दीवारों को नष्ट करना आवश्यक था। यह भी कहा गया था कि इस मामले को उच्च प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया और बोरवैल को मरम्मत की आवश्यकता थी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग ₹तीन लाख थी।

हालांकि, तथ्य यह रहता है कि ₹1.17 करोड़ के व्यय के बावजूद, परियोजना के अनुसार चिह्नित गाँवों में जलापूर्ति का संवर्धन (अगस्त 2019) नहीं किया जा सका, जिसके कारण तीनों गाँवों की वर्तमान जनसंख्या के लिए पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इसलिए, कुएं की मरम्मत कराने और सात वर्षों की अवधि

⁶⁵ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

⁶⁶ 2011-12: ₹51.67 लाख; 2012-13: ₹13.50 लाख; 2013-14: ₹12.99 लाख; 2014-15: ₹1.43 लाख; 2015-16: ₹14.66 लाख; 2016-17: ₹23.06 लाख।

⁶⁷ खुदे कुएं, पंप रूम, राइजिंग मेन, वितरण प्रणाली, चौकीदार क्वार्टर, ग्राउंड सर्विस जलाशय, पम्पिंग मशीनरी, संप टैंक आदि का निर्माण।

⁶⁸ 2011-12: ₹51.64 लाख; 2012-13: ₹13.50 लाख; 2013-14: ₹12.99 लाख; 2014-15: ₹1.43 लाख; 2015-16: ₹14.66 लाख; 2016-17: ₹23.06 लाख।

से भी अधिक में संवर्धन योजना को प्रकार्यात्मक बनाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹78.28 लाख का निष्फल व्यय और ₹39 लाख का अवरोधन हुआ।

यह मामला मई 2020 में सरकार को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) था।

विभाग को संवर्धन योजना को प्रकार्यात्मक बनाने के लिए खुदे हुए कुएं की मरम्मत हेतु तुरंत कदम उठाने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसंपत्तियाँ सम्यक रूप से सुरक्षित हैं।

भाग II
राजस्व क्षेत्र

अध्याय III
राजस्व क्षेत्र
प्रस्तावना

अध्याय III

राजस्व क्षेत्र

प्रस्तावना

3.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

3.1.1 वर्ष 2018-19 के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा सृजित कर और गैर-कर राजस्व, राज्य को सौंपे गए विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय में राज्य की हिस्सेदारी तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों और पूर्ववर्ती चार वर्षों के संबंधित आंकड़े तालिका 3.1 में उल्लिखित हैं।

तालिका 3.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व | | | | | |
| | • कर राजस्व | 6,333.95 | 7,326.19 | 7,819.13 | 9,536.40 | 9,826.35 |
| | • गैर-कर राजस्व | 1,978.05 | 3,912.79 | 4,072.19 | 4,362.34 | 4,349.35 |
| | कुल | 8,312.00 | 11,238.98 | 11,891.32 | 13,898.74 | 14,175.70 |
| 2. | भारत सरकार से प्राप्तियाँ | | | | | |
| | • विभाज्य संघीय करों और शुल्कों की निवल आय में हिस्सेदारी | 4,477.23 | 7,813.48 | 9,488.60 | 11,911.65 | 13,989.80 |
| | • सहायता अनुदान | 16,149.36 | 16,728.14 | 20,598.55 | 22,701.49 | 23,065.21 |
| | कुल | 20,626.59 | 24,541.62 | 30,087.15 | 34,613.14 | 37,055.01 |
| 3. | राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2 का योग) | 28,938.59 | 35,780.60 | 41,978.47 | 48,511.88 | 51,230.71 |
| 4. | 1 से 3 का प्रतिशत | 29 | 31 | 28 | 29 | 28 |

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे 2018-19)

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य की समग्र प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹14,175.70 करोड़) पूर्ववर्ती वर्ष में 29 प्रतिशत की अपेक्षा कुल राजस्व प्राप्तियों का 28 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के दौरान शेष 72 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार (जीओआई) से हुई थी, जिसमें से 62.25 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में आया

था। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान राज्य की कुल प्राप्तियों का 45.02 प्रतिशत हिस्सा रहा।

3.1.2 वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: सृजित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | राजस्व शीर्ष | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 की तुलना में 2018-19 में वास्तविक में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | (ए) | (बी) | (सी) | (डी) | (ई) | (एफ) | (जी)= (एफ-ई)/ ई*100 |
| 1. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर, जीएसटी सहित | 4,601.52 | 5,276.54 | 6,011.98 | 7,104.37 | 6,891.44 | (-) 3.00 |
| 2. | माल और यात्रियों पर कर | 557.81 | 666.21 | 747.88 | 852.62 | 909.22 | (+) 6.64 |
| 3. | राज्य उत्पाद शुल्क | 466.08 | 532.82 | 569.26 | 833.16 | 1,291.45 | (+) 55.01 |
| 4. | विद्युत पर कर और शुल्क | 313.40 | 428.87 | 89.94 | 179.20 | 188.57 | (+) 5.23 |
| 5. | स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क | 247.98 | 264.23 | 227.62 | 307.43 | 265.45 | (-) 13.66 |
| 6. | वाहनों पर कर | 132.34 | 145.15 | 149.71 | 228.11 | 238.93 | (+) 4.74 |
| 7. | भूमि राजस्व | 14.58 | 12.18 | 16.89 | 29.07 | 41.28 | (+) 41.90 |
| 8. | अन्य | 0.24 | 0.19 | 5.85 | 2.44 | 0.001 | (-) 99.96 |
| | कुल | 6,333.95 | 7,326.19 | 7,819.13 | 9,536.40 | 9,826.34 | |

(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19)

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि 4.74 प्रतिशत और 55.01 प्रतिशत के बीच में थी जो 'वाहनों पर कर', 'विद्युत पर कर और शुल्क', 'वस्तुओं और यात्रियों पर कर', 'भूमि राजस्व', और 'राज्य उत्पाद शुल्क' शीर्षों के अंतर्गत था। तथापि, 'जीएसटी सहित बिक्री, व्यापार आदि पर कर', 'स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क' तथा 'अन्य' शीर्षों के अंतर्गत लगभग 3 प्रतिशत से 99.96 प्रतिशत तक गिरावट थी। 'अन्य' शीर्ष के अंतर्गत 99.96 प्रतिशत की गिरावट मुख्यतः 8 जुलाई 2017 से जीएसटी के तहत मनोरंजन कर¹ को शामिल करने के कारण थी।

संबंधित विभागों से 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व वृद्धि/ गिरावट हेतु कारण उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया था; तथापि, केवल निम्नलिखित करों के संबंध में कारणों को बताया गया:

¹ वर्ष 2017-18 के दौरान मनोरंजन कर ₹2.44 करोड़ था, जो 2018-19 के दौरान घटकर ₹0.001 करोड़ रह गया।

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: राजस्व में गिरावट मुख्यतः संरचनात्मक मामलों और वस्तु एवं सेवा कर में दर की कमी के कारण थी।

राज्य उत्पाद शुल्क: राजस्व में वृद्धि वर्ष 2017-18 के दौरान 31.50 प्रतिशत की दर पर एकत्र सभी शराब के उत्पादों की बिक्री पर अतिरिक्त निर्धारण शुल्क में वृद्धि 30 मई 2018 से 25 फरवरी 2019 तक 42 प्रतिशत और 26 फरवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक 35 प्रतिशत के कारण थी।

3.1.3 वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सृजित किए गए गैर-कर राजस्व का विवरण तालिका 3.3 में इंगित किया गया है।

तालिका 3.3: सृजित किए गए गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | राजस्व शीर्ष | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 की तुलना में 2018-19 में वास्तविक में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत |
|---------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | (ए) | (बी) | (सी) | (डी) | (ई) | (एफ) | (जी)= (एफ-ई)/ ई*100 |
| 1. | विद्युत | 1,427.73 | 1,477.22 | 2,770.24 | 3,150.94 | 3,246.49 | (+) 3.03 |
| 2. | वानिकी और वन्य जीवन | 70.85 | 67.84 | 14.40 | 18.12 | 20.33 | (+) 12.20 |
| 3. | पुलिस | 19.97 | 34.11 | 67.63 | 32.70 | 88.98 | (+) 172.11 |
| 4. | अलौह, खनन और धातुकर्म उद्योग | 48.50 | 57.23 | 42.74 | 47.46 | 51.75 | (+) 9.04 |
| 5. | जल आपूर्ति और स्वच्छता | 36.90 | 45.77 | 51.99 | 93.07 | 59.78 | (-) 35.77 |
| 6. | लोक निर्माण कार्य | 23.13 | 27.55 | 21.14 | 47.96 | 27.92 | (-) 41.78 |
| 7. | चिकित्सा और जन स्वास्थ्य | 22.69 | 22.53 | 21.86 | 26.02 | 26.45 | (+) 1.65 |
| 8. | ब्याज प्राप्तियाँ | 13.58 | 96.35 | 18.62 | 19.44 | 20.84 | (+) 7.20 |
| 9. | अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ | 314.70 | 2,084.19 | 1,063.57 | 926.63 | 806.81 | (-) 12.93 |
| | कुल | 1,978.05 | 3,912.79 | 4,072.19 | 4,362.34 | 4,349.35 | |

(स्रोत: राज्य बजट 2019-20 और वित्तीय लेखे 2018-19)

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, विद्युत, ब्याज प्राप्तियाँ, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, वानिकी/ वन्य जीवन और पुलिस से पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक संग्रहण में 1.65 प्रतिशत और 172.11 प्रतिशत के बीच की वृद्धि हुई थी। जबकि अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ, जल आपूर्ति और स्वच्छता तथा लोक निर्माण कार्य के अंतर्गत प्राप्तियाँ में 12.93 प्रतिशत से 41.78 प्रतिशत तक की गिरावट थी।

संबंधित विभागों से 2017-18 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि/ गिरावट हेतु कारण उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया था; तथापि, केवल निम्नलिखित विभागों द्वारा कारणों को बताया गया था:

पुलिस: राजस्व में वृद्धि मुख्यतः एकबार में प्राप्ति एवं नीलामी प्राप्तियों के रूप में गार्ड प्रभारों की वृद्धि के कारण थी।

वानिकी और वन्य जीवन: राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से ईंधन-लकड़ी के निष्कर्षण और राज्य वन निगम द्वारा जमा की गई रॉयल्टी राशि के कारण थी।

3.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों पर 31 मार्च 2019 तक राजस्व की बकाया राशि ₹1,474.11 करोड़ थी, जिसमें ₹719.92 करोड़ पाँच साल से अधिक अवधि से बकाया थी, जैसा कि तालिका 3.4 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | राजस्व के शीर्ष | दिनांक 31 मार्च 2019 तक कुल बकाया राशि | 31 मार्च 2019 तक पाँच वर्षों से अधिक अवधि की बकाया राशि | विभाग के जवाब |
|------------|---------------------------------|--|---|--|
| 1. | बिक्री/ वीएटी व्यापार आदि पर कर | 1,426.58 | 672.63 | भूमि राजस्व के बकायों के रूप में वसूली हेतु प्रस्तावित ₹107.77 करोड़ की राशि पर न्यायालयों/ अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक लगा दी गई है। विभाग ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे मांग का नोटिस (दस्तक) जारी करना, मेमो जारी करना, बैंक खातों को जब्त करना और उसके बाद अचल संपत्ति की कुर्की करना, इसके अलावा, बकाया की वसूली सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। कुल बकायों में से ₹45.36 करोड़ की वसूली पर न्यायालय/ अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक लगा दी गई थी। तथापि, ₹2.08 करोड़ के शेष बकायों को भूमि राजस्व अधिनियम के तहत बकायों के रूप में संग्रहण हेतु कलेक्टरों को भेजा गया था। |
| 2. | मोटर स्पिरिट कर | 0.09 | 0.09 | |
| 3. | मनोरंजन कर | 0.21 | 0.21 | |
| 4. | पथ कर | 28.24 | 28.00 | |
| 5. | राज्य उत्पाद शुल्क | 18.99 | 18.99 | |
| कुल | | 1,474.11 | 719.92 | |

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

3.3 निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या का विवरण, जोकि राज्य कर विभाग द्वारा बिक्री कर/ वीएटी और निर्माण कार्य संविदाओं पर कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए थे, तालिका 3.5 में दिए गए हैं।

तालिका 3.5: निर्धारणों में बकाया

| राजस्व के शीर्ष | 1 अप्रैल 2018 को आदि शेष | वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले | कुल निर्धारण देय | वर्ष 2018-19 के दौरान मामलों का निस्तारण | वर्ष के अंत में शेष | निपटान का प्रतिशत (कॉ. 4 से 5) |
|------------------------------|--------------------------|--|------------------|--|---------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| बिक्री कर/ वीएटी | 8,991 | 6,859 | 15,850 | 7,098 | 8,752 | 44.78 |
| निर्माण कार्य संविदाओं पर कर | 48,651 | 14,494 | 63,145 | 24,217 | 38,928 | 38.35 |

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

बिक्री कर/ वीएटी के संबंध में 45 प्रतिशत और निर्माण कार्य संविदा पर कर के संबंध में 38 प्रतिशत निर्धारण मामले (निर्धारण के लिए देय कुल मामलों में से) पूरे किए गए थे। वर्ष 2018-19 के दौरान कम निर्धारणों के कारणों हेतु इस तथ्य को जिम्मेदार ठहराया (जून 2020) गया था कि निर्धारण प्राधिकारी नई कर व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं जो निर्धारणों के समापन के लिए अधिक समय लेती है। हालांकि, यह भी कहा गया था कि विभाग यथाशीघ्र लंबित निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए सभी प्रयास करेगा।

आंकलनों के समय वर्जित (पाँच वर्ष) होने के जोखिम से बचने के लिए, सरकार लंबित आंकलनों को अंतिम रूप देने हेतु एक समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि इस निर्धारित समय सीमा का विभागीय प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जा रहा है।

3.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले और सृजित अतिरिक्त कर मांग के ब्यौरे तालिका 3.6 में दिए गए हैं।

तालिका 3.6: कर अपवंचन

| क्र. सं. | राजस्व के शीर्ष | 31 मार्च 2018 को लंबित मामले | 2018-19 के दौरान पता लगाए गए मामले | कुल | ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ जांच पूरी हो गई और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त मांग भी उठाई गई | | वसूल की गई मांग की राशि (₹ करोड़ में) | 31 मार्च 2019 को अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित मामले |
|----------|------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | मामलों की संख्या | मांग की राशि (₹ करोड़ में) | | |
| 1. | बिक्री कर/ वीएटी | 220 | 1,466 | 1,686 | 1,401 | 32.67 | 0.83 | 285 |
| 2. | जीएसटी | - | 218 | 218 | 195 | 53.39 | 52.26 | 23 |
| | कुल | 220 | 1,684 | 1,904 | 1,596 | 86.06 | 53.09 | 308 |

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

वर्ष 2018-19 के दौरान 1,596 मामलों में उठाई गई ₹86.06 करोड़ की कुल माँग के प्रति ₹53.09 करोड़ की राशि वसूल की गई जो कि कुल वसूली योग्य राशि का 61.69 प्रतिशत है। जवाब में सहायक आयुक्त (तकनीकी) राज्य कर ने कहा (जून 2020) कि विभाग बकायों की वसूली के लिए विहित प्रक्रिया को अपना रहा है। यह भी कहा गया था कि सरकार ने एमनेस्टी योजना की घोषणा की है जिसका 30 जून 2020 तक लाभ उठाया जा सकता है और वसूली की कार्यवाहियाँ योजना के समापन के पश्चात् आरंभ की जाएंगी।

3.5 प्रतिदाय मामलों का लंबन

विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित वर्ष 2018-19 के आरंभ में लंबित प्रतिदाय मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य प्रतिदायों और वर्ष 2018-19 के अंत में लंबित मामलों की संख्या तालिका 3.7 में दी गई है।

तालिका 3.7: प्रतिदाय मामलों के लंबन का विवरण

| क्र.सं. | विवरण | जीएसटी | | बिक्री कर/ वीएटी | |
|---------|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | मामलों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) | मामलों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
| 1. | वर्ष के आरंभ में बकाया दावे | 264 | 1.26 | 7 | 0.75 |
| 2. | वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे | 811 | 27.99 | 26 | 2.33 |
| 3. | वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय | 558 | 16.04 | 22 | 0.59 |
| 4. | वर्ष के अंत में बकाया शेष | 517 | 13.21 | 11 | 2.49 |

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

बिक्री कर/ वीएटी तथा जीएसटी दोनों के अंतर्गत बकाया प्रतिदाय मामलों की संख्या वर्ष 2018-19 के दौरान 271 मामलों से 95 प्रतिशत बढ़कर 528 मामले हो गयी। यह भारत सरकार से प्राप्य प्रतिकर की राशि को प्रभावित कर सकती है।

सरकार प्रतिदाय मामलों के तत्काल निपटान के लिए प्रभावी कदम उठा सकती है।

3.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू और कश्मीर (पी.ए.जी.), सरकारी विभागों के लिए समय-समय पर निरीक्षण आयोजित करता है ताकि संव्यवहारों की नमूना-जांच और नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित महत्वपूर्ण लेखांकन और अन्य रिकॉर्डों के रखरखाव को सत्यापित किया जा सके। इन निरीक्षणों में निष्कर्षों को शामिल करते हुए निरीक्षण रिपोर्टें (आईआर) तैयार की जाती हैं, जिन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अगले उच्च अधिकारियों को प्रतियों के साथ निरीक्षण किए गए कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों/ सरकार को आईआर में निहित टिप्पणियों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, आईआर की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के अंदर दोष और चूक परिशोधित करके पीएजी (लेखापरीक्षा) को आरंभिक जवाब के माध्यम से रिपोर्ट के अनुपालन की सूचना देना अपेक्षित है। विभागाध्यक्षों और सरकार को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की सूचना दी जाती है।

राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन तथा विधि विभाग से संबंधित दिसम्बर 2018 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ने उद्घाटित किया कि 859 आईआर से संबंधित ₹2,095.52 करोड़ मूल्य के कुल 4,539 पैराग्राफ, जून 2019 के अंत तक शेष रहे जिनका विवरण पिछले दो वर्षों के संबंधित आंकड़ों सहित तालिका 3.8 में दिया गया है।

तालिका 3.8: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

| | जून 2017 | जून 2018 | जून 2019 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| निपटान के लिए लंबित आईआर की संख्या | 775 | 811 | 859 |
| शेष लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या | 3,875 | 4,111 | 4,539 |
| शामिल राजस्व की राशि (₹ करोड़ में) | 1,176.45 | 1,216.35 | 2,095.52 |

3.6.1 30 जून 2019 तक बकाया आईआर और लेखापरीक्षा टिप्पणियों के विभागावार विवरण और राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन और विधि विभाग (राजस्व क्षेत्र) के संबंध में शामिल राशियाँ तालिका 3.9 में उल्लिखित हैं।

तालिका 3.9: निरीक्षण प्रतिवेदन/ लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभाग-वार विवरण

| क्र.सं. | विभाग का नाम | प्राप्तियों की प्रकृति | शेष आईआर की संख्या | शेष लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या | शामिल धन मूल्य (₹ करोड़ में) |
|---------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. | राज्य कर | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 535 | 3,373 | 1,822.20 |
| 2. | राज्य उत्पाद शुल्क | राज्य उत्पाद शुल्क | 154 | 377 | 120.95 |
| 3. | परिवहन | मोटर वाहनों पर कर | 112 | 484 | 141.86 |
| 4. | विधि | स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क | 58 | 305 | 10.51 |
| कुल | | | 859 | 4,539 | 2,095.52 |

2018-19 के दौरान जारी किए गए 51 आईआर के जारी करने की तिथि से चार सप्ताहों के भीतर लेखापरीक्षा को कार्यालयों के प्रमुखों से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुए थे। जवाबों के प्राप्त नहीं होने के कारण, आईआर का इस बड़े रूप में लंबित होना इस तथ्य का सूचक है कि आईआर में पीएजी (लेखापरीक्षा) द्वारा इंगित किए गए दोषों, चूक और अनियमितताओं को सुधारने के लिए कार्यालयों और विभागों के प्रमुखों ने कार्रवाई शुरू नहीं की। इसके अलावा, कर राजस्व (राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क और मोटर वाहनों पर कर) से संबंधित लंबित आपत्तियों की चर्चा के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को संबंधित विभागों को पैराग्राफों के निपटान की प्रगति की निगरानी के लिए एक तिमाही में लगातार कम से कम तीन लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित करने की सलाह देनी चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मांगे/ वसूलियाँ समय पर निपटायी गई हैं।

3.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

31 मार्च 2019 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क, विधि तथा परिवहन (राजस्व क्षेत्र) विभागों की निरीक्षण प्रतिवेदनों की संक्षिप्त स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफ और उनकी स्थिति को तालिका 3.10 में सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका 3.10: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

| वर्ष | आदिशेष | | | वर्ष के दौरान वृद्धि | | | वर्ष के दौरान मंजूरी | | | वर्ष के दौरान अंत शेष | | |
|---------|--------|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| | आई आर | पैराग्राफ | धन का मूल्य (₹ करोड़ में) | आई आर | पैराग्राफ | धन का मूल्य (₹ करोड़ में) | आई आर | पैराग्राफ | धन का मूल्य (₹ करोड़ में) | आई आर | पैराग्राफ | धन का मूल्य (₹ करोड़ में) |
| (ए) | (बी) | (सी) | (डी) | (ई) | (एफ) | (जी) | (एच) | (आई) | (जे) | (के) | (एल) | (एम) |
| 2014-15 | 617 | 2,830 | 1,188.29 | 59 | 553 | 67.00 | 08 | 194 | 24.93 | 668 | 3,189 | 1,230.36 |
| 2015-16 | 668 | 3,189 | 1,230.36 | 70 | 494 | 76.86 | 07 | 140 | 25.90 | 731 | 3,543 | 1,281.32 |
| 2016-17 | 731 | 3,543 | 1,281.32 | 51 | 403 | 329.16 | 28 | 237 | 424.04 | 754 | 3,709 | 1,186.44 |
| 2017-18 | 754 | 3,709 | 1,186.44 | 89 | 767 | 173.79 | 09 | 110 | 41.24 | 834 | 4,366 | 1,318.99 |
| 2018-19 | 834 | 4,366 | 1,318.99 | 54 | 632 | 960.10 | 07 | 160 | 52.77 | 881 | 4,838 | 2,226.32 |

जेएण्डके सरकार ने पुराने पैराग्राफों के निपटान हेतु कोई लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप बकाया आईआर की स्थिति, संबंधित धन मूल्य (राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क और मोटर वाहनों पर कर) पैराओं की स्थिति बढ़ गई जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है।

यह इंगित करता है कि विभाग द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाये गए थे जिसका परिणाम बकाया आईआर और पैराग्राफों की वृद्धि के रूप में हुआ।

3.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

3.8.1 स्वप्रेरित कृत कार्रवाई टिप्पणियों का अप्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने जून 1997 में सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में छपे सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर स्वप्रेरणा से कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) लोक लेखा समिति (पीएसी) को प्रस्तुत करें चाहे उन पर समिति द्वारा चर्चा की गई हो या नहीं। इन एटीएन को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा विधिवत् जांच के बाद समिति को प्रस्तुत किया जाना होता है।

तथापि, यह देखा गया था कि वर्ष 2000-01 से वर्ष 2015-16² तक राजस्व क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अध्यायों में शामिल 110 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से 88 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्वप्रेरित एटीएन 31 मार्च 2020 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

3.8.2 पीएसी की सिफारिशों पर कृत कार्रवाई

पीएसी/ सीओपीयू द्वारा चर्चा किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में की गई टिप्पणियों/ सिफारिशों पर, कृत कार्रवाई टिप्पणियों की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा यथावत जांच के बाद ऐसी टिप्पणियों/ सिफारिशों की तारीख से छह महीने के अंदर समिति को प्रस्तुत करना होता है।

वर्ष 2000-01 से 2015-16 तक के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राजस्व क्षेत्र में शामिल 110 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से केवल 17 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर 31 मार्च 2019 तक पीएसी द्वारा चर्चा की गई है। पीएसी द्वारा आंशिक रूप से चर्चा किए गए 12 पैराग्राफों सहित 17 लेखापरीक्षा पैराग्राफ के संबंध में सिफारिशों की गई हैं, हालांकि, समिति की सिफारिशों पर 13 पैराग्राफों के संबंध में एटीएन राज्य सरकार से लंबित है।

² लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016-17 तथा 2017-18 संसद में सितंबर 2020 में प्रस्तुत किए गए।

3.8.3 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों की स्थिति, विभाग द्वारा स्वीकार किए गए पैराग्राफ और वसूल की गई राशि तालिका 3.11 में उल्लिखित है।

तालिका 3.11: पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफ

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | शामिल पैराग्राफों की संख्या | पैराग्राफों का धन मूल्य (₹ करोड़ में) | स्वीकृत पैराग्राफों की संख्या | स्वीकृत पैराग्राफों का धन मूल्य (₹ करोड़ में) | वर्ष 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में) | 31 मार्च 2019 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति (₹ करोड़ में) |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| 2013-14 | 5 | 9.28 | 5 | 1.11 | शून्य | 0.04 |
| 2014-15 | 4 | 0.76 | 4 | 0.76 | शून्य | 0.10 |
| 2015-16 | 7 | 124.10 | 6 | 88.76 | 0.09 | 0.16 |
| 2016-17 | 8 | 2.14 | 8 | 2.14 | शून्य | 0.20 |
| 2017-18 | 9 | 1.43 | 9 | 1.43 | 0.01 | 0.16 ³ |
| कुल | 33 | 137.71 | 32 | 94.20 | 0.10 | 0.66 |

उपर्युक्त द्वारा यह देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 में शामिल पैराग्राफों के संबंध में, विभाग/ सरकार ने ₹94.20 करोड़ मूल्य की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जिनमें से मार्च 2019 तक केवल ₹0.66 करोड़ की वसूली की गई, जो कि स्वीकृत राशि का केवल 0.70 प्रतिशत है। यह इंगित करता है कि सरकार ऐसे मामलों के लिए, जिनमें विभाग द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया गया था, देयताओं को पूर्णरूप से वसूल नहीं कर सकी।

3.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पिछली प्रवृत्तियों और अन्य मापदंडों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के राजस्व और कर प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों (राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन और विधि) की 398 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थी, जिनमें से 66 (17 प्रतिशत) इकाइयों के लिए योजना बनाई गई थी और 54 इकाइयों (82 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गई थी।

³ 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गयी ₹15.80 लाख की वसूली शामिल है।

3.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2018-19 के दौरान संचालित राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन विभाग की 398 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों⁴ में से 54 इकाइयों⁵ के अभिलेखों की नमूना जांच में 502 मामलों में कुल ₹900.11 करोड़ के अवनिर्धारण/ कम उगाही/ राजस्व की हानि का पता चला। केवल आठ इकाइयों से ₹2.46 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं की स्वीकृति से संबंधित विभागीय जवाब प्राप्त हुए थे। विभागों ने वर्ष 2018-19 से पूर्व की अवधि के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 51 मामलों में वर्ष 2018-19 के दौरान ₹1.55 करोड़ की वसूली की थी। स्वीकृत वसूलियों के इकाई-वार विवरण **परिशिष्ट 3.1.1** में वर्णित हैं।

⁴ राज्य कर विभाग: 66 इकाइयाँ; परिवहन विभाग: 22 इकाइयाँ; उत्पाद शुल्क विभाग: 44 इकाइयाँ तथा स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण (विधि विभाग): 266 इकाइयाँ।

⁵ राज्य कर विभाग: 34 इकाइयाँ; परिवहन विभाग: 12 इकाइयाँ तथा उत्पाद शुल्क विभाग: 08 इकाइयाँ।

अध्याय IV
राजस्व क्षेत्र
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय IV

अनुपालन लेखापरीक्षा (राजस्व क्षेत्र)

क. सामान्य

4.1 कर प्रशासन

4.1.1 बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ वस्तु एवं सेवा कर

बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ वस्तु एवं सेवा कर सरकारी स्तर पर, सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा शासित किए जाते हैं। राज्य के कर विभाग के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण का कार्य राज्य कर आयुक्त को सौंपा गया है। तीन अपर आयुक्तों (जम्मू एवं कश्मीर डिवीजन प्रत्येक के लिए एक तथा एक कर योजना के लिए), 19 उपायुक्तों (जम्मू: 09; कश्मीर: 08 तथा मुख्यालय: 01 एवं न्यायिक मामले: 01) तथा 10 सहायक आयुक्तों (जम्मू: 05 कश्मीर: 05) द्वारा राज्य कर आयुक्त के कार्यों में सहयोग किया जाता है। राज्य को 63 राज्य करों के सर्किलों (जम्मू 30; कश्मीर 33) में बांटा गया है, प्रत्येक की अध्यक्षता एक राज्य कर अधिकारी द्वारा की जाती है।

4.1.2 राज्य उत्पाद शुल्क

जम्मू और कश्मीर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, जम्मू और कश्मीर उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1901 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उत्पाद शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी है। विभाग की अध्यक्षता उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा की जाती है, जिन्हें पांच उप उत्पाद शुल्क आयुक्तों (जम्मू: 04; कश्मीर: 01) और 16 उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारियों (जम्मू: 10; कश्मीर: 06) द्वारा कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है। राज्य में 20 डिस्टिलरी/ बॉटलिंग प्लांट हैं जो उत्पाद शुल्क तथा कराधान अधिकारी, डिस्टिलरीज, जम्मू के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

4.1.3 वाहनों पर कर

परिवहन विभाग से प्राप्तियों को केंद्र तथा राज्य मोटर वाहन अधिनियमों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है तथा यह परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य कर/ राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन और विधि विभागों की कुल 398 इकाइयों में से 54 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से, 502

मामलों में ₹900.11 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/ कम उदग्रहण का पता चला, जैसा कि तालिका 4.1 में वर्णित है।

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | श्रेणियाँ | मामलों की संख्या | राशि |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------|
| बिक्री कर, व्यापार/ वीएटी आदि | | | |
| 1. | कर का अवनिर्धारण | 20 | 3.50 |
| 2. | बिक्री/ खरीद के छिपाव के कारण कर अपवंचन | 280 | 58.95 |
| 3. | इनपुट कर क्रेडिट की अनियमित/ गलत/ अधिक अनुमति | 39 | 2.93 |
| 4. | अन्य अनियमितताएं | 60 | 687.92 |
| | कुल | 399 | 753.30 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | | | |
| 1. | उत्पाद शुल्क की कम / गैर-वसूली | 1 | 0.01 |
| 2. | लाइसेन्स शुल्क/ ब्याज/ जुर्माने की कम/ गैर-वसूली | 12 | 13.43 |
| 3. | पथकर के संग्रहण की कम उगाही | 3 | 0.09 |
| 4. | अन्य अनियमितताएं | 14 | 1.33 |
| | कुल | 30 | 14.86 |
| मोटर वाहन कर | | | |
| 1. | टोकन कर की कम/ गैर-वसूली | 9 | 15.42 |
| 2. | यात्री व वस्तु कर की कम/ गैर-वसूली | 29 | 39.35 |
| 3. | अन्य अनियमितताएं | 35 | 77.18 |
| | कुल | 73 | 131.95 |
| | कुल योग | 502 | 900.11 |

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने विभिन्न प्राप्ति शीर्षों¹, जो पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे, के अंतर्गत ₹1.55 करोड़ के राजस्व की वसूली की।

¹ बिक्री, व्यापार पर कर/ वीएटी इत्यादि: ₹1.54 करोड़; स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क: ₹1.00 लाख।

ख. अनुपालन लेखापरीक्षा

4.3 इस अध्याय की कवरेज

प्रतिवेदन के इस राजस्व अध्याय में ₹2.03 करोड़ के राजस्व निहितार्थ को शामिल करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित अनुमति के कारण कम मांग, कर छूट की अनियमित स्वीकृति, खरीदों के छिपाव तथा सरकारी धन के दुर्विनियोजन इत्यादि से संबंधित पाँच पैराग्राफ सम्मिलित हैं। विभागों/ सरकार ने ₹2.03 करोड़ के मूल्य की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है, जिनमें से ₹13.02 लाख की वसूली की जा चुकी है।

वित्त विभाग

(राज्य कर विभाग)

4.4 खरीदों के छिपाव के कारण कर की कम उगाही

निर्धारण प्राधिकारी का डीलर का आंकलन करते समय कुल कारोबार के छिपाव को पहचानने में असफल होने का परिणाम ₹17.67 लाख के कम कर, ब्याज और जुर्माने की उगाही के रूप में हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 की धारा 7 तथा उसके तहत बनाए गए नियम प्रावधान करते हैं कि प्रत्येक डीलर उस ढंग से अपने कुल कारोबार के रिटर्न को प्रस्तुत करेगा जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, यदि एक डीलर कुल कारोबार के गलत विवरणों को प्रस्तुत करता है या अपने कुल कारोबार को छिपाता है, तो निर्धारण प्राधिकारी (एए) ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धारा 8(8) और 17(1)(एफ) के अंतर्गत डीलर को देय कर के अतिरिक्त, त्रुटि की अवधि हेतु दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज तथा जुर्माना, जो कर की राशि जिससे बचा जाना था, से कम नहीं हो, परंतु ऐसे कर की राशि के दोगुने से अधिक न हो, के भुगतान के लिए निर्देश देगा।

वाणिज्यिक कर सर्किल 'एच' श्रीनगर के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2014/ मई 2019) से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु एए द्वारा एक डीलर² का आंकलन ₹34.99 लाख के कुल कारोबार की वृद्धि के पश्चात् ₹6.04 करोड़ के कर योग्य कुल कारोबार पर किया गया (मार्च 2014) था। तथापि, डीलर द्वारा उसके तिमाही रिटर्न सहित फाइल किए गए अंतरराज्यीय खरीद विवरणों और सी-फॉर्म उपभोग विवरणों से पता चला कि डीलर द्वारा अपने लेखाओं में ₹43.15 लाख की

² निर्माण/ विद्युत कार्य संविदाओं में डीलिंग।

अंतरराज्यीय खरीदों की गणना नहीं की गई थी जिससे ₹86.29 लाख³ के कुल बिक्री कारोबार के छिपाव का मार्ग प्रशस्त हुआ। अतः डीलर ने जम्मू एवं कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया था तथा उसे अधिनियम की धारा 8 (8) और 17 (1) के तहत निर्धारित किए गए कर, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करना आवश्यक था। निर्धारण प्राधिकारी ने मामले का निर्धारण करते समय, ₹86.29 लाख के कुल कारोबार के छिपाव के प्रति कुल कारोबार को ₹34.99 लाख तक बढ़ा दिया। निवल छिपाया गया कुल कारोबार ₹51.30 लाख था, जिसके लिए डीलर ₹17.67 लाख⁴ के कर, ब्याज और जुर्माने के भुगतान हेतु उत्तरदायी था।

इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2014), निर्धारण प्राधिकारी ने डीलर का पुनर्मूल्यांकन (दिसंबर 2018) किया और ₹16.72 लाख⁵ की मांग उठाई। आगे यह भी कहा गया (दिसंबर 2019) कि मांग उपायुक्त वसूली प्रभाग कश्मीर को भेजी (मई 2019) गई है। तथापि, वसूली की प्रगति प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थी।

यह मामला नवंबर 2019 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था; उनका जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) था।

4.5 कर छूट की अनियमित स्वीकृति के कारण ब्याज और कर की कम मांग

निर्धारण प्राधिकारी वाणिज्यिक कर सर्किल I और II, ऊधमपुर द्वारा, दो औद्योगिक इकाइयों जिन्होंने वर्ष 2010-11 और 2013-14 के दौरान ₹12.32 लाख की खरीदों को छिपाया था, को अनियमित कर छूट की अनुमति का परिणाम ₹26.22 लाख की कम मांग के रूप में हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर मूल्य वर्धित कर (जेकेवीएटी) अधिनियम, 2005 की धारा 79-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने लघु, मध्यम एवं वृहत् पैमाना औद्योगिक इकाइयों के संबंध में कर की छूट हेतु एक अधिसूचना (मार्च 2006) जारी की थी जिसकी स्वीकृति कुछ शर्तों के अध्याधीन दी जानी थी। इन शर्तों में उपबंधित था कि कर-छूट प्राप्त करने के लिए औद्योगिक इकाई औपचारिक रूप से पंजीकृत⁶ होनी चाहिए, इसे विहित प्रपत्रों में कर छूट के दावों को प्रस्तुत करना चाहिए, संयंत्र,

³ डीलर द्वारा उसके व्यापार लेखा में घोषित किए गए अनुसार 100 प्रतिशत की दर पर भाड़ा, लाभ व अन्य प्रभार सम्मिलित हैं।

⁴ कर: ₹4.31 लाख; अप्रैल 2010 से दिसंबर 2018 तक ब्याज: ₹9.05 लाख; जुर्माना: ₹4.31 लाख।

⁵ कर: ₹4.35 लाख; ब्याज: ₹8.02 लाख; जुर्माना: ₹4.35 लाख।

⁶ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग/ हस्तशिल्प/ हथकरघा निदेशालय के साथ और वाणिज्यिक कर विभाग के साथ भी।

उपकरण, कच्ची सामग्री, उत्पादन एवं वस्तुओं की बिक्री इत्यादि सहित वस्तुओं की खरीदों के सही और नियमित लेखाओं का अनुरक्षण करना, राज्य के स्थायी निवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके अलावा, इकाई को इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं करना चाहिए और किसी भी मामले में वह राज्य के बाहर से तैयार उत्पाद की अधिप्राप्ति नहीं करेगी एवं जो भी हो, पंजीकरण प्रमाण-पत्र में किए गए उपबंध के अलावा, किसी भी ढंग से कच्ची सामग्री का निपटान नहीं करेगी। कोई भी औद्योगिक इकाई जो जेकेवीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 66(6), धारा 67, धारा 69(1)(एफ), धारा 69(1)(जी), धारा 69 (1)(एच), धारा 69(1)(के), धारा 69(1)(आई) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध की दोषी पाई गई, वह उस वर्ष के लिए जिसके दौरान यह अपराध किया गया था, कर छूट हेतु हकदार नहीं थी।

I. राज्य कर सर्किल-I, ऊधमपुर के अभिलेखों की संवीक्षा⁷ (मई 2014) से पता चला कि एक औद्योगिक इकाई⁸ को वर्ष 2013-14 की प्रथम व द्वितीय तिमाही हेतु, क्रमशः 23 अक्टूबर 2013 तथा 27 जनवरी 2014 को आंकलित, ₹7.45 लाख⁹ के कर छूट की अनुमति प्रदान (अक्टूबर 2013 तथा जनवरी 2014) की गई थी। तथापि, डीलर द्वारा वीएटी-65 फॉर्मों सहित फाइल किए गए खरीद विवरण की क्रॉस चेक से प्रकट हुआ कि डीलर द्वारा खरीद विवरण में वर्ष 2013-14 की प्रथम व द्वितीय तिमाही के दौरान की गई ₹3.54 लाख¹⁰ की खरीदों की गणना नहीं की गई थी। डीलर, इस प्रकार जेकेवीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 69(1)(एफ) के अंतर्गत अपराध का दोषी था तथा कर छूट के लिए हकदार नहीं था। निर्धारण प्राधिकारी उपर्युक्त अवधि हेतु छूट आदेशों को पारित करते समय खरीदों के छिपाव पर ध्यान देने में असफल रहा जिसका परिणाम कर की अनियमित छूट और ₹18.22 लाख¹¹ के ब्याज और जुर्माने को शामिल करते हुए कर की कम उगाही के रूप में हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे (मई 2014/ अक्टूबर 2019) इंगित किए जाने पर, निर्धारण प्राधिकारी ने इकाई का पुनर्मूल्यांकन (मार्च 2019/ जनवरी 2020) किया तथा

⁷ वर्ष 2013-14 के दौरान आंकलित 224 मामलों में से 55 मामलों की लेखापरीक्षा नमूना-जांच की गई।

⁸ सीमेन्ट के विनिर्माण में डीलिंग।

⁹ प्रथम तिमाही: ₹3.21 लाख; द्वितीय तिमाही: ₹4.24 लाख।

¹⁰ प्रथम तिमाही: ₹3.31 लाख; द्वितीय तिमाही: ₹0.23 लाख।

¹¹ कर: ₹0.21 लाख; ब्याज: ₹0.27 लाख और छिपाए हुए कुल कारोबार पर जुर्माना: ₹0.42 लाख और ₹7.45 लाख की अनियमित कर छूट तथा उस पर ₹9.87 लाख का ब्याज।

औद्योगिक इकाई के प्रति मार्च 2019 तथा जनवरी 2020 में ₹18.74 लाख¹² की मांग उठाई। तथापि, वसूली की प्रास्थिति प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थी।

यह मामला अप्रैल 2020 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था; उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

II. वाणिज्यिक कर सर्किल-II, ऊधमपुर के अभिलेखों की नमूना-जांच (अगस्त 2017) से पता चला कि एक औद्योगिक इकाई¹³ ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹8.78 लाख की खरीदों को छिपाया था तथा वह जेकेवीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 69(1)(एफ) के तहत अपराध की दोषी थी। निर्धारण प्राधिकारी ने कर हेतु औद्योगिक इकाई का आंकलन करते समय वर्ष 2010-11 के दौरान छिपाये गए कुल कारोबार पर ₹2.27 लाख¹⁴ की मांग (फरवरी 2017) उठाई। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2010-11 हेतु ₹3.09 लाख के कर छूट को अनुमति दी थी जो कि अनियमित थी और इसका परिणाम ₹8.00 लाख¹⁵ के कर और ब्याज की कम उगाही के रूप में हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2017), निर्धारण प्राधिकारी ने कर हेतु इकाई का पुनर्मूल्यांकन (अप्रैल 2018) किया तथा ₹10.80 लाख¹⁶ की मांग उठाई। आगे यह भी कहा गया (जनवरी 2020) कि डीलर ने क्षमा हेतु आवेदन किया है, ₹3.61 लाख के मूल कर का भुगतान किया तथा ब्याज और जुर्माना छूट प्राप्त रहे।

जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलर ने कर हेतु प्रभार योग्य कुल कारोबार को छिपाया, जिसके परिणामस्वरूप सृजित मांग क्षमा योजना की परिधि से बाहर थी।

मामला जुलाई 2019 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था; उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमत्य छूटों को ही अनुमति प्रदान की गयी है और डीलर, जिन्होंने इस प्रकार की छूटों का अनियमित रूप से लाभ लिया है, से ब्याज एवं जुर्माने की वसूली की गयी है।

¹² कर: ₹7.66 लाख; ब्याज: ₹10.66 लाख; जुर्माना: ₹0.42 लाख।

¹³ जूट बैग के विनिर्माण में डीलिंग।

¹⁴ कर: ₹0.52 लाख; ब्याज: ₹0.72 लाख; जुर्माना: ₹1.03 लाख।

¹⁵ कर: ₹3.09 लाख; ब्याज: ₹4.91 लाख।

¹⁶ छूट के निरस्तीकरण के कारण कर: ₹3.09 लाख; अंतरराज्यीय खरीदों को छिपाने के कारण कर: ₹0.52 लाख, ब्याज: ₹6.16 लाख; जुर्माना: ₹1.03 लाख।

4.6 इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित अनुमति के कारण कम मांग

निर्धारण प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर सर्किल-II, ऊधमपुर तथा सर्किल 'एल' जम्मू के डीलरों द्वारा उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र की निलंबन अवधि के दौरान की गई खरीदों पर दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने की विफलता का परिणाम ₹1.26 करोड़ की कम मांग के रूप में हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर मूल्य वर्धित कर (जेकेवीएटी), 2005 की धारा 27 (7) उपबंध करती है कि जब कोई डीलर जिसे पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया गया है, अधिनियम के अंतर्गत कोई रिटर्न प्रस्तुत करने में असफल रहता है या कोई कर, जुर्माना या देय ब्याज का भुगतान करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार के डीलर का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया जाए। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 27 (8) प्रावधान करती है कि सभी करों के भुगतान के साक्ष्य प्रस्तुत करने और निलंबन से 90 दिनों के अंदर ओवरड्यू रिटर्न को प्रस्तुत करने के उपरांत डीलर द्वारा आवेदन करने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र का निलंबन वापिस ले लिया जाएगा तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र पुनः स्थापित किया जाएगा। उस अवधि के दौरान जिसमें एक डीलर का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित रहता है, वह उस किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा, एक डीलर जिसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रभावी रहता है, हकदार होता है। डीलर वीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 51(4) व 69(1)(एम) के तहत उस अवधि के लिए जिसके अंतर्गत उसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबनाधीन था, जान-बूझकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए ब्याज और जुर्माने के भुगतान हेतु उत्तरदायी होता है।

I. वाणिज्यिक कर सर्किल II, ऊधमपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2017) से पता चला कि वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही हेतु तिमाही रिटर्न को फाइल नहीं करने के कारण, एक डीलर¹⁷ का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 30 अप्रैल 2013 से 12 फरवरी 2014 तक निलंबित कर दिया गया था। डीलर ने, तथापि, वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान ₹40.09 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जिसमें ₹30.76 लाख की राशि उस अवधि से संबंधित शामिल है जिसमें डीलर का पंजीकरण निलंबनाधीन था और निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लेखांकन वर्ष 2013-14 हेतु डीलर का आंकलन (मार्च 2017) करते समय उक्त राशि को अनुमति प्रदान की गई थी। इस प्रकार, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने की विफलता का परिणाम ₹1.21 करोड़¹⁸ की कम मांग के रूप में हुआ।

¹⁷ डिब्बाबंद दूध, घी इत्यादि में डीलिंग।

¹⁸ कर: ₹30.76 लाख; ब्याज: ₹28.35 लाख; जुर्माना: ₹61.53 लाख।

इसे इंगित (अगस्त 2017) किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने लेखांकन वर्ष 2013-14 हेतु डीलर का पुनर्मूल्यांकन (अक्टूबर 2018) किया तथा ₹1.29 करोड़¹⁹ की मांग उठाई। हालांकि, वसूली की प्रास्थिति प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थी।

मामला जून 2019 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था, जवाब प्रतीक्षित (जुलाई 2020) था।

II. वाणिज्यिक कर सर्किल 'एल' जम्मू के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2018) से पता चला कि वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही हेतु तिमाही रिटर्न को फाइल नहीं करने के कारण, एक डीलर²⁰ का पंजीकरण प्रमाण-पत्र 23 जून 2014 को निलंबित कर दिया गया था जिसे मई 2015 तक पुनः स्थापित नहीं किया गया था। उसके पंजीकरण की निलंबन अवधि के दौरान, डीलर अधिनियम की धारा 21 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने हेतु हकदार नहीं था। तथापि, डीलर द्वारा 23 जून 2014 से 31 मार्च 2015 के दौरान की गई ₹26.92 लाख की खरीदों पर ₹1.37 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 39(5) के अंतर्गत लेखांकन वर्ष 2014-15 के लिए कर हेतु डीलर का आंकलन (मार्च 2018) करते समय अनुमति प्रदान की गई थी। इस प्रकार, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने की विफलता का परिणाम कर, ब्याज और जुर्माने के प्रति ₹5.35 लाख²¹ की कम मांग के रूप में हुआ।

इसे इंगित (सितंबर 2018) किए जाने पर, निर्धारण प्राधिकारी ने लेखांकन वर्ष 2014-15 हेतु डीलर का पुनर्मूल्यांकन (सितंबर 2019) किया तथा ₹5.59 लाख²² की मांग उठाई।

मामला दिसंबर 2019 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था। उपायुक्त राज्य कर (न्यायिक) ने कहा (फरवरी 2020) कि भुगतान करने के लिए डीलर की ओर से अनुपालन नहीं करने की दृष्टि से, निर्धारण प्राधिकारी ने बकाया को उपायुक्त राज्य कर (वसूली) को भेजा (दिसंबर 2019) और भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

सरकार का जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) था।

¹⁹ कर: ₹30.76 लाख; ब्याज: ₹36.95 लाख; जुर्माना: ₹61.53 लाख।

²⁰ औषधि और प्रसाधन की बिक्री/ खरीद में डीलिंग।

²¹ कर: ₹1.38 लाख; ब्याज: ₹1.22 लाख; जुर्माना: ₹2.75 लाख।

²² कर: ₹1.38 लाख; ब्याज: ₹1.46 लाख; जुर्माना: ₹2.75 लाख।

4.7 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित लाभ लेने के कारण कम मांग

एक डीलर द्वारा फाइल किए गए रिटर्न का सही प्रकार से सत्यापन करने तथा समाप्त समयावधि/ लौटाई गई वस्तुओं पर दावा किए गए अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता का परिणाम ₹16.04 लाख की कम मांग के रूप में हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर मूल्य वर्धित कर (जेकेवीएटी) अधिनियम, 2005 की धारा 35 (1) यह उपबंध करती है कि डीलरों द्वारा फाइल किए गए सभी रिटर्नों की निर्धारण प्राधिकारी द्वारा गणनाओं की उपयुक्तता का सत्यापन करने, कर/ ब्याज की सही दर लगाने तथा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की संवीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जेकेवीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 14 उपबंध करती है कि कोई डीलर जो अपने व्यापार के दौरान एक पंजीकृत डीलर से, ऐसी परिस्थितियाँ, जिसमें ऐसी वस्तुओं के या किसी अन्य व्यक्ति से बिक्री मूल्य पर उस पंजीकृत डीलर द्वारा कर देय नहीं है, कोई कराधान योग्य माल खरीदता है, तो डीलर ऐसी वस्तुओं के खरीद मूल्य पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी खरीद के पश्चात् माल राज्य में नहीं बेचा जाता है या अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है या भारत प्रदेश के बाहर निर्यात किया जाता है। जेके वीएटी अधिनियम, 2005 यह भी उपबंध करता है कि कर के भुगतान पर खरीदे गए माल के संबंध में एक पंजीकृत डीलर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने या इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, यदि ऐसा माल किसी चोरी के कारण या उसके नष्ट होने के कारण नहीं बेचा जाता है।

जेकेवीएटी अधिनियम, 2005 चोरी के कारण लुप्त या अन्य कारणों से नष्ट हुई वस्तुओं के संबंध में प्राप्त किए गए टैक्स क्रेडिट के विपर्यय हेतु उपबंध करता है। जेकेवीएटी अधिनियम की धारा 37 से 40 के अधीन किए जाने वाले भुगतान में त्रुटि के लिए, डीलर इस प्रकार की राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है।

राज्य कर सर्किल अनंतनाग I के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2018) से पता चला कि एक डीलर ने वर्ष 2013-14 हेतु एक स्व-मूल्यांकन रिटर्न फाइल किया था जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। डीलर ने ₹245.95 लाख की स्थानीय खरीद करने का दावा किया। उसकी ₹250.82 लाख²³ की बिक्रियों पर ₹20.60 लाख की कर देयता, ₹12.30 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट और ₹8.30 लाख के कर भुगतान का लाभ लेने के कारण थी। तथापि, डीलर द्वारा फाइल किए गए

²³ 5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य ₹156.04 लाख और 13.50 प्रतिशत की दर पर कर योग्य ₹94.78 लाख।

व्यापार लेखा के अनुसार, ₹86.63 लाख²⁴ के मूल्य की समाप्त समयावधि/ लौटाया गया माल खरीद से घटा दिया गया था जिसके लिए वह ₹8.53 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे का हकदार नहीं था। निर्धारण प्राधिकारी रिटर्न स्वीकार करते समय डीलर द्वारा प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने और इसका सत्यापन करने में असफल रहा जिसका परिणाम कर और ब्याज को शामिल करते हुए ₹16.04 लाख²⁵ की कम मांग के रूप में हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर, निर्धारण प्राधिकारी ने जेकेवीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 42 के अंतर्गत लेखांकन वर्ष 2013-14 हेतु डीलर का पुनर्मूल्यांकन (मई 2019) किया तथा ₹19.11 लाख²⁶ की मांग उठाई। तथापि, वसूली की प्रास्थिति प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थी।

यह मामला सरकार/ विभाग को अप्रैल 2020 में भेजा गया, जवाब अभी प्रतीक्षित (सितंबर 2020) था।

राजस्व विभाग

4.8 सरकारी धन का दुर्विनियोजन

तहसीलदार, कठुआ सरकारी राजस्वों को संभालने संबंधी निर्धारित नियमों का कार्यान्वयन करने में विफल रहा तथा लेखापरीक्षा को भी गलत सूचना उपलब्ध कराई जिसने ₹16.81 लाख की राजस्व प्राप्तियों का दुर्विनियोजन सुकर बनाया।

जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता (जेकेएफसी) खण्ड-I के नियम 2-1 से 2-15 रोकड़ और लेखे, सरकारी धन की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा व कोषागार में भुगतान तथा लेखाओं की रोकड़ बही के अनुरक्षण से संबंधित कर्तव्यों के संबंध में सामान्य सिद्धांत निर्धारित करते हैं। जेकेएफसी का नियम 2-4(1) उपबंध करता है कि सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाले अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी, जो पावती पर हस्ताक्षर तथा इसके प्रतिपण पर आद्याक्षर करते समय संतुष्ट होगा कि राशि उचित प्रकार से रोकड़ बही में प्रविष्ट हो गई है, द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एफसी-1 फॉर्म में भुगतानकर्ता को पावती देनी है।

²⁴ ₹1.86 लाख के आईटीसी को शामिल करते हुए 5 प्रतिशत की दर पर ₹37.19 लाख के मूल्य की कर योग्य खरीद एवं ₹6.67 लाख के आईटीसी को सम्मिलित करते हुए 13.5 प्रतिशत की दर पर ₹49.44 लाख के मूल्य की कर योग्य खरीद।

²⁵ कर: ₹8.53 लाख; ब्याज ₹7.51 लाख।

²⁶ कर: ₹8.53 लाख; ब्याज ₹10.58 लाख।

तहसीलदार, कठुआ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2017) से सरकारी कोषागार में राजस्व के संग्रहण एवं प्रेषण से संबंधित अभिलेखों के अनुरक्षण में कुछ विसंगतियाँ सामने आईं। सरकार की ओर से प्राप्त धन²⁷, रोकड बही या राजस्व रजिस्टर में प्रविष्टि के माध्यम से संचालित नहीं हुआ, नकद प्राप्तियाँ निर्धारित प्रपत्रों (एफसी-1) में प्रस्तुत नहीं की गयी थी और राजस्व प्रेषण रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने ₹5.66 लाख राजस्व का कम/ गैर-प्रेषण और सरकारी कोषागार में राजस्व के प्रेषण में दो से नौ माह के बीच की देरी के उदाहरण पाए।

लेखापरीक्षा में (सितंबर 2017) इंगित किए जाने के बावजूद, अनियमितता के कारणों को नहीं जांचा गया (सितंबर 2019) तथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए। तथापि, तहसीलदार, कठुआ ने (जुलाई 2018) सूचित किया कि स्टाफ की कमी के कारण, कोषागार में प्रेषण नहीं किया जा सका और कहा कि पूरा राजस्व तत्पश्चात् कोषागार में प्रेषित कर दिया गया था।

मामला विभाग के साथ पुनः उठाया गया (फरवरी 2019) और तहसीलदार, कठुआ ने वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान संग्रहित एवं प्रेषित राजस्व का विवरण उपलब्ध कराया (अप्रैल/ जुलाई 2019), जिसने ₹16.81 लाख के अल्प प्रेषण को दर्शाया, क्योंकि ₹65.99 लाख²⁸ के कुल राजस्व संग्रहण में से केवल ₹49.18 लाख²⁹ ही कोषागार में प्रेषित किया गया था। तहसीलदार, कठुआ ने यह भी कहा (अक्टूबर 2019) कि राजस्व का गैर-प्रेषण उसके कार्यभार ग्रहण करने से बहुत पहले की अवधि से संबंधित था और कर्मचारी जो उस समय *नजीर*³⁰ का कार्यभार संभालता था उसका 30 नवंबर 2018 को सेवा में रहते हुए देहांत हो गया। इसके बावजूद, यह भी कहा गया कि सिस्टम में विद्यमान खामियों को दूर कर लिया गया है तथा स्वर्गवासी व्यक्ति (*नजीर*) के परिवार के सेवानिवृत्ति लाभों से राशि को वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। यह भी कहा गया (अगस्त 2019) कि भविष्य में एफसी-1 पर अदायगी पावती और एफसी-2 में ट्रेजरी चालान आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षरों के अधीन जारी/ प्रस्तुत किए जाएंगे। उपायुक्त, कठुआ ने

²⁷ आय प्रमाण-पत्रों, उत्तराधिकार/ फर्द/ खसरा गिरदावरी, जमाबंदी, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रतियाँ इत्यादि को जारी करने के लिए।

²⁸ 2016-17: ₹23.34 लाख; 2017-18: ₹21.51 लाख; 2018-19: ₹21.14 लाख।

²⁹ 2016-17: ₹19.71 लाख; 2017-18: ₹17.57 लाख; 2018-19: ₹11.90 लाख।

³⁰ रोकड़िया।

कहा (अगस्त 2020) कि तहसीलदार कठुआ द्वारा दिवंगत कर्मचारी की पत्नी को स्वीकार्य मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान से ₹9.41 लाख वसूली की गई और शेष राशि की वसूली ₹10,000 प्रति माह की दर से परिवार पेन्शन से की जाएगी।

जवाब का अवलोकन इस तथ्य से किया जा सकता है कि तहसीलदार, कठुआ सरकारी राजस्वों को संभालने संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करने में विफल रहा तथा लेखापरीक्षा को भी गलत सूचना (जुलाई 2018) उपलब्ध कराई जिसने ₹16.81 लाख की राजस्व प्राप्तियों का दुर्विनियोजन सुकर बनाया।

यह मामला अप्रैल 2020 में सरकार/ विभाग को भेजा गया, उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

विभाग एक प्रणाली विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित कर सकता है कि सरकारी प्राप्तियों को लेखाबद्ध कर लिया गया है और निधियों के दुर्विनियोजन को रोकने के लिए अविलंब रूप से जमा करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यपगमन हेतु कारणों की जांच की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

भाग III
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय V
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की
कार्यपद्धति

अध्याय V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

5.1 प्रस्तावना

5.1.1 सामान्य

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के संचालन के लिए स्थापित किए जाते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन पीएसयू में राज्य सरकार की कंपनियाँ और सांविधिक निगम शामिल हैं। 31 मार्च 2019 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के तहत तीन सांविधिक निगमों¹ सहित 42² सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (विद्युत क्षेत्र में छह और गैर-विद्युत क्षेत्र में 36) थे। इन 42 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, 33 सक्रिय और नौ³ निष्क्रिय थे (विद्युत क्षेत्र में चार और गैर-विद्युत क्षेत्र में पाँच)। कुल प्रदत्त इक्विटी ₹55.70 करोड़ वाली एक पीएसयू अर्थात् जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड जुलाई 1998 से स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है। बैंक की यह ₹55.70 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी अंशतः राज्य सरकार द्वारा (59.23 प्रतिशत) तथा शेष भाग को विदेशी संस्थागत निवेशकों, निवासी व्यक्तियों और अन्य (40.77 प्रतिशत)⁴ द्वारा अधिकार में रखी गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान छह पीएसयू निगमित हुए तथा कोई भी पीएसयू बंद नहीं किया गया था।

जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) और चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपी) दो विद्युत उत्पादन कंपनियाँ हैं। चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपी) जो कि एक

¹ जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन तथा जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन।

² अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान छह नए पीसीयू सम्मिलित हैं: जम्मू एण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन, एआईसी-जम्मू एण्ड कश्मीर ईडीआई फाउंडेशन, जम्मू एण्ड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड।

³ जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जम्मू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैण्डलूम हैण्डिक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की एक सहायक), तवी स्कूटर्स लिमिटेड, हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड।

⁴ इंडियन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियाँ, अप्रवासी भारतीय और कॉर्पोरेट निकाय।

संयुक्त उद्यम⁵ कंपनी है, जिसके पास मार्च 2019 तक ₹1,439.18 करोड़⁶ का निवेश है।

विद्युत क्षेत्र के असमूहन के एक भाग के रूप में, राज्य सरकार की ओर से व्यापारिक गतिविधियों के निष्पादन हेतु एक विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी⁷, दो विद्युत वितरण कंपनियों⁸ और एक कंपनी⁹ विशेष रूप से विद्युत में व्यापारिक गतिविधियों के संचालन हेतु निगमित की गई। हालांकि, कंपनियों को मार्च 2013 और जून 2013 के बीच निगमित किया गया है, फिर भी मार्च 2019 तक इन कंपनियों ने अपनी परिचालन गतिविधियों को शुरू नहीं किया है। इन कंपनियों के वाणिज्यिक परिचालन के अभाव में, विद्युत पारेषण और वितरण गतिविधियों को जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विद्युत विकास विभाग द्वारा किया जाना जारी है।

33 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने, अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 30 सितंबर 2019 तक ₹9,784.90 करोड़ का वार्षिक कारोबार पंजीकृत किया और ₹448.02 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया। यह कारोबार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 6.33 प्रतिशत के बराबर था जो वर्ष 2018-19 के लिए राज्य हेतु ₹1,54,441 करोड़ (वर्तमान मूल्यों पर) था।

राज्य सरकार द्वारा शेयर पूँजी (₹55.77 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹0.83 करोड़) के प्रति ₹56.60 करोड़ के निवेश सहित नौ निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रम हैं जो पिछले पाँच से 29 वर्षों से परिचालित नहीं हैं।

5.1.2 जवाबदेही रूपरेखा

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2 (45) परिभाषित करती है कि एक सरकारी कंपनी से आशय एक किसी ऐसी कंपनी से है जिसमें केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा और वह कंपनी जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है, द्वारा अधिकार में रखी गयी प्रदत्त शेयर पूँजी का हिस्सा 51 प्रतिशत से कम न हो। सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गई हैं।

⁵ सीवीपीपीपी जेकेएसपीडीसी का एक संयुक्त उद्यम है, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) और पॉवर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (पीटीसी) जिनमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है।

⁶ जेकेएसपीडीसी: ₹687.55 करोड़, एनएचपीसी: ₹747.55 करोड़ और पीटीसी: ₹4.08 करोड़।

⁷ जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (मार्च 2013)।

⁸ जम्मू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (जून 2013) और कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (जून 2013)।

⁹ जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (मार्च 2013)।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के तहत एक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के अंदर सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सीएजी द्वारा की जानी चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में यह प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 60 दिनों के अंदर सीएजी द्वारा पहला लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाएगा और यदि सीएजी उक्त अवधि के अंदर इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है, तो कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों के द्वारा ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जानी है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के तहत कवर की गई किसी भी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक समझा जाए, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा की जा सकती है और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान इस प्रकार की नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कंपनी या किसी अन्य कंपनी का स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, केंद्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तो ये सभी सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन हैं। हालांकि, 31 मार्च 2014 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी।

5.1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में यथा परिभाषित) के वित्तीय विवरण सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते हैं, जिन्हें अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाता है। सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत अन्य कार्यों के अलावा कंपनी के वित्तीय विवरणों सहित सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के संबंध में, लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा और पूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा संचालित की जाती है।

5.1.4 सरकार और विधानमंडल की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन और उपयोग की भी निगरानी करते हैं। इसके लिए, सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और सीएजी की टिप्पणियों के साथ-साथ राज्य सरकार की कंपनियों और सांविधिक निगमों के मामले में सीएजी के अलग-अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष अधिनियम 2013 की धारा 394 या जैसे कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित है, के तहत रखा जाएगा। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

5.1.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के योगदान का प्रभाव

जम्मू और कश्मीर सरकार (जीओजेके) के द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश की उचित दर का निर्धारण करने के लिए, अर्थात् इक्विटी पर रिटर्न, नियोजित पूँजी पर रिटर्न और सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण कारोबार का अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात आदि पर टिप्पणी करके कंपनियों की वित्तीय क्षमता का निर्धारण करने के लिए, अर्थात् राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए इन सार्वजनिक उपक्रमों के प्रभाव और योगदान के विषय में निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए, विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (छह¹⁰) और विद्युत क्षेत्र के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (36¹¹) को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

¹⁰ दो कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपी) और चार निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: (1) जम्मू एण्ड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (3) जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और (4) कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड।

¹¹ 33 सरकारी कंपनियाँ और तीन सांविधिक निगम (जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन)।

तालिका 5.1 वर्ष 2014 से 2019 के दौरान पीएसयू और राज्य के जीएसडीपी के कारोबार के विवरण उपलब्ध कराती है।

तालिका 5.1:

जम्मू-कश्मीर के जीएसडीपी के प्रति राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कारोबार के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों ¹² का कारोबार | 1,220.62 | 1,119.90 | 1,119.90 | 992.46 | 992.46 |
| अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार गैर-विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का कारोबार | 7,449.34 | 7,296.59 | 7,238.03 | 7,579.22 | 8792.44 |
| मौजूदा कीमतों पर जम्मू और कश्मीर की जीएसडीपी | 98,370 | 1,17,187 | 1,26,847 | 1,40,887 | 1,54,441 |
| जम्मू-कश्मीर की जीएसडीपी के प्रति, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का कारोबार (प्रतिशत में) | 1.24 | 0.96 | 0.88 | 0.70 | 0.64 |
| जम्मू-कश्मीर की जीएसडीपी के प्रति, गैर-विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का कारोबार (प्रतिशत में) | 7.57 | 6.23 | 5.71 | 5.38 | 5.69 |

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचना के अनुसार और जम्मू व कश्मीर सरकार, के वित्त विभाग द्वारा दी गई जीएसडीपी के कारोबार के आंकड़ों के आधार पर संकलित)

5.1.6 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विद्युत के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा पीएसयू क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए सभी क्षेत्रों में, किसी भी प्रकार का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण नहीं किया गया।

5.1.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2019 तक, इन 42 राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में, इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण के रूप में किए गए निवेश का सारांश तालिका 5.2 में दिया गया है:

तालिका 5.2: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

(₹ करोड़ में)

| क्षेत्र | पीएसयू की संख्या | निवेश | | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|----------|---------------|----------|---------|----------|
| | | इक्विटी | | दीर्घकालिक ऋण | | कुल | |
| | | जीओजेके | अन्य | जीओजेके | अन्य | जीओजेके | अन्य |
| विद्युत क्षेत्र में पीएसयू | 6* | 5.20 | 1,439.18 | 0 | 1,627.12 | 5.20 | 3,066.30 |

¹² कारोबार केवल जेकेएसपीडीसी से संबंधित है क्योंकि विद्युत क्षेत्र के छह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामतः (1) जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (3) जम्मू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (4) कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड निष्क्रिय है और सीवीपीपीपी में, जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है।

| क्षेत्र | पीएसयू की संख्या | निवेश | | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | इक्विटी | | दीर्घकालिक ऋण | | कुल | |
| | | जीओजेके | अन्य | जीओजेके | अन्य | जीओजेके | अन्य |
| विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य पीएसयू ^ | | | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र में पीएसयू | 17 | 183.16 | 35.56 | 1,164.21 | 121.03 | 1,347.37 | 156.59 |
| प्रतिस्पर्धी वातावरण में पीएसयू | 11 | 519.56 | 83.04 | 978.55 | 2,683.37 | 1,498.11 | 2,766.41 |
| अन्य | 8 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.82 | 0.00 |
| कुल (विद्युत क्षेत्र के अलावा) | 36 | 759.54 | 118.60 | 2,142.76 | 2,804.40 | 2,902.30 | 2,923.00 |
| कुल योग | 42 | 764.74 | 1,557.78 | 2,142.76 | 4,431.52 | 2,907.50 | 5,989.30 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

* छह विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में से, सिर्फ दो (जेकेएसपीडीसी और सीवीपीपीपी) सक्रिय हैं। जीओजेके ने सीवीपीपीपी में कोई निवेश नहीं किया है।

^ इसका विवरण परिशिष्ट 5.1.1 में दिया है।

31 मार्च 2019 तक, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इक्विटी के ₹14,44.38 करोड़ के कुल निवेश में से, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा केवल ₹5.20 करोड़ (0.36 प्रतिशत) का योगदान किया गया था। जेकेएसपीडीसी द्वारा ₹1,627.12 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे।

राज्य सरकार ने, 2013-14 तक के अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए जेकेएसपीडीसी को ₹5,753.83 करोड़ योजना निधि के रूप में दिए जैसा कि तालिका 5.3 में दिया गया है:

तालिका 5.3: जेकेएसपीडीसी में योजना निधियों की स्थिति

| वर्ष | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| अवधि जहां तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया | 2010-11 | 2010-11 | 2011-12 | 2011-12 | 2013-14 | 2013-14 |
| निवेशित योजना निधि (₹ करोड़ में) | 3,857.15 | 3,857.15 | 5,346.91 | 5,346.91 | 5,753.83 | 5,753.83 |

विभाग के अभिलेखों के अनुसार, जेकेएसपीडीसी के प्रति मार्च 2018 तक ₹5,318.61 करोड़ की राशि बकाया थी। राज्य सरकार ने जेकेएसपीडीसी को (दिसंबर 2018 में) कंपनी से विद्युत खरीद के कारण राज्य सरकार की देयता के प्रति ₹3,668.81 करोड़¹³ समायोजित करने और राज्य सरकार को

¹³ मार्च 2018 तक जेकेएसपीडीसी के प्रति पीडीडी की कुल विद्युत खरीद देयता ₹3,668.81 करोड़ थी जिसे मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा जेकेएसपीडीसी को प्रदान की गई ₹5,318.61 करोड़ की राशि की निधियों के प्रति समायोजित किया गया था।

₹2,588.34 करोड़¹⁴ के मूल्य के इक्विटी शेयर जारी करने का निर्देश दिया। कंपनी ने सरकार के आदेशों के अनुपालन में, ₹2,588.34 करोड़ के मूल्य के शेयर जारी (अगस्त 2019) किए।

पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त निधियों के प्रति, राज्य सरकार के बकाया विद्युत बिल का समायोजन अनियमित था, क्योंकि सरकार ने निधियों को पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्रदान किया था। इसके अलावा, कंपनी के लेखे भी निधियों को पूँजीगत रिजर्वों के रूप में दिखा रहे थे।

31 मार्च 2019 तक, विद्युत क्षेत्र के अलावा इन 36 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹5,812.11 करोड़ था। इक्विटी के लिए, 14.88 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋणों में 85.12 प्रतिशत का निवेश निहित था। कुल दीर्घकालिक ऋणों (₹4,947.16 करोड़) में, 43.31 प्रतिशत (₹2,142.76 करोड़) राज्य सरकार द्वारा निहित किया गया जबकि कुल दीर्घकालिक ऋणों का 56.69 प्रतिशत (₹2,804.40 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था।

5.1.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

(ए) विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार, वार्षिक बजट के माध्यम से, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को विभिन्न रूपों में जैसे कि इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सहायिकी, माफ किए गए ऋण और वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋण के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

जेकेएसपीडीसी को अनुदान के रूप में ₹135 करोड़ एवं ₹5.74 करोड़ की बजटीय सहायता क्रमशः वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान प्राप्त हुई थी। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार से कोई भी बजटीय सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

जम्मू और कश्मीर सरकार, पीएसयू को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता लेने के लिए गारंटी प्रदान करती है। राज्य सरकार ने राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी की सीमा और गारंटी कमीशन/ शुल्क को निर्धारित करने के लिए गारंटी अधिनियम नहीं बनाया है। हालांकि, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006 उस सीमा को निर्धारित करता है, जिसके अंदर राज्य सरकार, राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर गारंटी दे सकती है। जम्मू और

¹⁴ जेकेएसपीडीसी के पास उपलब्ध शेष (₹1,649.80 करोड़), वर्ष 1999 में ₹ एक के टोकन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा जेकेएसपीडीसी (₹916.54 करोड़) को हस्तांतरित परिसंपत्तियाँ और 44 एमडब्ल्यू स्तकना एचईपी (₹22 करोड़) वर्ष 2011 में पीडीडी द्वारा जेकेएसपीडीसी को हस्तांतरित, दोनों को इक्विटी अंशदान के रूप में माना गया।

कश्मीर सरकार ने राज्य सरकार की ओर से जारी गारंटी से मिलने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिए गारंटी रिडेम्पशन फण्ड का भी गठन (अगस्त 2006 में) किया। वर्ष 2016-17 में, ₹2,299.40 करोड़ से वर्ष 2018-19 में, ₹1687.12 करोड़ बकाया गारंटी प्रतिबद्धताओं¹⁵ में 26.63 प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान, विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा कोई गारंटी शुल्क नहीं दिया गया था।

(बी) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता (विद्युत क्षेत्र के अलावा)

मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण, अनुदान/सहायिकी, माफ किए गए ऋणों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के संबंध में इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के प्रति बजटीय व्यय के संक्षिप्त ब्यौरे इस प्रकार हैं:

तालिका 5.4: वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के लिए बजटीय सहायता के संबंध में ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण ¹⁶ | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | पीएसयू की संख्या | राशि | पीएसयू की संख्या | राशि | पीएसयू की संख्या | राशि |
| 1. | इक्विटी पूँजी आउटगो | 3 | 9.56 ¹⁷ | 4 | 23.20 ¹⁸ | 13 | 40.42 ¹⁹ |
| 2. | दिए गए ऋण | 8 | 54.77 | 8 | 50.82 | 9 | 56.18 |
| 3. | अनुदान/ सब्सिडी प्रदान किए गए | 9 | 133.30 | 7 | 126.85 | 7 | 43.17 |
| | कुल आउटगो (1+2+3)* | 13 | 197.63 | 12 | 200.87 | 22 | 139.77 |
| 4. | माफ किए गए पुनर्भुगतान ऋण | - | - | - | - | - | - |
| 5. | इक्विटी में परिवर्तित ऋण | - | - | 1 | 72.88 | - | - |
| 6. | जारी की गई गारंटियाँ | 1 | 2.00 | 1 | 8.00 | 1 | 20.00 |
| 7. | बकाया गारंटी प्रतिबद्धता | 3 | 60.60 | 2 | 98.28 | 2 | 134.97 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

*पीएसयू की संख्या उन पीएसयू का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने एक या एक से अधिक शीर्ष अर्थात् इक्विटी, ऋण और अनुदान/सहायिकी के अंतर्गत बजट से आउटगो प्राप्त किया है।

¹⁵ 2016-17: ₹2,299.40 करोड़, 2017-18: ₹2,045.88 करोड़, 2018-19: ₹1,687.12 करोड़।

¹⁶ राशि केवल राज्य बजट आउटगो को वर्णित करती है।

¹⁷ राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड में ₹250 करोड़ का निवेश किया जिसके प्रति वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने 3,65,55,051 शेयर (₹1 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के संबंध में ₹67.39 प्रति शेयर के प्रीमियम पर) जारी किए। शेयर पूँजी में की गई वृद्धि को इसके अनुसार परिलक्षित किया गया है।

¹⁸ राज्य सरकार ने, जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड में ₹282 करोड़ का निवेश किया जिसके लिए वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 3.55 करोड़ शेयर (₹1 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के संबंध में ₹78 प्रति शेयर के प्रीमियम पर) जारी किए। शेयर पूँजी में की गई वृद्धि को इसके अनुसार परिलक्षित किया गया है।

¹⁹ वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान निगमित किए गए नौ नए पीएसयू से संबंधित ₹6.57 करोड़ शामिल हैं।

विद्युत क्षेत्र के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान वार्षिक बजटीय सहायता ₹139.77 करोड़ और ₹197.63 करोड़ के बीच रही थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, दिए गए ₹139.77 करोड़ की बजटीय सहायता में, ₹56.18 करोड़ ऋण के रूप में, ₹43.17 करोड़ अनुदान/सब्सिडी के रूप में और ₹40.42 करोड़ इक्विटी सहायता के रूप में हैं। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी/ अनुदान मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और औद्योगिक संपदा के उन्नयन के लिए प्रदान की गई थी, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम को अपने वेतन खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किए गए अनुदान भी शामिल थे।

बकाया गारंटी प्रतिबद्धता जो वर्ष 2016-17 में ₹60.60 करोड़ थी, वह वर्ष 2018-19 में 122.72 प्रतिशत बढ़कर ₹134.97 करोड़ हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, विद्युत क्षेत्र पीएसयू के अलावा किसी भी गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।

5.1.9 जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण और बकाया गारंटी के संबंध में दिए गए आँकड़ों का मिलान जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं में प्रदर्शित आँकड़ों के साथ होना चाहिए। यदि आँकड़ों का मिलान नहीं होता, तो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वित्त विभाग को मिलकर अंतरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2019 तक वित्त लेखाओं में दर्शाए गए और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तैयार किए गए आँकड़ों के बीच के अंतर को तालिका 5.5 में दिया गया है:

तालिका 5.5: मार्च 2019 तक पीएसयू के अभिलेखों की तुलना में, वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी और ऋण बकाया

(₹ करोड़ में)

| के संबंध में बकाया | वित्त लेखाओं के अनुसार राशि | | पीएसयू के अभिलेखों ²⁰ के अनुसार राशि | | अंतर | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | विद्युत क्षेत्र | विद्युत क्षेत्र के अलावा | विद्युत क्षेत्र | विद्युत क्षेत्र के अलावा | विद्युत क्षेत्र ²¹ | विद्युत क्षेत्र के अलावा |
| शेयर पूँजी | 7.45 | 625.74 | 5.00 | 697.40 | (-)2.45 | 71.66 |
| बकाया ऋण | 85.05 | 834.87 | 0.00 | 2,141.90 | (-)85.05 | 1,307.03 |
| गारंटी | 1687.12 | 117.13 | 1687.12 | 148.27 | शून्य | 31.14 |

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

²⁰ मार्च 2019 तक अनलेखापरीक्षित वर्तमान आँकड़े।

²¹ केवल जेकेएसपीडीसी के संबंध में ही अंतर था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत क्षेत्र के अलावा 22 राज्य पीएसयू²² में से, 17 पीएसयू के संबंध में इस प्रकार के अंतर पाए गए जैसा कि **परिशिष्ट 5.1.2** में विवरण दिया गया है। आँकड़ों के बीच अंतर पिछले कई वर्षों से जारी हैं। अंतरों के समाधान का मुद्दा भी समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभागों के साथ उठाया गया था। जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ऋण बकाया के संबंध में और जम्मू एण्ड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इक्विटी के संबंध में शेषों में बड़ा अंतर देखा गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार और संबंधित पीएसयू को समयबद्ध तरीके से लेखाओं में अंतरों का समाधान करना चाहिए।

5.1.10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

वर्ष 2018-19 के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 33 कार्यशील पीएसयू थे और इन सभी पीएसयू द्वारा 30 सितंबर 2019 तक अपने वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

तालिका 5.6: लेखाओं की स्थिति

| पीएसयू का स्वरूप | कुल संख्या | पीएसयू की संख्या जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि ²³ के दौरान प्राप्त हुए हैं | | | | 30 सितंबर 2019 तक पीएसयू की संख्या जिनके लेखे शेष हैं (शेष में कुल लेखे) |
|---------------------------------------|------------|--|-----------------|-----------------|----------|--|
| | | 2018-19 तक लेखे | 2017-18 तक लेखे | 2016-17 तक लेखे | कुल | |
| कार्यरत सरकारी कंपनियाँ ²⁴ | 30 | 3 | 1 | - | 4 | 17 ²⁵ (156) |
| सांविधिक निगम | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 ²⁶ (6) |
| कुल कार्यरत पीएसयू | 33 | 3 | 2 | - | 5 | 19 (162) |
| निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ | 9 | - | - | - | - | 3 ²⁷ (75) |
| कुल | 42 | 3 | 2 | - | 5 | 22 (237) |

(स्रोत: कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचना)

²² पांच निष्क्रिय पीएसयू के संबंध में आँकड़े अर्थात् (1) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2) जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (3) तवी स्कूटर्स लिमिटेड, (4) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (5) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मैटेरियल सप्लाइज आर्गेनाइजेशन लिमिटेड के संबंध में और नौ नई निगमित पीएसयू के डेटा पर विचार नहीं किया गया है।

²³ अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 तक।

²⁴ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और 139 (7) में संदर्भित अन्य कंपनियाँ शामिल हैं।

²⁵ जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मार्च 2014 में निगमित) और नौ नए निगमित पीएसयू (वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान निगमित) पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन्होंने स्थापना के बाद से अपने लेखाओं को कभी प्रस्तुत नहीं किया।

²⁶ जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के संबंध में लेखाओं के बकायों पर विचार नहीं किया गया क्योंकि कंपनी ने अपनी स्थापना (जुलाई 1979) के समय से कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया।

²⁷ छह कंपनियों से संबंधित बकाया लेखे नामतः (1) जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (3) जम्मू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (4) कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (5) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (6) जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के संबंध में लेखाओं के बकायों पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन कंपनियों ने स्थापना के बाद से अपने लेखाओं को कभी प्रस्तुत नहीं किया है।

33 पीएसयू में से, तीन सरकारी कंपनियों²⁸ ने वर्ष 2018-19 के लिए अपने लेखे 30 सितंबर 2019 या उससे पहले सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए और 19 सरकारी कंपनियों के लेखे शेष थे। शेष 11 पीएसयू ने लेखापरीक्षा सौंपने/ स्थापना के समय से ही अपने लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया। जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जम्मू एण्ड कश्मीर मेडीकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने क्रमशः वर्ष 1996-97 और 2013-14 से प्रथम लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रशासनिक विभागों के पास इन उपक्रमों की गतिविधियों की देखरेख करने और यह भी सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि इन पीएसयू द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है और अपनाया गया है। शेष लेखाओं को अंतिम रूप देने के ब्यौरे **परिशिष्ट 5.1.3 (ए)** में दिए गये हैं:

जम्मू और कश्मीर सरकार ने 19 कार्यशील राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, 10 के लिए ₹366.83 करोड़ (ऋण: ₹359.63 करोड़, सब्सिडी: ₹7.20 करोड़) प्रदान किए थे; जिनके लेखाओं को 30 सितंबर 2019 तक भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था शेष 09 पीएसयू जिनके वार्षिक लेखे बकाया थे, इस अवधि के दौरान राज्य सरकार ने इनमें कोई भी निवेश नहीं किया था।

सितंबर 2019 तक जिन लेखाओं में बकाया था, उन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश के पीएसयू-वार ब्यौरे **परिशिष्ट 5.1.3 (बी)** में दिए गए हैं।

लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण न केवल संबंधित संविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, अपितु धोखाधड़ी और सार्वजनिक निधि के लीकेज का जोखिम भी होता है।

यह विशेष रूप से जम्मू एण्ड कश्मीर मेडीकल सप्लाइज लिमिटेड जैसे पीएसयू के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिसे दवाईयों और उपकरण की अधिप्राप्ति एवं वितरण के लिए सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा प्रदाताओं को सहायता उपलब्ध कराने हेतु निगमित किया गया था। आरंभ से ही लेखाओं का अप्रस्तुतीकरण विशेषकर कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की सहायता करने वाली कंपनी के निष्पादन के आंकलन को स्वयं ही प्रस्तुत नहीं करता है।

शेष लेखाओं के बकायों की स्थिति के मद्देनजर, वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के जीडीपी में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका और राज्य के खजाने में उनके योगदान के विषय में राज्य विधानमंडल को भी नहीं बताया जा सका।

²⁸ सीवीपीपीपी, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड और जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड।

यह अनुशांसा की जाती है कि वित्त और संबन्धित प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करें कि:

- सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को समय पर तैयार करने में बाधाओं का पता लगा सकती है और लेखाओं को अद्यतित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।
- राज्य पीएसयू लेखाओं में बकायों के परिसमापन के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें और
- ऐसे पीएसयू जिनके लेखे अद्यतित नहीं हैं, उन्हें बजटीय सहायता प्रदान न की जाये।

सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का स्थापन

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा पर सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। ये प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं। तीन कार्यशील सांविधिक निगमों में से, किसी भी निगम ने, 2018-19 के लेखे 30 सितंबर 2019 तक अग्रेषित नहीं किए हैं।

सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं की स्थिति और विधानमंडल में उनके एसएआर के स्थापन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 5.7: सांविधिक निगमों के एसएआर के स्थापन की स्थिति

| निगम का नाम | लेखाओं का वर्ष | एसएआर का स्थापन माह |
|---|----------------|--|
| जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन | 2017-18 | अभी भी प्रस्तुत किए जाने हैं |
| जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन | 2013-14 | फरवरी 2018 |
| जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फोरेस्ट कॉरपोरेशन | - | स्थापना से ही निगम द्वारा अपने लेखे जमा नहीं किए गए (1996-97 के लेखाओं से) |

(स्रोत: जम्मू और कश्मीर विधानसभा द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर संकलित)

5.1.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

(ए) विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार द्वारा उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल प्राप्त करना अपेक्षित है। 30 सितंबर 2019 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, छह विद्युत क्षेत्र कंपनियों की वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम के ब्यौरे **परिशिष्ट 5.1.4** में दिए गए हैं।

विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में निवेश की राशि ₹3,270.87 करोड़²⁹ थी जिसमें इक्विटी के रूप में ₹1,444.38 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण के रूप में ₹1,826.49 करोड़ थे। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर सरकार ने केवल पाँच³⁰ विद्युत क्षेत्र पीएसयू में ₹5.20 करोड़ की इक्विटी शेयर पूँजी का निवेश किया है। तथापि, इन पाँच पीएसयू में से, विद्युत क्षेत्र की एकमात्र सक्रिय पीएसयू, जेकेएसपीडीसी ही लाभ अर्जित कर रही थी और वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, अंतिम रूप दिए गए चार लेखाओं³¹ के संबंध में इसका लाभांश ₹433.41 करोड़ और ₹668.95 करोड़ के बीच रहा था।

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

30 सितंबर, 2019 तक अपने अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार 36 राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणामों के ब्यौरे *परिशिष्ट 5.1.5* में दिए गए हैं।

राज्य सरकार और अन्य का इन गैर-विद्युत पीएसयू में कुल निवेश ₹5,456.27 करोड़ था जिसमें ₹690.22 करोड़ की इक्विटी तथा ₹4,766.05 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल थे। ₹5,456.27 करोड़ के निवेश में से, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने 35 पीएसयू³² में ₹2,545.31 करोड़ निवेश किया है जिसमें ₹595.62 करोड़ की इक्विटी तथा ₹1,949.69 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित हैं।

2014-15 से 2018-19 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के निवेश की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार है:


²⁹ अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार, यह सूचना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी गई सूचना से भिन्न हो सकती है।

³⁰ चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर, जिसे जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से कोई योगदान नहीं मिला।

³¹ 2010-11: ₹ 460.45 करोड़; 2011-12: ₹668.95 करोड़; 2012-13: ₹489.51 करोड़; 2013-14: ₹433.41 करोड़।

³² जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को छोड़कर, जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया था।

चार्ट 5.1: पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार का कुल निवेश



(स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार)

विद्युत क्षेत्रों के अलावा कुल 36 पीएसयू में से, वर्ष 2018-19 के दौरान अंतिम रूप दिए गए उनके नवीनतम लेखाओं के अनुसार नौ³³ लाभ वाले तथा दस³⁴ हानि वाले हैं। एक पीएसयू³⁵ ने अपने लाभ एवं हानि लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया है, वर्ष 2018-19 के दौरान शेष 16 पीएसयू या तो कार्यरत नहीं थे या अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए उनके वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया था।

अतः यह सिफ़ारिश की जाती है कि चूंकि हानि वाले पीएसयू का निरंतर विद्यमान रहना, राजकोष पर भारी दबाव का कारण बनता है, अतः राज्य सरकार सभी हानि वाले पीएसयू की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सकती है।

³³ जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट विमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट ट्यूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड।

³⁴ जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स एण्ड अदर बैंकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर हैण्डिक्राफ्ट (सेल्स एण्ड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एण्ड जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन।

³⁵ जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैण्डलूम हैण्डिक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की एक सहायक)।

5.1.12 मुख्य मापदंड

एक कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में निवेशित धन राशि के संबंध में एक निश्चित वर्ष में किए गए लाभ या हानि को मापता है और कुल निवेश के लिए लाभ के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई)³⁶ एक वित्तीय अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना पूँजी द्वारा नियोजित ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)³⁷ शेयरधारक की निधि द्वारा कर दिए जाने के पश्चात् शुद्ध लाभ को विभाजित करके की गई गणना द्वारा निष्पादन का परिमाण है।

पीएसयू के निष्पादन का आंकलन करने हेतु उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्रयुक्त मूल वित्तीय अनुपातों को नीचे तालिका 5.8 (ए), (बी1) और (बी2) में दिया गया है:

(ए) विद्युत क्षेत्र के पीएसयू

तालिका 5.8 (ए): विद्युत क्षेत्र के पीएसयू के मूल मापदण्ड³⁸

(प्रतिशत में)

| | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| आरओसीई | 6.72 | 10.57 | 10.57 | 5.85 | 5.85 |
| आरओआई | 4.84 | 7.54 | 7.54 | 2.78 | 2.78 |
| आरओई | 4.59 | 8.34 | 8.34 | 2.87 | 2.87 |

(स्रोत: निवेश ऐतिहासिक लागत पर आधारित)

आरओसीई 5.85 प्रतिशत और 10.57 प्रतिशत के बीच, आरओआई 2.78 प्रतिशत तथा 7.54 प्रतिशत के बीच और आरओई 2.87 प्रतिशत तथा 8.34 प्रतिशत के बीच रही। ये मापदण्ड जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा निवेश की गई (जैसा कि तालिका 5.3 में दर्शाया गया है) योजना निधि पर विचार करते हुए निर्धारित किए गए हैं।

³⁶ आरओसीई = ब्याज और कर से पहले आय/ नियोजित पूँजी, नियोजित पूँजी= प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण-संचित हानियाँ-आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिनके लिए पीएसयू के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

³⁷ आरओई= कर के पश्चात् लाभ/ शेयरधारक निधि, शेयरधारक निधि = प्रदत्त पूँजी + मुक्त भंडार और अधिशेष -आस्थगित राजस्व व्यय - संचित हानियाँ।

³⁸ केवल एक विद्युत पीएसयू अर्थात् जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन में जेएण्डके सरकार द्वारा निवेश किया गया तथा 30 सितंबर 2019 को इसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया।

(बी-1) विद्युत क्षेत्र के अलावा सूचीबद्ध पीएसयू

जम्मू एवं कश्मीर सरकार का केवल एक पीएसयू अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज पर जुलाई 1998 से सूचीबद्ध है।

तालिका 5.8 (बी1): विद्युत क्षेत्र के अलावा सूचीबद्ध पीएसयू के मूल मापदंड

(प्रतिशत में)

| | | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड | आरओसीई | 16.23 | 12.87 | -36.75 | 11.55 | 17.93 |
| | आरओआई ³⁹ | 760.40 | 533.08 | 532.82 | 408.06 | 360.22 |
| | आरओई | 13.00 | 10.10 | -65.00 | 7.65 | 15.46 |

वर्ष 2014-15 से 2018-19 (वर्ष 2016-17 को छोड़कर) के दौरान आरओसीई और आरओई उच्च स्तर पर थे जो मुख्यतः जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड, जो कि सरकारी व्यवसाय के अनुसार एकाधिकारिक/ सुरक्षित वातावरण के अंतर्गत कार्यशील है, द्वारा अर्जित कर के उपरांत उच्च लाभ के कारण था। आरओआई ने वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान घटते हुए रुझान को दर्शाया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर भी 6.38 प्रतिशत से 1.22 प्रतिशत तक घट गई जैसा कि *परिशिष्ट 5.1.3 (सी)* में वर्णन दिया गया है।

(बी-2) विद्युत के अलावा गैर-सूचीबद्ध पीएसयू

तालिका 5.8 (बी2): विद्युत क्षेत्र के अलावा गैर-सूचीबद्ध पीएसयू के मूल मापदंड
(ऐतिहासिक लागत पर)

(प्रतिशत में)

| विवरण | मापदण्ड | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| गैर-विद्युत पीएसयू के लिए | आरओसीई | -37.09 | -28.44 | -22.91 | -9.94 | -22.17 |
| | आरओआई ⁴⁰ | -29.76 | -29.67 | -34.09 | -32.32 | -29.39 |
| सकल क्षेत्र | आरओई ⁴¹ | - | - | - | - | - |

³⁹ आरओआई=(वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक कंपनी के बाजार पूँजीकरण के सरकारी शेयर+वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक सरकार की लाभांश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य+वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक सरकार की विनिवेश प्राप्तियों का सरकारी मूल्य)-(आरंभ में सरकार की प्रदत्त इक्विटी+आरंभ में सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी का घटाया गया मूल्य+आरंभ में संचालन तथा प्रशासनिक व्यय प्राप्त करने हेतु निवेश की गई सहायिकी/ अनुदानों का घटाया गया मूल्य)/(आरंभ में सरकार की प्रदत्त इक्विटी+ आरंभ से सरकार द्वारा निवेशित घटायी गयी इक्विटी का मूल्य +आरंभ में संचालन तथा प्रशासनिक व्यय प्राप्त करने हेतु निवेश की गई सहायिकी/ अनुदानों का घटाया गया मूल्य)/ वार्षिक अवधि में हस्तक्षेप की संख्या।

⁴⁰ कुल आरओआई की गणना करते समय, जीओजेएण्डके के अतिरिक्त निवेश की गई इक्विटी को भी लिया है।

⁴¹ गैर-विद्युत क्षेत्र के पीएसयू तथा हानि वाले गैर- विद्युत क्षेत्र के पीएसयू की आरओई को नहीं निकाला जा सका क्योंकि पूरे वर्षों के दौरान शेयरधारक की कुल निधि नकारात्मक रही थी।

| विवरण | मापदण्ड | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| लाभ पीएसयू वाले | आरओसीई* | 16.27 | 7.68 | 9.05 | 8.83 | 11.02 |
| | आरओआई [^] | 11.03 | 6.85 | 7.52 | 24.35 | 23.37 |
| | आरओई | 147.92 | 15.46 | 13.95 | 12.02 | 13.17 |
| हानि पीएसयू वाले | आरओसीई* | -23.90 | -28.51 | -34.24 | -35.01 | -47.89 |
| | आरओआई [^] | -55.86 | -63.10 | -70.44 | -55.45 | -46.93 |
| | आरओई | - | - | - | - | - |

* केवल सकारात्मक पूँजी नियोजन वाली कंपनियों पर विचार किया गया।

[^] उन कंपनियों⁴² को छोड़कर जिन्होंने लाभ और हानि लेखाओं को तैयार नहीं किया।

विद्युत क्षेत्र के अलावा गैर-सूचीबद्ध हेतु आरओई की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि सभी वर्षों के लिए समग्र शेयरधारकों की निधि नकारात्मक रही।

तालिका 5.8 (बी1) और (बी2) में आरओसीई की गणना निवेश के अंकित मूल्य पर की गई है। चूँकि विद्युत क्षेत्र के अलावा गैर-सूचीबद्ध पीएसयू से संबंधित कोई शेयर प्रीमियम नहीं है, शेयर प्रीमियम सहित आरओसीई परिवर्तित नहीं होगा। तथापि, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड से संबंधित निवेश के वसूले गए मूल्य⁴³ पर आरओसीई की गणना निम्नानुसार है:

तालिका 5.9:

शेयर प्रीमियम पर विचार करते हुए विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू (सूचीबद्ध) के लिए आरओसीई

(प्रतिशत में)

| वर्ष | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड | 16.01 | 12.69 | -33.78 | 10.12 | 16.17 |

जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के शेयर प्रीमियम लेखा पर विचार करने के पश्चात् वर्ष 2014-15 और 2018-19 के दौरान आरओसीई -33.78 प्रतिशत से 16.17 प्रतिशत के बीच रही।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, सकारात्मक पूँजी नियोजन वाले (परिशिष्ट 5.1.6 में दिए गए विवरणानुसार) केवल नौ पीएसयू को अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कर देने से पूर्व लाभ हुआ था। इनमें से, केवल जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को सिर्फ वर्ष 2014-15 के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखा में तथा जम्मू एण्ड कश्मीर

⁴² वर्ष 2014-15 से 2017-18 के वर्षों के लिए, पाँच कंपनियाँ नामतः जम्मू एण्ड कश्मीर ओवरसीज इम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डवलपमेंट कॉरपोरेशन और जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा वर्ष 2018-19 हेतु अतिरिक्त नौ नई निगमित कंपनियाँ।

⁴³ शेयर प्रीमियम सहित निवेश।

स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वर्ष 2018-19 के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखा में ही लाभ हुआ था जबकि जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड को वर्ष 2016-17 के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखा में हानि हुई।

5.1.13 सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की उपयुक्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसी गणना पैसे के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। इसलिए, ऐतिहासिक लागत के आधार पर, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा निवेश की गई निधि पर प्रतिफल की गणना के अतिरिक्त, निवेश पर प्रतिफल की गणना धन के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर विचार करने के बाद भी की गई है। राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना वहाँ की गई थी जहाँ सरकार द्वारा इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण, इक्विटी में परिवर्तित ऋण के रूप में निवेश किया गया था। ऑपरेशनल और प्रबंध खर्च सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान/ सहायिकी पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2019 तक ऑपरेशनल और प्रबंध खर्चों और अन्य उद्देश्य हेतु द्विभाजन उपलब्ध नहीं था।

इन उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना निम्नलिखित धारणाओं पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/ सहायिकी को राज्य सरकार द्वारा निधि निवेशन माना गया है। हालांकि, पीएसयू द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना ब्याज मुक्त ऋणों की कम शेष राशि पर अवधि के दौरान की गई थी।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए, सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए छूट की दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष में निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा वहन की गई लागत को प्रस्तुत करते हैं।

(ए) विद्युत क्षेत्र के पीएसयू

विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में, राज्य सरकार ने केवल ₹5.20 करोड़ (विवरण परिशिष्ट 5.1.7 (ए) में) की इक्विटी लगाई थी। इसके अतिरिक्त, पूंजी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए, राज्य सरकार ने जेकेएसपीडीसी को ₹5,753.83 करोड़ योजना निधियों के रूप में दिया। योजना सहायता के रूप में ये योजना निधियाँ कंपनी की स्थापना (1994-95) से विभिन्न वर्षों के दौरान दी गई थी और निवेश-आँकड़ों के प्रतिफल पर पहुँचने के लिए निवेश के निर्धारण में द्विभाजित नहीं जा सकीं। इसलिए, विद्युत क्षेत्र के पीएसयू का निवल वर्तमान मूल्य नहीं आँका जा सका।

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू

35 राज्य पीएसयू⁴⁴ (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) जहां राज्य सरकार द्वारा निधि का निवेश किया गया, के संबंध में पीएसयू की लाभप्रदता का आंकलन करने के लिए निवेश के प्रति कुल आय का एक विश्लेषण किया गया था। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान, इन 35 पीएसयू में वर्ष 2016-17 को छोड़कर निवेश पर सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ था।

35 पीएसयू⁴⁵ की पीएसयू-वार स्थिति, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में निवेश किया था, को **परिशिष्ट 5.1.7 (बी)** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के लिए, सभी पीएसयू से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के निवल वर्तमान मूल्य की स्थिति को **परिशिष्ट 5.1.7 (सी)** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2018-19 के अंत में इन पीएसयू में राज्य सरकार द्वारा निवेश का शेष ₹347.29 करोड़ से बढ़कर वर्ष 1999-2000 की शुरुआत में ₹864.21 करोड़⁴⁶ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 से 2018-19 की अवधि के दौरान इक्विटी (₹412.25 करोड़) और ब्याज मुक्त ऋण (₹122.17 करोड़) के रूप में और निवेश किया। 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश किए गए पीवी की राशि ₹2,823.21 करोड़ हो गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान, ऐतिहासिक मूल्य पर आधारित राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल 31.72 प्रतिशत था, हालांकि, निवेश के वर्तमान मूल्य पर विचार करते हुए प्रतिफल की वास्तविक दर केवल 9.71 प्रतिशत थी।

5.1.14 ऐतिहासिक लागत और इस प्रकार के निवेश के वर्तमान मूल्य के अनुसार निवेश की तुलना

विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार ने अपवाद वर्ष 2016-17 सहित पाँच वर्षों में 35 पीएसयू में किए गए निवेश पर सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त किया। इन पाँच वर्षों के लिए, ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य पर निधि पर प्रतिफल

⁴⁴ जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को छोड़कर, जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया था।

⁴⁵ वर्ष 1999-2019 के दौरान, केवल 28 पीएसयू में निवेश किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 5.1.7** में दर्शाया गया है।

⁴⁶ आरंभिक शेष: (₹347.29 करोड़) + इक्विटी: (₹412.25 करोड़) + ब्याज मुक्त ऋण: (₹122.17 करोड़) - इक्विटी में प्रत्यावर्तित ब्याज मुक्त ऋण: (₹17.50 करोड़)।

की तुलना हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार नीचे तालिका 5.10 में दी गई है:

तालिका 5.10: निवेश पर प्रतिफल की तुलना

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कुल आय | जीओजेएण्डके के द्वारा निधियों का निवेश | निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल (प्रतिशत में) | वर्ष के अंत में निवेश का पीवी ⁴⁷ | निवेशों की वर्तमान लागत को ध्यान में रखकर निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में) |
|---------|----------|--|---|---|--|
| 2013-14 | 1,048.22 | 530.68 | 197.52 | 1,711.90 | 61.23 |
| 2014-15 | 378.25 | 535.51 | 70.63 | 1,848.57 | 20.46 |
| 2015-16 | 264.80 | 542.36 | 48.82 | 1,989.94 | 13.31 |
| 2017-18 | 32.62 | 681.32 | 4.79 | 2,450.70 | 1.33 |
| 2018-19 | 274.10 | 864.21 | 31.72 | 2,823.21 | 9.71 |

*जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड को वर्ष 2016-17 के दौरान हानि होने के कारण उसकी कुल आय नकारात्मक थी

वर्ष 2013-14 में ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर अर्जित प्रतिफल 197.52 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के दौरान, यह मुख्यतः तीन⁴⁸ कंपनियों के कर के पश्चात् लाभ में कमी के कारण 31.72 प्रतिशत तक घटकर कम हो गया। जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान निवेशों के वर्तमान मूल्य को देखते हुए अर्जित प्रतिफल 61.23 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 के दौरान, 1.33 प्रतिशत तक रह गया और वर्ष 2018-19 के दौरान 9.71 प्रतिशत तक बढ़ गया। वर्ष 2016-17 के दौरान, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा उठाई गई ₹1,632.29 करोड़ की हानियों के कारण प्रतिफल नकारात्मक रहे थे।

5.1.15 पीएसयू के निवल मूल्य का हास

(ए) विद्युत क्षेत्र

निवल मूल्य भुगतान की गई पूँजी और मुक्त आरक्षित निधि का कुल योग और अधिशेष में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय की कुल राशि को घटाना है। मुख्य रूप से, यह मालिकों को सत्व के मूल्य आंकलन का एक पैमाना है। एक नकारात्मक शुद्ध मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा पूरे निवेश को संचित घाटे और आस्थगित राजस्व व्यय से पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। ₹ पाँच करोड़

⁴⁷ ये आंकड़े राज्य सरकार निवेश के पीवी तथा अन्य निवेश के जोड़ पर आधारित हैं। अन्य इक्विटी पर वर्तमान मूल्य की गणना वर्ष 2013-14 से की गई है।

⁴⁸ (1) जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड पीएटी (2013-14: ₹1,182.47 करोड़; 2018-19: ₹464.88 करोड़); (2) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन पीएटी (2013-14: ₹0.01 करोड़; 2018-19: ₹ (-40.65) करोड़); और (3) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पीएटी (2013-14: ₹(-66.97) करोड़; 2018-19: ₹ (-92.90) करोड़)।

के पूँजी निवेश के प्रति, जेकेएसपीडीसी⁴⁹ का समग्र संचित घाटा ₹178.81 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹173.81 करोड़ का नकारात्मक निवल मूल्य हास हुआ था जिसका विवरण **परिशिष्ट-5.1.4** में विस्तृत रूप से और निम्नलिखित तालिका 5.11 में दिया गया है।

तालिका 5.11: वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार जेकेएसपीडीसी का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी | निःशुल्क भंडार | वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/ हानि (-) | आस्थगित राजस्व व्यय | निवल मूल्य |
|---------|-------------------------------|----------------|---|---------------------|------------|
| 2014-15 | 5.00 | 1,134.66 | -922.34 | शून्य | 217.32 |
| 2015-16 | 5.00 | शून्य | -519.06 | शून्य | -514.06 |
| 2016-17 | 5.00 | शून्य | -519.06 | शून्य | -514.06 |
| 2017-18 | 5.00 | शून्य | -178.81 | शून्य | -173.81 |
| 2018-19 | 5.00 | शून्य | -178.81 | शून्य | -173.81 |

(स्रोत: कंपनी के लेखे)

राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान जेकेएसपीडीसी में इक्विटी का निवेश नहीं किया था।

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र

20 राज्य पीएसयू⁵⁰ (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के उनके अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार पूँजी निवेश, संचित घाटे और निःशुल्क भंडार क्रमशः ₹618.01 करोड़, ₹2340.41 करोड़ और ₹2960.39 करोड़ थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹1237.99 करोड़ का निवल मूल्य रहा था जिसका विवरण **परिशिष्ट 5.1.8** में दिया गया है। निवेश और संचित घाटे के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि पूँजी निवेश के रूप में इन 20 पीएसयू में से, नौ में निवल मूल्य का क्षय पूरी तरह से हो गया था क्योंकि इन पीएसयू का पूँजीगत निवेश और संचित घाटा क्रमशः ₹243.79 करोड़ और

⁴⁹ सीवीपीपीपी को छोड़कर, जिसमें जीओजेएण्डके द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था और अन्य चार निष्क्रिय थे, हालांकि इन कंपनियों में जीओजेएण्डके द्वारा ₹0.20 करोड़ का निवेश किया गया था।

⁵⁰ पांच निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर अर्थात् (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (3) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट राँ मैटेरियल सप्लाइज आर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) (4) जम्मू एण्ड कश्मीर रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (5) जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड और दो नामित कार्यरत पीएसयू अर्थात् (1) जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जिन्होंने स्थापना के बाद से कभी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए तथा वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान निगमित नौ नए पीएसयू।

₹2,266.56 करोड़ था। इन नौ पीएसयू में से, अधिकतम निवल मूल्य हास, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (₹969.75 करोड़⁵¹), जम्मू एण्ड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (₹598.13 करोड़⁵²), जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹132.52 करोड़⁵³) और जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड (₹93.56 करोड़⁵⁴) का रहा था। हालांकि, इन नौ पीएसयू में से दो⁵⁵ में जिनमें निवल मूल्य का पूरी तरह से हास हुआ था, वर्ष 2018-19 के दौरान उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, लाभ अर्जित किया था।

निम्नलिखित तालिका 5.12 में वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 20 पीएसयू जहां राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष निवेश किया था, उनकी कुल प्रदत्त पूँजी, मुक्त भंडार, कुल संचित लाभ/ हानि और कुल निवल मूल्य को इंगित किया गया है।

तालिका 5.12: वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 20 पीएसयू का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी | मुक्त भंडार ⁵⁶ | वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/ हानि (-) | निवल मूल्य |
|---------|-------------------------------|---------------------------|---|------------|
| 2014-15 | 483.30 | 3,868.86 | -1,851.08 | 2,501.08 |
| 2015-16 | 502.00 | 4,084.05 | -1,885.63 | 2,700.42 |
| 2016-17 | 516.37 | 2,484.36 | -2,049.16 | 951.57 |
| 2017-18 | 525.68 | 2,725.68 | -2,150.57 | 1,100.79 |
| 2018-19 | 618.01 | 2,960.39 | -2,340.41 | 1,237.99 |

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, समग्र निवल मूल्य एक साथ लिए गए 20 पीएसयू हेतु वर्ष 2014-15 में ₹2,501.08 करोड़ से घटकर, वर्ष 2018-19 में ₹1237.99 करोड़ हो गया। हालांकि, 11 पीएसयू का निवल मूल्य घटा जबकि सात पीएसयू के निवल मूल्य में वृद्धि दर्ज की गई और दो पीएसयू का निवल मूल्य समान

⁵¹ वर्ष 2013-14 हेतु नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

⁵² वर्ष 2010-11 हेतु नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

⁵³ वर्ष 2013-14 हेतु नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

⁵⁴ वर्ष 1999-2000 हेतु नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

⁵⁵ जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हॉर्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा जम्मू एण्ड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

⁵⁶ वर्ष 2014-15 (₹3864.75 करोड़), 2015-16 (₹4072.21 करोड़), 2016-17 (₹2458.98 करोड़) और 2017-18 (₹2625.65 करोड़) और 2018-19 (₹2950.97 करोड़) के दौरान जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के राजस्व और अन्य आरक्षितों को मुक्त भण्डार एवं संचित लाभों के रूप में लिया गया है।

रहा। 31 मार्च 2019 को दस पीएसयू⁵⁷ ने सकारात्मक निवल मूल्य दिखाया, नौ पीएसयू का निवल मूल्य नकारात्मक रहा था, एक पीएसयू अर्थात् जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2010-11 के एक लेखे को अंतिम रूप दिया था, अतः लाभ और हानि लेखा को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, इसकी निवल संपत्ति को उजागर नहीं किया जा सका।

5.1.16 लाभांश का भुगतान

वर्ष 2018-19 के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, एक विद्युत क्षेत्र पीएसयू अर्थात् जेकेएसपीडीसी और विद्युत क्षेत्र के अलावा नौ कार्यरत पीएसयू क्षेत्र ने क्रमशः ₹160.23 करोड़ और ₹491.66 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया। हालांकि, किसी भी पीएसयू ने वर्ष 2018-19 हेतु किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं की थी।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू के लिए लाभांश नीति की घोषणा पर विचार करे।

5.1.17 कंपनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण

कंपनियों द्वारा सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण को चुका देने की कंपनियों की क्षमता का आंकलन करने के लिए, वर्ष 2014-19 के दौरान लीवरेज⁵⁸ वाली कंपनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण किया गया। इसका मूल्यांकन, ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) और ऋण टर्नओवर अनुपात (डीटीआर) के माध्यम से किया जाता है।

5.1.18. ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उक्त अवधि के ब्याज व्यय द्वारा कंपनी की आय से पहले ब्याज और कर (ईबीआईटी) को विभाजित करके गणना की जाती है। जितना कम अनुपात होता है, उतनी ही कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता कम होती है। एक से कम का ब्याज

⁵⁷ (1) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (2) जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (3) जम्मू एण्ड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड अदर बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (4) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (5) जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (6) जम्मू एण्ड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (7) जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड (8) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (9) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड (10) जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड।

⁵⁸ निवेश के संभावित प्रतिफल की वृद्धि के लिए उधार ली गयी निधि का उपयोग।

कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर रही थी।

(ए) विद्युत क्षेत्र के पीएसयू

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार जेकेएसपीडीसी⁵⁹ के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे दी गई तालिका 5.13 में दिया गया है:

तालिका 5.13: विद्युत क्षेत्र के पीएसयू का ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | तक अंतिम रूप दिए गए लेखे | ब्याज | ईबीआईटी | ब्याज कवरेज अनुपात |
|---------|--------------------------|--------|---------|--------------------|
| 2014-15 | 2010-11 | 262.75 | 460.45 | 1.75 |
| 2015-16 | 2011-12 | 227.34 | 668.95 | 2.94 |
| 2016-17 | 2011-12 | 227.34 | 668.95 | 2.94 |
| 2017-18 | 2013-14 | 155.78 | 433.41 | 2.78 |
| 2018-19 | 2013-14 | 155.78 | 433.41 | 2.78 |

अंतिम रूप दिए गए उनके वार्षिक लेखाओं के बकाया होने के बावजूद, जैसा कि उपर्युक्त तालिका 5.13 से देखा जा सकता है, जेकेएसपीडीसी का वर्ष 2014-15 से 2018-19 की पूर्ण अवधि के दौरान, एक से अधिक का ब्याज कवरेज अनुपात था, जो यह दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित कर रही है।

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्रों के पीएसयू

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य पीएसयू⁶⁰ के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे दी गई तालिका 5.14 में दिया गया है:

⁵⁹ शेष पांच विद्युत क्षेत्र की कंपनियों ने किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया था।

⁶⁰ पांच निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर: (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (3) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट राँ मैटेरियल सप्लाइज आर्गेनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) (4) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (5) जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दो कार्यरत सार्वजनिक उपक्रम अर्थात् (1) जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद से कभी भी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए, चार पीएसयू अर्थात् (1) जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (3) जम्मू एण्ड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड (4) जम्मू एण्ड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है तथा वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान निगमित नौ नए पीएसयू जिन्होंने विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

तालिका 5.14: राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) से संबंधित ब्याज कवरेज अनुपात
(₹ करोड़ में)

| वर्ष | ब्याज | ईबीआईटी | सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले पीएसयू की संख्या | ब्याज कवरेज अनुपात वाले पीएसयू की संख्या | |
|---------|--------|----------|--|--|----------|
| | | | | एक से अधिक | एक से कम |
| 2014-15 | 290.04 | 965.16 | 16 | 5 | 11 |
| 2015-16 | 248.14 | 763.93 | 16 | 4 | 12 |
| 2016-17 | 206.27 | -1464.76 | 16 | 3 | 13 |
| 2017-18 | 257.83 | 439.21 | 16 | 5 | 11 |
| 2018-19 | 373.87 | 927.06 | 14 | 5 | 09 |

वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार के साथ-साथ, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों की देयता वाले 14 राज्य पीएसयू में से, पाँच पीएसयू में एक से अधिक का ब्याज कवरेज अनुपात था, जबकि शेष नौ पीएसयू में ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था, जो इंगित करता है कि अवधि के दौरान ये नौ पीएसयू ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर सके।

5.1.19 पीएसयू का ऋण-कारोबार अनुपात

(ए) विद्युत क्षेत्र

जेकेएसपीडीसी ने कारोबार की नकारात्मक संयुक्त वार्षिक वृद्धि और क्रमशः 5.04 प्रतिशत एवं 9.98 प्रतिशत का ऋण दर्ज किया। ऋण-कारोबार अनुपात में वर्ष 2014-15 में 2.28 से वर्ष 2015-16 के दौरान 1.33 का सुधार हुआ। हालांकि, आगे वर्ष 2017-18 में केवल कारोबार में वृद्धि के प्रति ऋण में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण 1.84 का हास हुआ, जैसा कि नीचे तालिका 5.15 में दिया गया है:

तालिका 5.15: जेकेएसपीडीसी से संबन्धित ऋण-कारोबार अनुपात

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण | 2,781.97 | 1,493.55 | 1,493.55 | 1,826.49 | 1,826.49 |
| टर्नओवर | 1,220.62 | 1,119.90 | 1,119.90 | 992.46 | 992.46 |
| ऋण- टर्नओवर अनुपात | 2.28:1 | 1.33:1 | 1.33:1 | 1.84:1 | 1.84:1 |

(स्रोत: अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर संकलित)

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 19 पीएसयू⁶¹ के कारोबार में 4.23 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और ऋण की संयुक्त वार्षिक वृद्धि 2.03 प्रतिशत रही, जिसके कारण ऋण-कारोबार का अनुपात वर्ष 2014-15 में, 0.52 से घटकर वर्ष 2018-19 में, 0.48 हो गया। इस अवधि के दौरान ऋण-कारोबार अनुपात 0.43 और 0.53 के बीच रहा था, जैसा कि नीचे तालिका 5.16 में दिया गया है:

तालिका 5.16: पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित ऋण-कारोबार अनुपात

| विवरण | (₹ करोड़ में) | | | | |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
| सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण | 3,875.23 | 3,834.30 | 3,097.52 | 3,633.37 | 4,200.71 |
| कारोबार | 7,449.34 | 7,296.59 | 7,238.03 | 7,579.22 | 8,792.44 |
| ऋण-कारोबार अनुपात | 0.52:1 | 0.53:1 | 0.43:1 | 0.48:1 | 0.48:1 |

(स्रोत: अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.1.20 राज्य के निष्क्रिय पीएसयू

शेयर पूँजी के प्रति कुल ₹0.20 करोड़ के कुल निवेश वाले विद्युत क्षेत्र के छह उपक्रमों में से चार उपक्रम 31 मार्च 2019 तक निष्क्रिय थे।

इसी प्रकार, विद्युत क्षेत्र के अलावा 36 राज्य पीएसयू क्षेत्रों में से, पाँच अक्रियाशील थे और 31 मार्च 2019 तक पूँजी (₹55.57 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹0.83 करोड़) के प्रति कुल ₹56.40 करोड़⁶² का निवेश कर रहे थे। 31 मार्च 2019 तक समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में अक्रियाशील पीएसयू की संख्या नीचे तालिका 5.17 में दी गई है:

⁶¹ पांच निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर अर्थात् (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड (3) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) (4) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (5) जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान निगमित नौ पीएसयू, दो कार्यरत सार्वजनिक उपक्रम अर्थात् (1) जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद से कभी भी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए और एक कार्यरत पीएसयू अर्थात् जम्मू एण्ड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसने लाभ और हानि के लेखा तैयार नहीं किया था।

⁶² तवी स्कूटर्स लिमिटेड: ₹1.63 करोड़, हिमालयन वूल कांबर्स लिमिटेड: ₹1.37 करोड़, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी): ₹0.40 करोड़, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड: ₹5.00 करोड़ और जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड: ₹48.00 करोड़।

तालिका 5.17: राज्य के निष्क्रिय पीएसयू

| विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| विद्युत क्षेत्र में निष्क्रिय पीएसयू की संख्या | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| निष्क्रिय पीएसयू की संख्या (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |

(स्रोत: जम्मू और कश्मीर सरकार के संबंधित वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू), में शामिल जानकारी से संकलित)

विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्रों में पाँच निष्क्रिय पीएसयू में से, तीन पीएसयू⁶³ पिछले 18 से 27 वर्षों से क्रियाशील नहीं थे और परिसमापन के अंतर्गत थे।

सरकार इन निष्क्रिय पीएसयू को बंद करने के लिए उचित निर्णय ले सकती है।

5.1.21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक लेखाओं पर टिप्पणियाँ

(ए) विद्युत क्षेत्र

1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 के दौरान, एक विद्युत क्षेत्र के पीएसयू (सीवीपीपीपीएल) ने अपने एक लेखापरीक्षित लेखे को महालेखाकार को अग्रेषित किया, जो अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। इस लेखा की अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान एक महत्त्वपूर्ण मामला पाया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएण्डएजी की टिप्पणियों के औसत निधि मूल्य का विवरण नीचे तालिका 5.18 में दिया गया है:

तालिका 5.18: विद्युत क्षेत्र के पीएसयू पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---------|------------------------------|------------------|------|------------------|--------|------------------|-------|
| | | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि |
| 1. | लाभ में गिरावट | - | - | 1 | 4.19 | 1 | 15.60 |
| 2. | लाभ में वृद्धि | - | - | 1 | 63.22 | - | - |
| 3. | हानि में वृद्धि | - | - | - | - | - | - |
| 4. | हानि में गिरावट | - | - | - | - | - | - |
| 5. | भौतिक तथ्यों का प्रकट न होना | - | - | 2 | 112.83 | - | - |
| 6. | वर्गीकरण में त्रुटियाँ | - | - | - | - | - | - |

(स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/ सीएण्डएजी की टिप्पणियों से संकलित)

(बी) विद्युत क्षेत्रों के अलावा क्षेत्र

1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 की अवधि के दौरान, दस पीएसयू ने 21 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। सांविधिक लेखापरीक्षकों की

⁶³ तवी स्कूटर्स लिमिटेड, हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाईज आर्गनाइजेशन लिमिटेड।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सीएण्डएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएण्डएजी की टिप्पणियों के औसत निधि मूल्य का विवरण नीचे तालिका 5.19 में दिया है:

तालिका 5.19: राज्य पीएसयू पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव
(विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र)

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---------|------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|--------|
| | | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि |
| 1. | लाभ में गिरावट | 2 | 2.33 | 2 | 0.16 | 3 | 16.86 |
| 2. | लाभ में वृद्धि | - | - | 2 | 0.05 | 1 | 0.03 |
| 3. | हानि में वृद्धि | 1 | 0.06 | 3 | 1.55 | 8 | 103.69 |
| 4. | हानि में गिरावट | 1 | 0.03 | 2 | 1.17 | 3 | 100.48 |
| 5. | भौतिक तथ्यों का प्रकट न होना | 1 | 2.56 | 4 | 21.82 | 1 | 95.71 |
| 6. | वर्गीकरण में त्रुटियां | 4 | 30.98 | 5 | 97.39 | 13 | 48.43 |

(स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/ सीएण्डएजी की टिप्पणियों से संकलित)

वर्ष 2018-19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 16 लेखाओं पर क्वालिफाइड प्रमाण-पत्र जारी किए थे। पीएसयू द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन स्तरहीन रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने पाँच पीएसयू⁶⁴ के 12 लेखाओं में लेखांकन मानकों की अननुपालन के 19 उदाहरण इंगित किये।

राज्य में तीन सांविधिक निगम, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (जेकेएसआरटीसी), जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन हैं। जेकेएसआरटीसी के संबंध में सीएण्डएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है। तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन सीएण्डएजी (मार्च 2000) को लेखापरीक्षा सौंपने की तिथि से वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में असफल रहा। केवल एक निगम (जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन) ने वर्ष 2017-18 के लिए अपने वार्षिक लेखे अग्रेषित किये, जबकि 01 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 के दौरान, जेकेएसआरटीसी किसी भी लेखे को अग्रेषित करने में असफल रहा। सांविधिक

⁶⁴ जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (छह लेखे), जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट विमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एक लेखा), जम्मू एण्ड कश्मीर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (दो लेखे), जम्मू एण्ड कश्मीर हैण्डिक्राफ्ट (सेल्स एण्ड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एक लेखा) और जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड (दो लेखे)।

लेखापरीक्षकों ने वर्ष 2017-18 के लिए जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के वार्षिक लेखाओं पर क्वालिफाइड प्रमाण-पत्र दिए थे।

पिछले तीन वर्षों में, सांविधिक निगमों के संबंध में सीएण्डएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों की सकल निधि का विवरण निम्नलिखित तालिका 5.20 में दिया गया है:

तालिका 5.20: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---------|------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि |
| 1. | लाभ में गिरावट | - | - | - | - | - | - |
| 2. | लाभ में वृद्धि | - | - | - | - | - | - |
| 3. | हानि में वृद्धि | 1 | 28.04 | 1 | 15.14 | - | - |
| 4. | हानि में गिरावट | 1 | 0.07 | - | - | - | - |
| 5. | भौतिक तथ्यों का प्रकट न होना | 1 | 8.58 | - | - | - | - |
| 6. | वर्गीकरण में त्रुटियाँ | 1 | 12.17 | 1 | 5 | 2 | 19.43 |

(स्रोत: सांविधिक निगमों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/ सीएण्डएजी की टिप्पणियों से संकलित)

यह अनुशंसा की जाती है कि जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जो कि सीएण्डएजी को लेखापरीक्षा सौंपने की तिथि से किसी भी वार्षिक लेखा को प्रस्तुत करने में असफल रहा था, लेखाओं में बकायों को परिसमापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए और उसके द्वारा इसकी कार्यपद्धति का विधायी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करे।

संबंधित पीएसयू लाभ/ हानि के कम/ अधिक विवरण से बचने हेतु त्रुटि रहित लेखाओं के लिए सांविधिक मानदण्डों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं। जेकेपीडीसी को जहाँ त्रुटियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक थी, के संबंध में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वित्त और प्रशासनिक विभाग को यह निरीक्षण करना चाहिए कि इन पीएसयू द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

5.1.22 निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

(ए) विद्युत क्षेत्र

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए, छह सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ विद्युत विकास विभाग के आयुक्त सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार को जारी किया गया था। राज्य सरकार/ प्रबंधन से जवाब (सितंबर 2020) प्रतीक्षित था। लेखापरीक्षा पैराग्राफ का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹6.59 करोड़ है।

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित तीन अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ तथा जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की कार्यप्रणाली से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। राज्य सरकार/ विभाग/ प्रबंधन से उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) हैं। इन लेखापरीक्षा पैराग्राफों का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹747.94 करोड़⁶⁵ है।

5.1.23 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की पूर्णता को दर्शाती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारिणी से उचित और समय पर उत्तर प्राप्त करें। वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने (जून 1997) सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए कि विधानमंडल में प्रस्तुत करने के पश्चात् निर्धारित प्रारूप में पीएसयू (सीओपीयू) की समिति से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, वे अपनी प्रस्तुति के तीन महीने की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल पैराग्राफ/ समीक्षाओं के जवाब/ व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित प्रस्तुत करें। सितंबर 2019 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 5.21: पीएसयू से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर प्राप्त नहीं हुई व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 सितंबर 2020 तक)

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/ पीएसयू) | राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) और पैराग्राफ | | | | पीए/ पैराग्राफ की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं की गईं | | | |
|---|---|---|------------------|-----------|------------------|--|------------------|-----------|------------------|
| | | पीए | | पैराग्राफ | | पीए | | पैराग्राफ | |
| | | विद्युत | विद्युत के अलावा | विद्युत | विद्युत के अलावा | विद्युत | विद्युत के अलावा | विद्युत | विद्युत के अलावा |
| 2000-01 | 6 अप्रैल 2002 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2001-02 | 21 जून 2003 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
| 2002-03 | 23 अगस्त 2004 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2003-04 | 23 मार्च 2005 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2004-05 | 27 मार्च 2006 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 |

⁶⁵ जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा: ₹737.57 करोड़; तीन अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ: ₹10.37 करोड़।

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/ पीएसयू) | राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) और पैराग्राफ | | | | पीए/ पैराग्राफ की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं की गईं | | | |
|---|---|---|------------------|-----------|------------------|--|------------------|-----------|------------------|
| | | पीए | | पैराग्राफ | | पीए | | पैराग्राफ | |
| | | विद्युत | विद्युत के अलावा | विद्युत | विद्युत के अलावा | विद्युत | विद्युत के अलावा | विद्युत | विद्युत के अलावा |
| 2005-06 | 8 फरवरी 2007/ 31 अगस्त 2009 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 2006-07 | 30 जनवरी 2008 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - |
| 2007-08 | 5 मार्च 2009 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| 2008-09 | 30 मार्च 2010 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 2009-10 | 31 मार्च 2011 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 2010-11 | 4 अप्रैल 2012 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - |
| 2011-12 | 5 अप्रैल 2013 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| 2012-13 | 4 मार्च 2014 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| 2013-14 | 27 मार्च 2015 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - |
| 2014-15 | 27 जून 2016 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 2015-16 | 4 जुलाई 2017 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | - | 3 |
| 2015-16 तक | | 2 | 15 | 9 | 51 | 1 | 2 | - | 7 |
| 2016-17 | 23 सितंबर 2020 | - | 1 | - | 6 | - | ⁶⁶ | - | - |
| 2017-18 | 23 सितंबर 2020 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| कुल | | 2 | 17 | 11 | 62 | 1 | 2 | - | 7 |

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र के 11 पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं⁶⁷ में से, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर सिर्फ एक निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (सितंबर 2020 तक) प्रतीक्षित थी।

इसी प्रकार, विद्युत क्षेत्र के अलावा 66 पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, दो विभागों के संबंध में, जिन पर टिप्पणियाँ की जा चुकी थी, नौ पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित थीं।

5.1.24 सीओपीयू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

अप्रैल 2005 से मार्च 2018 के मध्य राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत सीओपीयू के दो प्रतिवेदनों से संबंधित विद्युत क्षेत्र पीएसयू के पाँच पैराग्राफों पर कृत कार्रवाई

⁶⁶ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2016-17 और 2017-18 को दिनांक 23.09.2020 को संसद में प्रस्तुत किया गया। चूँकि संसद में उनके प्रस्तुतीकरण से व्याख्यात्मक टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की तीन महीनों की निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हुयी है, अतः पीए/ पैराग्राफों जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुयी थी, के कॉलम के नीचे शून्य दर्शाया गया।

⁶⁷ निष्पादन लेखापरीक्षा को एक पैराग्राफ माना गया है, वर्ष 2016-17 और 2017-18 के प्रतिवेदनों के पैराओं पर विचार नहीं किया गया जैसा कि पाद टिप्पणी 65 में वर्णित है।

टिप्पणियाँ (एटीएन) और विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्रों के सीओपीयू के आठ प्रतिवेदनों से संबंधित कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ (एटीएन) सितंबर 2019 तक प्राप्त नहीं हुयी थी, जैसा कि तालिका 5.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.22: सीओपीयू प्रतिवेदनों की अनुपालना

| सीओपीयू प्रतिवेदन का वर्ष | सीओपीयू प्रतिवेदनों की कुल संख्या | सीओपीयू प्रतिवेदन में सिफारिशों की कुल संख्या | सिफारिशों की संख्या जहां एटीएन प्राप्त नहीं हुये |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| विद्युत क्षेत्र के पैरा | | | |
| 2015-16 (47वां प्रतिवेदन) | 01 | 02 | 02 |
| 2017-18 (49वां प्रतिवेदन) | 01 | 04 | 03 |
| कुल | 02 | 06 | 05 |
| गैर-विद्युत क्षेत्र के पैरा | | | |
| 2004-05 (40वां प्रतिवेदन) | 01 | 06 | 05 |
| 2009-10 (42वां प्रतिवेदन) | 01 | 13 | 04 |
| 2010-11 (43वां प्रतिवेदन) | 01 | 02 | 01 |
| 2011-12 (44वां प्रतिवेदन) | 01 | 05 | 1 |
| 2013-14 (46वां प्रतिवेदन) | 01 | 14 | 01 |
| 2015-16 (47वां प्रतिवेदन) | 01 | 15 | 06 |
| 2016-17 (48वां प्रतिवेदन) | 01 | 06 | 03 |
| 2017-18 (49वां प्रतिवेदन) | 01 | 25 | 24 |
| कुल | 08 | 86⁶⁸ | 45 |

सीओपीयू के इन प्रतिवेदनों में 10 विभागों से संबंधित पैराग्राफों के संबंध में सिफारिशें निहित थी, जो वर्ष 2000-01 से वर्ष 2015-16 के लिए सीएण्डएजी के प्रतिवेदनों में दर्शायी गयी थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:

- निर्धारित समय-सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदन/ मसौदा पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं का जवाब देना और सीओपीयू की सिफारिशों पर अपनी कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ देना;
- निर्धारित अवधि में हानि/ बकाया अग्रिमों/ अधिक भुगतानों की वसूली; और
- लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर देने की प्रणाली का पुनः निर्धारण करना।

⁶⁸ 57 पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित है जो वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विशेष रूप से दर्शाए गए हैं।

अध्याय VI
निष्पादन लेखापरीक्षा
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय VI

निष्पादन लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग

जम्मू एवं कश्मीर राज्य पथ परिवहन निगम

6.1 जम्मू एवं कश्मीर राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली

एक पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाले परिवहन उपक्रम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) की स्थापना सितंबर 1976 में, राज्य में सामान्य जन के लिए यात्रियों और वस्तुओं दोनों की परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई थी। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा में नियोजन, परिचालन निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण इत्यादि में कुछ कमियों के दृष्टांत पाये गये। इस निष्पादन लेखापरीक्षा का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹737.57 करोड़ है, निष्पादन लेखापरीक्षा के कुछ प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं:

प्रमुख बिन्दु

- वर्ष 2014-15 में ₹204.74 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹245.57 करोड़ तक प्रदत्त शेयर पूँजी में 20 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, संचित हानियों में ₹1,229.56 करोड़ से ₹1,639.01 करोड़ तक 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जिसने इंगित किया कि सरकार द्वारा निवेश की गई पूँजी का निगम ने कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया था।

(पैराग्राफ: 6.1.6)

- निगम के योजना विंग ने इसके पुनः प्रवर्तन के लिए कोई भावी योजना या दीर्घकालीन योजना तैयार नहीं की थी।

(पैराग्राफ: 6.1.7)

- प्रवर्ती बेड़े के लक्ष्यों और राजस्व संग्रहण के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान क्रमशः 28 से 33 प्रतिशत एवं 31 और 37 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान राजस्व के लक्ष्य की प्राप्ति में कुल ₹165.22 करोड़ की कमी थी।

(पैराग्राफ: 6.1.7.1)

- निगम इसके परिचालन राजस्व को अर्जित करने में विफल रहा, क्योंकि वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान परिचालन हानि ₹15.03 प्रति किमी से ₹34.68 प्रति किमी के बीच रही।

(पैराग्राफ: 6.1.8)

- वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान बेड़े की कुल संख्या 133 वाहनों (14 प्रतिशत) तक घट गई। इसी अवधि के दौरान 142 वाहनों की वृद्धि के बावजूद निगम वाहनों की उपलब्धता में सुधार नहीं कर सका।

(पैराग्राफ: 6.1.9)

- वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान बेड़े परिचालन 51 और 59 प्रतिशत के बीच रहे तथा कार्यशाला में वाहनों की रोक 29 से 44 प्रतिशत के बीच रही। अप्रयुक्त वाहनों का प्रतिशत वर्ष 2014-15 में पाँच प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 19 प्रतिशत तक हो गया।

(पैराग्राफ: 6.1.9.2)

- नमूना इकाइयों, आगार और उप-आगारों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि रोक हेतु निर्धारित प्रावधानों को अनुमति प्रदान करने के बाद भी, कार्यशालाओं में वाहनों की रोक अधिक थी, जिसने वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान निगम के राजस्व सृजन को ₹135.88 करोड़ तक प्रभावित किया।

(पैराग्राफ: 6.1.9.2)

- संपत्तियों की स्वामित्व हकदारिता को अर्जित करने में विफलता, संपत्तियों का मूल्यांकन नहीं करना, हस्तांतरित भूमि के प्रतिकर की वसूली नहीं करना, संपत्तियों की गैर-उपयोगिता, पट्टों का नवीकरण नहीं करना इत्यादि ने इसकी परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए निगम की अपर्याप्त पहल को इंगित किया।

(पैराग्राफ: 6.1.13)

- चालकों/ परिचालकों की सेवाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि कार्यशालाओं में अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध होने के बावजूद, कार्यशालाओं में चालक/ परिचालक रोके गए वाहनों के साथ संलग्न रहे जिसका परिणाम अप्रयुक्त रहे स्टाफ को ₹44.95 करोड़ के भुगतान के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ: 6.1.14)

- निगम की आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि अपर्याप्त थी, बोर्ड बैठकों, मासिक बैठकों, प्रशासनिक निरीक्षणों और सतर्कता जाँचों को नियमित रूप से संचालित नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ: 6.1.15)

6.1.1 प्रस्तावना

जम्मू एवं कश्मीर (जीओजेएण्डके) राज्य सरकार ने जून 1948 में सरकारी परिवहन उपक्रम (जीटीयू) की स्थापना की, जो तत्पश्चात् सितंबर 1976 में पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य पथ परिवहन निगम (एसआरटीसी) में परिवर्तित किया गया था। निगम का उद्देश्य राज्य में यात्रियों एवं वस्तुओं दोनों की परिवहन की आवश्यकता को पूरा करना था। निगम जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार का पूर्ण रूप से स्वामित्व वाला परिवहन उपक्रम है। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान निगम के पास जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लोक परिवहन¹ का लगभग एक प्रतिशत अंश है। इसलिए राज्य की आवश्यकता मुख्य रूप से निजी स्वामित्व वाली बसों/ मिनी-बसों और भार वाहकों के माध्यम से पूरी की जा रही थी।

6.1.2 संगठनात्मक संरचना

प्रबंध निदेशक निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी सहायता एक संयुक्त प्रबंध निदेशक और वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा की जाती है। निगम के दिन प्रतिदिन के संचालनों की देखरेख के लिए पाँच महाप्रबंधक (जीएम), पाँच उप महाप्रबंधक (डीजीएम) और 17 प्रबंधक होते हैं। संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट 6.1.1** में दी गयी है।

6.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्न के बारे में आंकलन करना था;

- पूरे राज्य में पर्याप्त परिवहन सेवायें उपलब्ध कराने, निष्पादन को सुधारने और निगम की परिचालन लागतों को अनुकूलतम बनाने के लिए शीर्ष स्तर पर वित्तीय और परिचालन नियोजन संबंधी गतिविधियाँ।
- राज्य वित्तीय नियमावली के अनुसार मितव्ययी ढंग से वाहनों, अतिरिक्त पुर्जों और अन्य सामग्री की खरीद की गयी थी।

¹ लोक परिवहन में यात्री वाहन जैसे बसें/ मिनी-बसें और भार वाहक जैसे ट्रक/ टिपर शामिल हैं।

- निगम की परिसंपत्तियों का, अन्य बातों के साथ-साथ, बेड़ा, भूमि, भवन, कार्यशालायें, मानव संसाधनों इत्यादि को शामिल करते हुए, कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया था।
- निगम के पास कुशल और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली है।

6.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

निगम की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि को समाविष्ट करते हुए वर्ष 2019-20 के दौरान संचालित की गई थी। निगम के पास 50 परिचालित इकाइयाँ² थी जिनमें से 18 इकाइयों³ के नमूने (जैसा कि परिशिष्ट 6.1.2 में विवरण दिया गया है) और कॉर्पोरेट कार्यालय निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए थे। लेखापरीक्षा हेतु नमूना, संबंधित इकाइयों द्वारा परिचालनों के विस्तार, रोके गए बेड़े और राजस्व सृजन के आधार पर चयन किए गए थे।

वर्ष 2003-04 से 2007-08 की अवधि हेतु निगम की कार्यप्रणाली पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की पूर्व में समीक्षा की गई थी और मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में निगमित की गई थी जिस पर राज्य विधानमण्डल की सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (सीओपीयू) द्वारा आंशिक रूप से चर्चा की गई थी। सीओपीयू ने उपर्युक्त निष्पादन लेखापरीक्षा पर कोई सिफारिशें नहीं दी थी, बल्कि इसने अपने 47वें प्रतिवेदन में विभाग को कुछ निर्देश दिए थे। हालांकि, सीओपीयू के 49वें प्रतिवेदन के अनुसार, सरकार द्वारा इन निर्देशों पर अनुपालन उपलब्ध (फरवरी 2018) नहीं कराया गया था।

16 मई 2019 को आयोजित एक प्रवेश सम्मेलन में लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर प्रबंधन के साथ चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष, प्रबंधन को सूचित किए गए थे और इन पर एक्जिट सम्मेलन (10 नवंबर 2020) में चर्चा की गयी थी। निगम के जवाब जनवरी 2020 में एक्जिट सम्मेलन में प्राप्त हुए थे जिन्हें उपयुक्त रूप से इस प्रतिवेदन में निगमित कर लिया गया है।

² जिनमें 16 मुख्य इकाइयाँ, 13 आगार और 21 उप-कार्यालय/ यातायात नियंत्रण बिन्दु (टीसीपी) शामिल हैं।

³ जिनमें 13 मुख्य इकाइयाँ, तीन आगार और दो बुकिंग कार्यालय शामिल हैं।

6.1.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निगम द्वारा अपनाये गए सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किए गए थे जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल था:

- जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता,
- पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950,
- परिचालनों पर निगम की नियमपुस्तक, जेकेएसआरटीसी में खरीदों पर नियमपुस्तक, और
- समय-समय पर जारी आदेशों और अन्य संस्वीकृतियों को सम्मिलित करते हुए निगम के बजट दस्तावेजों सहित सामान्य वित्तीय नियमावली

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.1.6 वित्तीय मामले

निगम की प्रदत्त शेयर पूँजी⁴ वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में ₹204.74 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में ₹245.57 करोड़ तक हो गई, जैसा कि तालिका 6.1.2 में दिया गया है। हालांकि, भारत सरकार ने मार्च 2019 की समाप्ति तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान शेयर पूँजी के प्रति कोई अंशदान नहीं किया है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि हेतु राज्य पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति तालिका 6.1.1 में दी गई है।

तालिका 6.1.1: वर्ष 2014-19 के दौरान निगम की प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | से प्राप्त अनुदान/ वित्तीय सहायता | | | परिचालन राजस्व | अन्य प्राप्तियाँ ⁵ | कुल प्राप्तियाँ |
|------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| | भारत सरकार | राज्य सरकार | | | | |
| | | योजना | ऋण के रूप में गैर-योजना | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2+3+4+5+6) |
| 2014-15 | - | - | 35.54 | 83.09 | 14.34 | 132.97 |
| 2015-16 | - | 5.95 | 35.54 | 78.53 | 22.20 | 142.22 |
| 2016-17 | - | 5.00 | 30.00 | 79.45 | 18.60 | 133.05 |
| 2017-18 | - | 3.75 | 30.00 | 80.09 | 25.17 | 139.01 |
| 2018-19 | 4.49 | 17.90 | 30.00 | 79.71 | 17.09 | 149.19 |
| कुल | 4.49 | 32.60 | 161.08 | 400.87 | 97.40 | 696.44 |

(स्रोत: निगम के अभिलेख)

⁴ मार्च 2005 तक भारत सरकार (जीओआई) का ₹15.01 करोड़ का शेयर शामिल है।


⁵ अन्य प्राप्तियों में किराया, एफडीआर पर ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियाँ शामिल हैं।

परिचालन राजस्व वर्ष 2014-15 में ₹83.09 करोड़ से घटकर वर्ष 2018-19 में ₹79.71 करोड़ हो गये और यह वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान कुल प्राप्तियों का लगभग 58 प्रतिशत था। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान कुल प्राप्तियों के लगभग 23 प्रतिशत को समाविष्ट किए हुए, राज्य सरकार से प्राप्त गैर-योजना अनुदान वर्ष 2014-15 में ₹35.54 करोड़ से घटकर वर्ष 2018-19 में ₹30.00 करोड़ तक हो गये; जिसने 16 प्रतिशत की कमी दर्शायी। राज्य सरकार ने ऋणों के रूप में गैर-योजना बजटीय सहायता उपलब्ध कराई जिसके लिए निगम द्वारा कोई पुनर्भुगतान नहीं किए गए थे। चूँकि निगम हानि में चल रहा था, अतः राज्य सरकार को इसके निवेशों के प्रति किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया गया था।

अर्जित राजस्व वेतन और भत्तों और अन्य परिचालनात्मक व्ययों पर खर्च किया गया था जबकि भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग विभिन्न योजनाओं⁶ के अंतर्गत बसों की खरीद के लिए किया गया था। वर्ष 2014 से 2019 (चार्ट 6.1.1) की अवधि के दौरान व्यय के मुख्य घटक वेतन और मजदूरियाँ ₹432.99 करोड़ (44 प्रतिशत), ओवरहेड, ब्याज और मूल्यहास ₹323.60 करोड़ (33 प्रतिशत), ईंधन और लुब्रीकेन्ट ₹162.48 करोड़ (17 प्रतिशत), टायर/ ट्यूब/ अतिरिक्त पुर्जे, मोटर वाहन कर और यात्री कर तथा अन्य परिवर्ती लागत ₹54.40 करोड़ (6 प्रतिशत) थे।

चार्ट 6.1.1: व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: निगम के अभिलेख)

⁶ पुनर्नवीकरण और शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन और बुद्धिमत्तापूर्ण परिवहन प्रबंधन प्रणाली योजना।

निगम द्वारा तैयार किए गए वर्ष 2013-14 तक के वार्षिक लेखाओं की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा मार्च 2019 तक लेखापरीक्षा की गई थी। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए वार्षिक लेखाओं को समय पर तैयार और अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा समाप्त हो गई है और वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अंतिम रूप दिए जाने के अधीन हैं।

वर्ष 2014-15 से 20108-19 की अवधि हेतु तैयार किये गये अनंतिम लेखाओं में दर्शायी गयी परिसंपत्तियों एवं देयताओं की स्थिति को तालिका 6.1.2 में दिया गया है।

तालिका 6.1.2: परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| देयताएं | | | | | |
| प्रदत्त पूँजी | 204.74 | 210.69 | 217.92 | 223.18 | 245.57 |
| उधार राशियाँ | 550.48 | 586.02 | 616.02 | 646.02 | 676.02 |
| अन्य देयताएं | 621.98 | 679.15 | 751.74 | 821.39 | 872.11 |
| संचित हानियाँ | (-) 1229.56 | (-) 1,311.83 | (-) 1415.23 | (-) 1518.30 | (-) 1639.01 |
| कुल | 147.64 | 164.03 | 170.45 | 172.29 | 154.69 |
| परिसंपत्तियाँ | | | | | |
| सकल रुकावट ⁷ | 67.97 | 64.05 | 64.53 | 77.06 | 74.45 |
| मूल्यहास | 06.61 | 06.10 | 6.28 | 06.61 | 7.09 |
| निवल- रुकावट | 61.36 | 57.95 | 58.25 | 70.45 | 67.36 |
| वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम | 86.28 | 106.08 | 112.20 | 101.84 | 87.33 |
| कुल | 147.64 | 164.03 | 170.45 | 172.29 | 154.69 |

(स्रोत: निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

यद्यपि प्रदत्त पूँजी में वर्ष 2014-15 में ₹204.74 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹245.57 करोड़ तक 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, उक्त अवधि के दौरान संचित हानियों में ₹1,229.56 करोड़ से 1,639.01 करोड़ तक 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह इंगित करता है कि राज्य द्वारा निगम में निवेशित निधियाँ पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, निरंतर हानियों के कारण, निगम भविष्य निधि कार्यालय में कर्मचारियों की भविष्य निधि के प्रति अंशदान के इसके भाग को

⁷ निर्धारित परिसंपत्तियों की लागत (भूमि, भवन, बेड़े, औजार संयंत्र, मशीनरी इत्यादि)।

जमा कराने में भी विफल रहा और इसे वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान ₹1.46 करोड़ की राशि के दंड स्वरूप ब्याज का भुगतान करना पड़ा था जिससे समय पर भुगतानों के माध्यम से बचा जा सकता था।

6.1.7 नियोजन

आने वाले समय में जनोपयोगी संस्थान को बनाए रखने हेतु, एक जनोपयोगी इकाई को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए दीर्घकालिक के साथ-साथ अल्पकालिक मामलों हेतु पर्याप्त योजना अनिवार्य होती है। इसलिए, बाजार इनपुट/ सर्वेक्षण और अन्य मापदण्डों के आधार पर एक दीर्घकालिक भावी योजना के साथ वार्षिक योजनायें बनाना आवश्यक है। निगम के पास सहायक निदेशक की अध्यक्षता में एक योजना विंग थी। योजना विंग का मुख्य उद्देश्य उद्गम स्थल से गंतव्य तक यात्रियों के सर्वेक्षण का संचालन करना, प्रतिपुष्टि प्रतिवेदनों को तैयार करना, अर्जित राजस्व और वसूल किए गए राजस्व के संबंध में क्रॉस जाँच करना तथा उच्च प्रबंधन को समीक्षा एवं सुधारात्मक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट करना था। योजना विंग को लक्ष्य निर्धारित करने और उपलब्धियों की निगरानी का कार्य भी सौंपा गया था।

निगम की योजना विंग ने कोई भावी योजना या दीर्घकालिक योजना तैयार नहीं की थी और सहायक निदेशक (योजना) द्वारा यह कहा गया था कि प्रबंधन से इस संबंध में कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त, प्रबंध निदेशक ने कहा कि एक पुनः प्रवर्तन योजना उच्च प्रबंधन/ प्रशासनिक विभाग के विचाराधीन थी। हालांकि, जैसा कि अभिलेखों में देखा गया, पुनः प्रवर्तन योजना जुलाई 2018 से ही विचाराधीन थी।

इसके अतिरिक्त, यात्री प्रतिपुष्टि, सेवाओं की गुणवत्ता, अर्जित राजस्व के संबंध में क्रॉस जाँच तथा अन्य मापदण्डों⁸ से संबंधित कोई सर्वेक्षण संचालित नहीं किया गया था जैसा कि परिचालन नियमपुस्तक में निर्धारित था। इसके अलावा, परिचालनों में हानि और राजस्व सृजन एवं बेड़ा परिचालनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की अनुपलब्धि का विश्लेषण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2019) से पता चला कि वर्ष 2017-18 हेतु लक्ष्यों का निर्धारण पिछले वर्ष की उपलब्धियों (2016-17) के आधार पर किया गया था। शेष

⁸ रिपोर्टिंग समय की अवधि और प्रस्थान का समय, सेवाओं को सुधारने के लिए आँकड़ा अनुसंधान संबंधी, हानि वाले वाहनों की स्थिति, वाहनों की रिपोर्टिंग और प्रस्थान समय, मार्गों की व्यवहार्यता संबंधी अनुसंधान आँकड़ा, वाहन कार्य निष्पादन, इत्यादि।

वर्षों हेतु लक्ष्यों को निर्धारित करने के आधार के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। योजना विंग केवल इकाइयों के प्रगति प्रतिवेदनों को संकलित करने से सम्बद्ध थी। हालांकि, योजना विंग से सेवाओं के सुधार के लिए इनपुटों पर आधारित निर्देश और हानियों को कम करने के लिए निगम में कोई योजना उपलब्ध नहीं थी।

इसे इंगित किए जाने पर (मई 2019), प्रबंध निदेशक ने कहा (जनवरी 2020) कि जनशक्ति की कमी के कारण सर्वेक्षण, यात्री प्रतिपुष्टि, अर्जित/ वसूल किए गए राजस्व की क्रॉस जाँच इत्यादि कार्य नहीं किये जा सके। यह भी कहा गया था कि इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नवीन सर्वेक्षण, बस सेवाओं का पुनः निर्धारण और वर्गीकरण, जनशक्ति की उपयोगिता इत्यादि जनवरी 2020 तक निगम में प्रक्रियाधीन थे।

6.1.7.1 बेड़ा संचालन और राजस्व संग्रहण हेतु लक्ष्य

वार्षिक लक्ष्यों को निगम के योजना विंग द्वारा परिचालन इकाइयों से प्राप्त मासिक निष्पादन प्रतिवेदनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तथापि, निगम ने इन लक्ष्यों को इकाई प्रमुखों के साथ परामर्श किए बिना ही निर्धारित किया था। वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान राजस्व और परिचालनों से संबंधित लक्ष्य एवं उपलब्धि तालिका 6.1.3 में वर्णित हैं।

तालिका 6.1.3: वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धि

(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं)

| वर्ष | उपलब्ध बेड़ा | लक्ष्यों के अनुसार बेड़ा परिचालन | संचालित बेड़े की उपलब्धि | कमी | राजस्व संग्रहण के लक्ष्य (₹ करोड़ में) | राजस्व संग्रहणों की उपलब्धि (₹ करोड़ में) | राजस्व संग्रहण में कमी (₹ करोड़ में) |
|---------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--|---|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3-4) | (6) | (7) | (8)= (6-7) |
| 2014-15 | 934 | 664 (71) | 469 | 195 (29) | 131.43 | 83.44 | 47.99 (37) |
| 2015-16 | 819 | 614 (75) | 443 | 171 (28) | 115.79 | 79.74 | 36.05(31) |
| 2016-17 | 776 | 655 (84) | 436 | 219 (33) | 123.53 | 79.95 | 43.59(35) |
| 2017-18 | 786 | 642 (82) | 442 | 200 (31) | 117.69 | 80.09 | 37.60 (32) |
| 2018-19 | लक्ष्य निर्धारित नहीं थे | | | | | | |
| कुल | | | | | 488.44 | 323.22 | 165.22 (34) |

(स्रोत: निगम के योजना विंग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित)

बेड़े के परिचालन हेतु वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य उपलब्ध बेड़े के 71 प्रतिशत और 84 प्रतिशत के बीच रहे। प्रवर्ती बेड़े के ये लक्ष्य भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए गए थे। वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान प्रवर्ती बेड़े के लक्ष्यों की प्राप्ति में 28 प्रतिशत और 33 प्रतिशत के

बीच कमी रही। तदनुसार, निर्धारित लक्ष्यों के प्रति राजस्व संग्रहण में भी 31 प्रतिशत और 37 प्रतिशत के बीच कमी रही। वर्ष 2014-15 से 2017-2018 की अवधि के दौरान राजस्व संग्रहण के लक्ष्य की प्राप्ति में समग्र कमी ₹165.22 करोड़ थी, यद्यपि, लक्ष्यों का निर्धारण कार्यशाला में मरम्मत और अनुरक्षण हेतु वाहनों की रोक पर विचार करने के पश्चात् किया गया था। वर्ष 2018-19 हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

जवाब में, प्रबंध निदेशक ने कहा (जनवरी 2020) कि आयु पार बेड़े, लगातार ऑफ रोड रहना, जनशक्ति की कमी और घाटी में अशांति के कारण, परिचालन संबंधी तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई थी।

तथ्य यह रहता है कि लक्ष्यों को निर्धारित करने से पहले निगम को आयु पार बेड़े, जनशक्ति की कमी इत्यादि जैसी बाध्यताओं पर विचार करना चाहिए।

नमूना इकाइयों और आगार (उप-आगारों को सम्मिलित करते हुए) में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य इन इकाइयों के उपलब्ध सामान्य बेड़े के 65 प्रतिशत और 87 प्रतिशत के बीच रहे तथा इसी अवधि के दौरान ₹119.20 करोड़ की सीमा तक प्रस्तावित राजस्व संग्रहण में समग्र कमी⁹ सहित प्रवर्ती बेड़े के लक्ष्यों की प्राप्ति में 15 प्रतिशत और 69 प्रतिशत के बीच कमी रही जैसा कि **परिशिष्ट 6.1.3** में विवरण दिया गया है।

डोडा आगार में प्रवर्ती बेड़े के लक्ष्यों की प्राप्ति में सर्वाधिक कमी पायी गयी, वहाँ कमी 64 प्रतिशत और 69 प्रतिशत के बीच रही।

प्रबंध निदेशक ने कहा (जनवरी 2020) कि बसें विशेष/ आपातकालीन अवसर पर सरकारी माँग/ आवश्यकता को पूरी करने के लिए खड़ी रखी गई हैं। यह भी कहा गया था कि अन्तर-जिला मार्गों पर, निगम हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी)/ निजी प्रचालकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करता है, हालांकि, लोगों की सुविधा के लिए अनुत्पादक मार्गों पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। बसों की पार्किंग हेतु कारणों के लिए हड़तालें, नयी अच्छी गुणवत्ता वाली एलसीवी/ बसों के साथ पुराने बेड़े के प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होने और वाहनों/ जनशक्ति की रोक को जिम्मेदार ठहराया। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निगम एक वाणिज्यिक संगठन है और यह


⁹ वसूल किये गए वास्तविक राजस्व को घटाकर वर्ष हेतु लक्ष्यों के निर्धारण के दौरान कंपनी द्वारा प्रस्तावित राजस्व के बीच का अंतर।

निजी संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु बाध्य है। इसके अतिरिक्त, निगम को उचित वित्त पोषण द्वारा इसके बेड़े या तो ऋण या सरकार से सहायता लेकर अद्यतित करने की आवश्यकता है।

6.1.8 परिचालन संबंधी मामले

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के अनंतिम लेखाओं के आधार पर निगम के परिचालनों के परिणामों को दर्शाते हुए, कार्यप्रणाली परिणामों को **परिशिष्ट 6.1.4** में दिया गया है। निगम के परिचालन राजस्व, जिसमें यातायात प्राप्तियों, पास एवं सीजन टिकटों, रियायती पासों के प्रति प्रतिपूर्ति, किमी (केएम) योजना के अंतर्गत निजी प्रचालकों से वसूला गया भाड़ा इत्यादि शामिल थे, में वर्ष 2015-16 में ₹78.54 करोड़ निम्नतम रहने के साथ वर्ष 2014-15 में ₹83.09 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹79.71 करोड़ (चार प्रतिशत) तक की कमी रही। हालांकि, इसी अवधि के दौरान परिचालन व्यय, जिसमें निर्धारित लागत (कार्मिक, मूल्यहास, ब्याज), परिवर्ती लागत (ईंधन/ लूब्रीकेन्ट्स, टायर/ ट्यूब, अतिरिक्त पुर्जे) और ओवरहेड लागत शामिल थी, में वर्ष 2014-15 में ₹119.48 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹147.71 करोड़ तक 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, परिचालनों के प्रभावी किमी¹⁰ वर्ष 2014-15 में 242.23 लाख किमी से वर्ष 2018-19 में 196.08 लाख किमी तक 46.15 लाख किमी (19 प्रतिशत) की कमी रही, लागत और प्राप्तियाँ प्रति किमी की वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट 6.1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.1.2: लागत और प्राप्तियों की वर्ष-वार प्रवृत्ति




(स्रोत: निगम के अभिलेख)

¹⁰ निगम के बेड़े द्वारा चली गई दूरी।

यद्यपि, निगम के प्रति किमी परिचालन राजस्व में वर्ष 2014-15 में ₹34.30 से वर्ष 2018-19 में ₹40.65 (18.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, प्रति किमी निर्धारित लागत में ₹53.02 से ₹87.42 (64.88 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई और परिचालन लागत में ₹73.85 से ₹117.73 (59.42 प्रतिशत) प्रति किमी तक वृद्धि हुई। इसने प्रति किमी परिचालनात्मक निवल प्राप्तियों को प्रभावित किया जो घटकर (-) ₹33.63 से (-) ₹67.39 (चार्ट 6.1.3) तक हो गयी। प्रति किमी परिचालन लागत (मूल्यहास और ब्याज को शामिल न करते हुए) में भी वर्ष 2014-15 में ₹49.33 से वर्ष 2018-19 में (परिशिष्ट 6.1.4) ₹75.33 तक की वृद्धि हुई तथा प्रति किमी परिचालन निवल प्राप्तियाँ घटकर (-) ₹15.03 से (-) ₹34.68 तक हो गयी। इसने संचित हानियों की वृद्धि में योगदान दिया था जो वर्ष 2014-15 में (-) ₹1,229.56 करोड़ से वर्ष 2018-19 में (-) ₹1,639.01 करोड़ (33 प्रतिशत) तक हो गयीं। निगम की निवल प्राप्तियों में वर्ष-वार कमी को चार्ट 6.1.3 में दर्शाया गया है तथा हानियों के कारणों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

चार्ट 6.1.3: वर्ष 2014-2019 की अवधि के दौरान निगम की प्रति किमी निवल प्राप्तियों में हास

(₹ में)



(स्रोत: निगम के अभिलेख)

6.1.9 निगम का परिचालन निष्पादन

6.1.9.1 बेड़ा संख्या

प्रबंधन को इसके उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए कुशलतापूर्वक व्यवसाय परिचालनों को संचालित करने हेतु इसकी परिसंपत्तियों का प्रबंध एवं संवृद्धि करना अपेक्षित है। निगम वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान इसकी बेड़ा संख्या सुधारने के लिए वाहनों की पर्याप्त संख्या जोड़ने में समर्थ नहीं था। इसके विपरीत 142 नये वाहनों¹¹ को जोड़ने के बावजूद वाहनों की संख्या 14 प्रतिशत (964 से 831) तक कम हो गई थी। आयु पार वाहनों को शामिल करते हुए, पिछले पाँच वर्षों के दौरान निगम की बेड़ा संख्या को तालिका 6.1.4 में दिया गया है।

तालिका 6.1.4: निगम की बेड़ा संख्या

| वर्ष | बसें | ट्रक | कुल | आयु पार वाहनों की संख्या | | | आयु पार बेड़े का प्रतिशत |
|---------|------|------|-----|--------------------------|------|-----|--------------------------|
| | | | | बसें | ट्रक | कुल | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)= (7/4)*100 |
| 2014-15 | 610 | 354 | 964 | एनए ¹² | एनए | एनए | एनए |
| 2015-16 | 610 | 354 | 964 | 340 | 253 | 593 | 62 |
| 2016-17 | 529 | 318 | 847 | 244 | 204 | 448 | 53 |
| 2017-18 | 525 | 318 | 843 | 213 | 202 | 415 | 49 |
| 2018-19 | 512 | 319 | 831 | 191 | 142 | 333 | 40 |

(स्रोत: वर्ष 2014-15 से 2018-19 हेतु निगम के निष्पादन प्रतिवेदन /निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)


प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित किए गए (जनवरी 2011) मानदण्डों¹³ के अनुसार, चार लाख किमी से अधिक चलने वाली या दस वर्ष पुरानी बसें और पाँच लाख किमी से अधिक चलने वाले या 12 वर्ष पुराने ट्रक, जो भी बाद में हो, अनुपयोगी घोषित करने हेतु शेष हैं। परिभाषित मानदण्डों के बावजूद, वर्ष 2015-2016 से 2018-2019 की अवधि के दौरान निगम द्वारा चलाए गए आयु पार वाहन 40 प्रतिशत और 62 प्रतिशत के बीच रहे जैसा कि चार्ट 6.1.4 में देखा जा सकता है।

¹¹ ट्रक: 76; बसें: 66

¹² उपलब्ध नहीं।

¹³ परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या: 6 टीआर-2011 द्वारा निर्धारित।


चार्ट 6.1.4: वर्ष-वार बेड़ा संख्या और निगम के आयु पार वाहन



(स्रोत: वर्ष 2014-15 से 2018-19 हेतु निगम के निष्पादन प्रतिवेदन/ निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

निगम परिचालन राजस्व को अर्जित करने में विफल रहा, और प्रति किमी परिचालन हानि¹⁴ वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान ₹15.03 प्रति किमी से ₹34.68 प्रति किमी के बीच रही जैसा कि चार्ट 6.1.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.1.5: परिचालन लागत प्रति किमी की तुलना में प्रति किमी अर्जन



(स्रोत: निगम के अभिलेख)

6.1.9.2 वाहनों/ बेड़ों की उपयोगिता

निगम द्वारा रोके गए वाहनों की वर्ष-वार प्रवर्ती संख्या तालिका 6.1.5 में दी गई है।

¹⁴ वर्ष के दौरान वाहनों के चलाने से प्रति किमी राजस्व प्राप्तियों से उस वर्ष के दौरान चलाने की प्रति किमी परिचालन लागत (निर्धारित और परवर्ती लागत मूल्यहास एवं ब्याज को शामिल न करते हुए) को कम करके।

तालिका 6.1.5: वाहनों की प्रवर्ती संख्या

| वर्ष | रोके गए वाणिज्यिक बेड़े | परिचालित बेड़ा | | अप्रयुक्त बेड़ा | | रोक | |
|---------|-------------------------|----------------|---------|-----------------|---------|------|---------|
| | | वाहन | प्रतिशत | वाहन | प्रतिशत | वाहन | प्रतिशत |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2014-15 | 914 | 469 | 51 | 45 | 5 | 400 | 44 |
| 2015-16 | 820 | 443 | 54 | 41 | 5 | 336 | 41 |
| 2016-17 | 786 | 436 | 55 | 60 | 8 | 290 | 37 |
| 2017-18 | 746 | 442 | 59 | 63 | 8 | 241 | 32 |
| 2018-19 | 797 | 416 | 52 | 148 | 19 | 233 | 29 |

(स्रोत: निगम के अभिलेख)

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान रोके गए बेड़े का परिचालन 51 और 59 प्रतिशत के बीच रहा तथा कार्यशाला में वाहनों की रोक 29 और 44 प्रतिशत के बीच रही। इसलिए, निगम में अप्रयुक्त पड़े हुए वाहनों की संख्या वर्ष 2014-15 में पाँच प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 19 प्रतिशत तक बढ़ गयी।

नमूना इकाइयों, आगार और उप-आगारों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान कार्यशालाओं में वाहनों की रोक 15 से 35 प्रतिशत की प्रस्तावित रोक से अधिक थी। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान कार्यशालाओं में वाहनों की वास्तविक रोक 26 से 80 प्रतिशत के बीच रही और इन प्रावधानों से अधिक थी, जिसने ₹135.88 करोड़ की सीमा तक राजस्व सृजन को प्रभावित किया जैसा कि **परिशिष्ट 6.1.5** में विवरण दिया गया है।

प्रबंध निदेशक ने कहा (जनवरी 2020) कि वाहनों की थोड़ी संख्या प्रतिस्थापित कर दी गई है जिसका परिणाम निगम के आयु पार बेड़े के गैर-प्रतिस्थापन के रूप में हुआ। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि हड़तालें/ बंद और अन्य सुरक्षा संबंधी मामले, कार्यशालाओं में तकनीकी जनशक्ति की कमी होने का परिणाम बेड़े की कम उपयोगिता के रूप में हुआ।

हालांकि, तथ्य यह रहता है कि निगम कुशलतापूर्वक वाहनों/ बेड़े की उपयोगिता को नहीं सुधार सका। दस नमूना इकाइयों¹⁵ में किये गये लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 88.7 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत (एआईए)¹⁶ की तुलना में, वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान औसत प्रवर्ती बेड़ा 20 और 79 प्रतिशत

¹⁵ एमपीएस, जम्मू; एमपीएस, श्रीनगर; एमटीएस, श्रीनगर; एमटीएस, जम्मू; टीएम लोड, जम्मू; टीएम लोड, श्रीनगर; डोडा आगार; उप-आगार, किशतवाड; उप-आगार, रामबन; प्रबंधक सिटी सेवा डिवीजन, श्रीनगर।

¹⁶ वर्ष 2016-17 हेतु केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान के प्रतिवेदनानुसार, बेड़ा उपयोगिता का एआईए (रोके गए कुल बेड़े का प्रवर्ती बेड़ा)।

के बीच रहा था। जैसा कि **परिशिष्ट 6.1.6** में विवरण दिया गया है, अखिल भारतीय औसत की तुलना में, बेड़े की कम उपयोगिता ने ₹284.75 करोड़ तक राजस्व अर्जन को प्रभावित किया है।

6.1.9.3 मार्गों की व्यवहार्यता

परिचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए, नये मार्ग को आरंभ से पहले मार्गों का लागत लाभ विश्लेषण किया जाना था। लेखापरीक्षा ने प्रबंधक यात्री सेवा, जम्मू और प्रबंधक पर्यटक सेवा, जम्मू के अधिकार क्षेत्र में 22 मार्गों में से 13 का विश्लेषण किया। यह पाया गया कि:

(I) नौ मार्गों पर परिचालन (तालिका 6.1.6) या तो किसी भी लागत लाभ विश्लेषण के बिना या उच्च प्राधिकारियों के अनुदेशों पर प्रारंभ किया गया।

तालिका 6.1.6: राजस्व प्राप्ति की तुलना में परिचालित मार्गों और तेल पर किये गये व्यय

(₹ लाख में)

| क्र.स. | मार्ग का नाम | अवधि | निष्पादित यात्रायें (संख्या में) | ईंधन की लागत | अर्जित राजस्व | अंतर |
|--------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5-6) |
| 1. | बनिहाल-जम्मू-बनिहाल | जुलाई 2017 से मई 2018 | 149 | 3.96 | 1.88 | 2.08 |
| 2. | जम्मू-रबीता बुरगनी | सितंबर 2018 से फरवरी 2019 | 59 | 0.92 | 0.70 | 0.22 |
| 3. | जम्मू-शिवखोरी | मई 2014 से फरवरी 2018 | 75 | 2.30 | 1.55 | 0.75 |
| 4. | जम्मू-बामयाल | अप्रैल 2014 से फरवरी 2018 | 163 | 1.78 | 1.38 | 0.40 |
| 5. | जम्मू-चिगयाल-जम्मू | मार्च 2018 से अगस्त 2018 | 180 | 1.95 | 1.48 | 0.47 |
| 6. | महिला स्पेशल | अप्रैल 2016 से सितंबर 2018 | 1,557 | 5.17 | 1.02 | 4.15 |
| 7. | सचिवालय सेवायें | अप्रैल 2014 से मार्च 2019 | 2,845 | 9.61 | 5.69 | 3.92 |
| 8. | जगती महिला स्पेशल | अक्टूबर 2014 से मार्च 2019 | 1,468 | 7.96 | 4.33 | 3.63 |
| 9. | जम्मू-कटरा श्रीनगर | अप्रैल 2014 से मार्च 2019 | 12,067 | 7.59 | 1.92 | 5.67 |

(स्रोत: निगम के अभिलेख)

जैसा कि तालिका 6.1.6 में देखा जा सकता है, निगम इन नौ मार्गों पर परिचालनों से ईंधन की लागत की वसूली भी नहीं कर सका।

इसके अतिरिक्त, अर्जित राजस्व की तुलना में यात्रा की समग्र लागत के कुछ उदाहरणों का विवरण तालिका 6.1.7 में दिया गया है।

तालिका 6.1.7: अर्जित राजस्व और तेल, चालक/ परिचालक एवं आकस्मिक व्यय पर किया गया खर्च

(₹ लाख में)

| क्र सं. | सेवा का नाम | सेवा के दिन | परिचालन की अवधि | निष्पादित यात्रायें (संख्या में) | आकस्मिक खर्च | ईंधन की लागत और चालक/ परिचालक पर व्यय | कुल | अर्जित राजस्व | अंतर |
|---------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) = (8-9) |
| 1. | चंबा मण्डी | 2 दिन | मई 2015 से अप्रैल 2016 | 235 | 0.09 | 7.22 | 7.31 | 7.30 | 0.01 |
| 2. | बटोट | 2 दिन | जुलाई 2017 से अगस्त 2017 | 22 | 0.01 | 0.62 | 0.63 | 0.56 | 0.07 |
| 3. | फरोसी दरताल | 2 दिन | अगस्त 2015 से अक्टूबर 2015 | 73 | 0.03 | 2.66 | 2.69 | 2.22 | 0.47 |
| 4. | गजंसू चरगली | 1 दिन | जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 | 53 | 0.02 | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.07 |
| | कुल | | | | 0.15 | 10.78 | 10.93 | 10.31 | 0.62 |

(स्रोत: निगम के अभिलेख) (यात्रा आकस्मिक खर्च की गणना चालक ₹25 प्रति यात्रा; परिचालक ₹15 प्रति यात्रा के आधार पर)

तालिका 6.1.7 में दिए गए उदाहरणों में, यात्राओं की समग्र लागत जिसमें ₹10.93 लाख की राशि की ईंधन की लागत, चालक/ परिचालक पर व्यय और यात्रा के आकस्मिक व्यय शामिल हैं, इन परिचालनों के माध्यम से अर्जित ₹10.31 लाख के राजस्व से प्राप्त नहीं किये जा सके।

इसे इंगित किये जाने पर, प्रबंधक यात्री सेवार्यें (एमपीएस) जम्मू ने पुष्टि की (अगस्त 2019) कि भविष्य में परिचालनों को आरंभ करने से पूर्व मार्गों का लागत विश्लेषण किया जाएगा। हालांकि, प्रबंधक पर्यटक सेवा (एमटीएस), जम्मू ने कहा कि मार्गों की लाभप्रदता की इस कार्यालय द्वारा निगरानी नहीं की जाती है क्योंकि बसों का परिचालन जीएम कार्यालय से निदेशित होता था। तथ्य यह रहता है कि निगम ने अव्यवहार्य मार्गों पर परिचालन किया और विवेकपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण का संचालन नहीं किया।

(II) नमूना इकाइयों¹⁷ में चलने वाले वाहनों¹⁸ की ₹178.55 करोड़ की परिचालन लागत ₹154.16 करोड़ के अर्जित राजस्व से अधिक थी, जिसका परिणाम वर्ष 2014-19 के दौरान ₹24.39 करोड़ के घाटे के रूप में हुआ।

एमपीएस, जम्मू ने कहा (अगस्त 2019) कि इकाई परिचालन लागत को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठायेगा। हालांकि, एमपीएस, श्रीनगर ने कहा कि जेकेएसआरटीसी एक सार्वजनिक उपक्रम है इसलिए इसे, उन मार्गों पर बसें चलाने की आवश्यकता होती है जिन पर निजी क्षेत्रों द्वारा वाहन नहीं चलाये जाते हैं।

(III) प्रबंधक, पर्यटक सेवायें (एमटीएस), श्रीनगर और सिटी सेवा श्रीनगर के संबंध में, बेड़े या तो मांग की आवश्यकता या चालकों की आवश्यकता के कारण अप्रयुक्त रहे। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान सिटी सेवा श्रीनगर में प्रतिदिन लगभग चार से सात तक की औसत से वाहन अप्रयुक्त रहे, जबकि एमटीएस, श्रीनगर में प्रतिदिन लगभग 13 से 43 तक की औसत से वाहन अप्रयुक्त रहे। इसके अतिरिक्त, सिटी सेवा डिवीजन, श्रीनगर में, प्रत्येक बस ने शहर में प्रतिदिन लगभग एक यात्रा निष्पादित की, जिसने इकाई में बसों की कम उपयोगिता की पराकाष्ठा को इंगित किया। इसलिए, वाहनों की कम उपयोगिता/ अप्रयुक्तता ने वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान इन दो इकाइयों की समग्र राजस्व प्राप्तियों को ₹19.43 करोड़¹⁹ तक प्रभावित किया है।

प्रबंधक, सिटी सेवा ने सूचित किया कि बसें मांग की आवश्यकता के कारण अप्रयुक्त रहीं, जबकि एमटीएस श्रीनगर ने जवाब दिया कि घाटी की मौजूदा स्थिति, अपर्याप्त कर्मिदल और पर्यटकों के कम आने के कारण, वाहन अप्रयुक्त रहे।

प्रबंध निदेशक ने कहा (जनवरी 2020) कि जेकेएसआरटीसी ने सरकारी संगठन होने के नाते समाज के प्रति सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए इसकी सेवाओं को परिनियोजित किया। जेकेएसआरटीसी स्थानीय जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए, आपातकालीन परिस्थितियों इत्यादि में अनुत्पादक और कठोर मार्गों पर वाहन परिनियोजित करता है।

¹⁷ प्रबंधक यात्री सेवा जम्मू (अंतरराज्यीय डिवीजन): ₹8.93 करोड़; प्रबंधक यात्री सेवा जम्मू (जिला सेवा): ₹1.79 करोड़; प्रबंधक यात्री सेवा श्रीनगर: ₹9.17 करोड़; यातायात प्रबंधक शहर सेवा श्रीनगर: ₹4.50 करोड़।

¹⁸ एचएसडी की लागत, चालक और परिचालक का वेतन, कर और ट्रिप मनी इत्यादि।

¹⁹ सिटी सेवा श्रीनगर: ₹1.60 करोड़; एमटीएस श्रीनगर: ₹17.83 करोड़।

हालांकि, तथ्य यह रहता है कि हानियों को नियंत्रित करने के लिए परिचालन को आरंभ करने से पूर्व नये मार्गों का पर्याप्त सर्वेक्षण करना आवश्यक है।

6.1.9.4 अनुसूचित परिचालन

समीक्षा की अवधि के दौरान यह देखा गया, कि निगम के पाँच प्रमुख आगारों में से केवल एमपीएस, श्रीनगर, जम्मू और डोडा में बसों के परिचालन हेतु अनुसूचियाँ थी, जबकि श्रीनगर एवं जम्मू दोनों एमटीएस के मामले में, बसों के परिचालन हेतु कोई नियमित अनुसूची तैयार नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निगम या तो वाहनों की अनुपलब्धता या अन्य अवसंरचना संबंधी मामलों के कारण अनुसूचित यात्राओं का निष्पादन नहीं कर सका। दो डिवीजनों एमपीएस, श्रीनगर और डोडा की नमूना-जाँच के दौरान निम्नलिखित बिन्दु पाये गये:

- एमपीएस, श्रीनगर में वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान अनुसूचित परिचालनों का गैर-निष्पादन 24 प्रतिशत (5,809 यात्राएं) और 51 प्रतिशत (12,059 यात्राएं) के बीच रहा जिसका ₹10.47 करोड़ का संभाव्य वित्तीय निहितार्थ था। एमपीएस, श्रीनगर ने कहा (सितंबर 2019) कि वाहनों की भारी रोक और यात्राओं द्वारा निगम के वाहनों को पसंद नहीं करने के कारण इकाई बसों को नहीं चला सकी। यह भी कहा गया था कि इस इकाई को अंतरराज्यीय परिचालन से पुराने और निम्न स्तर के वाहनों को उपलब्ध कराया गया था जिसका परिणाम उनके बार-बार खराब होने के कारण अनुसूचित यात्राओं को छोड़ने और परिणामतः जेकेएसआरटीसी बसों में यात्रियों के कम प्रवाह के रूप में हुआ।
- इसी प्रकार, डोडा जिले में वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान ₹7.40 करोड़ तक राजस्व प्राप्तियों को प्रभावित करते हुए, 38,478²⁰ अनुसूचित यात्रायें छूट गयी थी। आगार प्रबंधक, डोडा ने कहा (सितंबर 2019) कि वाहनों और पर्याप्त कार्यशाला सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण, अनुसूची यात्रायें निष्पादित नहीं की जा सकीं। यह इस तथ्य का सूचक है कि अन्य इकाइयों में बेड़े की उपलब्धता के बावजूद, निगम इन मार्गों पर वाहन चलाने में विफल रहा।

²⁰ डोडा: 13,101; किश्तवाड: 12,276; रामबन: 13,101

- निगम ने पारस्परिक एमओयू/ करारों/ अस्थायी अनुमतियों के अनुसार, पड़ोसी राज्यों अर्थात् पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश (यूपी), उत्तराखण्ड, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में बसें चलाई। निष्पादित यात्राओं की अनुसूची किलोमीटर चलाई/ यात्री-आधार/ भाडा-आधार इत्यादि के अनुसार विनियमित की जाती है। ये एमओयू/ करार/ अस्थायी अनुमतियाँ 13 से 30 वर्षों पुरानी²¹ थी। निगम एमओयू/ करारों/ अस्थायी अनुमतियों के अनुसार अवसर का पूरी तरह लाभ नहीं उठा सका क्योंकि यह इन मार्गों पर कुल 65,411 यात्रायें निष्पादित करने में समर्थ नहीं था। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान ₹61.15 करोड़ के संभाव्य परिचालन राजस्व का उपार्जन नहीं किया जा सका जैसा कि तालिका 6.1.8 में विवरण दिया गया है।

तालिका 6.1.8: अंतरराज्यीय मार्गों पर अनुसूचित परिचालनों का वर्ष-वार गैर-निष्पादन

| वर्ष | अनुसूची यात्राएं | निष्पादित यात्राएं | यात्राएं निष्पादित नहीं की गईं | यात्राओं का निष्पादन नहीं करने के कारण राजस्व हानि ²² (₹ करोड़ में) |
|------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2014-15 | 24,741 | 12,649 | 12,092 | 9.78 |
| 2015-16 | 24,741 | 11,865 | 12,876 | 11.57 |
| 2016-17 | 24,741 | 11,240 | 13,501 | 13.01 |
| 2017-18 | 24,741 | 10,992 | 13,749 | 13.42 |
| 2018-19 | 24,741 | 11,548 | 13,193 | 13.36 |
| कुल | 1,23,705 | 58,294 | 65,411 | 61.15 |

(स्रोत: निगम के अभिलेख)

- अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निगम ने एमओयू/ पारस्परिक करारों में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर अन्य राज्यों²³ को अग्रिम कर का भुगतान किया था। लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि निगम ने चार राज्यों में बसों की अपेक्षित संख्या नहीं चलायी जिसका परिणाम अनुसूचित यात्राओं के गैर-निष्पादन के रूप में हुआ जिसके लिए ₹82.59 लाख²⁴ के यात्री कर का भुगतान किया गया था। प्रबंध निदेशक ने (जनवरी 2020) कहा कि बेड़े की अनुपलब्धता, अवरोध एवं हड़तालों के कारण अनुसूचित यात्रायें छूट गई थी और अनावश्यक भुगतानों से बचने के लिए

²¹ पंजाब: जून 1983/ सितंबर 1988; हिमाचल: नवंबर 1986/ नवंबर 1999; हरियाणा: जून 1976/ नवंबर 2005; राजस्थान: दिसंबर 2000; उत्तराखण्ड: अगस्त 2004; यूपी: उपलब्ध नहीं।

²² प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक मार्ग पर एक यात्रा से अर्जित औसत राजस्व के आधार पर गणना की गई।

²³ पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड।

²⁴ पंजाब: ₹71.76 लाख; राजस्थान: ₹2.67 लाख; उत्तरप्रदेश: ₹5.29 लाख; उत्तराखण्ड: ₹2.87 लाख।

यात्री कर के भुगतान संबंधी मामले की जाँच की जाएगी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने न केवल अनुसूचित यात्राएं छोड़ी बल्कि पुराने करारों का नवीनीकरण भी नहीं कर पाया जिसका परिणाम ₹82.59 लाख के यात्री कर के निष्फल भुगतान के रूप में हुआ।

6.1.9.5 सूदूर क्षेत्रों में परिचालन

निगम सुदूर क्षेत्रों की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी आदेशित है जिससे पिछड़ी जनसंख्या मुख्य शहरी क्षेत्रों से जुड़ सके। दो इकाइयों एमपीएस, जम्मू यातायात प्रबंधक, डोडा की नमूना-जाँच से पता चला कि एमपीएस, जम्मू को आबंटित आठ सुदूर मार्गों में से केवल एक मार्ग ही वर्ष 2015 से 2018 की अवधि के दौरान परिचालित किया गया था। हालांकि, वर्ष 2018-19 के दौरान इन सुदूर मार्गों में से कोई भी परिचालित नहीं किया गया था। इसी प्रकार, प्रबंधक डोडा जिले के अंतर्गत 45 सुदूर क्षेत्र प्रवर्ती मार्गों में से केवल 11 ही परिचालनात्मक थे। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के जवाब में, एमपीएस, जम्मू द्वारा यह कहा गया था कि ये मार्ग उच्च प्राधिकारियों के अनुदेशों पर परिचालित किए गए थे और बाद में इन्हें अलाभप्रदता के कारण बंद कर दिया गया था। यातायात प्रबंधक, डोडा ने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान आगार में बेड़े की अनुपलब्धता एवं वाहनों की भारी रोक के कारण 24 से 29 मार्गों का परिचालन नहीं किया जा सका।

प्रबंध निदेशक ने कहा (जनवरी 2020) कि सुदूर क्षेत्रों में परिचालन ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर परिचालन हेतु सक्षम यांत्रिक रूप से उपयुक्त बेड़े की अनुपलब्धता से प्रभावित थे। यह भी कहा गया था कि इन क्षेत्रों में यात्री प्रवाह को देखने के बाद, निजी प्रचालकों ने इन मार्गों पर अपने वाहनों का परिचालन आरंभ किया, अतः सेवार्यें रोक दी गईं।

अतः सुदूर क्षेत्रों में ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर परिचालन हेतु सक्षम यांत्रिक रूप से उपयुक्त बेड़े के अभाव के कारण निगम सुदूर क्षेत्रों में नियमित रूप से परिचालनों के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका।

6.1.9.6 ईंधन की खपत

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और लुब्रीकेन्ट पर ₹986.02 करोड़ के कुल व्यय में से ₹159.77 का व्यय किया गया था जो समग्र व्यय का लगभग 16 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने एचएसडी की खपत की तुलना 4.95²⁵ किलो मीटर प्रतिलीटर (केएमपीएल) के अखिल भारतीय औसत के संदर्भ में की, जैसा कि तालिका 6.1.9 में विवरण दिया गया है।

तालिका 6.1.9: अखिल भारतीय औसत की तुलना में एचएसडी की अधिक खपत

| वर्ष | कवर किए गए कुल किमी (लाख में) | जारी ईंधन (लाख लीटर में) | ईंधन की लागत (₹लाख में) | औसत केएमपीएल | एआईए के अनुसार खपत किए जाने वाला ईंधन (लीटर लाख में) कॉ-2/4.95 | ईंधन की अधिक खपत (लीटर लाख में) कॉ- (3-6) | प्रति लीटर ईंधन की औसत लागत (₹ में) (कॉ 4/3) | राजस्व निहितार्थ (₹ लाख में) (कॉ 7x8) |
|------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--|---|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2014-15 | 244.53 | 60.01 | 3,652.28 | 4.07 | 49.40 | 10.61 | 60.86 | 645.72 |
| 2015-16 | 233.28 | 56.26 | 2,837.66 | 4.15 | 47.13 | 9.13 | 50.44 | 460.52 |
| 2016-17 | 217.31 | 52.42 | 2,903.89 | 4.15 | 43.90 | 8.52 | 55.40 | 472.01 |
| 2017-18 | 213.60 | 51.77 | 3,134.65 | 4.13 | 43.15 | 8.62 | 60.55 | 521.94 |
| 2018-19 | 199.34 | 47.77 | 3,448.17 | 4.17 | 40.27 | 7.50 | 72.18 | 541.35 |
| कुल | | | | | | 44.38 | | 2,641.54 |

(स्रोत: 2014-15 से 2018-19 के लिए निष्पादन प्रतिवेदन और तुलन पत्र-आँकड़े)

जैसा कि तालिका 6.1.9 से देखा जा सकता है, वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 4.07 से 4.17 केएमपीएल की सीमा में औसत ईंधन खपत 4.95 केएमपीएल की अखिल भारतीय औसत से कम थी जिसका परिणाम ₹26.42 करोड़ मूल्य के 44.38 लाख लीटर अधिक ईंधन की खपत के रूप में हुआ।

सात नमूना इकाइयों²⁶ के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निगम द्वारा विभिन्न मार्गों पर ईंधन की खपत का पैमाना निर्धारित नहीं किया गया था। इन इकाइयों में बस बेड़े से संबंधित औसत ईंधन खपत 3.71 केएमपीएल और 4.51 केएमपीएल के बीच रही, जबकि ट्रक बेड़े के संबंध में यह 3.44 केएमपीएल तथा 3.90 केएमपीएल के बीच रही जैसा कि **परिशिष्ट 6.1.7** में विवरण दिया गया है। निगम ने ईंधन की खपत के लिए पैमाने के मानकीकरण हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं।

²⁵ वर्ष 2016-17 हेतु राज्य उपक्रमों के निष्पादन पर प्रतिवेदन, केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान।

²⁶ सिटी सेवा, श्रीनगर, एमटीएस, श्रीनगर, एमटीएस, जम्मू, एमपीएस, जम्मू, एमपीएस, श्रीनगर, यातायात प्रबंधक लोड, जम्मू, यातायात प्रबंधक लोड, श्रीनगर।

जवाब में, प्रबंध निदेशक ने कहा (जनवरी 2020) कि पुराने बेड़े और पहाड़ी इलाके के कारण ईंधन-पैमाना नहीं बनाया जा सका। आगे यह कहा गया था कि ईंधन की खपत को न्यूनतम करने के लिए मामले की समीक्षा की जाएगी। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निगम को ईंधन की खपत में मितव्ययता, जवाबदेही और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग मार्ग पर प्रत्येक अलग तरह के वाहन हेतु खपत के पैमाने का मानकीकरण करना चाहिए।

6.1.10 ट्रक बेड़े का परिचालन

निगम के पास दो मुख्य इकाइयाँ हैं, एक जम्मू और एक श्रीनगर में जो कि ट्रकों के परिचालन की अनवेक्षा करती हैं। वर्ष 2014-19 के दौरान ट्रक बेड़े की स्थिति तालिका 6.1.10 में दी गई है।

तालिका 6.1.10: ट्रक बेड़े की स्थिति

(ट्रकों की संख्या)

| वर्ष | परिचालन हेतु उपलब्ध वाणिज्यिक बेड़े | परिचालित औसत बेड़े | अप्रयुक्त औसत बेड़े | मरम्मत की आवश्यकता हेतु रोक |
|---------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2014-15 | 334 | 211 (63) | 16 (5) | 107 (32) |
| 2015-16 | 306 | 203 (66) | 15 (5) | 88 (29) |
| 2016-17 | 299 | 200 (67) | 31 (10) | 68 (23) |
| 2017-18 | 263 | 193 (73) | 27 (10) | 43 (16) |
| 2018-19 | 315 | 185 (59) | 85 (27) | 45 (14) |

(स्रोत: निगम का योजना विंग, कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत में हैं)

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान परिचालित ट्रकों की औसत बेड़ा संख्या 59 प्रतिशत और 73 प्रतिशत के बीच रही, जबकि उक्त अवधि के दौरान मरम्मत के लिए रोके गए वाहन 14 प्रतिशत और 32 प्रतिशत के बीच थे। शेष अप्रयुक्त ट्रक वर्ष 2014-15 में पाँच प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 27 प्रतिशत हो गये।

वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि हेतु ट्रक इकाइयों के लक्ष्य एवं उपलब्धि नीचे तालिका 6.1.11 में दी गयी है।

तालिका 6.1.11: ट्रक बेड़े से संबंधित इकाई-वार लक्ष्य और उपलब्धि

| इकाई का नाम | वर्ष | रोके गए सामान्य बेड़े | प्रवर्ती बेड़े के लक्ष्य | प्रवर्ती की उपलब्धि | कम प्रवर्ती (प्रतिशत) | राजस्व के लक्ष्य (₹ लाख में) | राजस्व की प्राप्ति (₹ लाख में) | राजस्व में कमी (₹ लाख में) (प्रतिशत) |
|----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| टी. एम. ²⁷ लोड, जम्मू | 2014-15 | 112 | 84 (75) | 63 (75) | 21 (25) | 1,326.51 | 1,075.21 | 251.30 (19) |
| | 2015-16 | 110 | 83 (75) | 57 (69) | 26 (31) | 1,374.30 | 985.59 | 388.71 (28) |
| | 2016-17 | 106 | 90 (85) | 67 (74) | 23 (26) | 1,664.52 | 1,160.09 | 504.43 (30) |
| | 2017-18 | 112 | 95 (85) | 70 (74) | 25 (26) | 1,634.04 | 1,183.87 | 450.17 (28) |
| | 2018-19 | लक्ष्य निर्धारित नहीं थे | | | | | | |
| | कुल | | | | | | 5,999.37 | 4,404.76 |
| टी. एम. लोड, श्रीनगर | 2014-15 | 222 | 167 (75) | 148 (89) | 19 (11) | 2,807.60 | 2,289.04 | 518.56 (18) |
| | 2015-16 | 196 | 147 (75) | 142 (97) | 2 (01) | 2,372.68 | 2,302.10 | 70.58 (3) |
| | 2016-17 | 193 | 164 (85) | 133 (81) | 31 (19) | 2,777.97 | 2,359.32 | 418.65 (15) |
| | 2017-18 | 187 | 159 (85) | 123 (77) | 36 (23) | 2,668.24 | 2,254.20 | 414.04 (16) |
| | 2018-19 | लक्ष्य निर्धारित नहीं थे | | | | | | |
| | कुल | | | | | | 10,626.49 | 9,204.66 |
| | कुल योग | | | | | 16,625.86 | 13,609.42 | 3,016.44 |

(स्रोत: इकाइयों के प्रगति प्रतिवेदन, कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत में हैं, वर्ष 2018-19 के लक्ष्य निर्धारित नहीं थे)

वर्ष 2014 से 2018 की अवधि के दौरान ट्रक बेड़े के परिचालन से राजस्व के लक्ष्य की कमी एक प्रतिशत और 31 प्रतिशत के बीच रही, इस तथ्य के बावजूद कि लक्ष्य कुल उपलब्ध बेड़े के 75 से 85 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किए गए थे। इसने वर्ष 2014 से 2018 की अवधि के दौरान राजस्व लक्ष्यों में कुल ₹30.16 करोड़ की कमी का मार्ग प्रशस्त किया।

इसे इंगित किए जाने पर (जून 2019), यातायात प्रबंधक (लोड), श्रीनगर ने कहा कि एसआरओ (सद्रेय रियासत आदेश) 157²⁸ की समाप्ति के कारण मांग कम हो गई है और राजस्व अर्जन बड़ी सीमा तक प्रभावित हुआ। यह भी कहा गया था कि 44 ट्रक चालकों की आवश्यकता के कारण अप्रयुक्त पड़े हुए हैं। यातायात प्रबंधक, जम्मू ने कहा कि कार्यशाला में वाहनों की भारी रोक के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रही है।

प्रबंध निदेशक ने कहा (जनवरी 2020) कि लक्ष्यों को बेड़े की आयु और रोकों के आधार पर निर्धारित किया गया था। हालांकि, लक्ष्यों को कार्यशालाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति में हास, घाटी में प्रचलित स्थिति, चालकों की कमी इत्यादि के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।

²⁷ यातायात प्रबंधक।

²⁸ एसआरओ 157 के अनुसार, सरकारी विभागों को जेकेएसआरटीसी की सेवाओं का उपयोग करना अनिवार्य था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निगम अन्य निजी अभिकरणों से भार ढोने के लिए ट्रक भाड़े पर ले रहा है और साथ ही अपने स्वयं के ट्रकों को लगातार अप्रयुक्त रखे हुए है। यह इंगित करता है कि मांग के बावजूद, निगम इसके ट्रक बेड़े का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, निगम अनुरक्षण और मरम्मत किए जा रहे वाहनों के साथ संलग्न चालकों का कुशलतापूर्वक बेड़े की इ्यूटी पर उपयोग कर सकता था।

6.1.10.1 ट्रक बेड़े के संबंध में रोक

ट्रक बेड़े को संभलाने वाली दो इकाइयों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान निवल बेड़ा संख्या 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की रोक हेतु प्रावधान²⁹ होने के बावजूद, कार्यशालाओं में वाहनों की अधिक रोक थी। यह देखा गया था कि वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान, ट्रक बेड़े के वाहनों की औसत अधिक रोक चार से 13 वाहन प्रतिदिन के बीच रही जैसा कि तालिका 6.1.12 में विवरण दिया गया है।

तालिका 6.1.12:

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान मरम्मत और अनुरक्षण के लिए कार्यशालाओं में ट्रक बेड़े की इकाई-वार रोक

| इकाइयों के नाम | वर्ष | रोके गए औसत निवल बेड़े ³⁰ | परिचालित औसत बेड़े | रोके गए औसत बेड़े (प्रतिशत) | वर्ष हेतु रोक के प्रावधान | प्रावधान से परे औसत अधिक रोक | प्रति वाहन/दिन अर्जित औसत निवल राजस्व (₹) | अधिक रोक के कारण राजस्व प्रभाव (₹ लाख में) |
|---------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7x8x365 |
| टीएम (लोड), जम्मू | 2014-15 | 109 | 63 | 38 (35) | 27 (25) | 11 | 4631 | 185.93 |
| | 2015-16 | 108 | 57 | 40 (37) | 27 (25) | 13 | 4705 | 223.25 |
| | 2016-17 | 107 | 67 | 27 (25) | 16 (15) | 11 | 5333 | 214.12 |
| | 2017-18 | 107 | 70 | 24 (22) | 16 (15) | 08 | 5512 | 160.95 |
| | 2018-19 | 112 | 75 | 23 (21) | 17 (15) | 06 | 5743 | 125.77 |
| (ए) कुल | | | | | | | | 910.02 |
| टीएम (लोड), श्रीनगर | 2014-15 | 216 | 148 | 63 (29) | 54 (25) | 09 | 4196 | 137.84 |
| | 2015-16 | 206 | 142 | 55 (27) | 51 (25) | 04 | 4503 | 65.74 |
| | 2016-17 | 185 | 133 | 35 (19) | 28 (15) | 07 | 4822 | 123.20 |
| | 2017-18 | 156 | 123 | 20 (13) | 23 (15) | अधिक रोक नहीं | 5260 | 0 |
| | 2018-19 | 198 | 110 | 16 (08) | 30 (15) | | 5991 | 0 |
| (बी) कुल | | | | | | | | 326.78 |
| कुल (ए+बी) | | | | | | | | 1,236.80 |

(स्रोत: इकाइयों के प्रगति प्रतिवेदन, कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत में हैं, वर्ष 2018-19 के लक्ष्य निर्धारित नहीं थे)

²⁹ जैसा कि 2014-15 से 2017-18 वर्षों के लिए लक्ष्यों में इंगित किया गया। चूँकि वर्ष 2018-19 हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं थे, वर्ष 2017-18 के प्रावधानों को इंगित किया गया।

³⁰ नीलामी या अन्य इकाइयों को हस्तांतरित करने हेतु रखे गए बेड़े को छोड़कर कुल बेड़ा।

जैसा कि तालिका 6.1.12 से स्पष्ट है, प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित मानदण्डों से अधिक ट्रक बेड़े की रोक से वर्ष 2014 से 2019 के दौरान निगम की राजस्व प्राप्तियों पर कुल ₹12.37³¹ करोड़ का प्रभाव पड़ा था। इस तथ्य के बावजूद कि ट्रक बेड़े की मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता को पूरा करने हेतु दो पूर्ण विकसित कार्यशालायें थी, निगम अतिरिक्त पुर्जों, टायरों इत्यादि के अभाव के कारण ट्रक बेड़े की अतिरिक्त अप्रयुक्त रोक अवधि को सीमित करने में विफल रहा।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि रोक न केवल कार्यशालाओं में मरम्मत के कारण थी बल्कि वाहनों को चालकों की अनुपलब्धता के कारण भी खड़ा किया गया था।

कार्यालय यातायात प्रबंधक (लोड), जम्मू के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि चालक जनवरी 2019 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान औसत छह वाहनों के लिए उपलब्ध नहीं थे, जिनमें ₹35.48 लाख की सीमा तक राजस्व निहितार्थ था। यह कहा गया था कि ज्यादातर चालक वर्ष 2018 से 2019 की अवधि में सेवानिवृत्त हो गए, जिसके परिणामस्वरूप वाहन खड़े रखे गए थे।

इसी प्रकार, कार्यालय यातायात प्रबंधक (लोड), श्रीनगर में चालकों की अनुपलब्धता के कारण 17,671 वाहन दिवस गंवा दिए गए जिसका परिणाम वर्ष 2018 से 2019 की अवधि के दौरान ₹10.80 करोड़ की संभाव्य राजस्व हानि के रूप में हुआ। हालांकि, चालक कार्यशालाओं में रोके गए वाहनों के साथ उपलब्ध थे, किन्तु उन्हें निगम द्वारा परिनियोजित नहीं किया गया था।

जवाब में, प्रबंध निदेशक ने कहा (जनवरी 2020) कि कार्यशालाओं में वाहनों की रोक पर्याप्त रूप में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी, अतिरिक्त कलपुर्जों की अनुपलब्धता और वित्तीय तंगी के कारण थी।

6.1.10.2 माल वाहक वाहनों की मांग की पूर्ति नहीं होना

26 अप्रैल 2001 के *सद्रेय रियासत आदेश* (एसआरओ) 157 के अनुसार, सरकारी विभागों द्वारा केवल जेकेएसआरटीसी से, आवश्यकता के अनुसार ही ट्रकों को भाड़े

³¹ यातायात प्रबंधक (लोड), जम्मू: 2014-15: ₹185.93 लाख; 2015-16: ₹223.25 लाख; 2016-17: ₹214.12 लाख; 2017-18: ₹160.95 लाख और 2018-19: ₹125.77 लाख तथा यातायात प्रबंधक (लोड), श्रीनगर 2014-15: ₹137.84 लाख; 2015-16: ₹65.74 लाख; 2016-17: ₹123.20 लाख; 2017-18: शून्य और 2018-19: शून्य।

पर लेना था। सरकारी विभागों को निजी संस्थाओं से वाहन भाड़े पर लेने से पहले जेकेएसआरटीसी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अपेक्षित था। निगम माल ढोने वाले वाहनों की मांग के आधार पर निजी ट्रांसपोर्टर्स से ट्रकों की कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग (सीएचटी) के प्रति लचीलापन रखता था। यह एसआरओ 157, हालांकि, मार्च 2018 को समाप्त कर दिया था।

यातायात प्रबंधक (लोड), जम्मू की नमूना-जाँच से पता चला कि निगम ने वर्ष 2014 से 2019 की अवधि हेतु माल को ढोने के लिए आवश्यकता का आंकलन नहीं किया था। श्रीनगर में भी इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को ट्रकों की कुल मांग प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

ट्रकों की कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग (सीएचटी) को शामिल करते हुए माल ढोने के लिए परिचालन की मांग और आपूर्ति को तालिका 6.1.13 में दिया गया है।

तालिका 6.1.13: माल ढोने के लिए विभिन्न अवसरों पर अपेक्षित ट्रकों की मांग और आपूर्ति

(अवसरों की इकाई संख्या)

| वर्ष | टीएम, जम्मू | | | | टीएम, श्रीनगर | | | |
|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|--|
| | मांग | आपूर्ति | | कमी | मांग | आपूर्ति | | कमी |
| | | जेकेएसआर टीसी | सीएचटी | | | जेकेएसआर टीसी | सीएचटी | |
| 2014-15 | 46,655 | 7,805 | 31,639 | 7,211 | - | - | - | इकाई द्वारा सूचना का प्रावधान नहीं होने के कारण आंकलन नहीं किया जा सका |
| 2015-16 | 62,758 | 10,434 | 41,274 | 11,050 | 26,925 | 26,777 | | |
| 2016-17 | 70,830 | 12,378 | 56,720 | 1,732 | 39,803 | 28,995 | | |
| 2017-18 | 64,101 | 13,426 | 49,851 | 824 | 38,558 | 34,049 | | |
| 2018-19 | 66,936 | 14,679 | 50,041 | 2,216 | 36,805 ³² | - | | |
| कुल | 3,11,280 | 58,722 (19) | 2,29,525 (74) | 23,033 (7) | | | | |

(स्रोत: निगम के अभिलेख)

जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया, वर्ष 2018-19 के दौरान 63 नये ट्रकों की खरीद के बावजूद, जम्मू प्रभाग में ट्रक बेड़ा मांग के अनुसार पर्याप्त वाहनों की आपूर्ति नहीं कर सका। यह भी देखा गया था कि एक तरफ तो, निगम जम्मू में निजी संस्थाओं से ट्रकों को भाड़े पर ले रहा था जबकि दूसरी तरफ श्रीनगर में अपने ट्रकों को अप्रयुक्त रखे हुए था जैसा कि पैराग्राफ 6.1.10.1 में विवरण दिया गया है। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान निगम की जम्मू इकाई इसके स्वयं के बेड़े से

³² कुल परिनियोजन 1,211 अवसरों पर किया गया था।

माल को ढोने के लिए अपेक्षित ट्रकों की आपूर्ति की 19 प्रतिशत मांग ही पूरी कर सकी। विस्तृत आवश्यकता (74 प्रतिशत) को पूरा करने के लिए निजी संविदाकार के विनियोजन के बावजूद, सकल मांग की पूर्ति में कुल सात प्रतिशत की कमी थी। श्रीनगर में ट्रकों की मांग का आंकलन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में दो इकाइयों के मध्य ट्रकों के नियतन का युक्तिसंगत आंकलन नहीं किया जा सका। यह देखा गया था कि यद्यपि 36,805 ट्रक दिवस उपलब्ध थे, वर्ष 2018-19 में श्रीनगर में जेकेएसआरटीसी द्वारा केवल 1,211 ही परिनियोजित किये गये थे।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित (जून 2019) किये जाने पर, यातायात प्रबंधक (लोड), जम्मू द्वारा यह कहा गया था कि जेकेएसआरटीसी की बेड़ा संख्या सीएचटी संविदाकार की तुलना में कम है, जिसके कारण सीएचटी संविदाकार की साझेदारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (एफसीएसएण्डसीए) और अन्य सरकारी विभागों की मांग को पूरा करने में उच्चतर है। इससे यह भी इंगित होता है कि कॉरपोरेट स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आंकलन नहीं किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि कार्यालय यातायात प्रबंधक (लोड), श्रीनगर में निगम के 36 से 100 ट्रक चालकों की आवश्यकता के कारण अप्रयुक्त रहे जिसमें इकाई में 201 के उपलब्ध प्रवर्ती बेड़े का 19 से 50 प्रतिशत शामिल था।

प्रबंध निदेशक ने लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को स्वीकार (जनवरी 2020) किया और कहा कि, मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाएगा।

निजी स्रोतों से वाहनों को किराये पर लेने के प्रावधानों के बावजूद, निगम ने माल वाहक वाहनों की मांग के अनुसार ट्रकों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण राजस्व सृजन के अवसर को गवां दिया।

6.1.10.3 बकाया राशियों की वसूली नहीं होना

निगम सरकारी विभागों के माल का परिवहन करता है और गंतव्य स्थान पर माल की सुपुर्दगी के साक्ष्य के रूप में रसीद (चालान) प्राप्त करता है, जिसके आधार पर प्रत्येक विभाग के प्रति बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। 31 मार्च 2019 तक 52 कार्यालयों से संबंधित सरकारी विभागों से बकाया राशि ₹16.64 करोड़ थी जैसा कि **परिशिष्ट 6.1.8** में विवरण दिया गया है। कार्यालय प्रबंधक (लोड), जम्मू में अभिलेखों

की संवीक्षा (जुलाई 2019) से पता चला कि 31 मार्च 2019 तक ₹16.64 करोड़ की बकाया राशि में से, पिछले तीन से छह वर्षों में अकेले खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रति ₹10.16 करोड़³³ की राशि बकाया थी। इस राशि में ₹45.58 लाख³⁴ सम्मिलित थे जो माल सुपुर्दगी चालानों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रबंध निदेशक ने कहा (जनवरी 2020) कि बकाया राशि के निपटान हेतु मामले का लगातार अनुकरण किया जा रहा है।

यद्यपि, निगम पर्याप्त हानि में चल रहा था, संबंधित विभागों/ अभिकरणों से बकाया राशि को वसूल करने के प्रयास अपर्याप्त थे।

6.1.11 अधिप्राप्ति

निगम भिन्न-भिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदानों से इसकी बसें एवं ट्रक खरीदता है क्योंकि वहाँ पूँजीगत व्यय के वित्त पोषण के लिए कोई आंतरिक संसाधन नहीं हैं। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान निगम ने 348 खराब वाहनों (234 बसों और 114 ट्रकों) की नीलामी की जिसके प्रति यह केवल 142 वाहन (66 नयी बसें³⁵ और 76 नये ट्रक³⁶) प्रतिस्थापित कर सका।

अपने संदृश्य प्रलेख (जुलाई 2018) में, निगम ने 1500 बसों और 1000 ट्रकों के बेड़े की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। हालांकि, इसने अपने स्वयं के संसाधनों, अन्य वित्तीय संस्थानों या सरकार से वित्त पोषण द्वारा नये वाहनों की खरीद के लिए कोई प्रमुख कार्रवाई आरंभ नहीं की। यह इस तथ्य का सूचक था कि ना तो सरकार ना ही निगम इसकी बेड़ा संख्या बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठा रहा था। अपर्याप्त बेड़ा संख्या के कारण, निगम के परिचालन राजस्व में वृद्धि नहीं हुई और यह इसके स्थापना व्यय को प्राप्त करने के लिए भी पूर्णतया सरकारी अनुदानों पर निर्भर था।

³³ 2013-14: ₹2.29 करोड़; 2014-15: ₹1.65 करोड़; 2015-16: ₹5.89 करोड़; 2016-17: ₹0.33 करोड़।

³⁴ 2014-15: ₹2.52 लाख; 2015-16: ₹1.95 लाख; 2016-17: ₹7.83 लाख; 2017-18: ₹11.75 लाख; 2018-19: ₹23.53 लाख।

³⁵ 2014-15: शून्य; 2015-16: शून्य; 2016-17: 13; 2017-18: 63; 2018-19: शून्य

³⁶ 2014-15: शून्य; 2015-16: 02; 2016-17: 16; 2017-18: 32; 2018-19: 16

6.1.11.1 शास्ति की कम कटौती

निगम ने पूरी तरह निर्मित, 44 सीटर बीएस IV वाली 32 बसों की खरीद के लिए आपूर्ति आदेश (दिसंबर 2017) दिए। आपूर्ति आदेश के अनुसार, आदेश के जारी होने के 60 दिनों की अवधि के अंदर बसों की आपूर्ति की जानी थी। 15 दिनों और 15 दिनों से अधिक की आपूर्ति में देरी के लिए क्रमशः ₹800 तथा ₹1,600 प्रति वाहन प्रतिदिन की शास्ति की कटौती अंतिम बिल से की जानी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निगम को 32 बसों की प्राप्ति हुयी थी और 30 और 33 दिनों के बीच की देरी के कारण अंतिम बिल से ₹12.48 लाख की कटौती की गई। हालांकि, बसों की प्राप्ति में 44 दिनों और 47 दिनों³⁷ के बीच की वास्तविक देरी थी और आपूर्तिकर्ता ₹23.49 लाख की अदायगी के लिए उत्तरदायी था। निर्धारित दरों पर शास्ति की वसूली नहीं करने का परिणाम ₹11.01 लाख की कम कटौती के रूप में हुआ।

इसे इंगित (फरवरी 2019) किए जाने पर, यह कहा गया (अगस्त 2019) था कि वसूली महाप्रबंधक (यात्री और सेवायें) के साथ परामर्श करने के पश्चात् की जायेगी।

6.1.11.2 अन्य पुर्जों की खरीद

खरीद/ परिचालन नियमपुस्तक के अनुसार, निगम द्वारा खरीद के घटकों को एबीसी³⁸ श्रेणी में वर्गीकृत करना, मुख्यालय में स्टॉक स्तर की आवधिक समीक्षा, भण्डारों का स्टॉक सत्यापन करना और वाहनों के कलपुर्जों की खपत/ टूट-फूट का वाइटल इसेन्शियल डिजायरेबल (वीईडी) विश्लेषण करना अपेक्षित था। टायर, बैटरी और अन्य पुर्जों की खरीद, थोक खरीद के लिए नामित समितियाँ; विभागीय क्रय समिति (डीपीसी) 1 और छोटी खरीद डीपीसी 2 द्वारा की जाती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान टायरों ट्यूबों, एसेसरीज, बैटरियों और अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति पर ₹28.47 करोड़³⁹ का व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा ने टायर, बैटरियों की आवश्यकता और खरीद को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का परीक्षण किया। टायरों और बैटरियों की सामयिकता एवं कुशलता के आंकलन हेतु,

³⁷ 8 बसें: 44 दिन; 12 बसें: 46 दिन और 12 बसें: 47 दिन।

³⁸ श्रेणी ए वाहन/ पूरी तरह निर्मित इंजन, श्रेणी बी बस टायर, बैटरी, एचएसडी और श्रेणी सी अतिरिक्त पुर्जे और अन्य छोटे कलपुर्जे।

³⁹ टायर्स/ ट्यूब्स/ फ्लैप्स: ₹11.45 करोड़; बैटरी: ₹1.08 करोड़; अतिरिक्त पुर्जे: ₹15.94 करोड़।

वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान निगम द्वारा टायरों और बैटरियों की आवश्यकता और खरीद का विवरण तालिका 6.1.14 दिया गया है।

तालिका 6.1.14: टायरों और बैटरियों की वर्ष-वार खरीद

(संख्या में इकाई)

| वर्ष | आवश्यकता | | वास्तविक खरीद | | कमी | |
|------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | टायर | बैटरी | टायर | बैटरी | टायर | बैटरी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)= (2-4) | (7)= (3-5) |
| 2014-15 | 1,460 | 488 | 1,110 | 430 | 350 | 58 |
| 2015-16 | 2,090 | 585 | 1,686 | 483 | 404 | 102 |
| 2016-17 | 1,453 | 360 | 1,222 | 82 | 231 | 278 |
| 2017-18 | 1,332 | 492 | 886 | 207 | 446 | 285 |
| 2018-19 | 696 | आंकलन नहीं किया गया | 536 | शून्य | 160 | - |
| कुल | 7,031 | 1,925 | 5,440 | 1,202 | 1,591 | 723 |

(स्रोत: निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

7,031 टायर और 1,925 बैटरी की आवश्यकता के प्रति केवल 5,440 टायर (77 प्रतिशत) और 1,202 बैटरियों (62 प्रतिशत) की खरीद की गई थी। इसके अतिरिक्त, निगम ने वित्त वर्ष के आरंभ में अपने कलपुर्जों, बैटरियों, टायरों इत्यादि की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया। निगम द्वारा पूरे वर्ष मांग की गई। परिणामस्वरूप, निगम को समय-समय पर आपूर्ति आदेश देने पड़े थे जिसने इन घटकों की अनुपलब्धता का मार्ग प्रशस्त किया जो कार्यशालाओं में वाहनों की लंबी अवधि तक रोक का कारण बना। इसने वाहनों के परिचालन को प्रभावित किया था।

प्रबंध निदेशक ने कहा (जनवरी 2020) कि निधियों के अभाव के कारण, घटकों का वीडि आधार पर अनुरक्षण नहीं किया जा सका। प्रबंध निदेशक ने आगे कहा (जनवरी 2020) कि अतिरिक्त पुर्जे इत्यादि के कारण वाहन-रोक से बचने के प्रयास किए जाएंगे।

6.1.12 कार्यशालाओं का प्रबंधन

लेखापरीक्षा ने पाँच⁴⁰ (कुल आठ में से) कार्यशालाओं की कार्यपद्धति के आंकलन की जांच की। इंजनों की मरम्मत दो केंद्रीय कार्यशालाओं⁴¹ द्वारा की जाती है जिनमें से जम्मू स्थित कार्यशाला को लेखापरीक्षा जाँच हेतु चुना गया था। यह देखा गया कि

⁴⁰ लोड जम्मू; लोड श्रीनगर; पीएमडी जम्मू; पीएमडी श्रीनगर; केंद्रीय कार्यशाला जम्मू।

⁴¹ जम्मू और पंपोर में एक-एक।

वाहनों की रोक की अवधि इंजन मरम्मत, अतिरिक्त पुर्जों, टायरों, बैटरियों इत्यादि की आवश्यकता के कारण अधिक थी।

लेखापरीक्षा ने कार्यशालाओं में 15 दिनों से अधिक की अवधि तक रोके गए वाहनों का विश्लेषण भी यह जाँच करने के लिए किया कि क्या निगम कार्यशालाओं का प्रबंधन कुशलतापूर्वक ढंग से करने के योग्य है या नहीं। यह भी देखा गया कि इन कार्यशालाओं में वाहनों की समयबद्ध तरीके से आउट शेडिंग हेतु कोई परिभाषित समय सीमा नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप मरम्मत और अनुरक्षण में बहुत देरी हुई।

चार नमूना कार्यशालाओं⁴² में वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, यह देखा गया कि वार्षिक फिटनेस, अतिरिक्त पुर्जे, टायर और इंजन की मरम्मत इत्यादि की आवश्यकता हेतु 976 वाहनों को 15 दिवसों की अनुमत्य रोक अवधि से परे 60,959 वाहन दिवसों⁴³ तक रोक कर रखा गया, जिसने निगम के राजस्व उपार्जन को ₹50.18 करोड़⁴⁴ तक प्रभावित किया जैसा कि **परिशिष्ट 6.1.9** में विवरण दिया गया है।

केंद्रीय कार्यशाला जम्मू में 62 कार्मिकों की आवश्यकता थी जैसा कि उप महाप्रबंधक द्वारा सूचित किया गया। तथापि, वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान औसत रूप से केवल 22 से 16 कार्मिक कार्यरत थे। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि जम्मू में केंद्रीय कार्यशालाओं में इस अवधि के दौरान 15,984 वाहन दिवसों की अवधि में इंजन मरम्मत/ कलपुर्जे हेतु 174 वाहन⁴⁵ खड़े रहे जिससे निगम की राजस्व आय ₹6.40 करोड़⁴⁶ तक प्रभावित हुई।

जवाब में यह कहा गया कि वाहनों की रोक पर्याप्त जनशक्ति की अनुपलब्धता, अतिरिक्त पुर्जे, पुराने औजार और मशीनरी जो कि 15 वर्षों से अधिक पुरानी थी तथा पॉवर बैंक अप की अनुपलब्धता के कारण की गई थी।

⁴² लोड जम्मू: 10,796 दिवसों के लिए 295 ट्रक; लोड श्रीनगर: 2,853 दिवसों के लिए 64 ट्रक; पीएमडी जम्मू: 30,127 दिवसों के लिए 380 बसें; पीएमडी श्रीनगर: 17,183 दिवसों के लिए 237 बसें।

⁴³ रोक अवधि की गणना केवल उन वाहनों के लिए की गई है जिन्हें कार्यशाला में 15 दिनों से अधिक के लिए रखा गया था।

⁴⁴ लोड जम्मू: 10,796 दिवस, ₹5.42 करोड़; लोड श्रीनगर: 2,853 दिवस, ₹1.43 करोड़; पीएमडी जम्मू: 30,127 दिवस, ₹38.05 करोड़; पीएमडी श्रीनगर: 17,183 दिवस, ₹5.28 करोड़।

⁴⁵ 14,651 वाहन दिवसों हेतु 150 बसें और 1,333 वाहन दिवसों के लिए 24 ट्रक।

⁴⁶ प्रत्येक वर्ष के दौरान एक ट्रक/ बस के परिचालन द्वारा संग्रह किए गए औसत राजस्व के आधार पर गणना की गई।

प्रबंध निदेशक ने कहा (जनवरी 2020) कि वित्तीय संकट के कारण कलपुर्जे उपलब्ध नहीं थे। यह भी कहा गया कि निगम की कर्मचारी संख्या कम थी। हालांकि, तथ्य यह रहता है कि निगम कार्यशाला की आधारभूत आवश्यकता, जिसमें पर्याप्त जनशक्ति, कुशल तकनीशियन, विद्युत, अतिरिक्त पुर्जे, टायर और अन्य सहायक सामग्री शामिल हैं, का आंकलन करने में विफल रहा जिसके कारण वाहनों की रोक अनावश्यक रूप से बढ़ गयी। इकाई में विद्युत की सुविधा सीमित थी जिसका परिणाम वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान 0.53 लाख लीटर के एचएसडी की खपत के रूप में हुआ। यह इस तथ्य के कारण था कि विद्युत देयताओं के गैर-भुगतान के कारण निरंतर विद्युत आपूर्ति बंद (अगस्त 2012) कर दी गयी थी।

6.1.13 निर्धारित परिसंपत्तियों का प्रबंधन

बुद्धिमत्तापूर्ण परिसंपत्ति प्रबंधन वाणिज्यिक उपक्रम की सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है, विशेष रूप से जब निगम भारी नुकसान में चल रहा हो। निगम द्वारा अधिकार में रखी गई 29 संपत्तियों⁴⁷ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सात⁴⁸ संपत्तियों के संबंध में शीर्षक/ स्थानान्तरण संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

निगम द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों के प्रबंधन में पायी गयी कमियों का विवरण तालिका 6.1.15 में दिया गया है।

तालिका 6.1.15: निगम द्वारा अधिकार में रखी गई 29 संपत्तियों में से नमूना-जाँच किये गये मामलों की स्थिति

| क्र.सं. | संपत्ति का नाम | क्षेत्र | अभ्युक्तियाँ |
|---------|---|--|---|
| 1. | टीआरसी स्थित भार वहन संरचना (कार्यशाला और कार्यालय क्रमशः एक व दो मंजिला श्रीनगर) | तहजीब महल के निर्माण हेतु 485 कनाल में से सरकार द्वारा अधिग्रहित 22 कनाल | वर्ष 2012 के दौरान कला व संस्कृति विभाग को 20 कनाल सौंपी गई। यद्यपि, नौगाम में सरकार द्वारा 23 कनाल की वैकल्पिक भूमि पहचानी गई, वैकल्पिक भूमि को अभी भी प्राप्त किया जाना था। |
| 2. | तीन मंजिला होटल इमारत भार वहन संरचना सीजीआई रुफिंग सहित लाल चौक | जम्मू और कश्मीर पर्यटन विकास निगम (जेकेटीडीसी) के अधीन, भूमि के 6 | किराया अनुबंध का कोई अभिलेख नहीं था और जेकेटीडीसी द्वारा कोई किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा था। 29 दुकानों |

⁴⁷ कश्मीर: 14; जम्मू: 13; लद्दाख: 2

⁴⁸ 1. टीआरसी, श्रीनगर में भार वहन संरचना (दो मंजिला), 2. बाइपास, बेमिना में भार वहन संरचना कार्यालय और कार्यशाला, 3. अनंतनाग में आगार कार्यालय और कार्यालय ब्लॉक, 4. सोपोर में भार वहन संरचना, 5. नरवाल जम्मू में पीएमडी कार्यशाला, 6. यातायात प्रबंधक लोड जम्मू के कार्यालय में भूमि 7. लोड कार्यशाला नरवाल जम्मू में भूमि।

| क्र.सं. | संपत्ति का नाम | क्षेत्र | अभ्युक्तियाँ |
|---------|--|--|--|
| | श्रीनगर में खाली भूमि | कनाल पर भवन की 32 कमरों की दुकानें और होटल के कमरे | में से केवल 14 दुकानें ही किराये का भुगतान कर रही थी जबकि शेष 15 दुकानों ने 2012 से कोई भी किराया नहीं दिया था। किराये की वसूली या किराया अनुबंध को रद्द करने या सम्पत्तियों की वसूली के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। |
| 3. | बड़गाम कश्मीर में स्थित भूमि | 6.5 कनाल | जेकेएसआरटीसी द्वारा भूमि को खरीदा गया परंतु हकदारी अभी भी हस्तांतरित की जानी है। |
| 4. | पम्पोर कश्मीर (भार वहन संरचना) में केन्द्रीय कार्यशाला का मुख्य भवन और कार्यशाला भवन | 82 कनाल | 182 कनाल में से 100 कनाल को योजना और विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया। भूमि निर्धारण और प्राप्त होने वाली राशि प्रतीक्षित थी। |
| 5. | पुलवामा कश्मीर में स्थित खुली भूमि | 20.11 कनाल | यद्यपि उपायुक्त, पुलवामा को ₹20.82 लाख रुपये की राशि जमा करवाई गई परंतु भूमि को आबंटित नहीं किया गया। |
| 6. | जंगली, कुपवाड़ा में खुली भूमि स्थित | 4 कनाल | भूमि का लाभदायक ढंग से उपयोग न करने के कारणों की सूचना नहीं दी गई। |
| 7. | क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू | 31.01 कनाल | 13 कनाल माप की भूमि को अन्य विभाग को सौंपा गया हालांकि कोई क्षतिपूर्ति/ मूल्य निगम को प्रदान नहीं की गयी। क्षतिपूर्ति का दावा/ वसूली से संबंधित की गई कार्रवाई प्रतीक्षित थी। |
| 8. | केन्द्रीय कार्यशाला, जम्मू | 21.17 कनाल | केन्द्रीय भण्डार, विक्रम चौक, जम्मू में 110 कनाल भूमि में से केवल 21 कनाल पर निगम का आधिपत्य था, क्योंकि सड़क को चौड़ा करने व कला केन्द्र का निर्माण करने के लिए भूमि को उपलब्ध कराया गया था। हालांकि, 600 कनाल भूमि उपलब्ध करायी जानी थी जिसके प्रति निगम को वास्तव में 56 कनाल भूमि ही उपलब्ध करायी गई। सरकार द्वारा शेष 544 कनाल भूमि के दावे हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। |
| 9. | डिपो कार्यालय, ऊधमपुर | 29.01 कनाल | ऊधमपुर स्थित डिपो कार्यालय 1994 से सीआरपीएफ के अधीन आधिपत्य में है। किराये की वसूली और संपत्ति को खाली करवाने के लिए की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित थी। |

(स्रोत: निगम के अभिलेख)

इस प्रकार, सम्पत्तियों की स्वामित्व हकदारी (टाइटल) प्राप्त करने, सम्पत्तियों का मूल्य प्राप्त करने, अन्य प्राधिकरणों के आधिपत्य के अधीन सम्पत्तियों का पुनः दावा करने, हस्तांतरित भूमि की पर्याप्त क्षतिपूर्ति की गैर-वसूली, अधिकृत सम्पत्तियों

का इष्टतम स्तर पर उपयोग नहीं करना, पदों का गैर-नवीकरण इत्यादि में विफलता ने इंगित किया कि निगम अपनी परिसम्पतियों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन नहीं कर रहा था।

प्रबंध निदेशक ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2020) कि स्वामित्व मामले और सम्पत्ति के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के निरीक्षण के लिए समिति का गठन किया जाएगा।

6.1.14 जनशक्ति प्रबंधन

प्रबंधन का प्रमुख उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि उचित कार्मिक को सही कार्य/ समनुदेशन सौंपना है। जनशक्ति को संस्वीकृत संख्या के अनुसार विनियमित करने की आवश्यकता है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान पदों की संस्वीकृत संख्या, कार्यरत कर्मी और रिक्त पदों को तालिका 6.1.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.1.16: वर्ष-वार संस्वीकृत संख्या और कार्यरत कर्मी

(संख्या में)

| पदों का नाम | संस्वीकृत संख्या | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|-----------------------------|------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | एमआईपी | रिक्त | एमआईपी | रिक्त | एमआईपी | रिक्त | एमआईपी | रिक्त | एमआईपी | रिक्त |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| प्रबंध निदेशक | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| जेएमडी/ एफए और सीएओ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| महाप्रबंधक | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| डीजीएम | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| एडी योजना | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| डीएओ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| टीएम | 16 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| डब्ल्यूएम | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| चालक | 1,245 | 512 | 733 | 499 | 746 | 538 | 707 | 515 | 730 | 498 | 747 |
| परिचालक | 700 | 402 | 298 | 395 | 305 | 362 | 338 | 311 | 389 | 300 | 400 |
| अन्य | 1,617 | 1,188 | 429 | 1,170 | 447 | 1,022 | 595 | 1,050 | 567 | 1,027 | 590 |
| कुल | 3,603 | 2,126 | 1,477 | 2,086 | 1,517 | 1,945 | 1,658 | 1,903 | 1,700 | 1,850 | 1,753 |
| संस्वीकृत संख्या का प्रतिशत | | 59 | 41 | 58 | 42 | 54 | 46 | 53 | 47 | 51 | 49 |

(स्रोत: निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

3,603 पदों की समग्र संस्वीकृत संख्या के प्रति, कार्यरत कर्मों वर्ष 2014-15 में 2,126 से घट कर वर्ष 2018-19 में 1,850 रह गये, जिसके द्वारा रिक्त पदों में लगातार 41 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

परिचालनों की नियमपुस्तक के अनुसार, निगम द्वारा वाहन जनशक्ति का 1:3 का मानक अनुपात अपनाया गया। यह देखा गया कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान निगम का वाहन जनशक्ति अनुपात⁴⁹ 1:2.32 और 1:2.55 के बीच रहा जो कि 1:3 के मानक अनुपात से नीचे था। अधिकतम रिक्तियों की संख्या चालक तथा परिचालकों के संबंध में थी। कार्यशालाओं में वाहनों सहित रोके गए चालक तथा परिचालकों से संबंधित एक लेखापरीक्षा विश्लेषण का संचालन किया गया था। यह पाया गया कि जम्मू क्षेत्र की तीन⁵⁰ इकाइयों में चालकों के साथ वर्ष 2014-15 से 2018-19 में रोके गए वाहनों का समय 129 और 225 दिनों के बीच रहा, जबकि परिचालकों की रोक का समय 12 और 73 दिनों के बीच रहा। इसी तरह, कश्मीर क्षेत्र की दो⁵¹ इकाइयों में वर्ष 2014 से 2018 की अवधि के दौरान कार्यशालाओं में चालकों की रोक का समय 58 और 73 दिनों के बीच रहा, जबकि परिचालकों के संबंध में यह समय 12 और 42 दिनों के बीच रहा। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान इन अप्रयुक्त चालक/ परिचालकों, जिन्हें कार्यशालाओं में वाहनों का समनुदेशन सौंपा गया, को भुगतान की गई राशि⁵² ₹44.95 करोड़⁵³ थी।

क्योंकि कार्यशालाओं में टेस्ट ड्राइवर्स उपलब्ध हैं, कार्यशालाओं में नियमित चालक/ परिचालकों को उनके वाहनों सहित रोकना अपेक्षित नहीं था, अन्यत्र उनकी सेवाओं के अनुपयोग के अलावा, इन अप्रयुक्त चालकों/ परिचालकों को वेतन के रूप में ₹44.95 करोड़ के भुगतान से बचा सकता था।

⁴⁹ वर्ष 2014-15: (1:2.32); 2015-16: (1:2.54); 2016-17: (1:2.47); 2017-18: (1:2.55); 2018-19: (1:2.32)

⁵⁰ एमटीएस जम्मू, एमपीएस जम्मू, टीएम, लोड जम्मू।

⁵¹ एमपीएस, श्रीनगर, टीएम, लोड श्रीनगर।

⁵² प्रत्येक वर्ष के दौरान चालक/ परिचालक के औसत वेतन के आधार पर गणना की गई।

⁵³ चालक: ₹26.45 करोड़; परिचालक: ₹18.50 करोड़।

6.1.15 आन्तरिक नियन्त्रण

आन्तरिक नियंत्रण क्रियाविधि से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं को देखा गया:

- वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान बोर्ड की केवल 10 बैठकों का आयोजन किया गया था, यद्यपि जेकेएसआरटीसी अधिनियम के अनुसार 20 बोर्ड बैठकों का आयोजन किया जाना आवश्यक था।
- परिचालनों की नियमपुस्तक के अनुसार, इकाइयों के प्रमुखों के साथ मासिक बैठकों को महाप्रबंधक स्तर पर आयोजित किया जाना था। जम्मू डिवीजन में, महाप्रबंधक स्तर पर क्रमशः वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान आठ और 15 बैठकों का आयोजन किया गया था। महाप्रबंधक, श्रीनगर द्वारा संचालित बैठकों से संबंधित अभिलेख और सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत/ सूचित नहीं की गयी।
- प्रबंधन ने जीएम स्तर पर कोई भी प्रशासनिक निरीक्षण नहीं किया था। यह भी देखा गया कि आगारों में बसों के प्रस्थान/ आगमन हेतु समय सारणी बस टर्मिनलों में प्रदर्श पट्टों पर उपलब्ध नहीं थी।
- जीएम, जम्मू के सिवाय, जिन्होंने सूचित किया कि वर्ष 2018 से 2019 की अवधि के दौरान 19 सतर्कता जाँचें की गई थी, सतर्कता जाँचों के लिए जीएम स्तर पर कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये गये थे।
- एमपीएस, जम्मू में अप्रैल 2014 से नवंबर 2018 तक टिकटों की मार्ग में जाँच के लिए उड़नदस्ता क्रियाशील नहीं था।
- दिल्ली-जम्मू मार्ग के सिवाय, निगम द्वारा कोई भी ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।
- निगम द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवाओं के संबंध में यात्रियों के संतुष्टि स्तर को अभिनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा किसी भी सर्वेक्षण का संचालन नहीं किया गया।
- संवीक्षा से यह भी प्रकट हुआ कि उच्च प्राधिकारियों के अनुमोदन के बिना गैर-हकदार अधिकारियों⁵⁴ को तीन गैर-वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराये गये थे। लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाई गई 15 लॉग बुक में से तीन लॉग बुक की नमूना-जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान 50,023 लीटर पेट्रोल ऑयल लुब्रीकेन्ट्स (पीओएल) गैर-हकदार अधिकारियों द्वारा

⁵⁴ डीजीएम, प्रबंधक और अन्य अधीनस्थ कर्मचारी गण।

उपयोग किए गए वाहनों के लिए जारी किया गया था जिसने निगम की हानि को ₹25.01 लाख तक और अधिक बढ़ा दिया।

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के साथ पठित धारा 140 के अधीन, ऑपरेटर द्वारा थर्ड पार्टी रिस्क के प्रति बीमा लेने की आवश्यकता है। सरकार ने निगम को थर्ड पार्टी बीमा से इस शर्त के अधीन छूट⁵⁵ दी थी कि इस उद्देश्य और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के वित्तीय सांविधिक दायित्व के लिए अलग से निधि को अनुरक्षित करेगा। हालांकि, निगम ने अलग से किसी निधि को अनुरक्षित नहीं किया, जिसका परिणाम सरकार के आदेश का उल्लंघन के रूप में हुआ और वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान निगम ने क्षतिपूर्ति⁵⁶ के रूप में थर्ड पार्टी दावेदारों को ₹6.86 करोड़ का भुगतान किया।

प्रबंध निदेशक (जनवरी 2020) ने कहा कि निगम के लिए आंतरिक नियंत्रक क्रियाविधि में सुधार के लिए गंभीर प्रयास किए जायेंगे और लेखापरीक्षा को तदनुसार सूचित किया जायेगा।

6.1.16 निष्कर्ष

निगम ने, अपने पुनः प्रवर्तन के लिए कोई भी व्यवहार्य दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजना नहीं बनायी। लक्ष्यों को निर्धारित करने के साथ-साथ दिन प्रतिदिन के परिचालनों के लिए अपनाए गए मापदण्डों को परिचालनात्मक इकाई प्रमुखों से परामर्श सहित नहीं बनाया गया और निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, वाहनों के कम उपयोग, बसों का अलाभकारी/अव्यवहार्य मार्गों पर चलने, अनुसूचित यात्राओं को टालने, अन्तरराज्यीय मार्गों पर कम बेड़े को चलाने, वाहनों के अप्रयुक्त रहने इत्यादि के कारण परिचालन निष्पादन प्रभावित हुआ। निगम अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में वाहनों को नहीं चला सका। कार्यशालाओं का प्रबंधन आधारभूत अवसंरचना, अतिरिक्त पूर्णों की समय पर आपूर्ति, टायरों, बैटरियों, दक्ष जनशक्ति के अभाव के कारण प्रभावित हुआ, जिसने वाहनों की विशाल रोक/ वाहनों के अप्रयुक्त रहने का मार्ग प्रशस्त किया और इसकी आमदनी को प्रभावित किया। बोर्ड बैठकों/ मासिक बैठकों का

⁵⁵ सरकारी आदेश संख्या: 21-टीआर 2005 दिनांक 23.03.2005 का अवलोकन करें।

⁵⁶ दण्डात्मक ब्याज सहित।

निर्धारित संख्या में आयोजन न करना, नियमित निरीक्षणों/ सतर्कता जाँचों का संचालन न करना इत्यादि से आंतरिक नियंत्रण की कमजोरी का प्रमाण मिलता है। इस लेखापरीक्षा हस्तक्षेप का समग्र वित्तीय निहितार्थ ₹737.57 करोड़ है।

6.1.17 अनुशंसाएं

प्रबंधन विचार कर सकता है:

- परिचालन नियमपुस्तक के अनुसार योजना मापदण्डों में सुधार और वास्तविक लक्ष्यों का पूरी तरह निर्माण करे। इसके अलावा, निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घकालिक योजना का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।
- वाहनों के उपलब्ध बेड़े का उपयोग और निष्पादन सुधारते हुए परिचालन घाटे को न्यूनतम करने की आवश्यकता है। निगम में उपलब्ध जनशक्ति के समग्र निष्पादन को सुधारने, स्टाफ/ वाहनों को अप्रयुक्त रहने से रोकने के लिए इसका इष्टतम उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, नवीन परिचालनों को आरंभ करने से पहले मार्गों की व्यवहार्यता और लाभप्रदता अभिनिश्चित करने के लिए उचित सर्वेक्षणों का संचालन किया जाना चाहिए।
- निगम बेहतर वित्तीय और परिचालनात्मक नियंत्रण के लिए बसों और ट्रकों के परिचालन हेतु स्वतंत्र लागत/ लाभ केंद्र के रूप में पृथक वर्टीकल्स के सृजन पर विचार कर सकता है।
- निगम की परिसंपत्तियों का उनकी हकदारिता प्राप्त करने के पश्चात् बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग किया जाए और बहुत पुराने समय के वाहनों के बेड़े को नये वाहनों से बदलने के लिए उचित सर्वेक्षणों के संचालन के पश्चात् एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए ताकि लाभप्रदता को सुनिश्चित किया जा सके।
- कार्यशालाओं में वाहनों और जनशक्ति की अनावश्यक रोक के परिहार को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुर्जों/ टायरों इत्यादि की अधिप्राप्ति समयबद्ध ढंग से की जाए।
- आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय VII
अनुपालन लेखापरीक्षा
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय VII

अनुपालन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के चार पैराग्राफ शामिल हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ संस्वीकृत लागत से अधिक किये गये व्यय, अतिरिक्त व्यय की गैर-वसूली, प्रशासनिक ओवरहेडों की कम वसूली और अनुमोदित लागतों से अधिक में निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबंधित हैं। इन टिप्पणियों का मौद्रिक निहितार्थ ₹16.96 करोड़ है।

लोक निर्माण विभाग

जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

7.1 एक पुल के निर्माण पर संस्वीकृत लागत से अधिक किया गया व्यय

जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड ने संस्वीकृत लागत में एक पुल के निर्माण कार्य और संबद्ध कार्यों को प्रतिबंधित नहीं किया, जिसका परिणाम निर्माण कार्य पर किए गए ₹1.88 करोड़ के व्यय की गैर-वसूली के रूप में हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा जिला जम्मू की तहसील अखनूर के गांवों¹ के लिए संयोजकता उपलब्ध कराने हेतु *मैरी मेंट्रैया* में चिनाब नदी के ऊपर पुल के निर्माण को अनुमोदन² प्रदान किया (जुलाई 2005) गया। मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) को कार्य निष्पादित करना था। कंपनी ने ₹17.50 करोड़ का प्रारंभिक लागत-प्रस्ताव (नवंबर 2005) प्रस्तुत किया जिसे बाद में, प्रस्ताव के स्टील आर्क पुल से कंक्रीट पुल में बदलाव के कारण, ₹22.84 करोड़ तक (फरवरी 2007) बढ़ा दिया गया था। तत्पश्चात्, भारत सरकार (जीओआई) ने केंद्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) के अधीन ₹21.82 करोड़ की अनुमानित लागत पर *मैरी मेंट्रैया* में चिनाब नदी के ऊपर संतुलित

¹ बाला, बालगढ़, बरूई, चखर, गोर्ड, ग्रात्तल, करेफल लस्सू, मजूर मेंट्रियान, नूर, पियां, रंगनी, तचारवान, तुंग इत्यादि।

² 2005 का आदेश संख्या: 245-पीडब्ल्यू (आरएण्डबी) दिनांक 07 जुलाई 2005

कैंटीलीवर प्री-स्ट्रैस्ड कंक्रीट ब्रिज के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन (सितंबर 2007) प्रदान किया।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण (आरएण्डबी) विभाग, जम्मू (परियोजना प्राधिकारी) ने अंततः एकमुश्त संविदा के आधार पर कंपनी को पुल के निर्माण का कार्य ₹21.82 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर आबंटित (मार्च 2008) किया। कंपनी ने पुल का निर्माण अक्टूबर 2008 में आरंभ किया। तत्पश्चात्, कंपनी ने कार्य के लिए अनुमोदित अनुमानित लागत, ₹21.82 करोड़ के प्रति ₹24.25 करोड़ की संशोधित लागत प्रस्तुत (जून 2010) की। बढ़ी हुई लागत परियोजना प्राधिकारी द्वारा (मई 2011) यह कहते हुए स्वीकार नहीं की गई थी कि पुल की संस्वीकृति सीआरएफ के तहत भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई थी और कंपनी द्वारा अग्रिम निधियों की मनमाने ढंग से मांग की जा रही थी। कंपनी को तथ्यात्मक और किये गये/ वास्तविक कार्य के आधार पर नया लागत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2018) से प्रकट हुआ कि कंपनी ने कुल ₹22.01 करोड़³ की राशि प्राप्त की थी, और कंपनी अभिलेखों के अनुसार निष्पादित कार्य का मूल्य ₹23.89 करोड़ (मार्च 2020) था। यह कंपनी द्वारा प्राप्त राशि से ₹1.88 करोड़⁴ (8.5 प्रतिशत) तक अधिक था। कंपनी ने परियोजना के समापन हेतु परियोजना प्राधिकारी से ₹2.24 करोड़⁵ की अतिरिक्त निधियों की पुनः मांग (नवंबर 2014) की। हालांकि, परियोजना प्राधिकारी ने कंपनी को सूचित (नवंबर 2014) किया कि पूर्ण औचित्य सहित लागत वृद्धि के मद-वार/ घटक-वार विवरण प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन, सीआरएफ के दिशानिर्देशों के अंतर्गत केवल संस्वीकृत लागत (₹21.82 करोड़) के दस प्रतिशत की अतिरिक्त मांग अनुमत्य थी। कंपनी ने, पुल की सुपुर्दगी (दिसंबर 2012) की तिथि से 87 महीनों से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी, लागत वृद्धि हेतु औचित्य (मार्च 2020) उपलब्ध नहीं कराया जिसने परियोजना प्राधिकारी द्वारा निधियों को निर्गत नहीं करने का मार्ग प्रशस्त किया।

³ परियोजना प्राधिकारी ने प्रारंभिक रूप से सीआरएफ के तहत (2008) किए गए कार्य के आबंटन से पूर्व (2006-2007) तक ₹1.80 करोड़ और कार्य के आबंटन के उपरांत 2012 तक ₹20.21 करोड़ की राशि निर्गत की थी।

⁴ ₹23.89 करोड़ के किए गए कार्य का मूल्य तथा ₹22.01 करोड़ की प्राप्त निधियों का अंतर।

⁵ ₹24.25 करोड़ की संशोधित लागत तथा ₹22.01 करोड़ की प्राप्त निधियों का अंतर।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा किए गए कार्य के मूल्य को संस्वीकृत लागत के अंतर्गत प्रतिबंधित करने और संस्वीकृत लागत के दस प्रतिशत पर लागत वृद्धि के लिए औचित्य उपलब्ध करवाने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹1.88 करोड़ की गैर-वसूली हुई।

उत्तर में उप महाप्रबंधक इकाई 7, जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम, जम्मू ने पुष्टि की (जुलाई 2018) कि परियोजना प्राधिकारी ने ₹24.25 करोड़ की संशोधित लागत के प्रति ₹22.01 करोड़ की राशि की निधियाँ निर्गत की थी तथा ₹2.24 करोड़ की मांग की गई थी। आगे यह भी कहा गया था कि परियोजना की संस्वीकृत लागत से अधिक लागत, सेवा कर में 4.2 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी⁶ और श्रम उपकरण लगाने के कारण हुई।

जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, परियोजना प्राधिकारी (मार्च 2008) के निर्देशों के अनुसार, परियोजना लागत ₹21.82 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, के बावजूद भी, कंपनी ने कार्य निष्पादित किया और ₹23.89 करोड़ का व्यय किया। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अभी तक लागत वृद्धि प्राप्त करने एवं कार्य को पूरा करने के लिए पूर्ण औचित्य सहित, लागत बढ़ोतरी का मद-वार/ घटक-वार विवरण प्रस्तुत (मार्च 2020) नहीं किया है।

यह मामला अप्रैल 2020 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था; उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

यह अनुशंसा की जाती है कि कंपनी द्वारा शुरू किये गये निर्माण कार्यों को संस्वीकृत लागत के अंदर निष्पादित किया जाना चाहिए।

7.2 पुल के निर्माण पर किए गए अधिक व्यय की वसूली नहीं करना

जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड ने संशोधित लागत प्रस्तावों के अनुमोदन और निधियों का निर्माण सुनिश्चित किए बिना दरहाली नाला, उज्जान (राजौरी) के ऊपर एक पुल का निर्माण किया, जिसका परिणाम ₹6.85 करोड़ के प्रतिपूर्ति नहीं हुये व्यय के रूप में हुआ।

लोक निर्माण विभाग, परियोजना प्राधिकरण (पीए) ने जिला राजौरी के गांवों⁷ की स्थानीय आबादी को पहुँच उपलब्ध कराने के लिए, ₹3.00 करोड़⁸ की अनुमानित

⁶ 4.2 प्रतिशत से 8.4 प्रतिशत और फिर 8.4 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत।

⁷ धंडकोट, कासियां और दन्ना, खुर्द, लीरन, मधून, मलू, नादियां और उज्जान।

⁸ पुल: ₹1.50 करोड़; अप्रोच रोड: ₹1.50 करोड़।

लागत पर उज्ज्वान (राजौरी) में दरहाली नाला के ऊपर अप्रोच सड़कों सहित सिंगल लेन स्टील सुपर-स्ट्रक्चर पुल के निर्माण का कार्य जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) को (अप्रैल 1998) सौंपा। इस कार्य को संविदा आबंटन (अक्टूबर 2000) से 30 महीनों के भीतर पूरा किया जाना था।

कंपनी ने परियोजना प्राधिकरण को परियोजना के दो संशोधित लागत प्रस्ताव (जून 2004 और जुलाई 2009 के बीच) प्रस्तुत किए जैसा कि तालिका 7.2.1 में दिया गया है। जून 2012 में कार्य की परिधि 162 मीटर सिंगल लेन से 178 मीटर (44.5 मी x 4) स्पैन सिंगल लेन ब्रिज के रूप में संशोधित की गयी और लागत को आगे ₹13.75 करोड़ तक संशोधित किया जाना था। परियोजना प्राधिकरण द्वारा संशोधित लागत प्रस्ताव अभी तक अनुमोदित (जून 2019) नहीं किए गए थे।

तालिका 7.2.1: जेकेपीसीसी द्वारा परियोजना के आवधिक लागत संशोधन

| विवरण | प्रस्ताव की तारीख | अनुमानित लागत (₹ करोड़ में) |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| (ए) | (बी) | (सी) |
| प्रारंभिक प्रस्ताव | अप्रैल 1998 | 3.00 |
| प्रथम संशोधन | जून 2004 | 7.12 |
| द्वितीय संशोधन | जुलाई 2009 | 10.72 |
| तृतीय संशोधन | जून 2012 | 13.75 |

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से (अक्टूबर 2018) निम्नलिखित पता चला:

- यद्यपि, संशोधित प्रस्ताव संस्वीकृत नहीं किए गए और पर्याप्त निधियाँ निर्गत नहीं की गयी थी (वर्ष 2011-12 तक केवल ₹1.55 करोड़⁹ निर्गत किए गए), कंपनी ने ₹3.40 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर पुल के सब-स्ट्रक्चर का कार्य आरंभ (जनवरी 2011) कर दिया और मई 2011 में पूरा कर लिया।
- परियोजना प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से वित्त पोषण के अंतर्गत ₹6.70 करोड़ की लागत पर पुल के सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन (एए) सूचित (फरवरी 2013) किया था। परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित करता था कि कार्य नाबार्ड प्राधिकरण द्वारा निधियों को प्राधिकृत करने के पश्चात् ही कार्यान्वयन हेतु लिया जाएगा।

⁹ 2003-04: ₹0.05 करोड़; 2010-11: ₹0.50 करोड़ तथा 2011-12: ₹ एक करोड़।

- सुपर स्ट्रक्चर को सम्मिलित करते हुए पुल का शेष कार्य ₹5.75 करोड़ की अनुमानित लागत पर मैसर्स ए. के. कंस्ट्रक्शन्स (संविदाकार) को आबंटित (अक्टूबर 2014) किया गया था। कार्य, संविदाकार द्वारा मार्च 2015 में आरंभ किया गया था और इसे सितंबर 2016 में पूरा किया गया। कंपनी द्वारा किए गए कार्य का कुल मूल्य ₹8.40 करोड़ बुक किया गया था।
- यद्यपि, परियोजना प्राधिकरण द्वारा आगे कोई निधि निर्गत नहीं की गयी थी, कंपनी ने संविदाकार को जुलाई 2015 और अक्टूबर 2019 के मध्य ₹5.66 करोड़ की राशि निर्गत की थी।

इस प्रकार, निधि की प्राप्तियों तक व्यय को प्रतिबंधित करने में कंपनी की विफलता ने परियोजना प्राधिकरण से ₹6.85 करोड़¹⁰ की गैर-वसूली का मार्ग प्रशस्त किया।

उप महाप्रबंधक, जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड इकाई 8 राजौरी, ने कहा (मई 2019) कि कार्य राज्य सरकार के लोक निर्माण कार्य मंत्री के मौखिक निर्देशों पर आरंभ और पूर्ण किया गया था तथा परियोजना प्राधिकरण ने निधियों के निर्मोचन का आश्वासन दिया था। यह भी कहा गया था कि कई अनुस्मारकों के बावजूद परियोजना प्राधिकरण और नाबार्ड ने सितंबर 2011 के बाद निधियाँ निर्गत नहीं की थी।

जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कंपनी ने पर्याप्त निधियों की प्राप्ति के बिना ही सब-स्ट्रक्चर का कार्य और नाबार्ड से निधियों के प्राधिकरण के बिना सुपर स्ट्रक्चर का कार्य निष्पादित किया। इसके अलावा, समय-समय पर कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित लागत प्रस्तावों पर प्रशासनिक अनुमोदन निर्माण कार्यों के निष्पादन के पश्चात् भी प्राप्त नहीं किया गया था। इस तरह ₹6.85 करोड़ का अधिक व्यय कंपनी ने अपने संसाधनों से किया था जिसे परियोजना प्राधिकरण से वसूल नहीं किया जा सका।

यह मामला जून 2020 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था; उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

यह अनुशंसा की जाती है कि परियोजना प्राधिकरण की ओर से किये गये अधिक व्यय की वसूली के लिए पर्याप्त कदम उठाये जाने चाहिए और निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरांत परियोजनाओं का निष्पादन किया जाना चाहिए।

¹⁰ किए गए कार्य के मूल्य (₹8.40 करोड़) और प्राप्त निधियों (₹1.55 करोड़) का अंतर।

7.3 प्रशासनिक ओवरहेडों की कम वसूली

परियोजना प्राधिकारी के निकी तवी पुल के निर्माण हेतु ₹20.50 करोड़ तक कार्य के मूल्य को प्रतिबंधित करने के स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद, कंपनी ने संस्वीकृत लागत को बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.64 करोड़ के प्रशासनिक ओवरहेडों की कम वसूली हुई।

सितंबर 2014 की बाढ़ों के कारण निकी तवी पुल की क्षति के परिणामस्वरूप, तवी नदी के आर-पार एकाकी छोटे गांव¹¹ को जोड़ने वाली सड़क बाधित हो गयी थी। क्षेत्र के लोगों द्वारा झेली गयी समस्याओं को कम करने के लिए, जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) ने (दिसंबर 2014), प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत पुल के ऊपर की ओर निकी तवी नदी के ऊपर 300 मीटर स्पैन प्री-स्ट्रैस्ड कंक्रीट डबल लेन पुल का निर्माण जीओजेएण्डके के लोक निर्माण विभाग को आबंटित किया। मुख्य अभियंता, सड़क और भवन (आरएण्डबी), जम्मू (परियोजना प्राधिकारी) ने पुल के निर्माण का कार्य जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) को ₹20.50 करोड़ की अनुमानित लागत पर आबंटित (दिसंबर 2014) किया। कंपनी ने परियोजना हेतु ₹30.25 करोड़ का लागत प्रस्ताव प्रस्तुत (दिसंबर 2014) किया। लागत प्रस्ताव परियोजना प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था और कंपनी को ₹20.50 करोड़ की संस्वीकृत लागत में कार्य को प्रतिबंधित करने का अनुदेश (दिसंबर 2014) दिया गया। तदनुसार, परियोजना प्राधिकारी द्वारा ₹20.50 करोड़ की संस्वीकृत राशि निर्गत की गयी थी।

कंपनी को परियोजना लागत पर प्रशासनिक ओवरहेडों को 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित करना अपेक्षित था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2018) से पता चला कि परियोजना प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये ₹30.25 करोड़ के लागत प्रस्ताव के अनुमोदन के बिना कंपनी ने पुल के निर्माण का कार्य टर्नकी आधार पर एक संविदाकार¹² को ₹21.72 करोड़ की

¹¹ लगभग 45 गाँवों नामतः राम बाग, कुल्लाईन, सूरा चक, गनशाउ चक, किरपोलपुर, नांदियां, मंडल फिलान, सरदारे चक, वजीर चक टॉप, सुम्ह, हरि पुर, तकुतेरा, सुआनजियां, मुकुईल, लोहरा कलियां इत्यादि को मिलाकर।

¹² मैसर्स ए. के. कंस्ट्रक्शन, बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स।

अनुमानित लागत पर आबंटित¹³ (जून 2015) किया। संविदाकार द्वारा पुल का निर्माण कार्य (नवंबर 2015 में) आरंभ तथा मार्च 2017 में पूरा किया गया, जिसके प्रति कंपनी ने ₹20.13 करोड़ का व्यय (मार्च 2020) किया था। तदनुसार, अनुप्रयोज्य प्रशासनिक ओवरहेड ₹2.01 करोड़ तक हो गये।

तथापि, संशोधित लागत के अनुमोदन के बिना पुल के निर्माण हेतु कार्य के निष्पादन का परिणाम पुल के समापन की तिथि से दो से अधिक वर्षों के बीत जाने के बावजूद ₹1.64¹⁴ करोड़ के प्रशासनिक ओवरहेडों की कम वसूली के रूप में हुआ। इसने कंपनी की लाभप्रदता और प्रशासनिक लागत प्राप्त करने की इसकी क्षमता को प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित (जून 2018) किए जाने के उपरांत, उप महाप्रबंधक इकाई 7 जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम ने कहा (जून 2019) कि ₹21.72 करोड़ की अनुमानित लागत हेतु आबंटन, संविदा समिति के निर्णयानुसार था तथा परियोजना की वास्तविक लागत ₹30.25 करोड़ थी और आबंटित कार्य लागत प्रस्ताव के अंदर था।

जवाब तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ₹30.25 करोड़ की प्रारंभिक लागत, परियोजना प्राधिकारी द्वारा स्वीकार (दिसंबर 2014) नहीं की गई थी और ₹20.50 करोड़ की संस्वीकृत लागत के अंदर कार्य को प्रतिबंधित करने के स्पष्ट अनुदेश दिये गये थे, इसके अलावा, ₹1.64 करोड़ की राशि के प्रशासनिक ओवरहेडों की वसूली नहीं की गयी थी।

यह मामला सरकार/ कंपनी को मई 2020 में भेजा गया; उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

कंपनी निष्पादित परियोजनाओं पर प्रशासनिक खर्चों की वसूली सुनिश्चित कर सकती है।

¹³ जीओजेएण्डके की संविदा समिति की अनुशंसाओं (अप्रैल 2015) के आधार पर।

¹⁴ ₹20.13 करोड़ के किये गये व्यय तथा ₹2.01 करोड़ (₹20.13 करोड़ के व्यय का 10 प्रतिशत) के प्रशासनिक ओवरहेडों को जोड़कर और परियोजना प्राधिकरण से प्राप्त ₹20.50 करोड़ की राशि घटाकर ₹1.64 प्राप्त होता है।

विद्युत विकास विभाग

जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड

7.4 अनुमोदित लागत से अधिक में कार्य का निष्पादन

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अनुमोदित लागत के अनुसार कार्य के निष्पादन में कंपनी की विफलता से ₹1.92 करोड़ की वित्तीय हानि हुई, इसके अलावा वर्ष 2014-15 से आरईसी से ₹4.67 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई।

भारत सरकार (जीओआई) द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के माध्यम से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) आरंभ (अप्रैल 2005) की गई। यह योजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) द्वारा राज्य के सात जिलों¹⁵ में कार्यान्वित की जानी थी। कंपनी ने, निविदाओं को आमंत्रित करने के उपरान्त, तीन जिलों में संविदा को मैसर्स पीर पंचाल कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड संयुक्त उद्यम (संविदाकार) को (दिसंबर 2009) सौंपा। कार्य लैटर ऑफ इन्टेन्ट के जारी होने की तिथि से 12 महीनों में पूरा किया जाना अपेक्षित था। जिला/ परियोजना-वार स्थिति को तालिका 7.4.1 में विस्तृत किया गया है:

तालिका 7.4.1: आरजीजीवीवाई परियोजनाओं की जिला/ परियोजना-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | परियोजना | प्रारंभिक संस्वीकृत लागत | प्रदान की गई लागत | संशोधित संस्वीकृत लागत | समापन की तिथि | देरी महीनों में |
|------------|----------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | राजौरी | 29.97 | 37.77 | 79.97 | मई 2014 | 41 |
| 2. | पुंछ | 16.96 | 18.42 | 26.59 | फरवरी 2014 | 38 |
| 3. | डोडा | 37.64 | 45.02 | 57.40 | जनवरी 2015 | 49 |
| कुल | | 84.57 | 101.21 | 163.96 | | |

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना/ आबंटन आदेश)

कंपनी ने आरईसी से ₹156.57 करोड़ की कुल राशि प्राप्त की जैसा कि तालिका 7.4.2 में विस्तृत किया गया है।

¹⁵ अनंतनाग, बारामूला, डोडा, पुंछ, पुलवामा, कुपवाडा और राजौरी।

तालिका 7.4.2: तीन जिलों में आरजीजीवीवाई कार्यों के निष्पादन हेतु प्राप्त राशि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | आरजीजीवीवाई परियोजना | आरईसी से प्राप्त राशि | परियोजना के समापन पश्चात् आरईसी द्वारा अनुमोदित राशि | किया गया व्यय | आरईसी द्वारा अनुमोदित राशि पर अतिरिक्त व्यय | जेएण्डके विद्युत विकास विभाग को हस्तारित माल सूची का मूल्य | वित्तीय हानि | अभी तक आरईसी से अप्राप्त राशि |
|---------|----------------------|-----------------------|--|---------------|---|--|--------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5-3) | 7 | 8=(6-7) | 9=(4-3) |
| 1. | राजौरी | 79.76 | 80.34 | 82.74 | 2.40 | 0.93 | 1.47 | 0.58 |
| 2. | पुंछ | 25.65 | 25.65 | 26.72 | 1.07 | 0.62 | 0.45 | - |
| 3. | डोडा | 51.16 | अनुमोदित नहीं | 55.25 | - | 1.18 | शून्य | 4.09 ¹⁶ |
| | कुल | 156.57 | 105.99 | 164.71 | 3.47 | 2.73 | 1.92 | 4.67 |

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई भौतिक/ वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन/ सूचना)

निर्माण कार्य कुल ₹164.71 करोड़ का व्यय करते हुए, समापन की निर्धारित तिथि से 38 और 49 महीनों की देरी से पूर्ण किये गये थे। ₹164.71 करोड़ के इस व्यय में से, कंपनी ने राजौरी एवं पुंछ जिलों की आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के संबंध में ₹109.46 करोड़ का व्यय किया था। राजौरी एवं पुंछ जिलों की परियोजनाओं के समापन प्रस्ताव आरईसी द्वारा ₹105.99 करोड़ के लिए अनुमोदित किये गए थे। डोडा जिले में आरजीजीवीवाई निर्माण कार्य कंपनी द्वारा ₹55.25 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् जनवरी 2015 में बंद कर दिये गये थे। समापन प्रस्ताव, आरईसी (जुलाई 2020) द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2017) से पता चला कि कंपनी के जवाब में उल्लिखित देरी के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ निविदा की प्रक्रिया में देरी, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) प्रकरण, निष्पादन के दौरान जन बाधा, खराब मौसम और बर्फ प्रवण एवं दुर्गम क्षेत्र इत्यादि सम्मिलित थे। कंपनी ने आरईसी से प्राप्त ₹156.57 करोड़ की राशि के प्रति ₹164.71 करोड़ का व्यय किया था, जैसा कि उपर्युक्त तालिका 7.4.2 में दर्शाया गया है। राजौरी एवं पुंछ जिलों की आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के संबंध में समापन प्रस्ताव जिन पर कंपनी ने ₹109.46 करोड़ का

¹⁶ डोडा का समापन प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया, इसलिए किया गया व्यय (₹55.25 करोड़) प्राप्त राशि से कम (₹51.16 करोड़) ₹4.09 करोड़ के बराबर है।

व्यय किया था, उन्हें आरईसी द्वारा ₹105.99 करोड़ हेतु अनुमोदित किया गया था। जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास विभाग (जेकेपीडीडी) से हस्तांतरित/ वसूली योग्य ₹1.55 करोड़ की अधिशेष मालसूची के मूल्य को ध्यान में रखने के पश्चात्, कंपनी को अनुमोदित लागत से अधिक व्यय के कारण ₹1.92 करोड़ की वित्तीय हानि वहन करनी थी। इसके अतिरिक्त, राजौरी के समापन प्रस्ताव में अनुमोदित ₹80.34 करोड़ की राशि के प्रति आरईसी से अभी तक ₹79.76 करोड़ ही प्राप्त हुए थे, जिसका परिणाम ₹0.58 करोड़ की गैर-प्राप्ति के रूप में हुआ।

डोडा जिले में आरजीजीवीवाई कार्यों के समापन प्रस्ताव, कंपनी द्वारा कार्य-समाप्ति (जनवरी 2015) की तिथि से 64 महीनों के बीत जाने के बावजूद भी आरईसी ने अनुमोदित नहीं किये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2017) कि डोडा जिले से संबंधित कार्य चिह्नित स्थान पर भू-स्खलन के बाद वैकल्पिक भूमि की अनुपलब्धता और वन निर्बाधता की आवश्यकता के कारण पूर्ण नहीं किए गए थे। कंपनी द्वारा डोडा जिले में ₹55.25 करोड़ का अंतिम व्यय बुक किया गया था जिसके प्रति आरईसी ने ₹51.16 करोड़ की राशि की निधियाँ निर्गत की थी, जिसका परिणाम ₹4.09 करोड़ की गैर-प्राप्ति के रूप में हुआ। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास विभाग से हस्तांतरित अधिशेष माल सूची से संबंधित ₹1.18 करोड़ की राशि वसूली योग्य है।

जवाब में मुख्य अभियंता, जेनेरेशन विंग, जम्मू ने कहा (जुलाई 2020) कि डोडा परियोजना का समापन प्रस्ताव लंबित है क्योंकि संविदाकार द्वारा निर्मित पाँच रिसीविंग स्टेशन (33/ 11 केवी) अभी तक संबंधित उपयोज्यताओं को नहीं सौंपे गए हैं। यह भी कहा गया था कि विद्युत विकास विभाग को सुपुर्द की गई अधिशेष सामग्री आरईसी द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी बल्कि कंपनी द्वारा इसके अपने संसाधनों से अधिप्राप्त की गई थी जिसे विद्युत विकास विभाग से वसूल किया जाना था।

जवाब तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने आरईसी द्वारा प्रदान की गई अनुमोदित वित्तीय लागत से परे राजौरी और पुंछ परियोजनाओं पर अधिक व्यय किया था जिसने ₹1.92 करोड़ की वित्तीय हानि का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके अलावा, कंपनी डोडा परियोजना के निर्माण कार्यों को पूरा नहीं कर पायी थी और

वर्ष 2014-2015 से आरईसी से ₹4.67 करोड़ (राजौरी: ₹0.58 करोड़; डोडा: ₹4.09 करोड़) प्राप्त नहीं कर सकी।

यह मामला मई 2020 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था; उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

यह अनुशंसा की जाती है कि कंपनी/ सरकार को अनुमोदित लागत के अंदर समय पर कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करना चाहिए।

श्रीनगर/ जम्मू
दिनांक: 11 फरवरी 2021



(इला सिंह)

प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा)

जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 02 मार्च 2021



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 1.4; पृष्ठ: 3)

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रमों/ योजनाओं के तहत विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | भारत सरकार की योजना का नाम | राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां | भारत सरकार द्वारा निर्माचन |
|-------------|---|---|----------------------------|
| | | | 2018-19 |
| 1. | सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) | जिला उपायुक्त | 4,000.00 |
| 2. | बौद्ध और तिब्बती संस्थान एवं स्मारक | बौद्ध अध्ययन संस्थान | 2,567.08 |
| 3. | आईएचएमएस/ एफसीआईएस आईआईटीएम/ एनआईडब्ल्यूएस आदि की सहायता | संस्थान और होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी | 659.05 |
| 4. | सौर ऊर्जा-ऑफग्रीड | लक्षा नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण | 1,482.39 |
| 5. | शराब और पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए योजना | विधवाओं, अनाथों, विकलांगों और वृद्ध व्यक्तियों (आतंकवाद से पीड़ित) के पुनर्वास के लिए परिषद | 20.04 |
| 6. | सामाजिक सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता | विधवाओं, अनाथों, विकलांगों और वृद्ध व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए परिषद | 300.00 |
| 7. | स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोगिता (एसईटीयू) को शामिल करते हुए अटल नवाचार मिशन (एआईएम) | विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालय | 252.00 |
| 8. | इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेन्स | जम्मू एवं कश्मीर ई-गवर्नेन्स (जेकेईजीए) | 379.00 |
| 9. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को समर्थन | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर | 19,159.00 |
| 10. | अध्यापक एवं प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय मिशन | श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय (एसएमवीडीयू) | 269.00 |
| 11. | राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम | जेएण्डके दुग्ध उत्पादक सहकारिता लिमिटेड | 1,539.35 |
| 12. | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि | कृषि उत्पादन विभाग | 9,147.70 |
| 13. | प्रधानमंत्री संपदा योजना | खैबर एगो फार्म (प्रा.) लिमिटेड | 150.07 |
| 14. | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएसटी), जम्मू | 133.00 |
| 15. | भारत में हाइब्रिड और विद्युतीय वाहन के शीघ्र अंगीकरण एवं विनिर्माण के लिए योजना (एफएएमई-भारत) | जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम (जेकेएसआरटीसी) | 449.40 |
| 16. | ई-कोर्ट फेज-II | महापंजीयक, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय | 26.00 |
| 17. | राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम | जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान | 303.88 |

| क्रम संख्या | भारत सरकार की योजना का नाम | राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां | भारत सरकार द्वारा निर्माचन |
|-------------|--|--|----------------------------|
| | | | 2018-19 |
| 18. | दिव्यांगों के लिए योजना | बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपोजिट रीजनल सेंटर, श्रीनगर/ कश्मीर, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सोलर टेक्नोलॉजी | 254.16 |
| 19. | बायो प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास | एसकेयूएसटी जम्मू/ कश्मीर, एसकेआईएमएस, इस्लामिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय | 1,131.44 |
| 20. | वन स्टॉप सेंटर | उपायुक्त/ ओएससी, जिला कार्यक्रम अधिकारी | 150.20 |
| 21. | अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच | कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर पर्यावरण और सामाजिक संगठन | 82.10 |
| 22. | संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएस) | जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड | 201.59 |
| 23. | जेएण्डके पीएमडीपी अनुदान के तहत पकुल दुल एचईपी के लिए चिनाब वैली पॉवर को केंद्रीय सहायता | चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड | 10,000.00 |
| 24. | औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजना (आईआईयूएस) | राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको), जम्मू एवं कश्मीर | 72.80 |
| 25. | बुनियादी ढांचा विकास और क्षमता निर्माण | जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको) | 332.82 |
| 26. | नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन | शेर-ए - कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेएण्डके -(एसकेयूएसटी जेएण्डके) कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी व्यापार उद्भवन केन्द्र | 197.46 |
| 27. | कला संस्कृति विकास योजना | जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न सांस्कृतिक और कल्याण समितियां | 572.74 |
| 28. | खेलों के विकास के लिए खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम | इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आईयूएसटी), अवंतिपोरा, पुलवामा, कश्मीर और निदेशक युवा सेवाएं और खेल जम्मू एवं कश्मीर | 1,584.00 |
| 29. | भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम | जम्मू एवं कश्मीर भू-अभिलेख प्रबंधन अभिकरण (जेकेएलएआरएमए) | 30.00 |
| 30. | ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सशक्तिकरण | इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईएमपीए)/ रीजनल एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेन्टर बडगाम | 17.50 |
| 31. | नई मंजिल एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल | कॉमटेक इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी/ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी एण्ड सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन/ सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग/ नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर टेक्नीकल ट्रेनिंग | 687.34 |
| 32. | राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम | जम्मू एवं कश्मीर राज्य एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण सोसाइटी- (जेकेएसएपीसीएस) | 857.76 |

| क्रम संख्या | भारत सरकार की योजना का नाम | राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां | भारत सरकार द्वारा निर्माण |
|-------------|--|---|---------------------------|
| | | | 2018-19 |
| 33. | तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (पीआरएएसएडी) | जम्मू एवं कश्मीर स्टेट केबल कार निगम लिमिटेड | 552.09 |
| 34. | स्मॉल हाइड्रो पॉवर-ग्रिड इंटरएक्टिव | नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, कारगिल/ जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड | 7,044.84 |
| 35. | नए आईआईएम की स्थापना | भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू | 544.00 |
| 36. | पारंपरिक उद्योगों के उत्थान हेतु निधि के लिए योजना (एसएफयूआरटीआई) | जम्मू एवं कश्मीर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | 873.59 |
| 37. | विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण | कश्मीर विश्वविद्यालय/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय/ भारतीय एकीकृत औषधि संस्थान/ जेएण्डके का शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय | 958.85 |
| 38. | अनुसंधान प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं | परिवहन आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पथ परिवहन निगम | 747.50 |
| 39. | अनुसंधान और विकास | जम्मू एवं कश्मीर का शेर-ए- कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एनवायरन्मेन्ट एण्ड रिमोट सेन्सिंग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर | 364.93 |
| 40. | विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन) | जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जेकेटीडीसीएल)/ जम्मू एवं कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएण्डकेसीसीसी) | 3,454.28 |
| 41. | विकास के लिए पारंपरिक कला/ शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (यूएसटीटीएडी) | बांदापोरा सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय | 560.00 |
| 42. | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर/ जम्मू एवं कश्मीर सरकार | 602.42 |
| 43. | राष्ट्रीय गोकुल मिशन | जम्मू एवं कश्मीर राज्य कार्यान्वयन अभिकरण | 1,744.97 |
| 44. | बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | उपायुक्त, बीबीबी सांबा, पुलवामा, जिला विकास आयुक्त शोपियां, जिला मजिस्ट्रेट, जम्मू, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग आदि | 380.17 |
| 45. | नए आईआईटी की स्थापना | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू | 3,101.00 |
| 46. | स्थापना व्यय- आयुष | जम्मू विश्वविद्यालय, एसकेयूएसटी कश्मीर, भद्रवाह विकास प्राधिकरण, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोवा-रिगपा | 142.50 |
| 47. | परिवार कल्याण योजनाएं | कश्मीर विश्वविद्यालय | 77.80 |
| 48. | रोड विंग के अंतर्गत निर्माण कार्य | विभिन्न व्यक्तिगत और निजी निर्माण कंपनियां | 6,916.08 |
| 49. | पवन विद्युत-ऑफग्रिड | लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण | 27.19 |

| क्रम संख्या | भारत सरकार की योजना का नाम | राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां | भारत सरकार द्वारा निर्माण |
|-------------|--|--|---------------------------|
| | | | 2018-19 |
| 50. | कल्याण अनुदान और विविध | विभिन्न व्यक्तिगत | 114.50 |
| 51. | विद्यमान शाखाओं का सशक्तिकरण और एनसीडीसी की 27 शाखाओं की स्थापना | शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू | 112.75 |
| 52. | कौशल विकास पहल | राष्ट्रीय शिक्षा सामाजिक और सामाजिक कल्याण संगठन, एवरग्रीन कंप्यूटर एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बांदीपोरा सुपर कंप्यूटर महाविद्यालय, कॉमटेक आईटी शिक्षण संस्थान | 790.23 |
| 53. | अंतरिक्ष विज्ञान प्रोत्साहन | जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय | 118.68 |
| 54. | औद्योगिक और उद्यमिता विकास | भारतीय एकीकृत औषधि संस्थान | 2,208.87 |
| 55. | अन्य स्वायत्तशासी निकाय | सोवा-रिग्पा हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान | 100.00 |
| 56. | अन्य योजनाएं | अन्य योजनाएं | 968.34 |
| कुल | | | 89,514.45 |

परिशिष्ट 2.2.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.2.3; पृष्ठ संख्या: 14)

अनुरक्षित 1,138 बैंक खातों के विवरण सहित 131 डीडीओ की सूची को दर्शाने वाला विवरण

| क्रम संख्या | डीडीओ का नाम | उद्देश्य | बैंक खातों की संख्या |
|-------------|---|--|--------------------------------|
| 1. | सहायक आयुक्त (एसी), सामान्य (राहत), जम्मू | बाढ़ 2014, प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी), राहत | 5 (जेके बैंक के अलावा : 04) |
| 2. | सहायक आयुक्त राजस्व (एसीआर), (रेन्टल), जम्मू | भूमि/ किराया प्रतिकर, गोपनीय निधियाँ | 12 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 3. | एसीआर (भूमि प्रतिकर), जम्मू | भूमि/ किराया प्रतिकर, बॉर्डर आउट पोस्ट, जम्मू-अखनूर मार्ग | 5 |
| 4. | तहसीलदार, जम्मू | भूमि प्रतिकर, वेतन, सूखा, राहत | 4 |
| 5. | उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम), उत्तर, जम्मू | वेतन / कार्यालयीन खर्च, भूमि प्रतिकर, राहत, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई), चुनाव | 12 (जेके बैंक के अलावा: 04) |
| 6. | उपायुक्त, जम्मू | चुनाव | 2 |
| 7. | एसडीएम, अखनूर | वेतन, प्रतिकर, राहत, चुनाव, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) | 7 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 8. | तहसीलदार, अखनूर | वेतन, मानदेय, सूखा 2011, बॉर्डर फायरिंग माइग्रेण्ट्स, अनुग्रह राशि फसल प्रतिकर, किराया प्रतिकर | 19 |
| 9. | एसडीएम दक्षिण, जम्मू | वेतन, भूमि प्रतिकर, चुनाव, राहत | 4 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 10. | तहसीलदार, बिश्नाह | वेतन/ पारिश्रमिक, चुनाव, उदग्रहण, किराया/ फसल प्रतिकर, धान राहत | 10 |
| 11. | तहसीलदार, अर्निया | वेतन, प्रतिकर, राहत बॉर्डर फायरिंग | 4 |
| 12. | तहसीलदार, आर एस पुरा | राहत 2009, वेतन/ कार्यालयीन खर्च, माइग्रेण्ट्स, किराया प्रतिकर, खान | 5 |
| 13. | तहसीलदार, सुंदरबनी | वेतन, भूमि किराये पर लेना, सूखा, जनगणना | 5 |
| 14. | एसडीएम, नौशेरा | वेतन, बॉर्डर एस्कलेशन, सामान्य, राहत, भूमि अधिग्रहण, बाढ़ 2014 | 5 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 15. | तहसीलदार, राजौरी | किराया, चुनाव, वेतन, सूखा, प्रवासी राहत, अन्य | 5 |
| 16. | तहसीलदार, सिओट | वेतन और अन्य | 1 |

| क्रम संख्या | डीडीओ का नाम | उद्देश्य | बैंक खातों की संख्या |
|-------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| 17. | अपर उपायुक्त (एडीसी), सुंदरबनी | वेतन, राहत | 2 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 18. | तहसीलदार, नौशेरा | वेतन, चुनाव, भूमि प्रतिकर/ किराया, राहत | 5 |
| 19. | उपायुक्त (डीसी), रियासी | सामान्य, भूमि अधिग्रहण, राहत, चुनाव | 4 |
| 20. | तहसीलदार, रियासी | सामान्य, राहत, जनगणना | 4 |
| 21. | तहसीलदार, कटरा | वेतन, राहत | 2 |
| 22. | तहसीलदार, पौनी | सामान्य, राहत | 2 |
| 23. | तहसीलदार, अरनास | सामान्य | 1 |
| 24. | तहसीलदार, महोर | चुनाव, सामान्य, राहत | 3 |
| 25. | डीसी, (एसीआर), राजौरी | वेतन, राहत | 3 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 26. | तहसीलदार, कालाकोट | वेतन, चुनाव, राहत, उदग्रहण | 5 |
| 27. | तहसीलदार, मंजाकोट | वेतन | 1 |
| 28. | एडीसी, कालाकोट | भूमि प्रतिकर, वेतन, सहायक निर्वाचन अधिकारी, ईआरओ 84 एसेंबली सेगमेन्ट, बाढ़ राहत, 2014 | 5 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 29. | तहसीलदार, थानामंडी | राहत, वेतन, चुनाव, सेना किराया, जनगणना | 5 |
| 30. | तहसीलदार, कुंजेर | वेतन, राहत, उदग्रहण | 3 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 31. | तहसीलदार, क्रीरी | वेतन, राहत | 2 |
| 32. | तहसीलदार, शारगोल | राहत | 2 |
| 33. | तहसीलदार, दंगरपोरा | वेतन, राहत | 2 |
| 34. | तहसीलदार, संकू | राहत/ भूमि प्रतिकर/ किराया, वेतन | 2 |
| 35. | एसडीएम, पट्टन | एमएच 2053 | 1 |
| 36. | एसडीएम, संकू | वेतन, राहत | 2 |
| 37. | डीसी, कारगिल | वेतन, राहत, भूमि प्रतिकर | 5 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 38. | डीसी, बारामूला | राहत, अनुग्रह राशि, प्राकृतिक आपदा राहत, सुरक्षा संबंधी व्यय | 4 |
| 39. | एसी (राजस्व), बारामूला | सुरक्षा संबंधी व्यय, भूमि किराया | 2 |
| 40. | तहसीलदार, टंगमर्ग | वेतन, कृषि भूमि सुधार विंग, उदग्रहण खाता, राहत खाता, सेना किराया | 8 |
| 41. | तहसीलदार, सोपोर | वेतन, राहत, सेना किराया, उदग्रहण | 7 (जेके बैंक के अलावा: 01) |

| क्रम संख्या | डीडीओ का नाम | उद्देश्य | बैंक खातों की संख्या |
|----------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| 42. | तहसीलदार, बारामूला | वेतन, जनगणना, सेना किराया, राहत, उदग्रहण | 8 |
| 43. | तहसीलदार, डूह | राहत, उदग्रहण, किराया | 3 |
| 44. | तहसीलदार, कोकरनाग | वेतन, राहत | 2 |
| 45. | तहसीलदार, अनंतनाग | राहत | 2 |
| 46. | तहसीलदार, शाहबाद | वेतन, राहत | 2 |
| 47. | तहसीलदार, पहलगाम | वेतन, राहत | 3 |
| 48. | तहसीलदार, सलर | वेतन, राहत | 2 |
| 49. | तहसीलदार, शंगुस | वेतन और अन्य | 1 |
| 50. | तहसीलदार, काजीगुंड | वेतन, राहत | 2 |
| 51. | तहसीलदार, लारनू | राहत | 1 |
| 52. | एसडीएम, द्रास | वेतन, राहत | 1 |
| 53. | डीसी, अनंतनाग | वेतन और (तहसीलदार समेकन), उदग्रहण, भूमि प्रतिकर, राहत, खुंदरू अग्नि दुर्घटना, अनुग्रह राशि के बदले में नकद | 10 |
| 54. | तहसीलदार, श्रीगुफवर | वेतन और राहत | 2 |
| 55. | तहसीलदार, मडून | वेतन और राहत | 2 |
| 56. | तहसीलदार, द्रास | वेतन और अन्य | 1 |
| 57. | तहसीलदार, कारगिल | वेतन और अन्य | 1 |
| 58. | तहसीलदार, बिजबेहरा | राहत | 1 |
| ग्रामीण विकास विभाग | | | |
| 59. | खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ), अखनूर | वेतन और निर्माण कार्य, स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी), 13वां वित्त आयोग (एफसी), चुनाव क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसए), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), 14वां वित्त आयोग | 47 (जेके बैंक के अलावा: 19) |
| 60. | बीडीओ, कटरा | एमजीएनआरईजीए, वेतन/ कार्यालयीन खर्च, एसबीएम, सीडीएफ/एमपीएलएडी, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), 14वां वित्त आयोग, पंचायत निधि (पीएफ) | 28 (जेके बैंक के अलावा: 07) |
| 61. | बीडीओ, खराहबल्ली | वेतन, कार्यालयीन खर्च, एमजीएनआरईजीए, एमपीएलएडी, सीडीएफ, एसबीएम, 14वां वित्त आयोग, पीआरआई, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), राजस्व | 28 (जेके बैंक के अलावा: 07) |

| क्रम संख्या | डीडीओ का नाम | उद्देश्य | बैंक खातों की संख्या |
|-------------|---|---|--------------------------------|
| 62. | बीडीओ, ठाकराकोट | वेतन, एसबीएम, सीडीएफ, राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ), 14वां वित्त आयोग | 12 |
| 63. | बीडीओ, सामवन | बीएडीपी, वेतन/ कार्यालयीन खर्च, सीडीएफ, एसबीएम, एमजीएनआरईजीए, एमपीएलएडी, 14वां वित्त आयोग | 11 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 64. | जिला पंचायत अधिकारी (डीपीओ), रियासी | एसबीएम, वेतन | 3 |
| 65. | सहायक आयुक्त विकास (एसीडी) ग्रामीण रियासी | वेतन, एमजीएनआरईजीए, प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), एमपीएलएडी, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), 13वां वित्त आयोग | 6 |
| 66. | बीडीओ, सुंदरबनी | वेतन, एमजीएनआरईजीए, एसबीएम, एमपीएलएडी, निर्माण कार्य, पीआरआई, 13वां और 14वां वित्त आयोग | 24 (जेके बैंक के अलावा: 09) |
| 67. | बीडीओ, सिओट | वेतन, निर्माण कार्य, एसबीएम, एमजीएनआरईजीए, एमपीएलएडी, 13वां/ 14वां वित्त आयोग | 29 (जेके बैंक के अलावा: 05) |
| 68. | बीडीओ, खौर | वेतन, एमपीएलएडी, बीएडीपी, सीडीएफ, एसबीएम, मोबाइल टावर्स, एमजीएनआरईजीए, 14वां वित्त आयोग | 46 (जेके बैंक के अलावा: 19) |
| 69. | बीडीओ, लंबेरी | वेतन, एमपीएलएडी, निर्माण कार्य, एमजीएनआरईजीए, एसबीएम, 13वां और 14वां वित्त आयोग | 17 (जेके बैंक के अलावा: 03) |
| 70. | बीडीओ, नौशेरा | वेतन, निर्माण कार्य, एसबीएम, एमपीएलएडी, एमजीएनआरईजीए, पीआरआई, राजस्व पंचायत 13वां और 14वां वित्त आयोग | 37 (जेके बैंक के अलावा: 18) |
| 71. | डीपीओ, राजौरी | एसबीएम, पीआरआई, 13वां वित्त आयोग, वेतन, चुनाव | 7 |
| 72. | एसीडी, जम्मू | एमजीएनआरईजीए, एमपीएलएडी, सीडीएफ, आईएवाई, 13वां वित्त आयोग | 9 (जेके बैंक के अलावा: 03) |
| 73. | डीपीओ, जम्मू | वेतन, एसबीएम (ग्रामीण), आरजीएसए | 3 |
| 74. | बीडीओ, मठवार | 13वां/ 14वां वित्त आयोग, एमपीएलएडी, वेतन और निर्माण कार्य, एसबीएम (जी), एसएजीवाई, एमएलए/ सीडीएफ, एसडीआरएफ, आईएवाई, मोबाइल टावर, एमजीएनआरईजीए, आरजीएसए | 34 (जेके बैंक के अलावा: 10) |
| 75. | बीडीओ, मैरा मेंदियां | एमपीएलएडी, वेतन, एमजीएनआरईजीए, एसबीएम (जी), निर्मल भारत अभियान (एनबीए), 13वां/ 14वां वित्त आयोग | 22 (जेके बैंक के अलावा: 16) |
| 76. | बीडीओ, पर्गवल | सामान्य, एनबीए/ एसबीएम, एमजीएनआरईजीए, 14वां वित्त आयोग | 15 (जेके बैंक के अलावा: 12) |

| क्रम संख्या | डीडीओ का नाम | उद्देश्य | बैंक खातों की संख्या |
|-------------|-----------------|--|--------------------------------|
| 77. | बीडीओ, भालवल | वस्तु एवं सेवा कर, 13वां और 14वां वित्त आयोग, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), सीडीएफ, मॉडल गाँव, एमजीएनआरईजीए, संपूर्ण स्वच्छता, अभियान (टीएससी)/ एसबीएम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) | 32 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 78. | बीडीओ, रियासी | सामान्य, एमजीएनआरईजीए, टीएससी/ एसबीएम, 14वां वित्त आयोग | 17 (जेके बैंक के अलावा: 02) |
| 79. | बीडीओ, पौनी | सामान्य, टीएससी/ एसबीएम, एमजीएनआरईजीए, 14वां वित्त आयोग | 28 (जेके बैंक के अलावा: 02) |
| 80. | बीडीओ, पंथाल | 13वां वित्त आयोग, एमजीएनआरईजीए, सामान्य, एसबीएम (जी), एमपीएलएडी, पंचायत निधि | 16 |
| 81. | बीडीओ, भोमग | 13वां वित्त आयोग, एमजीएनआरईजीए, सीडीएफ/ आईएवाई, एसबीएम (जी), सामान्य, पशु चिकित्सा भवन, मॉडल गाँव, 14वां वित्त आयोग | 15 |
| 82. | बीडीओ, राजौरी | एमजीएनआरईजीए, तमीर परियोजना, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), 13वां और 14वां वित्त आयोग, एसबीएम (जी), सामान्य | 24 (जेके बैंक के अलावा: 05) |
| 83. | एसीडी, राजौरी | आईएवाई सामान्य/ बाढ़, एमपीएलएडी, 13वां वित्त आयोग, एसडीआरएफ, एमजीएनआरईजीए, वेतन | 9 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 84. | बीडीओ, मंजाकोट | सामान्य, 13वां/ 14वां वित्त आयोग, एनआरईजीए, बीएडीपी, एमपीएलएडी, बंकर्स, एसबीएम (जी) | 31 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 85. | बीडीओ, डूंगी | सामान्य, वेतन, सीडीएफ/एमएलए, बंकर्स, टीएससी/ एसबीएम, एमजीएनआरईजीए, 14वां वित्त आयोग | 24 |
| 86. | बीडीओ, थानामंडी | 14वां वित्त आयोग, वेतन, एमजीएनआरईजीए, निर्माण कार्य | 23 |
| 87. | बीडीओ, कालाकोट | एमजीएनआरईजीए, सीडीएफ (एमएलए/ एमएलसी), वेतन, एमपीएलएडी, एसबीएम, युवा सेवायें और खेल, 13वां/ 14वां वित्त आयोग | 30 (जेके बैंक के अलावा: 02) |
| 88. | बीडीओ, संकू | एमजीएनआरईजीए, आईएवाई, एसबीएम, वेतन, 13वां/ 14वां वित्त आयोग | 18 |
| 89. | बीडीओ, संग्रामा | एमजीएनआरईजीए, एसबीएम, आईएवाई, वेतन, 13वां/ 14वां वित्त आयोग | 11 |
| 90. | बीडीओ, पशुकुम | एमजीएनआरईजीए, एसबीएम, टावर, आईएवाई, वेतन, 14वां वित्त आयोग | 8 |
| 91. | बीडीओ, टंगमर्ग | एमजीएनआरईजीए, 13वां और 14वां वित्त आयोग, आईएवाई, वेतन, एसबीएम | 24 |
| 92. | बीडीओ, कुंजेर | एमजीएनआरईजीए, आईएवाई, टीएससी/ एसबीएम, 13वां और 14वां वित्त आयोग | 13 |

| क्रम संख्या | डीडीओ का नाम | उद्देश्य | बैंक खातों की संख्या |
|-------------|------------------|--|--------------------------------|
| 93. | बीडीओ, बोनीयार | एमजीएनआरईजीए, एसबीएम, 13वां और 14वां वित्त आयोग, आईएवाई, वेतन | 16 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 94. | एसीडी, बारामूला | एमजीएनआरईजीए, आईएवाई/ पीएमएवाई, वेतन, 13वां वित्त आयोग. | 5 |
| 95. | डीपीओ, कारगिल | एसबीएम, 12वां और 13वां वित्त आयोग, टावर, वेतन | 5 |
| 96. | डीपीओ, बारामूला | एसबीएम, वेतन, रेलवे प्रतिकर, मोबाइल टावर | 6 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 97. | बीडीओ, रोहामा | एमजीएनआरईजीए, एसबीएम, आईएवाई, वेतन, 13वां और 14वां वित्त आयोग | 43 (जेके बैंक के अलावा: 03) |
| 98. | एसीडी, अनंतनाग | आईएवाई, सीडीएफ, एमपीएलएडी, भूमि प्रतिकर वेतन, 13वां वित्त आयोग | 12 (जेके बैंक के अलावा: 03) |
| 99. | एसीडी, कारगिल | आईएवाई, 13वां वित्त आयोग, एमजीएनआरईजीए | 5 (जेके बैंक के अलावा: 03) |
| 100. | बीडीओ, अचबल | एमजीएनआरईजीए, वेतन, एसबीएम, आईएवाई | 4 |
| 101. | बीडीओ, अनंतनाग | एसबीएम, एमजीएनआरईजीए | 2 |
| 102. | बीडीओ, बिजबेहरा | एसबीएम, आईएवाई, 13वां वित्त आयोग | 4 |
| 103. | बीडीओ, ब्रेंग | वेतन, एसबीएम, आईएवाई, 13वां वित्त आयोग | 7 (जेके बैंक के अलावा: 02) |
| 104. | बीडीओ, चित्तरगुल | एसबीएम, सीडीएफ, 13वां वित्त आयोग | 4 |
| 105. | बीडीओ, दाचीपोरा | एमजीएनआरईजीए, वेतन, एसबीएम, आईएवाई, 13वां वित्त आयोग | 8 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 106. | बीडीओ, हिलर | एमजीएनआरईजीए, एसबीएम, वेतन | 3 |
| 107. | बीडीओ, खोवरीपोरा | एमजीएनआरईजीए | 1 |
| 108. | बीडीओ, कारगिल | एसबीएम, आईएवाई | 3 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 109. | बीडीओ, लरकीपोरा | एसबीएम इत्यादि | 2 (जेके बैंक के अलावा: 02) |
| 110. | बीडीओ, लारनू | एसबीएम | 1 |
| 111. | बीडीओ, पहलगाम | एमजीएनआरईजीए, वेतन, एसबीएम, आईएवाई | 4 |
| 112. | बीडीओ, काजीगुंड | एसबीएम, 13वां वित्त आयोग | 3 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 113. | बीडीओ, सागम | वेतन, एमजीएनआरईजीए, सीडीएफ, एसबीएम, 13वां वित्त आयोग | 5 |
| 114. | बीडीओ, शाहबाद | एसबीएम, चुनाव क्षेत्र विकास योजना (सीडीएस), 13वां वित्त आयोग, एमजीएनआरईजीए | 6 |
| 115. | बीडीओ, शंगुस | 13वां वित्त आयोग, आईएवाई | 6 |

| क्रम संख्या | डीडीओ का नाम | उद्देश्य | बैंक खातों की संख्या |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|
| 116. | बीडीओ तेसपूल सलीकोट गुंड मंगलपोर (टीएसजी) | एमजीएनआरईजीए, एसबीएम, आईएवाई, टीएससी/एसबीएम | 5 (जेके बैंक के अलावा: 02) |
| 117. | बीडीओ, वेरीनाग | वेतन, एसबीएम | 2 |
| 118. | बीडीओ, वस्सू | एसबीएम, टावर शुल्क, सीडीएस | 4 |
| 119. | डीपीओ, अनंतनाग | 12वां वित्त आयोग | 1 |
| 120. | कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी विंग (आरईडब्ल्यू), अनंतनाग | निर्माण कार्य | 1 |
| 121. | कार्यपालक अभियंता, आरईडब्ल्यू बारामूला | वेतन, 13वां वित्त आयोग, एमजीएनआरईजीए | 4 |
| लोक निर्माण विभाग | | | |
| 122. | कार्यपालक अभियंता, (पीडब्ल्यूडी), रियासी | वेतन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) | 3 (जेके बैंक के अलावा: 01) |
| 123. | कार्यपालक अभियंता सड़क और भवन (आर एण्ड बी), राजौरी | आरएमएसए, एनआरएचएम, डिग्री कॉलेज बुधल, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), वेतन/ निर्माण कार्य | 7 |
| 124. | कार्यपालक अभियंता पीडब्ल्यूडी (आर एण्ड बी), प्रभाग I, जम्मू | वेतन, एसडीआरएफ, मोबाइल टावर्स, एनआरएचएम, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) | 5 |
| 125. | कार्यपालक अभियंता पीडब्ल्यूडी (आर एण्ड बी), प्रभाग III, जम्मू | कार्यालयीन संव्यवहारों हेतु, ओएफसी, एसडीआरएफ, आरएमएसए, आरयूएसए, एनआरएचएम | 7 |
| 126. | कार्यपालक अभियंता (आर एण्ड बी), बारामूला | आरएमएसए, वेतन | 2 |
| 127. | कार्यपालक अभियंता (आर एण्ड बी) II, कारगिल | वेतन, आरएमएसए/ दूरदर्शन (डीडी)/ अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन (एएमआरयूटी)/ ओएफसी/ खादी गाँव, सरकारी डिग्री कॉलेज (जीडीसी)/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) | 3 |
| 128. | कार्यपालक अभियंता (आर एण्ड बी), उरी | वेतन, डीडीओ खाता, आरएमएसए | 4 |
| 129. | कार्यपालक अभियंता, सुरु घाटी प्रभाग, कारगिल | आरएमएसए | 1 |
| 130. | कार्यपालक अभियंता (आर एण्ड बी) प्रभाग, अनंतनाग | आरएमएसए | 1 |
| 131. | कार्यपालक अभियंता (आर एण्ड बी) प्रभाग, वाइलू | आरएमएसए | 1 |
| कुल | | | 1,138 |

परिशिष्ट 2.2.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.2.4.4; पृष्ठ: 19)

जमा शीर्षों के बजाय बैंक खाते में रोके गए भूमि प्रतिकर के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण
(₹ लाख में)

| क्र. सं. | डीडीओ/ खाताधारक का विवरण | बैंक का नाम | खाते का प्रकार | खाता संख्या | 31 मार्च को शेष राशि | | | | |
|------------|---|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | सहायक आयुक्त राजस्व कारगिल | जेके बैंक | चालू खाता | 0096010200000484 | 159.24 | 113.25 | 142.76 | 184.88 | 266.75 |
| 2. | उपायुक्त कारगिल | जेके बैंक | बचत खाता | 0096040500003299 | 104.56 | 14.18 | 1.09 | 1.12 | 1.13 |
| | | भारतीय स्टेट बैंक | बचत खाता | 30579562208 | एन ए | 3.58 | 4.48 | 270.46 | 17.93 |
| 3 | सहायक आयुक्त राजस्व (भूमि प्रतिकर), जम्मू | जेके बैंक | चालू जमा | 0045010200002042 | एन ए | 153.46 | 22.93 | एन ए | 5,271.78 |
| | | जेके बैंक | चालू जमा | 0321010200000106 | एन ए | एन ए | एन ए | एन ए | 1,594.08 |
| 4 | उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट (एन) जम्मू | जेके बैंक | चालू जमा | 0433010200000048 | 3.72 | 7.64 | 567.67 | 592.06 | 59.66 |
| 5 | उपायुक्त रियासी | जेके बैंक | चालू जमा | 29010200002005 | 164.86 | 61.34 | 35.65 | 95.44 | 93.27 |
| 6 | उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट (एस) जम्मू | जेके बैंक | चालू जमा | 0077010200000154 | एन ए | एन ए | 1,132.46 | 5,199.44 | 202.88 |
| कुल | | | | | 432.38 | 353.45 | 1,907.04 | 6,343.40 | 7,507.48 |

एनए- अनुपलब्ध

(स्रोत: विभागीय अभिलेख एवं बैंक विवरण)

परिशिष्ट 2.2.3

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.2.4.7 (ए); पृष्ठ: 22)

निर्मोचित निधियों की तुलना में नियोजित निर्माण कार्यों की बहुत कम अनुमानित लागत वाली इकाइयों का विवरण

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | ग्राम विकास ब्लॉक का विवरण | वर्ष 2015-16 के लिए प्रदान की गई 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी निधियाँ (प्रथम और द्वितीय किश्त) | निर्माण कार्य योजना में नियोजित निर्माण कार्यों की संख्या | डीडीसी द्वारा स्वीकृत की गयी प्राधिकृति/ नियोजित निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत | अप्रयुक्त रही निधियाँ |
|---------|----------------------------|--|---|---|-----------------------|
| 1. | बीडीओ भालवल | 276.50 | 84 | 266.26 | 10.24 |
| 2. | बीडीओ भोमग | 55.65 | 18 | 51.69 | 3.96 |
| 3. | बीडीओ कालाकोट | 122.22 | 62 | 103.82 | 18.40 |
| 4. | बीडीओ पंथाल | 56.20 | 16 | 52.07 | 4.13 |
| 5. | बीडीओ वरसू | 132.82 | 79 | 115.85 | 16.97 |
| 6. | बीडीओ पहलगाम | 134.81 | 105 | 127.27 | 7.54 |
| 7. | बीडीओ चित्रगुल | 431.95 | 114 | 155.97 | 275.98 |
| 8. | बीडीओ वेरीनाग | 134.23 | 48 | 114.18 | 20.05 |
| 9. | बीडीओ काजीगुंड | 114.53 | 77 | 109.51 | 5.02 |
| 10. | बीडीओ लारनू | 190.02 | 124 | 150.87 | 39.15 |
| 11. | बीडीओ अनंतनाग | 194.89 | 156 | 194.09 | 0.80 |
| 12. | बीडीओ शानगस | 166.40 | 94 | 134.59 | 31.81 |
| 13. | बीडीओ खोवरीपोरा | 297.01 | 245 | 244.66 | 52.35 |
| 14. | बीडीओ शाहबाद | 171.66 | 72 | 164.03 | 7.63 |
| 15. | बीडीओ बोनीयार | 86.97 | 78 | 73.79 | 13.18 |
| | | 2,565.86 | 1,372 | 2,058.65 | 507.21 |

(स्रोत: विभागीय अभिलेख एवं बैंक विवरण)

परिशिष्ट 2.2.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.2.4.7 (बी); पृष्ठ: 22)

अपूर्ण और गैर-निष्पादित योजनाओं से संबंधित अप्रयुक्त निधियों का ब्लॉक-वार विवरण

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | ग्राम विकास ब्लॉक का विवरण | वर्ष 2015-16 के लिए प्रदान की गई 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी निधियाँ (प्रथम और द्वितीय किस्त) | नियोजित निर्माण कार्यों की संख्या | निष्पादित निर्माण कार्यों की संख्या | गैर-निष्पादित/अधूरी योजनाओं की संख्या | अप्रयुक्त निधियाँ |
|---------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1. | बीडीओ भलवाल | 276.50 | 84 | 56 | 28 | 88.26 |
| 2. | बीडीओ भोमग | 55.65 | 18 | 09 | 09 | 14.09 |
| 3. | बीडीओ कालाकोट | 122.22 | 62 | 56 | 06 | 18.40 |
| 4. | बीडीओ मायरा मैड्रियान | 68.19 | 17 | 15 | 02 | 9.11 |
| 5. | बीडीओ पंथाल | 56.20 | 16 | 10 | 06 | 20.53 |
| 6. | बीडीओ परगवल | 87.64 | 20 | 16 | 04 | 21.10 |
| 7. | बीडीओ राजौरी | 171.79 | एन ए | एन ए | एन ए | 19.87 ¹ |
| 8. | बीडीओ रियासी | 97.82 | 41 | 22 | 19 | 51.42 |
| 9. | बीडीओ वस्सू | 132.82 | 79 | 76 | 03 | 22.57 |
| 10. | बीडीओ पहलगाम | 134.81 | 105 | 95 | 10 | 67.72 |
| 11. | बीडीओ चित्रगुल | 431.95 | 114 | 105 | 09 | 287.98 |
| 12. | बीडीओ वेरीनाग | 134.23 | 48 | 39 | 09 | 41.04 |
| 13. | बीडीओ काजीगुंड | 114.53 | 77 | 48 | 29 | 15.74 |
| 14. | बीडीओ लारनू | 190.02 | 124 | 103 | 21 | 60.51 |
| 15. | बीडीओ अनंतनाग | 194.89 | 156 | 130 | 26 | 08.50 |
| 16. | बीडीओ शानगस | 166.40 | 94 | 84 | 10 | 50.73 |
| 17. | बीडीओ के. पोरा | 297.01 | 245 | 178 | 67 | 104.01 |
| 18. | बीडीओ शाहबाद | 171.66 | 72 | 65 | 07 | 29.60 |
| 19. | बीडीओ कुंजेर | 77.25 | 49 | 49 | 0 | 1.16 |
| 20. | बीडीओ तंगमर्ग | 146.15 | 119 | 96 | 23 | 14.15 |
| 21. | बीडीओ रोहामा | 116.77 | 127 | 57 | 70 | 33.55 |
| 22. | बीडीओ बोनीयार | 86.97 | 78 | 68 | 10 | 21.39 |
| 23. | बीडीओ संग्रामा | 141.06 | 121 | 43 | 78 | 66.18 |
| 24. | बीडीओ पश्कुम | 25.85 | 05 | 05 | 00 | 0.96 |
| 25. | बीडीओ संकू | 110.70 | 71 | 71 | 00 | 2.34 |
| 26. | बीडीओ कटरा | 57.88 | 22 | 10 | 12 | 26.34 |
| 27. | बीडीओ संवान | 21.92 | 04 | 03 | 01 | 11.99 |
| 28. | बीडीओ खौर | 177.96 | 114 | 94 | 20 | 18.29 |
| 29. | बीडीओ खरहबल्ली | 63.75 | 33 | 29 | 04 | 11.40 |
| 30. | बीडीओ ठाकराकोट | 39.15 | 14 | 12 | 02 | 3.67 |
| 31. | बीडीओ नौशेरा | 106.15 | 113 | 72 | 41 | 48.23 |
| 32. | बीडीओ सिओट | 80.45 | 49 | 41 | 08 | 11.60 |
| 33. | बीडीओ अखनूर | 179.91 | 83 | 80 | 03 | 6.11 |
| 34. | बीडीओ सुंदरबनी | 117.74 | 85 | 65 | 20 | 42.16 |
| | कुल | 4,453.99 | 2,459 | 1,902 | 557 | 1,250.70 |

एनए- अनुपलब्ध

(स्रोत: विभागीय अभिलेख एवं बैंक विवरण)

¹ बीडीओ राजौरी ने नियोजित, निष्पादित और अपूर्ण निर्माण कार्यों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया, हालांकि, पंचायत पालम के संबंध में निर्गत ₹23.27 लाख में से ₹3.40 लाख का उपयोग किया गया है और ₹19.87 लाख अप्रयुक्त रहे।

परिशिष्ट 2.3.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.3; पृष्ठ: 30)

(ए) खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के 11 नमूना जांच कार्यालयों से प्राप्त और जारी राशन कार्डों को दर्शाता विवरण

| क्र.स. | सहायक निदेशक का नाम | राशन कार्ड की प्राप्ति | | | | जारी राशन कार्ड | | | | शेष राशन कार्ड | | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| | | राशन कार्ड की श्रेणी | | | | राशन कार्ड की श्रेणी | | | | राशन कार्ड की श्रेणी | | | |
| | | गैर-पीएचएच (एपीएल)/ अपवर्जन | पीएचएच (बीपीएल-अन्य) | पीएचएच (एएवाई) | कुल | गैर-पीएचएच (एपीएल)/ अपवर्जन | पीएचएच (बीपीएल-अन्य) | पीएचएच (एएवाई) | कुल | गैर-पीएचएच (एपीएल)/ अपवर्जन | पीएचएच (बीपीएल-अन्य) | पीएचएच (एएवाई) | कुल |
| 1. | सांबा | 37,374 | 37,500 | 2,500 | 77,374 | 26,880 | 33,770 | 2,079 | 62,729 | 10,494 | 3,730 | 421 | 14,645 |
| 2. | राजौरी | 82,482 | 92,200 | 15,975 | 1,90,657 | 66,366 | 92,100 | 15,800 | 1,74,266 | 16,116 | 100 | 175 | 16,391 |
| 3. | ग्रामीण-II | 24,335 | 64,689 | 3,600 | 92,624 | 22,707 | 62,526 | 2,325 | 87,558 | 1,628 | 2,163 | 1275 | 5,066 |
| 4. | ग्रामीण-I | 75,691 | 21,399 | 7,863 | 1,04,953 | 63,717 | 21,399 | 7,663 | 92,779 | 11,974 | 0 | 200 | 12,174 |
| 5. | डोडा | 33,013 | 60,200 | 10,600 | 1,03,813 | 31,114 | 58,669 | 10,199 | 99,982 | 1,899 | 1,531 | 401 | 3,831 |
| 6. | पुंछ | 33,328 | 51,203 | 9,212 | 93,743 | 28,431 | 48,050 | 9,035 | 85,516 | 4,897 | 3,153 | 177 | 8,227 |
| 7. | रामबन | 27,700 | 37,000 | 5,740 | 70,440 | 25,715 | 36,980 | 5,301 | 67,996 | 1,985 | 20 | 439 | 2,444 |
| 8. | सिटी सर्किल-I | 10,100 | 0 | 0 | 10,100 | 6,800 | 0 | 0 | 6,800 | 3,300 | 0 | 0 | 3,300 |
| 9. | कठुआ | 36,900 | 85,100 | 9,000 | 1,31,000 | 36,900 | 48,611 | 4,613 | 90,124 | 0 | 36,489 | 4,387 | 40,876 |
| 10. | किश्तवाड | 15,000 | 31,300 | 5,000 | 51,300 | 11,709 | 21,667 | 4,659 | 38,035 | 3,291 | 9,633 | 341 | 13,265 |
| 11. | रियासी | 22,500 | 37,200 | 8,500 | 68,200 | 20,733 | 31,412 | 6,153 | 58,298 | 1,767 | 5,788 | 2,347 | 9,902 |
| | कुल | 3,98,423 | 5,17,791 | 77,990 | 9,94,204 | 3,41,072 | 4,55,184 | 67,827 | 8,64,083 | 57,351¹ | 62,607 | 10,163 | 1,30,121 |

(स्रोत: 11 नमूना जांच इकाइयों से संबंधित विभागीय अभिलेखों पर आधारित)

¹ सांबा (1,204), राजौरी (1,906), डोडा (2,383), पुंछ (1,000) तथा किश्तवाड (855) में अपवर्जन श्रेणी के 7,348 राशन कार्ड सम्मिलित हैं।

(परिशिष्ट 2.3.1 जारी)

(बी) 11 नमूना जांच की गयी इकाइयों में जारी राशन कार्डों की बिक्री प्राप्तियों के कम प्रेषण को दर्शाता विवरण

| क्र. सं. | सहायक निदेशक का नाम | शेष राशन कार्ड की लागत | | | | जारी राशन कार्ड हेतु धन प्रेषित किए जाने के कारण लागत | | | | प्रेषित राशि | शेष राशि |
|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | राशन कार्ड की श्रेणी | | | | राशन कार्ड की श्रेणी | | | | | |
| | | गैर-पीएचएच (एपीएल)/ अपवर्जन | पीएचएच (बीपीएल-अन्य) | पीएच एच (एएवाई) | कुल | गैर-पीएचएच (एपीएल)/ अपवर्जन | पीएचएच (बीपीएल-अन्य) | पीएचएच (एएवाई) | कुल | | |
| 1. | सांबा | 10,49,400 | 2,79,750 | 12,630 | 13,41,780 | 26,88,000 | 25,32,750 | 62,370 | 52,83,120 | 34,73,775 | 18,09,345 |
| 2. | राजौरी | 16,11,600 | 7,500 | 5,250 | 16,24,350 | 66,36,600 | 69,07,500 | 4,74,000 | 1,40,18,100 | 1,05,86,589 | 34,31,511 |
| 3. | ग्रामीण-II | 1,62,800 | 1,62,225 | 38,250 | 3,63,275 | 22,70,700 | 46,89,450 | 69,750 | 70,29,900 | 60,60,545 | 9,69,355 |
| 4. | ग्रामीण-I | 11,97,400 | 0 | 6,000 | 12,03,400 | 63,71,700 | 16,04,925 | 2,29,890 | 82,06,515 | 78,13,890 | 3,92,625 |
| 5. | डोडा | 1,89,900 | 1,14,825 | 12,030 | 3,16,755 | 31,11,400 | 44,00,175 | 3,05,970 | 78,17,545 | 41,45,855 | 36,71,690 |
| 6. | पुंछ | 4,89,700 | 2,36,475 | 5,310 | 7,31,485 | 28,43,100 | 36,03,750 | 2,71,050 | 67,17,900 | 60,62,215 | 6,55,685 |
| 7. | रामबन | 1,98,500 | 1,500 | 13,170 | 2,13,170 | 25,71,500 | 27,73,500 | 1,59,030 | 55,04,030 | 36,12,810 | 18,91,220 |
| 8. | सिटी सर्किल-I | 3,30,000 | 0 | 0 | 3,30,000 | 6,80,000 | 0 | 0 | 6,80,000 | 70,000 | 6,10,000 |
| 9. | कठुआ | 0 | 27,36,675 | 1,31,610 | 28,68,285 | 36,90,000 | 36,45,825 | 1,38,390 | 74,74,215 | 69,72,390 | 5,01,825 |
| 10. | किशतवाड | 3,29,100 | 7,22,475 | 10,230 | 10,61,805 | 11,70,900 | 16,25,025 | 1,39,770 | 29,35,695 | 17,28,835 | 12,06,860 |
| 11. | रियासी | 1,76,700 | 4,34,100 | 70,410 | 6,81,210 | 20,73,300 | 23,55,900 | 1,84,590 | 46,13,790 | 28,09,450 | 18,04,340 |
| | कुल | 57,35,100 | 46,95,525 | 3,04,890 | 1,07,35,515 | 3,41,07,200 | 3,41,38,800 | 20,34,810 | 7,02,80,810 | 5,33,36,354 | 1,69,44,456 |

(स्रोत: 11 नमूना जांच इकाइयों से संबंधित विभागीय अभिलेखों पर आधारित)

परिशिष्ट 2.5.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.5; पृष्ठ: 36)

बीएडीपी के अंतर्गत जुलाई 2020 के अंत में स्टोरेज टैंकों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति को दर्शाता विवरण

| क्र. सं. | कार्य का नाम (स्टोरेज टैंक) | अनुमानित लागत (रु.लाख में) | व्यय (रु.लाख में) | वन भूमि (हेक्टेयर में) | निजी भूमि (हेक्टेयर में) | अभ्युक्तियाँ |
|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--|
| 1. | ब्रिनयाल | 453.78 | 63.88 | 0.00 | 30.00 | भूमि अधिग्रहण हेतु कार्य को रोका गया |
| 2. | चक्की दुदीपोरा | 65.00 | 40.09 | 0.00 | 0.00 | आंशिक रूप से पूर्ण तथा अर्ध-कार्यात्मक। संबद्ध कार्यो को वन निर्बाधता की आवश्यकता के कारण रोका गया। |
| 3. | चोयाल दूरी बॉन | 105.00 | 13.27 | 0.949 | 0.00 | वन निर्बाधता की आवश्यकता के लिए कार्य रोका गया। |
| 4. | चंगमुला | 100.00 | 39.55 | 0.00 | 0.00 | आंशिक रूप से निष्पादित, वन निर्बाधता की आवश्यकता के लिए कार्य रोका गया। |
| 5. | गलगजना तुर्कपोरा | 25.00 | 12.00 | 0.21 | 0.00 | अर्ध-कार्यात्मक, वन निर्बाधता प्रतीक्षित थी। |
| 6. | बखीनार्द सोइल | 87.00 | 58.55 | 0.262 | 0.00 | मिट्टी का तटबंध पूर्ण। शेष कार्य निधियों की आवश्यकता के कारण लंबित। |
| 7. | बटनार तुलवारी | 100.00 | 56.91 | 0.53 | 0.00 | 80 प्रतिशत मिट्टी का तटबंध पूर्ण। वाटर बॉडी को गहरा/ चौड़ा करना/ संबद्ध कार्य निधियों की आवश्यकता के कारण लंबित। |
| 8. | किंजलडूरी निचहामा | 81.00 | 38.29 | 0.00 | 0.00 | कार्य छोड़ा गया क्योंकि चयनित साइट मृदा परीक्षण में असफल रही। |
| 9. | जबनार वोग्बल | 90.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | वन निर्बाधता प्रतीक्षित थी। |
| 10. | चुरनार दरिल | 90.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | वन निर्बाधता प्रतीक्षित थी। |
| 11. | नगनी शर्तीगाम | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | वन निर्बाधता प्रतीक्षित थी। |
| 12. | लिजनार्द परीनार | 75.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | अर्ध-कार्यात्मक। संबद्ध कार्य निधियों की आवश्यकता के कारण लंबित। |
| 13. | वारीपोरा | 127.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | गहराई, चौड़ाई आंशिक रूप से पूर्ण। इंटेक चैनल और संबद्ध कार्य निधियों की आवश्यकता के कारण लंबित। |
| 14. | यमलार | 50.00 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | अर्ध-कार्यात्मक। संबद्ध कार्य निधियों की आवश्यकता के कारण लंबित। |

| क्र. सं. | कार्य का नाम (स्टोरेज टैंक) | अनुमानित लागत (₹लाख में) | व्यय (₹लाख में) | वन भूमि (हेक्टेयर में) | निजी भूमि (हेक्टेयर में) | अभ्युक्तियाँ |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--|
| 15. | नगमुला | 62.00 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | अर्ध-कार्यात्मक/ निधियों की आवश्यकता के कारण रोके गए। |
| 16. | नौसार | 85.00 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | अर्ध-कार्यात्मक/ संबद्ध कार्य निधियों की आवश्यकता के कारण लंबित। |
| 17. | सतर गनी | 86.00 | 2.80 | 0.90 | 0.00 | वन निर्बाधता प्रतीक्षित थी। |
| 18. | कंजपाव | 82.00 | 37.30 | 0.90 | 0.00 | आंशिक रूप से पूर्ण/ संबद्ध कार्य निधियों की आवश्यकता के कारण रोके गए। |
| 19. | चौधरी सार | 122.00 | 71.07 | 0.90 | 0.00 | आंशिक रूप से पूर्ण/ संबद्ध कार्य निधियों की आवश्यकता के कारण रोके गए। |
| 20. | दुगसर | 88.00 | 21.19 | 0.50 | 0.00 | अर्ध-कार्यात्मक/ संबद्ध कार्य निधियों की आवश्यकता के कारण रोके गये। |
| 21. | साधुगंगा | 101.47 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | वन विभाग से एनओसी की अनुपलब्धता के कारण कार्य आरंभ नहीं किया गया। |
| 22. | अबनार | 93.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | वन विभाग से एनओसी की अनुपलब्धता के कारण कार्य आरंभ नहीं किया गया। |
| 23. | सिंगरी सार | 82.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | वन विभाग से एनओसी की अनुपलब्धता के कारण कार्य आरंभ नहीं किया गया। |
| 24. | गुन्सनार | 85.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | सेना आयुध भंडार के समीप साइट जिसके लिए सेना से निर्बाधता प्राप्त नहीं की गया थी। |
| 25. | जिन्नार | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | कार्य आरंभ नहीं किया गया |
| 26. | ब्रानवारी | 80.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | वन विभाग से एनओसी की अनुपलब्धता के कारण कार्य रुके। |
| 27. | एलआईएस कंडी नटनुसा | 50.00 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | कार्यात्मक, संबद्ध कार्य निधियों की आवश्यकता के कारण रोके गए। |
| कुल | | 2,642.25 | 642.68 | 10.251 | 30.80 | |

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 3.1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.10; पृष्ठ: 57)

वर्ष 2018-19 के दौरान स्वीकार की गई वसूली और वसूली किए गए मामलों का इकाई-वार विवरण

(राशि ₹ लाख में)

| क्र. सं. | इकाई का नाम | वसूली स्वीकार किए गए मामले | | की गई वसूली | |
|----------|--|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| | | मामलों की संख्या | स्वीकृत की गई वसूली की राशि | मामलों की संख्या | वसूल की गई राशि |
| 1. | वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्किल-एच, जम्मू | 6 | 39.20 | 8 | 41.58 |
| 2. | वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्किल-ए, जम्मू | 2 | 0.54 | 2 | 0.54 |
| 3. | वाणिज्यिक कर अधिकारी, कारगिल | 2 | 23.14 | 21 | 31.78 |
| 4. | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कारगिल | 1 | 9.20 | 1 | 1.00 |
| 5. | उपायुक्त वसूली, जम्मू | 12 | 72.46 | 12 | 72.46 |
| 6. | वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्किल-1, उधमपुर | 23 | 82.74 | 2 | 5.73 |
| 7. | वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्किल-बी, जम्मू | 4 | 16.41 | - | - |
| 8. | वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्किल-जे, जम्मू | 5 | 1.82 | 5 | 1.82 |
| | कुल | 55 | 245.51 | 51 | 154.91 |

(स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित सूचना)

परिशिष्ट 5.1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.7; पृष्ठ: 76)

31 मार्च 2019 तक राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | पीएसयू का नाम और क्षेत्र | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | वर्ष 2018-19 के अंत में इक्विटी | | | | वर्ष 2018-19 के अंत में दीर्घकालिक ऋणों का बकाया | | | |
|---------|--|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|
| | | | | जेओजे एण्डके | जीओआई | अन्य | कुल | जेओजे एण्डके | जीओआई | अन्य | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (ए) | 5 (बी) | 5 (सी) | 5 (डी) | 6 (ए) | 6 (बी) | 6 (सी) | 6 (डी) |
| ए | सामाजिक क्षेत्र | | | | | | | | | | |
| | I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | | | | |
| 1. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | कृषि उत्पादन | 30 जनवरी 1970 | 2.60 | 0.94 | 0 | 3.54 | 68.70 | 0 | 0 | 68.70 |
| 2. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड | कृषि उत्पादन | 10 अप्रैल 1978 | 6.00 | 3.20 | 0 | 9.20 | 112.64 | 0 | 0 | 112.64 |
| 3. | जम्मू एण्ड कश्मीर एससी, एसटी एण्ड ओबीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | सामाजिक कल्याण | 1 अप्रैल 1986 | 19.32 | 28.05 | 0 | 47.37 | 0 | 0 | 58.66 | 58.66 |
| 4. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | सामाजिक कल्याण | 10 मई 1996 | 10.00 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 62.37 | 62.37 |
| 5. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | उद्योग और वाणिज्य | 28 नवंबर 1975 | 89.91 | 0 | 0 | 89.91 | 10.38 | 0 | 0 | 10.38 |
| 6. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | उद्योग और वाणिज्य | 17 मार्च 1969 | 17.65 | 0 | 0 | 17.65 | 8.05 | 0 | 0 | 8.05 |
| 7. | जम्मू एण्ड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | उद्योग और वाणिज्य | 4 अक्टूबर 1960 | 16.27 | 0 | 0 | 16.27 | 663.04 | 0 | 0 | 663.04 |
| 8. | जम्मू एण्ड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | वित्त | 10 अक्टूबर 2010 | 4.06 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | जम्मू एण्ड कश्मीर हेंडीक्राफ्ट (सेल्स एण्ड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | उद्योग और वाणिज्य | 6 जनवरी 1970 | 7.08 | 0.89 | 0 | 7.97 | 150.02 | 0 | 0 | 150.02 |
| 10. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हेंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | उद्योग और वाणिज्य | 29 जून 1981 | 3.49 | 1.50 | 0 | 4.99 | 151.38 | 0 | 0 | 151.38 |
| 11. | जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड | स्वास्थ्य | 31 मार्च 2014 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| क्र.सं. | पीएसयू का नाम और क्षेत्र | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | वर्ष 2018-19 के अंत में इक्विटी | | | | वर्ष 2018-19 के अंत में दीर्घकालिक ऋणों का बकाया | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------------|--|----------|---------------|-----------------|--|
| | | | | जेओजे एण्डके | जीओआई | अन्य | कुल | जेओजे एण्डके | जीओआई | अन्य | कुल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (ए) | 5 (बी) | 5 (सी) | 5 (डी) | 6 (ए) | 6 (बी) | 6 (सी) | 6 (डी) | |
| 12. | जम्मू एण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन | उद्योग और वाणिज्य | 30 मई 2018 | 5.00 | 0 | 0 | 5.00 | कंपनियों ने इनकी स्थापना के बाद से ही पूरक लेखापरीक्षा हेतु इस कार्यालय को अपने लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं। | | | | |
| 13. | जम्मू एण्ड कश्मीर एसेट रिकंसट्रक्शन लिमिटेड | वित्त | 28 अप्रैल 2017 | 1.02 | 0 | 0.98 | 2.00 | | | | | |
| 14. | एआईसी- जम्मू एण्ड कश्मीर ईडीआई फाउंडेशन | उद्योग और वाणिज्य | 07 सितंबर 2018 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | | | | | |
| 15. | जम्मू एण्ड कश्मीर आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट प्रा. लिमिटेड | आईटी और संचार | 07 मार्च 2019 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | | | | | |
| 16. | जम्मू एण्ड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन प्रा. लिमिटेड | वित्त | 25 सितंबर 2018 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | | | | | |
| कुल I ए | | | | 182.76 | 34.58 | 0.98 | 218.32 | 1,164.21 | 0 | 121.03 | 1,285.24 | |
| II. निष्क्रिय कंपनी | | | | | | | | | | | | |
| 17. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) | उद्योग और वाणिज्य | 29 नवंबर 1991 | 0.40 | 0 | 0 | 0.40 | अनुपलब्ध | | | | |
| कुल II ए | | | | 0.40 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| कुल ए (I+II) | | | | 183.16 | 34.58 | 0.98 | 218.72 | 1,164.21 | 0 | 121.03 | 1,285.24 | |
| बी | प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र | | | | | | | | | | | |
| I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | | | | | | |
| 18. | जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड | उद्योग और वाणिज्य | 24 दिसंबर 1974 | 52.01 | 0 | 0 | 52.01 | 14.35 | 0 | 28.27 | 42.62 | |
| 19. | जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड | उद्योग और वाणिज्य | 5 फरवरी 1960 | 8.00 | 0 | 0 | 8.00 | 220.52 | 0 | 0 | 220.52 | |
| 20. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड | पर्यटन | 28 नवंबर 1988 | 23.57 | 0 | 0 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड | वित्त | 10 अक्टूबर 1938 | 32.98 | 0 | 22.72 | 55.70 | 0 | 0 | 2,623.96 | 2,623.96 | |
| 22. | जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड | वित्त | 27 अगस्त 2009 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉरपोरेशन | वित्त | 2 दिसंबर 1959 | 172.35 | 0 | 0.52 | 172.87 | 1.00 | 0 | 31.14 | 32.14 | |
| 24. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन | परिवहन | 1 सितंबर 1976 | 195.95 | 15.01 | 24.79 | 235.75 | 675.45 | 0 | 0 | 675.45 | |
| 25. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड | पर्यटन | 13 फरवरी 1970 | 23.50 | 0 | 0 | 23.50 | 4.26 | 0 | 0 | 4.26 | |

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-सामाजिक, सामान्य, आर्थिक और राजस्व क्षेत्र

| क्र.सं. | पीएसयू का नाम और क्षेत्र | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | वर्ष 2018-19 के अंत में इक्विटी | | | | वर्ष 2018-19 के अंत में दीर्घकालिक ऋणों का बकाया | | | |
|---------|--|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|----------|-----------------|-----------------|
| | | | | जेओजे एण्डके | जीओआई | अन्य | कुल | जेओजे एण्डके | जीओआई | अन्य | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (ए) | 5 (बी) | 5 (सी) | 5 (डी) | 6 (ए) | 6 (बी) | 6 (सी) | 6 (डी) |
| 26. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | वन | 1 जुलाई 1979 | 9.03 | 0 | 0 | 9.03 | 62.14 | 0 | 0 | 62.14 |
| | कुल I बी | | | 517.39 | 15.01 | 68.03 | 600.43 | 977.72 | 0 | 2,683.37 | 3,661.09 |
| | II. निष्क्रिय कंपनियाँ | | | | | | | | | | |
| 27. | तवी स्कूटर्स लिमिटेड | उद्योग और वाणिज्य | 15 दिसंबर 1976 | 0.80 | 0 | 0 | 0.80 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 |
| 28. | हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड | उद्योग और वाणिज्य | 24 जनवरी 1978 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल बी II | | | 2.17 | 0 | 0 | 2.17 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 |
| | कुल बी (I+II) | | | 519.56 | 15.01 | 68.03 | 602.60 | 978.55 | 0 | 2,683.37 | 3,661.92 |
| | सी | | | | | | | | | | |
| | I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | | | | |
| 29. | जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड | लोक निर्माण | 22 मई 1965 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | जम्मू एण्ड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | गृह | 26 दिसंबर 1997 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड | शहरी विकास | 8 सितंबर 2017 | 0.10 | 0 | 0 | 0.10 | कंपनियों ने इनकी स्थापना के बाद से ही पूरक लेखापरीक्षा हेतु इस कार्यालय को अपने लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं। | | | |
| 32. | श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | शहरी विकास | 8 सितंबर 2017 | 0.10 | 0 | 0 | 0.10 | | | | |
| 33. | जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेड | शहरी विकास | 12 मार्च 2019 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | | | | |
| 34. | श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेड | शहरी विकास | 13 मार्च 2019 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | | | | |
| | कुल I सी | | | 3.82 | 0 | 0 | 3.82 | | 0 | 0 | 0 |
| | II. निष्क्रिय कंपनियाँ | | | | | | | | | | |
| 35. | जम्मू एण्ड कश्मीर रोड डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | लोक निर्माण | 31 मार्च 2014 | 5.00 | 0 | 0 | 5.00 | कंपनियों ने इनकी स्थापना के बाद से ही पूरक लेखापरीक्षा हेतु इस कार्यालय को अपने लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं। | | | |
| 36. | जम्मू एण्ड कश्मीर इन्टरनेशनल ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड | उद्योग और वाणिज्य | 1 फरवरी 2014 | 48.00 | 0 | 0 | 48.00 | | | | |
| | कुल II सी | | | 53.00 | 0 | 0 | 53.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल सी (I+II) | | | 56.82 | 0 | 0 | 56.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल योग (ए+बी+सी) | | | 759.54 | 49.59 | 69.01 | 878.14 | 2,142.76 | 0 | 2,804.4 | 4,947.16 |

(स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट 5.1.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.9; पृष्ठ: 80)

31 मार्च 2019 तक राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) के अभिलेख की तुलना में, जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण, गारंटी का विवरण
(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | पीएसयू के नाम | राज्य पीएसयू के रिकॉर्ड्स के अनुसार | | | जीओजेएण्डके के वित्तीय लेखाओं के अनुसार | | | अंतर | | |
|----------|--|-------------------------------------|----------|------------------|---|----------|------------------|---------------|----------|------------------|
| | | प्रदत्त पूँजी | ऋण बकाया | गारंटी प्रतिबद्ध | प्रदत्त पूँजी | ऋण बकाया | गारंटी प्रतिबद्ध | प्रदत्त पूँजी | ऋण बकाया | गारंटी प्रतिबद्ध |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2.60 | 68.70 | 0 | 2.60 | 45.93 | 0 | 0 | 22.77 | 0 |
| 2. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड | 6.00 | 112.64 | 0 | 6.00 | 12.67 | 0 | 0 | 99.97 | 0 |
| 3. | जम्मू एण्ड कश्मीर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 19.32 | 0 | 58.45 | 18.02 | 0 | 58.45 | 1.30 | 0 | 0 |
| 4. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 10 | 0 | 58.68 | 13.66 | 0 | 58.68 | -3.66 | 0 | 0 |
| 5. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 89.91 | 10.38 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 85.79 | 10.38 | 0 |
| 6. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 17.65 | 8.05 | 0 | 45.81 | 0 | 0 | -28.16 | 8.05 | 0 |

| क्र. सं. | पीएसयू के नाम | राज्य पीएसयू के रिकॉर्ड्स के अनुसार | | | जीओजेएण्डके के वित्तीय लेखाओं के अनुसार | | | अंतर | | |
|----------|---|-------------------------------------|----------|------------------|---|----------|------------------|---------------|----------|------------------|
| | | प्रदत्त पूँजी | ऋण बकाया | गारंटी प्रतिबद्ध | प्रदत्त पूँजी | ऋण बकाया | गारंटी प्रतिबद्ध | प्रदत्त पूँजी | ऋण बकाया | गारंटी प्रतिबद्ध |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | जम्मू एण्ड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 16.27 | 663.03 | 0 | 18.09 | 382.74 | 0 | -1.82 | 280.29 | 0 |
| 8. | जम्मू एण्ड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 4.06 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 |
| 9. | जम्मू एण्ड कश्मीर हेंडीक्राफ्ट (सेल्स एण्ड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 7.08 | 150.02 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | 0.38 | 150.02 | 0 |
| 10. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हेंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 3.49 | 151.37 | 0 | 12.81 | 0 | 0 | -9.32 | 151.37 | 0 |
| 11. | जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड | 52.01 | 14.35 | 0 | 30.27 | 0 | 0 | 21.74 | 14.35 | 0 |
| 13. | जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड | 8.00 | 220.52 | 0 | 26.74 | 1.86 | 0 | -18.74 | 218.66 | 0 |
| 14. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड | 23.57 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 |
| 15. | जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड | 32.98 | 0 | 0 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| क्र. सं. | पीएसयू के नाम | राज्य पीएसयू के रिकॉर्ड्स के अनुसार | | | जीओजेएण्डके के वित्तीय लेखाओं के अनुसार | | | अंतर | | |
|----------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|---|--------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | प्रदत्त पूँजी | ऋण बकाया | गारंटी प्रतिबद्ध | प्रदत्त पूँजी | ऋण बकाया | गारंटी प्रतिबद्ध | प्रदत्त पूँजी | ऋण बकाया | गारंटी प्रतिबद्ध |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 172.35 | 1.00 | 31.14 | 163.85 | 0 | 0 | 8.50 | 1.00 | 31.14 |
| 18. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन | 195.95 | 675.44 | 0 | 182.75 | 376.73 | 0 | 13.20 | 298.71 | 0 |
| 19. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 23.50 | 4.26 | 0 | 23.51 | 0 | 0 | -0.01 | 4.26 | 0 |
| 20. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 9.03 | 62.14 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 62.14 | 0 |
| 21. | जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | जम्मू एण्ड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 14.94 ¹ | | | -14.94 | |
| | कुल | 697.40 | 2,141.90 | 148.27 | 625.74 | 834.87 | 117.13 | 71.66 | 1,307.03 | 31.14 |

¹ वित्त लेखाओं के अनुसार ₹14.94 करोड़ की ऋण राशि पर्यटन के लिए ऋण के अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों के लिए ऋण) के तहत थी।

परिशिष्ट 5.1.3 (ए)
(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.10: पृष्ठ: 81)
लेखाओं की प्रस्तुति से संबंधित स्थिति

| क्र.सं. | विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---------|--|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 1. | पीएसयू की संख्या | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 ² |
| 2. | चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए लेखाओं की संख्या | 19 | 29 | 24 | 40 | 23 |
| 3. | पीएसयू की संख्या जिन्होंने चालू वर्ष के लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 ³ |
| 4. | पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया | 16 | 26 | 21 | 37 | 20 |
| 5. | पीएसयू की संख्या जहाँ लेखाओं में बकाया है | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 ⁴ |
| 6. | बकाया लेखाओं की संख्या | 190 | 183 | 181 | 163 | 162 |

² दो विद्युत क्षेत्र के पीएसयू अर्थात् जम्मू एण्ड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और जम्मू एण्ड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के संबंध में लेखाओं के बकाया मार्च 2013 में निगमित किये गये और जून 2013 में निगमित अन्य दो विद्युत क्षेत्र के पीएसयू अर्थात् जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर विचार नहीं किया गया है चूंकि ये पीएसयू न तो परिचालनात्मक हैं और न ही इन्होंने इनकी स्थापना से लेखाओं को प्रस्तुत किया है, इसके अलावा पाँच अक्रियाशील और नौ नये निगमित गैर- विद्युत पीएसयू पर विचार नहीं किया गया है।

³ चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड और जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड।

⁴ जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के संबंध बकाया लेखे तथा कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन कंपनियों ने स्थापना के बाद से कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया था।

परिशिष्ट 5.1.3 (बी)

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.10: पृष्ठ: 81)

सितंबर 2019 तक बकाया लेखाओं वाले राज्य के कार्यशील पीएसयू में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम | वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया | प्रदत्त पूँजी | अंतिम रूप दिए जाने हेतु लंबित लेखाओं की अवधि | उस अवधि के दौरान जहाँ तक लेखे बकाया हैं राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश | | |
|----------|--|--|---------------|--|---|-------------|---------------|
| | | | | | ऋण | सहायिकी | कुल |
| ए | कार्यशील सरकारी कंपनियाँ | | | | | | |
| 1. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एगो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2009-10 | 3.54 | 9 | 3.53 | 0 | 3.53 |
| 2. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2004-05 | 9.20 | 14 | 24.77 | 0 | 24.77 |
| 3. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2009-10 | 3.12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2013-14 | 14.47 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2013-14 | 1.97 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | जम्मू एण्ड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2009-10 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2010-11 | 4.66 | 8 | 25.44 | 0.44 | 25.88 |
| 8. | जम्मू एण्ड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट (सेल्स एण्ड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2000-01 | 6.16 | 18 | 33.52 | 0 | 33.52 |
| 9. | जम्मू एण्ड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2010-11 | 16.27 | 8 | 39.34 | 0 | 39.34 |
| 10. | जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड | 1999-2000 | 8.00 | 19 | 37.55 | 0 | 37.55 |
| 11. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2012-13 | 15.96 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | जम्मू एण्ड कश्मीर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2001-02 | 10.63 | 17 | 26.40 | 6.76 | 33.16 |
| 13. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2017-18 | 10.00 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 14. | जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड | 2011-12 | 45.77 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2010-11 | 23.57 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | जम्मू एण्ड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2010-11 | 2.56 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2013-14 | 45.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल ए | | 222.88 | 156 | 193.55 | 7.20 | 200.75 |

| क्र.सं. | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम | वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया | प्रदत्त पूँजी | अंतिम रूप दिए जाने हेतु लंबित लेखाओं की अवधि | उस अवधि के दौरान जहाँ तक लेखे बकाया हैं राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश | | |
|-----------|--|--|---------------|--|---|-------------|---------------|
| | | | | | ऋण | सहायिकी | कुल |
| बी | कार्यशील सांविधिक निगम | | | | | | |
| 18. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन | 2013-14 | 178.37 | 5 | 161.08 | 0 | 161.08 |
| 19. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 2017-18 | 186.07 | 1 | 5.00 | 0 | 5.00 |
| | कुल बी | | 364.44 | 6 | 166.08 | 0 | 166.08 |
| | कुल (ए+बी) | | 587.32 | 162 | 359.63 | 7.20 | 366.83 |

परिशिष्ट 5.1.3 (सी)
(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.12 (बी-1): पृष्ठ: 86)
निवेश पर प्रतिफल-जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड

(₹ लाख में)

| वर्ष | इक्विटी | जोड़ी गयी इक्विटी | अनुदान/सहायिकी | लाभांश प्राप्तियाँ | विनिवेश प्राप्तियाँ | वर्षों की संख्या | ब्याज की दर (आर) | 1+आर | जोड़ी गई इक्विटी का प्रारंभिक मूल्य | अनुदान/सहायिकी का प्रारंभिक मूल्य | विनिवेश प्राप्तियों का पीवी | लाभांश प्राप्तियों का पीवी | निवेश की लागत | शेयरों की संख्या | प्रति शेयर बाजार मूल्य | शेयर का बाजार मूल्य | निवेश का वर्तमान मूल्य | आरओ आई | सीएजीआर |
|-----------|---------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|---|
| ए | बी | सी | डी | ई | एफ | जी | एच | आई (1+एच) | जे | के | एल | एम | एन | ओ | पी | क्यू | आर | एस | टी |
| | | | | | | | | | सी/आई का उत्पाद आरंभ से वर्ष मूल्य को (जी-1) | डी/ आई का उत्पाद आरंभ से वर्ष मूल्य को (जी-1) | एफ*आई का उत्पाद वर्ष से अंतिम वर्ष तक | ई* आई का उत्पाद वर्ष से अंतिम वर्ष तक | बी+Σजे+Σके | | | ओ*पी | क्यू+Σएल+Σएम | (आर-एन)/ए/जी | (चानू वर्ष/1999-2000 का आरओआई) ^{^1/ (जी-1)-1} *100 |
| 1998-99 | 4847.78 | 0 | 0 | 773.26 | 0 | 1 | 0.1088 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 4967.65 | 4847.78 | 48477802 | 28.00 | 13573.78 | 18541.43 | 282.47 | - |
| 1999-2000 | 4847.78 | 0 | 0 | 902.13 | 0 | 2 | 0.1196 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 5226.90 | 4847.78 | 48477802 | 36.15 | 17524.73 | 27719.28 | 235.90 | -16.49 |
| 2000-01 | 4847.78 | 0 | 0 | 1031.01 | 0 | 3 | 0.0923 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 5335.48 | 4847.78 | 48477802 | 37.30 | 18082.22 | 33612.25 | 197.78 | -16.32 |
| 2001-02 | 4847.78 | 0 | 0 | 1288.76 | 0 | 4 | 0.1120 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 6105.78 | 4847.78 | 48477802 | 73.35 | 35558.47 | 57194.28 | 269.95 | -1.50 |
| 2002-03 | 4847.78 | 0 | 0 | 1546.52 | 0 | 5 | 0.1054 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 6588.98 | 4847.78 | 48477802 | 113.85 | 55191.98 | 83416.77 | 324.14 | 3.50 |
| 2003-04 | 4847.78 | 0 | 0 | 2577.53 | 0 | 6 | 0.1095 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 9934.53 | 4847.78 | 48477802 | 493.15 | 239068.28 | 277227.60 | 936.44 | 27.09 |
| 2004-05 | 4847.78 | 0 | 0 | 2062.02 | 0 | 7 | 0.0897 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 7163.25 | 4847.78 | 48477802 | 363.05 | 175998.66 | 221321.23 | 637.92 | 14.54 |
| 2005-06 | 4847.78 | 0 | 0 | 2062.02 | 0 | 8 | 0.0815 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 6573.60 | 4847.78 | 48477802 | 450.80 | 218537.93 | 270434.09 | 684.81 | 13.49 |
| 2006-07 | 4847.78 | 0 | 0 | 2964.16 | 0 | 9 | 0.1166 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 8737.44 | 4847.78 | 48477802 | 643.15 | 311784.98 | 372418.59 | 842.47 | 14.64 |
| 2007-08 | 4847.78 | 0 | 0 | 3995.17 | 0 | 10 | 0.1407 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 10546.80 | 4847.78 | 48477802 | 678.55 | 328946.13 | 400126.52 | 815.38 | 12.50 |
| 2008-09 | 4847.78 | 0 | 0 | 4256.02 | 0 | 11 | 0.0794 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 9849.58 | 4847.78 | 48477802 | 314.80 | 152608.12 | 233638.10 | 429.04 | 4.27 |
| 2009-10 | 4847.78 | 0 | 0 | 5670.56 | 0 | 12 | 0.0945 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 12157.87 | 4847.78 | 48477802 | 681.70 | 330473.18 | 423661.03 | 719.94 | 8.88 |
| 2010-11 | 4847.78 | 0 | 0 | 6701.57 | 0 | 13 | 0.0903 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 13127.82 | 4847.78 | 48477802 | 874.00 | 423695.99 | 530011.67 | 833.31 | 9.43 |
| 2011-12 | 4847.78 | 0 | 0 | 8634.71 | 0 | 14 | 0.0828 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 15513.79 | 4847.78 | 48477802 | 919.00 | 445511.00 | 567340.47 | 828.79 | 8.63 |
| 2012-13 | 4847.78 | 0 | 0 | 12887.63 | 0 | 15 | 0.0819 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 21384.30 | 4847.78 | 48477802 | 1191.00 | 577370.62 | 720584.39 | 984.28 | 9.33 |
| 2013-14 | 4847.78 | 0 | 0 | 12887.63 | 0 | 16 | 0.0714 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 19765.50 | 4847.78 | 48477802 | 1538.00 | 745588.59 | 908567.86 | 1165.12 | 9.91 |
| 2014-15 | 4847.78 | 0 | 0 | 5412.81 | 0 | 17 | 0.0768 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 7748.28 | 4847.78 | 484778020 | 95.05 | 460781.51 | 631509.06 | 760.40 | 6.38 |

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-सामाजिक, सामान्य, आर्थिक और राजस्व क्षेत्र

| वर्ष | इक्विटी | जोड़ी गयी इक्विटी | अनुदान/सहायिकी | लाभांश प्राप्ति | विनिवेश प्राप्ति | वर्षों की संख्या | ब्याज की दर (आर) | 1+आर | जोड़ी गई इक्विटी का प्रारंभिक मूल्य | अनुदान/सहायिकी का प्रारंभिक मूल्य | विनिवेश प्राप्ति का पीवी | लाभांश प्राप्ति का पीवी | निवेश की लागत | शेयरों की संख्या | प्रति शेयर बाजार मूल्य | शेयर का बाजार मूल्य | निवेश का वर्तमान मूल्य | आरओ आई | सीएजीआर |
|---------|---------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|---|
| ए | बी | सी | डी | ई | एफ | जी | एच | आई | जे | के | एल | एम | एन | ओ | पी | क्यू | आर | एस | टी |
| | | | | | | | | (1+एच) | सी/आई का उत्पाद आरंभ से वर्ष मूल्य को (जी-1) | डी/ आई का उत्पाद आरंभ से वर्ष मूल्य को (जी-1) | एफ*आई का उत्पाद वर्ष से अंतिम वर्ष तक | ई* आई का उत्पाद वर्ष से अंतिम वर्ष तक | बी+Σजे+Σके | | | ओ*पी | क्यू+Σएल+Σएम | (आर-एन)/ए/जी | (चालू वर्ष/1999-2000 का आरओआई) ^{^1/ (जी-1)-1} *100 |
| 2015-16 | 4847.78 | 0 | 0 | 4510.67 | 0 | 18 | 0.0725 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5996.38 | 4847.78 | 484778020 | 60.50 | 293290.70 | 470014.64 | 533.08 | 3.81 |
| 2016-17 | 4847.78 | 3655.51 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0783 | 1.08 | 705.30 | 0 | 0 | 0 | 5553.08 | 521333071 | 75.00 | 390999.80 | 567723.74 | 532.82 | 3.59 |
| 2017-18 | 4847.78 | 3655.51 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0723 | 1.07 | 654.08 | 0 | 0 | 0 | 6207.16 | 556858392 | 60.35 | 336064.04 | 512787.97 | 408.06 | 1.95 |
| 2018-19 | 4847.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0720 | 1.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6207.16 | 556858392 | 53.70 | 299032.96 | 475756.89 | 360.22 | 1.22 |

परिशिष्ट 5.1.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.11 (ए) और 5.1.15 (ए); पृष्ठ: 82 और 91)

30 सितंबर 2019 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र की छह कंपनियों के कार्य परिणामों और वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विद्युत क्षेत्र के उपक्रम का नाम व गतिविधि | लेखाओं की अवधि | ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि | ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/हानि | कारोबार | प्रदत्त पूँजी | दीर्घकालिक ऋण | नियोजित पूँजी ⁵ | निवल कीमत ⁶ | संचित लाभ/हानि |
|---------------|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--|----------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ए. | विद्युत उत्पादन पीएसयू | | | | | | | | | |
| 1. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2013-14 | 433.41 | 160.23 | 992.46 | 5 | 1,826.49 | 1,652.68 | -173.81 | -178.81 |
| 2. | चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (डीमंड सरकारी कंपनी) | 2018-19 | 19.01 | 13.06 | 0 | 1,439.18 | 0 | 1,477.46 | 1,477.46 | 38.23 |
| उप-कुल | | | 452.42 | 173.29 | 992.46 | 1,444.18 | 1,826.49 | 3,130.14 | 1,303.65 | -140.58 |
| बी. | विद्युत पारेषण पीएसयू | | | | | | | | | |
| 3. | जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | - | - | - | - | 0.05 | यद्यपि कंपनी मार्च 2013 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। | | | |
| उप-कुल | | | | | | 0.05 | | | | |

⁵ पूँजी नियोजित = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिनके लिए सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

⁶ निवल मूल्य = भुगतान की गई शेयर पूँजी और मुक्त भंडार की राशि और अधिशेष का कुल योग माइनस संचित हानियाँ और आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिनके लिए सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

| क्र.सं. | विद्युत क्षेत्र के उपक्रम का नाम व गतिविधि | लेखाओं की अवधि | ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि | ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/हानि | कारोबार | प्रदत्त पूँजी | दीर्घकालिक ऋण | नियोजित पूँजी ⁵ | निवल कीमत ⁶ | संचित लाभ/हानि |
|----------------|--|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--|----------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| सी. | विद्युत वितरण पीएसयू | | | | | | | | | |
| 4. | जम्मू पाँवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड | - | - | - | - | 0.05 | यद्यपि कंपनी मार्च 2013 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। | | | |
| 5. | कश्मीर पाँवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड | - | - | - | - | 0.05 | यद्यपि कंपनी मार्च 2013 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। | | | |
| उप-कुल | | | | | | 0.10 | | | | |
| डी. | अन्य पीएसयू | | | | | | | | | |
| 6. | जम्मू एण्ड कश्मीर पाँवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड | - | - | - | - | 0.05 | यद्यपि कंपनी मार्च 2013 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। | | | |
| उप-कुल | | | | | | 0.05 | | | | |
| कुल योग | | | 452.42 | 173.29 | 992.46 | 1,444.38 | 1,826.49 | 3,130.14 | 1,303.65 | -140.58 |

परिशिष्ट 5.1.5

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.11 (बी); पृष्ठ: 83)

30 सितंबर 2019 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | पीएसयू का नाम, प्रकार और क्षेत्र | लेखाओं की अवधि | वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया | लाभांश, ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/ हानि | लाभांश, ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/ हानि | कारोबार | प्रदत्त पूँजी | दीर्घकालिक ऋण | नियोजित पूँजी | निवल मूल्य | मुक्त रिजर्व और संचित लाभ/ हानि |
|---------|--|----------------|--------------------------------|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ए. | सामाजिक क्षेत्र | | | | | | | | | | |
| | I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | | | | |
| 1. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एगो इंडस्ट्रीज डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2009-10 | 2018-19 | -0.96 | -1.42 | 42.06 | 3.54 | 20.94 | -17.62 | -38.56 | -42.10 |
| 2. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2004-05 | 2018-19 | 1.08 | 0.39 | 4.56 | 9.20 | 49.68 | -7.19 | -56.87 | -66.07 |
| 3. | जम्मू एण्ड कश्मीर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2001-02 | 2016-17 | -0.85 | -1.27 | 0.11 | 10.63 | 10.76 | 16.38 | 5.62 | -5.01 |
| 4. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2017-18 | 2019-20 | 2.52 | 1.12 | 4.14 | 10.00 | 96.42 | 122.20 | 25.78 | 15.78 |
| 5. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2009-10 | 2018-19 | 0.91 | 0.37 | 359.90 | 3.12 | 9.77 | 0.42 | -9.35 | -12.47 |
| 6. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2013-14 | 2019-20 | -18.62 | -20.54 | 19.16 | 14.47 | 24.36 | -108.16 | -132.52 | -146.99 |
| 7. | जम्मू एण्ड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2010-11 | 2018-19 | -6.39 | -39.84 | 2.66 | 16.27 | 565.67 | -32.46 | -598.13 | -614.40 |
| 8. | जम्मू एण्ड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2010-11 | 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 |
| 9. | जम्मू एण्ड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट (सेल्स एण्ड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2000-01 | 2018-19 | -1.99 | -4.24 | 2.83 | 6.16 | 30.47 | -2.62 | -33.09 | -39.25 |
| 10. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2010-11 | 2018-19 | -1.03 | -6.75 | 6.63 | 4.66 | 83.57 | 2.05 | -81.52 | -86.18 |

| क्र.सं. | पीएसयू का नाम, प्रकार और क्षेत्र | लेखाओं की अवधि | वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया | लाभांश, ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/ हानि | लाभांश, ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/ हानि | कारोबार | प्रदत्त पूँजी | दीर्घकालिक ऋण | नियोजित पूँजी | निवल मूल्य | मुक्त रिजर्व और संचित लाभ/ हानि |
|------------|---|----------------|--------------------------------|--|--|---------------|---------------|--|---------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11. | जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड | - | - | - | - | - | 0.05 | यद्यपि कंपनी मार्च 2014 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। | | | |
| 12. | जम्मू एण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन | - | - | - | - | - | 5.00 | कंपनी मार्च 2018 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। | | | |
| 13. | जम्मू एण्ड कश्मीर एसेट रिकंसट्रक्शन लिमिटेड | - | - | - | - | - | 2.00 | कंपनी मार्च 2017 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। | | | |
| 14. | एआईसी- जम्मू एण्ड कश्मीर ईडीआई फाउंडेशन | - | - | - | - | - | 0.05 | कंपनी सितंबर 2018 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। | | | |
| 15. | जम्मू एण्ड कश्मीर आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रा. लिमिटेड | - | - | - | - | - | 0.01 | कंपनी मार्च 2019 में निगमित हुई। | | | |
| 16. | जम्मू एण्ड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन प्रा. लिमिटेड | - | - | - | - | - | 0.25 | कंपनी सितंबर 2018 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। | | | |
| | कुल ए-I | | | -25.33 | -72.18 | 442.05 | 87.97 | 891.64 | -24.44 | -916.08 | -996.69 |
| | II. निष्क्रिय सरकारी कंपनी | | | | | | | | | | |
| 17 | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाईज ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) | 1991-92 | 1999-2000 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | अनुपलब्ध | 0 | 0 | 0 |
| | कुल ए-II | | | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल ए (I+II) | | | -25.33 | -72.18 | 442.05 | 88.37 | 891.64 | -24.44 | -916.08 | -996.69 |
| बी. | प्रतिस्पर्धी पर्यावरण क्षेत्र | | | | | | | | | | |
| | I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | | | | |
| 18. | जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड | 2011-12 | 2019-20 | 9.21 | 6.30 | 120.50 | 45.77 | 30.54 | 98.6 | 68.06 | 22.29 |
| 19. | जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड | 1999-2000 | 2018-19 | -5.45 | -8.60 | 6.20 | 8.00 | 119.69 | 26.13 | -93.56 | -101.56 |

| क्र.सं. | पीएसयू का नाम, प्रकार और क्षेत्र | लेखाओं की अवधि | वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया | लाभांश, ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/ हानि | लाभांश, ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/ हानि | कारोबार | प्रदत्त पूँजी | दीर्घकालिक ऋण | नियोजित पूँजी | निवल मूल्य | मुक्त रिजर्व और संचित लाभ/ हानि |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------------|--|--|-----------------|---------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2010-11 | 2013-14 | 6.23 | 6.23 | 12.51 | 23.57 | 0 | 19.60 | 19.60 | -3.97 |
| 21. | जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 1,009.65 | 464.88 | 7,675.56 | 55.70 | 2,623.96 | 5,630.62 | 3,006.66 | 2,950.96 |
| 22. | जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | -1.04 | -0.72 | 4.43 | 20.00 | 0 | 15.66 | 15.66 | -4.34 |
| 23. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2012-13 | 2015-16 | 0.26 | 0.26 | 30.74 | 15.96 | 4.26 | 16.34 | 12.08 | -3.88 |
| कुल बी-I | | | | 1,018.86 | 468.35 | 7,849.94 | 169.00 | 2,778.45 | 5,806.95 | 3,028.5 | 2,859.50 |
| II. कार्यशील सांविधिक निगम | | | | | | | | | | | |
| 24. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉरपोरेशन | 2017-18 | 2018-19 | -40.37 | -40.65 | 4.00 | 186.07 | 15.35 | 25.27 | 9.92 | -176.15 |
| 25. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन | 2013-14 | 2017-18 | -44.74 | -92.90 | 87.18 | 178.37 | 1,079.45 | 109.70 | -969.75 | -1,148.12 |
| 26. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड | - | - | - | - | - | 9.03 | वर्ष 1996-97 और इसके बाद के लेखे प्राप्त नहीं हुए। (निगम को वर्ष 1978-79 में निगमित किया गया था, हालांकि, सीएजी को इसकी लेखापरीक्षा वर्ष 1996-97 से सौंपी गई थी।) | | | |
| कुल बी-II | | | | -85.11 | -133.55 | 91.18 | 373.47 | 1,094.80 | 134.97 | -959.83 | -1,324.27 |
| III. निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | | | | | |
| 27. | तवी स्कूटर्स लिमिटेड | 1989-90 | 1991-92 | -0.06 | -0.06 | 0 | 0.80 | 0.83 | - | - | -1.04 |
| 28. | हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड | 1999-2000 | 2000-01 | -1.29 | -1.29 | 0 | 1.37 | 0 | - | - | -10.49 |
| कुल बी-III | | | | -1.35 | -1.35 | 0 | 2.17 | 0.83 | - | - | -11.53 |
| कुल बी (I+II+III) | | | | 932.40 | 333.45 | 7,941.12 | 544.64 | 3,874.08 | 5,941.92 | 2,068.67 | 1,523.70 |
| सी. | अन्य | | | | | | | | | | - |
| I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | | | | | |
| 29. | जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2013-14 | 2018-19 | 7.77 | 4.78 | 402.13 | 1.97 | 0.33 | 63.87 | 63.54 | 61.57 |

| क्र.सं. | पीएसयू का नाम, प्रकार और क्षेत्र | लेखाओं की अवधि | वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया | लाभांश, ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/ हानि | लाभांश, ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/ हानि | कारोबार | प्रदत्त पूँजी | दीर्घकालिक ऋण | नियोजित पूँजी | निवल मूल्य | मुक्त रिजर्व और संचित लाभ/ हानि |
|---------|--|----------------|--------------------------------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30. | जम्मू एण्ड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2009-10 | 2018-19 | 10.87 | 7.33 | 7.14 | 2.00 | 0 | 21.86 | 21.86 | 19.86 |
| 31. | जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड | - | - | - | - | - | 0.10 | | | | यद्यपि कंपनी सितंबर 2017 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। |
| 32. | श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | - | - | - | - | - | 0.10 | | | | यद्यपि कंपनी सितंबर 2017 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। |
| 33. | जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेड | - | - | - | - | - | 0.02 | | | | कंपनी मार्च 2019 में निगमित हुई। |
| 34. | श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेड | - | - | - | - | - | 0.02 | | | | कंपनी मार्च 2019 में निगमित हुई। |
| | कुल सी-I | | | 18.64 | 12.11 | 409.27 | 4.21 | 0.33 | 85.73 | 85.40 | 81.43 |
| | II. निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | | | | |
| 35. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | | | - | - | - | 5.00 | | | | यद्यपि कंपनी मार्च 2013 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। |
| 36. | जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड | | | - | - | - | 48.00 | | | | यद्यपि कंपनी फरवरी 2014 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। |
| | कुल सी-II | | | | | | 53.00 | - | - | - | - |
| | कुल सी (I+II) | | | 18.64 | 12.11 | 409.27 | 57.21 | 0.33 | 85.73 | 85.40 | 81.43 |
| | कुल योग (ए+बी+सी) | | | 925.71 | 273.38 | 8,792.44 | 690.22 | 4,766.05 | 6,003.21 | 1,237.99 | 608.44 |
| | कार्यशील सरकारी कंपनियाँ | | | 1,012.17 | 408.28 | 8,701.26 | 261.18 | 3,670.42 | 5,868.24 | 2,197.82 | 1,944.24 |
| | कार्यशील सांविधिक निगम | | | -85.11 | -133.55 | 91.18 | 373.47 | 1,094.80 | 134.97 | -959.83 | -1,324.27 |
| | कार्यशील पीएसयू (I+II) | | | 927.06 | 274.73 | 8,792.44 | 634.65 | 4,765.22 | 6,003.21 | 1,237.99 | 619.97 |
| | निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ | | | -1.35 | -1.35 | 0 | 55.57 | 0.83 | 0 | 0 | -11.53 |

परिशिष्ट 5.1.6

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.12 (बी-2); पृष्ठ: 87)

30 सितंबर 2019 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र)

| कंपनी का नाम | जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड | जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | जम्मू एण्ड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड | जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड | जम्मू एण्ड कश्मीर स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|------|
| पीबीआईटी (₹ करोड़ में) | 2014-15 | 3.61 | 6.23 | 1,014.71 | - | 1.38 | 0.6 | 0.01 | 0.89 | - |
| | 2015-16 | 5.86 | 6.23 | 818.5 | 2.18 | 0.26 | 1.22 | 0.97 | - | - |
| | 2016-17 | 5.86 | 6.23 | - | 4.10 | 0.26 | 8.00 | 0.82 | - | - |
| | 2017-18 | 10.84 | 6.23 | 497.98 | 2.29 | 0.26 | 10.87 | 7.77 | - | - |
| | 2018-19 | 9.21 | 6.23 | 1009.65 | 2.52 | 0.26 | 10.87 | 7.77 | - | 0.91 |

परिशिष्ट 5.1.7 (ए)

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.13 (ए); पृष्ठ: 88)

पाँच विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में उनकी स्थापना से 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | | | जम्मू एण्ड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड | कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड | जम्मू एण्ड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड | कुल | | |
|-----------|---|---------------------|------------------------------|---|---|--|---|---------|--------|------------------------------|
| | इक्विटी | आईएफएल ⁷ | इक्विटी में परिवर्तित आईएफएल | इक्विटी | इक्विटी | इक्विटी | इक्विटी | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी में परिवर्तित आईएफएल |
| 1994-95 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| 1995-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

⁷ ब्याज मुक्त ऋण।

| वर्ष | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | | | जम्मू एण्ड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड | कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड | जम्मू एण्ड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड | कुल | | |
|------------|---|---------------------|------------------------------|---|---|--|---|-------------|----------|------------------------------|
| | इक्विटी | आईएफएल ⁸ | इक्विटी में परिवर्तित आईएफएल | इक्विटी | इक्विटी | इक्विटी | इक्विटी | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी में परिवर्तित आईएफएल |
| 2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | 5.00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5.20 | 0 | 0 |

⁸ ब्याज मुक्त ऋण।

परिशिष्ट 5.1.7 (बी)

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.13 (बी); पृष्ठ: 89)

वर्ष 1999-2000 से 2018-19 के दौरान, राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|------------|--|---------------------|---|----------|---|-------------|---|--------------|---------------------------------------|-------------|--|----------|
| | इक्विटी | आईएफएल ⁹ | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल |
| वर्ष | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर एससी, एसटी एण्ड ओबीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | |
| 1999-2000 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 0 | 0 | 2.80 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 0 | 3.50 | 0.90 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 0 | 3.00 | 0.45 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |
| कुल | 0 | 6.50 | 17.03 | 0 | 8.41 | 6.00 | 1.80 | 11.55 | 0 | 2.74 | 4.06 | 0 |

⁹ ब्याज मुक्त ऋण।

| क्र.सं. | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|------------|--|----------------------|---|-------------|--|----------|--|-------------|--------------------------------------|-------------|--|----------|
| वर्ष | जम्मू एण्ड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट (सेल्स एण्ड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड | |
| | इक्विटी | आईएफएल ¹⁰ | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल |
| 1999-2000 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2000-01 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2001-02 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
| 2002-03 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 |
| 2003-04 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 |
| 2004-05 | 0.20 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
| 2005-06 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 0 | 4.25 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 0 | 5.25 | 0 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0.76 | 0 | 0 |
| कुल | 1.88 | 9.50 | 2.21 | 7.91 | 0.05 | 0 | 18.52 | 8.62 | 0 | 1.87 | 10.45 | 0 |

¹⁰ ब्याज मुक्त ऋण।

| क्र.सं. | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
|------------|--------------------------------|----------------------|--|-------------|---|--------------|---|----------|---|----------|---|----------|
| | जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन | | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट ट्यूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | | जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड | |
| वर्ष | इक्विटी | आईएफएल ¹¹ | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल |
| 1999-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 0 | 0 | 17.50 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 48.00 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 3.55 | 0 | 87.88 | 2.48 | 3.75 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 0 | 0 | 15.00 | 5.00 | 17.90 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | 7.21 | 0 | 121.18 | 7.48 | 68.71 | 60.00 | 4.38 | 0 | 5.00 | 0 | 48.00 | 0 |

¹¹ ब्याज मुक्त ऋण।

| क्र.सं. | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |
|-----------|---------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------------------|--------|
| | वर्ष | जम्मू एण्ड कश्मीर एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड* | जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड* | श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड* | जम्मू एण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन | एआईसी- जम्मू एण्ड कश्मीर ईडीआई फाउंडेशन | जम्मू एण्ड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड | जम्मू एण्ड कश्मीर आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड | जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड | श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड | जम्मू एण्ड कश्मीर स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | | | | | | | | | |
| | इक्विटी | आईएफएल ¹² | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल | इक्विटी | आईएफएल |
| 1999-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 1.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 86.79 [^] | 0 |
| कुल | 1.02 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 5.00 | 0 | 0.05 | 0 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 86.79 | 0 |

* राज्य सरकार की इक्विटी के रूप में ₹1.22 करोड़ वहन करने वाले ये तीन पीएसयू अर्थात् जम्मू एण्ड कश्मीर एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड वर्ष 2017-18 में निगमित की गई थी, हालांकि, इन पीएसयू में राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी पर वर्ष 2017-18 में विचार नहीं किया गया जिसे अब वर्ष 2018-19 में सम्मिलित कर लिया गया है।

[^] राज्य/ केंद्र सरकार से प्राप्त योजना निधियों का प्रत्यावर्तन और निगम द्वारा प्रबंधित औद्योगिक इस्टेट्स में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को आबंटित भूमि के प्रति प्राप्त प्रीमियम

¹² ब्याज मुक्त ऋण।

परिशिष्ट 5.1.7 (सी)

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.13 (बी); पृष्ठ: 89)

राज्य सरकार द्वारा वर्ष-वार निवेश और वर्ष 1999-2000 से 2018-19 तक की अवधि हेतु सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी)

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष | वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निवल ब्याज मुक्त ऋण | वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण | वर्ष के दौरान कुल निवेश | वर्ष के अंत में कुल निवेश | ब्याज की औसत दर | वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के लिए निधियों की वसूली लागत का न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल | वर्ष हेतु कुल आमदनी |
|--------------|---|--|--|--|-------------------------|---------------------------|-----------------|--|---|---------------------|
| ए | बी | सी | डी | ई | एफ=सी+डी-ई | जी=बी+एफ | एच | आई=जी*(1+एच/100) | जे=जी*एच/100 | के |
| 1999-2000 तक | 347.29 | 7.14 | 0 | 0 | 7.14 | 354.43 | 11.96 | 396.82 | 42.39 | 48.40 |
| 2000-01 | 396.82 | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 401.38 | 9.23 | 438.43 | 37.05 | 92.76 |
| 2001-02 | 438.43 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 440.25 | 11.20 | 489.56 | 49.31 | 182.06 |
| 2002-03 | 489.56 | 13.29 | 0 | 0 | 13.29 | 502.85 | 10.54 | 555.85 | 53.00 | 249.26 |
| 2003-04 | 555.85 | 2.80 | 0 | 0 | 2.80 | 558.65 | 10.95 | 619.82 | 61.17 | 304.91 |
| 2004-05 | 619.82 | 4.03 | 0 | 0 | 4.03 | 623.85 | 8.97 | 679.81 | 55.96 | -4.75 |
| 2005-06 | 679.81 | 7.55 | 0 | 0 | 7.55 | 687.36 | 8.15 | 743.38 | 56.02 | 68.90 |
| 2006-07 | 743.38 | 2.50 | 0 | 0 | 2.50 | 745.88 | 11.66 | 832.85 | 86.97 | 150.32 |
| 2007-08 | 832.85 | 1.20 | 11.55 | 0 | 12.75 | 845.60 | 14.07 | 964.58 | 118.98 | 201.28 |
| 2008-09 | 964.58 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 | 972.21 | 7.94 | 1,049.40 | 77.19 | 232.25 |
| 2009-10 | 1,049.40 | 17.09 | 0 | 0 | 17.09 | 1,066.49 | 9.45 | 1,167.27 | 100.78 | 354.68 |
| 2010-11 | 1,167.27 | 11.06 | 0 | 0 | 11.06 | 1,178.33 | 9.03 | 1,284.73 | 106.40 | 499.02 |
| 2011-12 | 1,284.73 | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 1,290.82 | 8.28 | 1,397.70 | 106.88 | 705.53 |
| 2012-13 | 1,397.70 | 7.00 | 0 | 0 | 7.00 | 1,404.70 | 8.19 | 1,519.74 | 115.04 | 1,232.83 |
| 2013-14 | 1,519.74 | 78.08 | 0 | 0 | 78.08 | 1,597.82 | 7.14 | 1,711.90 | 114.08 | 1,048.22 |
| 2014-15 | 1,711.90 | 1.21 | 3.62 | 0 | 4.83 | 1,716.73 | 7.68 | 1,848.57 | 131.84 | 378.25 |
| 2015-16 | 1,848.57 | 6.85 | 0 | 0 | 6.85 | 1,855.42 | 7.25 | 1,989.94 | 134.52 | 264.80 |
| 2016-17 | 1,989.94 | 9.56 | 0 | 0 | 9.56 | 1,999.50 | 7.83 | 2,156.06 | 156.56 | -1,809.73 |
| 2017-18 | 2,156.06 | 96.08 | 50.82 | 17.50 | 129.40 | 2,285.46 | 7.23 | 2,450.70 | 165.24 | 32.62 |
| 2018-19 | 2,450.70 | 126.71 | 56.18 | 0 | 182.89 | 2,633.59 | 7.20 | 2,823.21 | 189.62 | 274.10 |
| कुल | | 412.25 | 122.17 | 17.50 | 516.92 | | | | | |

(स्रोत: मार्च 2019 तक संबंधित पीएसयू द्वारा प्रस्तुत की गयी नवीनतम सूचना के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट 5.1.8

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.15 (बी) पृष्ठ: 91)

30 सितंबर 2019 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) के वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | पीएसयू का नाम, क्षेत्र और प्रकार | लेखाओं की अवधि | वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया | प्रदत्त पूंजी | मुक्त आरक्षित निधियाँ | संचित लाभ/हानि | आस्थगित राजस्व व्यय | निवल मूल्य |
|------------|--|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ए. | सामाजिक क्षेत्र | | | | | | | |
| | I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | |
| 1. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2009-10 | 2018-19 | 3.54 | 0 | -42.10 | 0 | -38.56 |
| 2. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2004-05 | 2018-19 | 9.20 | 9.42 | -75.49 | 0 | -56.87 |
| 3. | जम्मू एण्ड कश्मीर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2001-02 | 2016-17 | 10.63 | 0 | -5.01 | 0 | 5.62 |
| 4. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2017-18 | 2019-20 | 10.00 | 0 | 15.78^ | 0 | 25.78 |
| 5. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2009-10 | 2018-19 | 3.12 | 0 | -12.47 | 0 | -9.35 |
| 6. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2013-14 | 2019-20 | 14.47 | 0 | -146.99 | 0 | -132.52 |
| 7. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2010-11 | 2018-19 | 16.27 | 0 | -614.40 | 0 | -598.13 |
| 8. | जम्मू एण्ड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड* | 2010-11 | 2013-14 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
| 9. | जम्मू एण्ड कश्मीर हेंडीक्राफ्ट (सेल्स एण्ड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2000-01 | 2018-19 | 6.16 | 0 | -39.25 | 0 | -33.09 |
| 10. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हेंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2010-11 | 2018-19 | 4.66 | 0 | -86.18 | 0 | -81.52 |
| | कुल ए-I | | | 80.61 | 9.42 | -1,006.11 | 0 | -916.08 |
| बी. | प्रतिस्पर्धी पर्यावरण क्षेत्र | | | | | | | |
| | I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | |
| 11. | जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड | 2011-12 | 2019-20 | 45.77 | 0 | 22.29 | 0 | 68.06 |
| 12. | जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड | 1999-2000 | 2018-19 | 8.00 | 0 | -101.56 | 0 | -93.56 |

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-सामाजिक, सामान्य, आर्थिक और राजस्व क्षेत्र

| क्र.सं. | पीएसयू का नाम, क्षेत्र और प्रकार | लेखाओं की अवधि | वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया | प्रदत्त पूँजी | मुक्त आरक्षित निधियाँ | संचित लाभ/हानि | आस्थगित राजस्व व्यय | निवल मूल्य |
|-----------|---|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2010-11 | 2013-14 | 23.57 | 0 | -3.97 | 0 | 19.60 |
| 14. | जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 55.69 | 2,950.97 | 0 | 0 | 3,006.66 |
| 15. | जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 20.00 | 0 | -4.34 | 0 | 15.66 |
| 16. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2012-13 | 2015-16 | 15.96 | 0 | -3.88 | 0 | 12.08 |
| | कुल बी-I | | | 168.99 | 2,950.97 | -91.46 | 0 | 3,028.50 |
| | II. कार्यशील सांविधिक निगम | | | | | | | |
| 17. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2017-18 | 2018-19 | 186.07 | 0 | -176.15 | 0 | 9.92 |
| 18. | जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2013-14 | 2017-18 | 178.37 | 0 | -1,148.12 | 0 | -969.75 |
| | कुल बी- II | | | 364.44 | 0 | -1,324.25 | 0 | -959.83 |
| | कुल बी (I+II) | | | 535.43 | 2,950.970 | -1,415.73 | 0 | 2,068.67 |
| सी | अन्य | | | | | | | |
| | I. कार्यशील सरकारी कंपनी | | | | | | | |
| 19. | जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2013-14 | 2018-19 | 1.97 | 0 | 61.57 | 0 | 63.54 |
| 20. | जम्मू एण्ड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2009-10 | 2018-19 | 2.00 | 0 | 19.86 | 0 | 21.86 |
| | कुल सी | | | 3.97 | 0 | 81.43 | 0 | 85.40 |
| | कुल योग (ए+बी+सी) | | | 618.01 | 2,960.39 | -2,340.41 | 0 | 1,237.99 |


^ ₹15.78 करोड़ के संचित लाभ में, जहाँ मुक्त आरक्षित ब्रेकअप उपलब्ध नहीं था, को शामिल किया गया है।

* यद्यपि जम्मू एण्ड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में वर्ष 2010-11 के एक लेखे को अंतिम रूप दिया गया था परंतु इसने लाभ और हानि लेखा प्रस्तुत नहीं किया था, अतः प्रदत्त पूँजी निवल मूल्य के रूप में ली गई है।

परिशिष्ट 6.1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 6.1.2; पृष्ठ: 105)

संगठनात्मक संरचना



(स्रोत: निगम के अभिलेख)

परिशिष्ट 6.1.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 6.1.4; पृष्ठ: 106)

चयनित नमूना और निगम की इकाइयों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

| क्र. सं. | निगम की इकाइयाँ | नमूना में चयनित इकाइयाँ | निगम के आगार | नमूना में चयनित आगार | निगम के उप-आगार | निगम के बुकिंग कार्यालय | नमूना में चयनित बुकिंग कार्यालय | निगम के टीसीपी |
|----------|--|---|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. | एमटीएस, श्रीनगर | एमटीएस, श्रीनगर | सोपोर | डोडा | खनानबल | उरी | | काजीगुंड |
| 2. | एमपीएस, श्रीनगर | एमपीएस, श्रीनगर | बारामूला | पठानकोट | बारामूला | बांदीपोरा | | बनिहाल |
| 3. | प्रबंधक सिटी सर्विस, श्रीनगर | प्रबंधक सिटी सर्विस, श्रीनगर | कुपवाडा | संपर्क अधिकारी, दिल्ली | कुपवाडा | कुलगाम | | नौगाम |
| 4. | एमपीएस, जम्मू | एमपीएस, जम्मू | हंदवाडा | | सोपोर | वानपोह | | रामबन |
| 5. | एमटीएस, जम्मू | एमटीएस, जम्मू | पुलवामा | | | कटरा | कटरा | खिलानी |
| 6. | टीएम लोड, श्रीनगर | टीएम लोड, श्रीनगर | अनंतनाग | | | सांबा | | लखनपुर |
| 7. | टीएम लोड, जम्मू | टीएम लोड, जम्मू | ऊधमपुर | | | मलिकपुर | मलिकपुर | सोनमर्ग |
| 8. | निर्माण कार्य प्रबंधक (लोड), श्रीनगर | निर्माण कार्य प्रबंधक (लोड), श्रीनगर | किश्तवाड | | | अमृतसर | | |
| 9. | निर्माण कार्य प्रबंधक (पीएमडी), श्रीनगर | निर्माण कार्य प्रबंधक (पीएमडी), श्रीनगर | डोडा | | | जालंधर | | |
| 10. | निर्माण कार्य प्रबंधक (सीडब्ल्यूएस/टीएफ), पंपोरे | निर्माण कार्य प्रबंधक (पीएमडी), जम्मू | पठानकोट | | | लुधियाना | | |
| 11. | निर्माण कार्य प्रबंधक (पीएमडी), जम्मू | निर्माण कार्य प्रबंधक (लोड), जम्मू | संपर्क अधिकारी, दिल्ली | | | | | |
| 12. | निर्माण कार्य प्रबंधक (लोड), जम्मू | निर्माण कार्य प्रबंधक केंद्रीय कार्यशाला, जम्मू | लेह | | | | | |
| 13. | निर्माण कार्य प्रबंधक पर्यटक बेडा, जम्मू | डीएओ कार्यालय, जम्मू | कारगिल | | | | | |
| 14. | निर्माण कार्य प्रबंधक केंद्रीय कार्यशाला, जम्मू | | | | | | | |
| 15. | डीएओ कार्यालय, जम्मू | | | | | | | |
| 16. | डीएओ कार्यालय, श्रीनगर | | | | | | | |

इकाइयों का बेड़े के अनुरक्षण प्रचालनों के परिमाण और राजस्व सृजन की मात्रा के आधार पर चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खरीद प्रक्रिया/ जनशक्ति प्रबंधन/ परिसंपत्तियों का अनुरक्षण मुख्यालय स्तर पर देखा गया।

परिशिष्ट 6.1.3

(संदर्भित पैराग्राफ: 6.1.7.1; पृष्ठ: 112)

नमूना इकाइयों के संबंध में लक्ष्य और प्राप्ति

| इकाइयों के नाम | वर्ष | रोके गए वाणिज्यिक बेड़े | प्रवर्ती बेड़े के लक्ष्य | प्रचालन की उपलब्धि (प्रतिशत में) | प्रवर्ती बेड़े में कमी (प्रतिशत में) | राजस्व के लक्ष्य (लाख में) | राजस्व की प्राप्ति (लाख में) | कम राजस्व (₹ लाख) |
|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| एमपीएस, जम्मू | 2014-15 | 201 | 141 (70) | 60 (43) | 81 (57) | 4,782.61 | 2,719.74 | 2,062.87 |
| | 2015-16 | 172 | 129 (75) | 54 (42) | 75 (58) | 4,256.72 | 2,568.88 | 1,687.84 |
| | 2016-17 | 155 | 131 (85) | 55 (42) | 76 (58) | 4,015.79 | 2,549.82 | 1,465.97 |
| | 2017-18 | 160 | 128 (80) | 56 (44) | 72 (56) | 3,928.80 | 2,508.36 | 1,420.44 |
| | कुल | | | | | | | 6,637.12 |
| एमटीएस, जम्मू | 2014-15 | 75 | 53 (71) | 45 (85) | 08 (15) | 1,018.54 | 628.38 | 390.16 |
| | 2015-16 | 73 | 55 (75) | 38 (69) | 17 (31) | 831.29 | 674.16 | 157.13 |
| | 2016-17 | 73 | 62 (85) | 44 (71) | 18 (29) | 1,077.12 | 649.53 | 427.59 |
| | 2017-18 | 82 | 65 (79) | 42 (65) | 23 (35) | 762.12 | 605.29 | 156.83 |
| | कुल | | | | | | | 1,131.71 |
| एमटीएस, श्रीनगर | 2014-15 | 193 | 136 (70) | 85 (63) | 51 (37) | 2,278.64 | 1,462.06 | 816.58 |
| | 2015-16 | 171 | 129 (75) | 80 (62) | 49 (38) | 1,998.49 | 1,321.93 | 676.56 |
| | 2016-17 | 147 | 118 (80) | 79 (67) | 39 (33) | 2,009.66 | 1,183.26 | 826.40 |
| | 2017-18 | 143 | 114 (80) | 82 (72) | 32 (28) | 2,072.16 | 1,191.72 | 880.44 |
| | कुल | | | | | | | 3,199.98 |
| एमपीएस, श्रीनगर | 2014-15 | 79 | 51 (65) | 39 (76) | 12(24) | 646.50 | 370.52 | 275.98 |
| | 2015-16 | 69 | 52 (75) | 39 (75) | 13 (25) | 558.90 | 375.36 | 183.54 |
| | 2016-17 | 62 | 53 (85) | 30 (57) | 23 (43) | 516.92 | 294.19 | 222.73 |
| | 2017-18 | 63 | 50 (79) | 39 (78) | 11 (22) | 482.04 | 372.31 | 109.73 |
| | कुल | | | | | | | 791.98 |
| आगार, डोडा | 2014-15 | 15 | 11 (73) | 04 (36) | 07 (64) | 42.36 | 36.99 | 5.37 |
| | 2015-16 | 15 | 11 (73) | 04 (36) | 07 (64) | 64.71 | 43.36 | 21.35 |
| | 2016-17 | 15 | 13 (87) | 04 (31) | 09 (69) | 43.39 | 31.38 | 12.01 |
| | 2017-18 | 15 | 12 (80) | 04 (33) | 08 (67) | 69.42 | 42.01 | 27.41 |
| | कुल | | | | | | | 66.14 |
| उप-आगार, किशतवाड | 2014-15 | 12 | 8 (67) | 4 (50) | 4 (50) | 43.79 | 25.81 | 17.98 |
| | 2015-16 | 12 | 9 (75) | 4 (44) | 5 (56) | 46.41 | 29.68 | 16.73 |
| | 2016-17 | 12 | 10 (83) | 4 (40) | 6 (60) | 47.52 | 25.99 | 21.53 |
| | 2017-18 | 12 | 10 (83) | 4 (40) | 6 (60) | 56.73 | 34.68 | 22.05 |
| | कुल | | | | | | | 78.29 |
| उप-आगार, रामबन | 2014-15 | 7 | 5 (71) | 3 (60) | 2 (40) | 19.78 | 15.91 | 3.87 |
| | 2015-16 | 6 | 5 (83) | 3 (60) | 2 (40) | 15.12 | 12.85 | 2.27 |
| | 2016-17 | 5 | 4 (80) | 2 (50) | 2 (50) | 14.79 | 9.34 | 5.45 |
| | 2017-18 | 5 | 4 (80) | 2 (50) | 2 (50) | 18.43 | 14.95 | 3.48 |
| | कुल | | | | | | 53.05 | 15.07 |
| कुल योग | | | | | | | | 11,920.29 |

(स्रोत: निगम के अभिलेख)

परिशिष्ट 6.1.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 6.1.8; पृष्ठ:114)

वर्ष 2014-2019 की अवधि के दौरान निगम के अनंतिम लेखाओं के अनुसार इसके कार्य परिणाम

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | कुल राजस्व | 97.43 | 100.74 | 98.05 | 105.26 | 98.70 |
| 2. | परिचालन राजस्व ¹ | 83.09 | 78.54 | 79.45 | 80.09 | 79.71 |
| 3. | गैर-प्रचालन राजस्व | 14.34 | 22.20 | 18.60 | 25.17 | 18.99 |
| 4. | कुल व्यय | 178.88 | 183.00 | 201.45 | 203.28 | 219.40 |
| 5. | परिचालन व्यय ² | 119.48 | 121.05 | 135.89 | 135.08 | 147.71 |
| 6. | परिचालन लाभ/ हानि (2-5) | (-) 36.39 | (-) 42.51 | (-) 56.44 | (-) 54.99 | (-) 68.00 |
| 7. | वर्ष के लिए लाभ/ हानि (4-1) | (-) 81.45 | (-) 82.26 | (-) 103.40 | (-) 98.02 | (-) 120.70 |
| 8. | संचित लाभ/ हानि | (-) 1,229.56 | (-) 1,311.83 | (-) 1,415.23 | (-) 1,518.30 | (-) 1,639.01 |
| 9. | निर्धारित लागत: | | | | | |
| | (i) कार्मिक लागत | 69.04 | 77.48 | 93.56 | 93.18 | 99.73 |
| | (ii) मूल्यहास | 6.62 | 06.11 | 06.29 | 06.61 | 07.09 |
| | (iii) ब्याज | 52.78 | 55.85 | 59.27 | 61.59 | 64.59 |
| | कुल निर्धारित लागत: | 128.44 | 139.44 | 159.12 | 161.38 | 171.41 |
| 10. | परिवर्ती लागत: | | | | | |
| | (i) ईंधन और लुब्रीकेन्ट्स | 36.95 | 29.03 | 29.59 | 26.93 | 34.91 |
| | (ii) टायर और ट्यूब | 1.85 | 1.99 | 1.25 | 1.30 | 0.78 |
| | (iii) अतिरिक्त पुर्जे/ अन्य वस्तुएं | 3.51 | 4.31 | 4.10 | 5.56 | 3.81 |
| | (iv) अन्य परिवर्ती लागत | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.94 |
| | कुल परिवर्ती लागत: | 43.13 | 36.11 | 35.67 | 34.55 | 40.44 |
| 11. | ओवरहेड लागत | 7.31 | 7.46 | 6.66 | 7.35 | 18.99 |
| 12. | कुल लागत | 178.88 | 183.01 | 201.45 | 203.28 | 230.84 |
| 13. | परिचालन व्यय | 119.48 | 121.05 | 135.89 | 135.08 | 147.71 |
| 14. | परिचालित प्रभावी किलोमीटर (लाख में) | 242.23 | 230.17 | 214.72 | 211.39 | 196.08 |
| 15. | सकल प्राप्ति प्रति किमी (1/14) | 40.22 | 43.77 | 45.66 | 49.79 | 50.34 |
| 16. | प्राप्तियाँ प्रति किमी (₹) (2/14) | 34.30 | 34.12 | 37.00 | 37.89 | 40.65 |
| 17. | निर्धारित लागत प्रति किमी (₹) (9/14) | 53.02 | 60.58 | 74.11 | 76.34 | 87.42 |
| 18. | परिवर्ती लागत प्रति किमी (₹) (10/14) | 17.81 | 15.69 | 16.61 | 16.34 | 20.62 |
| 19. | परिचालन लागत प्रति किमी (₹) (12/14) | 73.85 | 79.51 | 93.82 | 96.16 | 117.73 |
| 20. | परिचालन लागत प्रति किमी (13/14) | 49.33 | 52.59 | 63.29 | 63.90 | 75.33 |
| 21. | परिचालन संबंधी निवल प्राप्तियाँ प्रति किमी (₹) (15-19) | -33.63 | -35.74 | -48.16 | -46.37 | -67.39 |
| 22. | परिचालन संबंधी निवल प्राप्तियाँ प्रति किलोमीटर (₹) (16-20) | -15.03 | -18.47 | -26.29 | -26.01 | -34.68 |
| 23. | ओवरहेड लागत प्रति किमी (₹) (11/14) | 3.02 | 3.24 | 3.10 | 3.48 | 9.68 |

(स्रोत: निगम के अभिलेख)

¹ परिचालन राजस्व में यातायात प्राप्तियाँ, पास और सीजन टिकिट, रियायती पासों के प्रति प्रतिपूर्ति, किमी योजना के अंतर्गत निजी प्रचालकों से वसूला गया भाड़ा इत्यादि।

² परिचालन व्यय में निर्धारित लागत, परिवर्ती लागत और ओवरहेड लागत शामिल है।

परिशिष्ट 6.1.5

(संदर्भित पैराग्राफ: 6.1.9.2; पृष्ठ: 117)

नमूना इकाइयों में वाहनों की रोक

| इकाइयाँ | वर्ष | औसत उपलब्ध बेड़ा | औसत प्रवर्ती बेड़ा | औसत रोक गया बेड़ा (प्रतिशत में) | अनुमत्य रोक (प्रतिशत में) | अधिक रोक (प्रतिशत में) | अर्जित राजस्व / वाहन/ दिन (₹ में) | राजस्व हानि (₹ लाख में) |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| एमपीएस, जम्मू | 2014-15 | 140 | 60 | 79 (56) | 42 (30) | 37 (47) | 12,419 | 1,677.18 |
| | 2015-16 | 124 | 54 | 70 (56) | 31 (25) | 39 (56) | 12,998 | 1,850.26 |
| | 2016-17 | 108 | 55 | 53 (49) | 16 (15) | 37 (70) | 12,701 | 1,715.27 |
| | 2017-18 | 109 | 56 | 53 (49) | 22 (20) | 31 (58) | 12,271 | 1,388.46 |
| | 2018-19 | 111 | 54 | 56 (50) | 22 (20) | 34 (61) | 13,407 | 1,663.80 |
| | कुल | | | | | | | 8,294.97 |
| एमपीएस, श्रीनगर | 2014-15 | 81 | 39 | 38 (47) | 28 (35) | 10 (26) | 2,779 | 101.43 |
| | 2015-16 | 71 | 39 | 27 (38) | 18 (25) | 09 (33) | 2,995 | 98.38 |
| | 2016-17 | 62 | 30 | 21 (34) | 09 (15) | 12 (57) | 3,149 | 137.92 |
| | 2017-18 | 61 | 39 | 17 (28) | 12 (20) | 05 (29) | 3,165 | 57.76 |
| | 2018-19 | 58 | 33 | 15 (26) | 12 (20) | 03 (20) | 3,629 | 39.74 |
| | कुल | | | | | | | 435.23 |
| एमटीएस, श्रीनगर | 2014-15 | 224 | 85 | 126 (56) | 67 (30) | 59 (47) | 4,540 | 977.68 |
| | 2015-16 | 191 | 80 | 93 (49) | 48 (25) | 45 (48) | 4,236 | 695.76 |
| | 2016-17 | 170 | 79 | 76 (45) | 26 (15) | 50 (66) | 4,019 | 733.46 |
| | 2017-18 | 175 | 82 | 68 (39) | 35 (20) | 33 (49) | 3,888 | 468.31 |
| | 2018-19 | 164 | 66 | 55 (34) | 33 (20) | 22 (40) | 4,645 | 372.99 |
| | कुल | | | | | | | 3,248.20 |
| एमटीएस, जम्मू | 2014-15 | 75 | 45 | 30 (40) | 22 (30) | 08 (27) | 3,845 | 112.27 |
| | 2015-16 | 75 | 38 | 36 (48) | 19(25) | 17 (47) | 4,855 | 301.25 |
| | 2016-17 | 73 | 44 | 28 (38) | 13(18) | 15 (54) | 4,121 | 225.63 |
| | 2017-18 | 68 | 42 | 27 (40) | 15(22) | 12 (44) | 3,989 | 174.72 |
| | 2018-19 | 86 | 53 | 33 (38) | 19(22) | 14 (42) | 3,203 | 163.67 |
| | कुल | | | | | | | 977.54 |
| आगार, डोडा | 2014-15 | 15 | 4 | 11 (73) | 04 (30) | 07 (64) | 2,509 | 64.10 |
| | 2015-16 | 15 | 6 | 09 (60) | 04 (25) | 05 (56) | 2,183 | 39.84 |
| | 2016-17 | 15 | 4 | 11 (73) | 02 (15) | 09 (82) | 2,102 | 69.05 |
| | 2017-18 | 15 | 4 | 11 (73) | 03(20) | 08 (73) | 2,895 | 84.53 |
| | 2018-19 | 15 | 3 | 12 (80) | 03(20) | 09 (75) | 2,903 | 95.36 |
| | कुल | | | | | | | 352.88 |
| उप-आगार, किश्तवाड | 2014-15 | 12 | 4 | 08 (67) | 03(30) | 05 (63) | 1,797 | 32.79 |
| | 2015-16 | 12 | 4 | 08 (67) | 03 (25) | 05 (63) | 2,291 | 41.81 |
| | 2016-17 | 12 | 4 | 08 (67) | 02 (15) | 06 (75) | 2,056 | 45.02 |
| | 2017-18 | 12 | 4 | 08 (67) | 02 (20) | 06 (75) | 2,255 | 49.38 |
| | 2018-19 | 12 | 4 | 08 (67) | 02 (20) | 06 (75) | 2,156 | 47.21 |
| | कुल | | | | | | | 216.21 |
| उप-आगार, रामबन | 2014-15 | 7 | 3 | 04 (57) | 02 (30) | 02 (50) | 1,520 | 11.10 |
| | 2015-16 | 6 | 2 | 04 (67) | 02 (25) | 02 (50) | 1,377 | 10.05 |
| | 2016-17 | 5 | 2 | 03 (60) | 01 (15) | 02 (67) | 1,844 | 13.46 |
| | 2017-18 | 5 | 2 | 03 (60) | 01 (20) | 02 (67) | 2,257 | 16.47 |
| | 2018-19 | 5 | 2 | 03 (60) | 01 (20) | 02 (67) | 1,657 | 12.09 |
| | कुल | | | | | | | 63.17 |
| | कुल योग | | | | | | | 13,588.20 |

(स्रोत: निगम का प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 6.1.6

(संदर्भित पैराग्राफ: 6.1.9.2; पृष्ठ: 118)

नमूना इकाइयों में वाहनों की कम-उपयोगिता

| इकाइयों के नाम | सं. | विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|-----------------|-----|--|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| एमपीएस, जम्मू | 1 | रोके गए औसत बेड़े | 140 | 124 | 108 | 109 | 111 |
| | 2 | निष्क्रिय/ कार्यशाला में औसत बेड़े | 80 | 70 | 53 | 53 | 57 |
| | 3 | परिचालित औसत बेड़े | 60 | 54 | 55 | 56 | 54 |
| | 4 | ऑन रोड़ बेड़े का प्रतिशत | 42.86 | 43.55 | 50.93 | 51.38 | 48.65 |
| | 5 | ऑफ रोड़ बेड़े का प्रतिशत | 57.14 | 56.45 | 49.07 | 48.62 | 51.35 |
| | 6 | 88.7 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत के अनुसार बेड़ा उपयोगिता | 124 | 110 | 96 | 97 | 98 |
| | 7 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी का प्रतिशत | 45.84 | 45.15 | 37.77 | 37.32 | 40.05 |
| | 8 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी | 64 | 56 | 41 | 41 | 44 |
| | 9 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ दिन (₹ में) | 12,419 | 12,998 | 12,701 | 12,271 | 13,407 |
| | 10 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ वर्ष (₹ लाख में) | 45.33 | 47.44 | 46.36 | 44.79 | 48.93 |
| | 11 | यातायात राजस्व की हानि (₹ करोड़ में) | 29.01 | 26.57 | 19.01 | 18.36 | 21.53 |
| कुल | | कुल हानि | ₹114.48 करोड़ | | | | |
| एमपीएस, श्रीनगर | 1 | रोके गए औसत बेड़े | 81 | 71 | 62 | 61 | 58 |
| | 2 | निष्क्रिय/ कार्यशाला में औसत बेड़े | 42 | 32 | 32 | 22 | 25 |
| | 3 | परिचालित औसत बेड़े | 39 | 39 | 30 | 39 | 33 |
| | 4 | ऑन रोड़ बेड़े का प्रतिशत | 48.15 | 54.93 | 48.39 | 63.93 | 56.90 |
| | 5 | ऑफ रोड़ बेड़े का प्रतिशत | 51.85 | 45.07 | 51.61 | 36.07 | 43.10 |
| | 6 | 88.7 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत के अनुसार बेड़ा उपयोगिता | 72 | 63 | 55 | 54 | 51 |
| | 7 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी का प्रतिशत | 40.55 | 33.77 | 40.31 | 24.77 | 31.80 |
| | 8 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी | 33 | 24 | 25 | 15 | 18 |
| | 9 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ दिन (₹में) | 2,779 | 2,995 | 3,149 | 3,165 | 3,629 |
| | 10 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ वर्ष (₹ लाख में) | 10.14 | 10.93 | 11.49 | 11.55 | 13.25 |
| | 11 | यातायात राजस्व की हानि (₹ करोड़ में) | 3.35 | 2.62 | 2.87 | 1.73 | 2.38 |
| कुल | | कुल हानि | ₹12.95 करोड़ | | | | |
| एमटीएस, श्रीनगर | 1 | रोके गए औसत बेड़े | 224 | 191 | 170 | 175 | 164 |
| | 2 | निष्क्रिय/ कार्यशाला में औसत बेड़े | 139 | 111 | 91 | 93 | 98 |
| | 3 | परिचालित औसत बेड़े | 85 | 80 | 79 | 82 | 66 |
| | 4 | ऑन रोड़ बेड़े का प्रतिशत | 37.95 | 41.88 | 46.47 | 46.86 | 40.24 |
| | 5 | ऑफ रोड़ बेड़े का प्रतिशत | 62.05 | 58.12 | 53.53 | 53.14 | 59.76 |
| | 6 | 88.7 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत के अनुसार बेड़ा उपयोगिता | 199 | 169 | 151 | 155 | 145 |
| | 7 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी का प्रतिशत | 50.75 | 46.82 | 42.23 | 41.84 | 48.46 |
| | 8 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी | 114 | 89 | 72 | 73 | 79 |
| | 9 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ दिन (₹में) | 4,540 | 4,236 | 4,019 | 3,888 | 4,645 |
| | 10 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ वर्ष (₹ लाख में) | 16.57 | 15.46 | 14.67 | 14.19 | 16.95 |
| | 11 | यातायात राजस्व की हानि (₹ करोड़ में) | 18.89 | 13.76 | 10.56 | 10.36 | 13.39 |
| कुल | | कुल हानि | ₹66.96 करोड़ | | | | |

| इकाइयों के नाम | सं. | विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---------------------|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| एमटीएस, जम्मू | 1 | रोके गए औसत बेड़े | 75 | 74 | 72 | 68 | 86 |
| | 2 | निष्क्रिय/ कार्यशाला में औसत बेड़े | 30 | 36 | 28 | 27 | 33 |
| | 3 | परिचालित औसत बेड़े | 45 | 38 | 44 | 41 | 53 |
| | 4 | ऑन रोड बेड़े का प्रतिशत | 60.00 | 51.35 | 61.11 | 60.29 | 61.63 |
| | 5 | ऑफ रोड बेड़े का प्रतिशत | 40.00 | 48.65 | 38.89 | 39.71 | 38.37 |
| | 6 | 88.7 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत के अनुसार बेड़ा उपयोगिता | 67 | 66 | 64 | 60 | 76 |
| | 7 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी का प्रतिशत | 28.70 | 37.35 | 27.59 | 28.41 | 27.07 |
| | 8 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी | 22 | 28 | 20 | 19 | 23 |
| | 9 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ दिन (₹में) | 3,845 | 4,855 | 4,121 | 3,989 | 3,203 |
| | 10 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ वर्ष (₹ लाख में) | 14.03 | 17.72 | 15.04 | 14.55 | 11.69 |
| | 11 | यातायात राजस्व की हानि (₹ करोड़ में) | 3.09 | 4.96 | 3.01 | 2.77 | 2.69 |
| कुल | | कुल हानि | | | | | ₹16.52 करोड़ |
| टीएम (लोड), जम्मू | 1 | रोके गए औसत बेड़े | 109 | 107 | 107 | 107 | 112 |
| | 2 | निष्क्रिय/ कार्यशाला में औसत बेड़े | 46 | 50 | 40 | 37 | 37 |
| | 3 | परिचालित औसत बेड़े | 63 | 57 | 67 | 70 | 75 |
| | 4 | ऑन रोड बेड़े का प्रतिशत | 57.80 | 53.27 | 62.62 | 65.42 | 66.96 |
| | 5 | ऑफ रोड बेड़े का प्रतिशत | 42.20 | 46.73 | 37.38 | 34.58 | 33.04 |
| | 6 | 88.7 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत के अनुसार बेड़ा उपयोगिता | 97 | 95 | 95 | 95 | 99 |
| | 7 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी का प्रतिशत | 30.90 | 35.43 | 26.08 | 23.28 | 21.74 |
| | 8 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी | 34 | 38 | 28 | 25 | 24 |
| | 9 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ दिन (₹में) | 4,631 | 4,705 | 5,333 | 5,512 | 5,742 |
| | 10 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ वर्ष (₹ लाख में) | 16.90 | 17.17 | 19.46 | 20.12 | 20.96 |
| | 11 | यातायात राजस्व की हानि (₹ करोड़ में) | 5.75 | 6.53 | 5.45 | 5.03 | 5.03 |
| कुल | | कुल हानि | | | | | ₹27.79 करोड़ |
| टीएम (लोड), श्रीनगर | 1 | रोके गए औसत बेड़े | 216 | 206 | 185 | 156 | 198 |
| | 2 | निष्क्रिय/ कार्यशाला में औसत बेड़े | 68 | 64 | 52 | 33 | 88 |
| | 3 | परिचालित औसत बेड़े | 148 | 142 | 133 | 123 | 110 |
| | 4 | ऑन रोड बेड़े का प्रतिशत | 68.52 | 68.93 | 71.89 | 78.85 | 55.56 |
| | 5 | ऑफ रोड बेड़े का प्रतिशत | 31.48 | 31.07 | 28.11 | 21.15 | 44.44 |
| | 6 | 88.7 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत के अनुसार बेड़ा उपयोगिता | 192 | 183 | 164 | 138 | 176 |
| | 7 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी का प्रतिशत | 20.18 | 19.77 | 16.81 | 9.85 | 33.14 |
| | 8 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी | 44 | 41 | 31 | 15 | 66 |
| | 9 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ दिन (₹में) | 4,196 | 4,503 | 4,822 | 5,260 | 5,991 |
| | 10 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ वर्ष (₹ लाख में) | 15.31 | 16.43 | 17.60 | 19.20 | 21.87 |
| | 11 | यातायात राजस्व की हानि (₹ करोड़ में) | 6.74 | 6.74 | 5.46 | 2.88 | 14.43 |
| | | कुल हानि | | | | | ₹36.25 करोड़ |
| आगार, डोडा | 1 | रोके गए औसत बेड़े | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 2 | निष्क्रिय/ कार्यशाला में औसत बेड़े | 11 | 09 | 11 | 11 | 12 |
| | 3 | परिचालित औसत बेड़े | 04 | 06 | 04 | 04 | 03 |
| | 4 | ऑन रोड बेड़े का प्रतिशत | 26.67 | 40.00 | 26.67 | 26.67 | 20.00 |
| | 5 | ऑफ रोड बेड़े का प्रतिशत | 73.33 | 60.00 | 73.33 | 73.33 | 80.00 |
| | 6 | 88.7 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत के अनुसार बेड़ा उपयोगिता | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-सामाजिक, सामान्य, आर्थिक और राजस्व क्षेत्र

| इकाइयों के नाम | सं. | विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|------------------------------|-----|--|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| | 7 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी का प्रतिशत | 62.03 | 48.70 | 62.03 | 62.03 | 68.70 |
| | 8 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| | 9 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ दिन (₹में) | 2510 | 2184 | 2103 | 2895 | 2903 |
| | 10 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ वर्ष (₹ लाख में) | 9.16 | 7.97 | 7.67 | 10.57 | 10.59 |
| | 11 | यातायात राजस्व की हानि (₹ करोड़ में) | 0.82 | 0.56 | 0.69 | 0.95 | 1.06 |
| | | कुल हानि | | | | | ₹4.08 करोड़ |
| उप-आगार, किशतवाड | 1 | रोके गए औसत बेड़े | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 2 | निष्क्रिय/ कार्यशाला में औसत बेड़े | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
| | 3 | परिचालित औसत बेड़े | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
| | 4 | ऑन रोड बेड़े का प्रतिशत | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| | 5 | ऑफ रोड बेड़े का प्रतिशत | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 |
| | 6 | 88.7 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत के अनुसार बेड़ा उपयोगिता | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 7 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी का प्रतिशत | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 55.37 |
| | 8 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 9 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ दिन (₹में) | 1,797 | 2,291 | 2,056 | 2,256 | 2,156 |
| | 10 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ वर्ष (₹ लाख में) | 6.56 | 8.36 | 7.50 | 8.23 | 7.87 |
| | 11 | यातायात राजस्व की हानि (₹ करोड़ में) | 0.46 | 0.59 | 0.53 | 0.58 | 0.55 |
| | | कुल हानि | | | | | ₹2.71 करोड़ |
| उप-आगार, रामबन | 1 | रोके गए औसत बेड़े | 07 | 06 | 05 | 05 | 05 |
| | 2 | निष्क्रिय/ कार्यशाला में औसत बेड़े | 04 | 04 | 03 | 03 | 03 |
| | 3 | परिचालित औसत बेड़े | 03 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| | 4 | ऑन रोड बेड़े का प्रतिशत | 42.86 | 33.33 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| | 5 | ऑफ रोड बेड़े का प्रतिशत | 57.14 | 66.67 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| | 6 | 88.7 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत के अनुसार बेड़ा उपयोगिता | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| | 7 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी का प्रतिशत | 45.84 | 55.37 | 48.70 | 48.70 | 48.70 |
| | 8 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | 9 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ दिन (₹में) | 1520 | 1377 | 1844 | 2257 | 1657 |
| | 10 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ वर्ष (₹ लाख में) | 5.55 | 5.03 | 6.73 | 8.24 | 6.05 |
| | 11 | यातायात राजस्व की हानि (₹ करोड़ में) | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| | | कुल हानि | | | | | ₹0.73 करोड़ |
| प्रबंधक सिटी सर्विस, श्रीनगर | 1 | रोके गए औसत बेड़े | 20 | 18 | 23 | 21 | 18 |
| | 2 | निष्क्रिय/ कार्यशाला में औसत बेड़े | 13 | 10 | 08 | 08 | 07 |
| | 3 | परिचालित औसत बेड़े | 07 | 08 | 15 | 13 | 11 |
| | 4 | ऑन रोड बेड़े का प्रतिशत | 35.00 | 44.44 | 65.22 | 61.90 | 61.11 |
| | 5 | ऑफ रोड बेड़े का प्रतिशत | 65.00 | 55.56 | 34.78 | 38.10 | 38.89 |
| | 6 | 88.7 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत के अनुसार बेड़ा उपयोगिता | 18 | 16 | 20 | 19 | 16 |
| | 7 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी का प्रतिशत | 53.70 | 44.26 | 23.48 | 26.80 | 27.59 |
| | 8 | (एआईए) के अनुसार बेड़ा उपयोगिता में कमी | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 |
| | 9 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ दिन (₹में) | 1407 | 2304 | 1578 | 1885 | 1909 |
| | 10 | औसत राजस्व प्राप्ति/ वाहन/ वर्ष (₹ लाख में) | 5.13 | 8.41 | 5.76 | 6.88 | 6.97 |
| | 11 | यातायात राजस्व की हानि (₹ करोड़ में) | 0.56 | 0.67 | 0.29 | 0.41 | 0.35 |
| | | कुल हानि | | | | | ₹2.28 करोड़ |

कुल (114.48+12.95+66.96+16.52+27.79+36.25+4.08+2.71+0.73+2.28) = ₹ 284.75 करोड़ है।

(स्रोत: निगम का प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 6.1.7
(संदर्भित पैराग्राफ: 6.1.9.6; पृष्ठ: 124)
नमूना इकाइयों में ईंधन खपत

| इकाइयों के नाम | वर्ष | कवर किए गए कुल किमी (लाख में) | खपत किया गया कुल ईंधन (लाख लीटर) | एचएसडी का मूल्य (लाख में) | औसत केएमपीएल | एआईए के 4.95 केएमपीएल के प्रति खपत किया गया वास्तविक ईंधन (लाख लीटर) (काँ-1/ 4.95) | ईंधन की अधिक खपत लाख लीटर (काँ. 2-काँ.5) |
|------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| एमटीएस, श्रीनगर | 2014-15 | 32.19 | 8.09 | 402.63 | 3.98 | 6.50 | 1.59 |
| | 2015-16 | 30.17 | 6.96 | 402.63 | 4.33 | 6.09 | 0.87 |
| | 2016-17 | 25.60 | 5.67 | 311.61 | 4.51 | 5.17 | 0.50 |
| | 2017-18 | 25.50 | 6.12 | 360.50 | 4.17 | 5.15 | 0.97 |
| | 2018-19 | 22.11 | 5.83 | 397.82 | 3.79 | 4.47 | 1.36 |
| कुल | | 135.57 | 32.67 | 1,875.19 | | 27.38 | 5.29 |
| एमटीएस, जम्मू | 2014-15 | 16.20 | 4.23 | 233.74 | 3.83 | 3.27 | 0.96 |
| | 2015-16 | 19.00 | 4.53 | 202.65 | 4.19 | 3.84 | 0.69 |
| | 2016-17 | 19.30 | 4.54 | 248.63 | 4.25 | 3.90 | 0.64 |
| | 2017-18 | 16.39 | 3.91 | 221.96 | 4.19 | 3.31 | 0.60 |
| | 2018-19 | 18.19 | 4.18 | 280.98 | 4.35 | 3.67 | 0.51 |
| कुल | | 89.08 | 21.39 | 1,187.96 | | 17.99 | 3.40 |
| एमपीएस, जम्मू | 2014-15 | 103.82 | 24.20 | 1,364.31 | 4.29 | 20.97 | 3.23 |
| | 2015-16 | 96.90 | 22.49 | 1,115.01 | 4.31 | 19.58 | 2.91 |
| | 2016-17 | 93.62 | 21.83 | 1,298.43 | 4.29 | 18.91 | 2.92 |
| | 2017-18 | 91.89 | 21.49 | 1,288.20 | 4.28 | 18.56 | 2.93 |
| | 2018-19 | 91.99 | 21.36 | 1,407.06 | 4.31 | 18.58 | 2.78 |
| कुल | | 478.22 | 111.37 | 6,473.01 | | 96.60 | 14.77 |
| एमपीएस, श्रीनगर | 2014-15 | 14.67 | 3.47 | 197.98 | 4.23 | 2.96 | 0.51 |
| | 2015-16 | 15.12 | 3.58 | 182.34 | 4.22 | 3.05 | 0.53 |
| | 2016-17 | 10.03 | 2.58 | 119.44 | 3.89 | 2.03 | 0.55 |
| | 2017-18 | 12.67 | 3.03 | 188.05 | 4.18 | 2.56 | 0.47 |
| | 2018-19 | 09.57 | 2.28 | 157.62 | 4.20 | 1.93 | 0.35 |
| कुल | | 62.06 | 14.94 | 845.43 | | 12.53 | 2.41 |
| सिटी सर्विस, श्रीनगर | 2014-15 | 0.61 | 0.16 | 8.87 | 3.81 | 0.12 | 0.04 |
| | 2015-16 | 1.93 | 0.52 | 25.63 | 3.71 | 0.39 | 0.13 |
| | 2016-17 | 2.78 | 0.64 | 35.26 | 4.34 | 0.56 | 0.08 |
| | 2017-18 | 3.12 | 0.76 | 44.65 | 4.11 | 0.63 | 0.13 |
| | 2018-19 | 1.91 | 0.48 | 33.47 | 3.98 | 0.39 | 0.09 |
| कुल | | 10.35 | 2.56 | 147.88 | | 2.09 | 0.47 |
| यातायात प्रबंधक लोड, श्रीनगर | 2014-15 | 38.75 | 9.94 | अनुपलब्ध | 3.90 | 7.83 | 2.11 |
| | 2015-16 | 36.69 | 10.02 | 374.74 | 3.66 | 7.41 | 2.61 |
| | 2016-17 | 34.49 | 9.42 | 506.26 | 3.66 | 6.97 | 2.45 |
| | 2017-18 | 32.63 | 8.59 | 490.73 | 3.80 | 6.59 | 2.00 |
| | 2018-19 | 23.44 | 6.15 | 385.14 | 3.81 | 4.74 | 1.41 |
| कुल | | 166 | 44.12 | 1,756.87 | | 33.54 | 10.58 |
| यातायात प्रबंधक लोड, जम्मू | 2014-15 | 24.15 | 6.43 | 277.18 | 3.76 | 4.88 | 1.55 |
| | 2015-16 | 21.37 | 5.63 | 246.7 | 3.80 | 4.32 | 1.31 |
| | 2016-17 | 23.69 | 6.31 | 425.59 | 3.75 | 4.79 | 1.52 |
| | 2017-18 | 20.86 | 6.07 | 346.08 | 3.44 | 4.21 | 1.86 |
| | 2018-19 | 22.93 | 5.98 | 393.36 | 3.83 | 4.63 | 1.35 |
| कुल | | 113.00 | 30.42 | 1,688.91 | | 22.83 | 7.59 |

(स्रोत: निगम का प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 6.1.8

(संदर्भित पैराग्राफ: 6.1.10.3; पृष्ठ: 130)

31 मार्च 2019 तक विभिन्न विभागों के प्रति बकाया राशि का विवरण

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | राशि (₹) |
|---------|---|-------------|
| 1. | मुख्य कृषि अधिकारी, बडगाम | 12,899 |
| 2. | प्रबंधक एस.एम फार्म, पदगामपोरा | 9,03,512 |
| 3. | आलू विकास अधिकारी, श्रीनगर | 4,69,278 |
| 4. | संयुक्त निदेशक कृषि इनपुट्स | 14,06,735 |
| 5. | उपायुक्त, श्रीनगर | 1,40,97,936 |
| 6. | न्यू गैस कंपनी, श्रीनगर | 3,60,776 |
| 7. | उप निदेशक संपदा, श्रीनगर | 90,466 |
| 8. | अपर उपायुक्त, बारामूला | 53,692 |
| 9. | क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, श्रीनगर | 1,41,547 |
| 10. | मुख्य उद्यान कृषि अधिकारी, बडगाम | 4,295 |
| 11. | कार्यपालक अभियंता सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, बारामूला | 2,650 |
| 12. | अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजिन | 17,003 |
| 13. | सहायक निदेशक (एण्डसी) वस्त्र मंत्रालय, बारामूला | 84,722 |
| 14. | मुख्य लेखा अधिकारी जेके सीमेन्ट लिमिटेड | 3,69,948 |
| 15. | कार्यपालक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रभाग, कुपवाडा | 40,366 |
| 16. | प्रभागीय आयुक्त कश्मीर | 5,62,884 |
| 17. | पुष्पकृषि विभाग, अनंतनाग | 4,319 |
| 18. | कार्यपालक निदेशक पुनर्वसन परिषद कैम्प कार्यालय जम्मू/ श्रीनगर | 14,555 |
| 19. | मुख्य शिक्षा अधिकारी, श्रीनगर | 9,090 |
| 20. | निदेशक ग्रामीण विकास विभाग, लाल मण्डी श्रीनगर | 40,524 |
| 21. | उपायुक्त, बारामूला | 47,440 |
| 22. | डाक कार्यालय, श्रीनगर | 6,200 |
| 23. | मुख्य कृषि अधिकारी, श्रीनगर | 4,319 |
| 24. | प्राचार्य एस पी महाविद्यालय, श्रीनगर | 20,069 |
| 25. | महिला महाविद्यालय, जकूरा | 13,815 |
| 26. | सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बडगाम | 4,268 |
| 27. | उपायुक्त, कुपवाडा | 32,590 |
| 28. | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी जेके ऊर्जा विकास अभिकरण, बेमिना | 38,293 |
| 29. | संयुक्त निदेशक, सूचना | 9,111 |
| 30. | निदेशक उद्यान कृषि योजना और विपणन, राजबाग | 33,90,902 |
| 31. | एम/एस एलआरएल | 1,52,060 |
| 32. | एम/ एस आईएमटीएस, श्रीनगर | 17,97,800 |
| 33. | महा प्रबंधक एसआईसीओपी, श्रीनगर | 3,17,318 |
| 34. | मुख्य निर्वाचन अधिकारी जेएण्डके सरकार | 22,316 |
| 35. | लेखा अधिकारी बीएसएनएल, श्रीनगर | 6,24,848 |
| 36. | उप प्रभागीय कृषि अधिकारी, बांदापोरा | 54,927 |
| 37. | निदेशक पर्यटन, श्रीनगर | 10,98,712 |
| 38. | कार्यपालक अभियंता सड़क एवं भवन, लेह | 47,63,172 |
| 39. | कार्यपालक अभियंता निर्माण, लेह | 32,54,966 |

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | राशि (₹) |
|---------|---|---------------------|
| 40. | कार्यपालक अभियंता खलसी, लेह | 40,23,020 |
| 41. | कार्यपालक अभियंता न्यूमा, लेह | 8,99,113 |
| 42. | कार्यपालक अभियंता विद्युत विकास विभाग, लेह | 8,05,938 |
| 43. | कार्यपालक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, लेह | 2,84,110 |
| 44. | कार्यपालक अभियंता सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, लेह | 42,330 |
| 45. | प्रभागीय वन अधिकारी, कारगिल | 58,347 |
| 46. | कार्यपालक अभियंता जंसकर, कारगिल | 3,59,407 |
| 47. | कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण प्रभाग, प्रथम कारगिल | 1,05,70,179 |
| 48. | कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण प्रभाग, संकू कारगिल | 5,18,237 |
| 49. | कार्यपालक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कारगिल | 3,38,896 |
| 50. | कार्यपालक अभियंता सड़क और भवन, कारगिल | 50,26,898 |
| 51. | खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, जम्मू | 60,76,472 |
| 52. | खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, श्रीनगर | 10,30,84,670 |
| | कुल | 16,64,27,940 |

(स्रोत: निगम के अभिलेख)

परिशिष्ट 6.1.9

(संदर्भित पैराग्राफ: 6.1.12; पृष्ठ: 134)

नमूना कार्यशालाओं में राजस्व निहितार्थ सहित कार्यशाला प्रबंधन और वाहनों की रोक

| ए. कार्यशाला-वार वाहनों की रोक | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| वार्षिक उपयुक्तता | | | | | | | | |
| वर्ष | लोड, जम्मू | | लोड, श्रीनगर | | पीएमडी, जम्मू | | पीएमडी, श्रीनगर | |
| | वाहन | दिन | वाहन | दिन | वाहन | दिन | वाहन | दिन |
| 2014-15 | 7 | 429 | | | 25 | 755 | 17 | 658 |
| 2015-16 | 7 | 316 | | | 49 | 1,988 | 13 | 55 |
| 2016-17 | 23 | 854 | | | 47 | 5,937 | 6 | 246 |
| 2017-17 | 25 | 635 | | | 74 | 6,109 | 3 | 71 |
| 2018-19 | 19 | 466 | 4 | 143 | 23 | 2,251 | 34 | 1,166 |
| कुल | 81 | 2,700 | 4 | 143 | 218 | 17,040 | 73 | 2,196 |
| स्पेयर | | | | | | | | |
| 2014-15 | 20 | 1,112 | | | 27 | 1,137 | 39 | 2,223 |
| 2015-16 | 42 | 1,466 | | | 10 | 487 | 7 | 1,492 |
| 2016-17 | 24 | 598 | | | 21 | 574 | 17 | 729 |
| 2017-17 | 31 | 876 | | | 40 | 1,530 | 8 | 71 |
| 2018-19 | 24 | 505 | 20 | 502 | 15 | 549 | 8 | 164 |
| कुल | 141 | 4,557 | 20 | 502 | 113 | 4,277 | 79 | 4,679 |
| टायर | | | | | | | | |
| 2014-15 | 13 | 683 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 12 | 428 | | | 12 | 497 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 | | | 10 | 504 | 7 | 411 |
| 2017-17 | 0 | 0 | | | 2 | 41 | 1 | 21 |
| 2018-19 | 2 | 38 | 7 | 600 | 6 | 241 | 0 | 0 |
| कुल | 27 | 1,149 | 7 | 600 | 30 | 1,283 | 8 | 432 |
| टायर+स्पेयर+वार्षिक फिटनेस+इंजन ओवरहॉलिंग+बैटरी की आवश्यकता हेतु संयुक्त | | | | | | | | |
| 2014-15 | 8 | 879 | | | 2 | 208 | 25 | 3,131 |
| 2015-16 | 3 | 80 | | | 0 | 0 | 16 | 1,711 |
| 2016-17 | 16 | 440 | | | 4 | 3266 | 18 | 2,743 |
| 2017-17 | 9 | 301 | | | 0 | 0 | 10 | 758 |
| 2018-19 | 4 | 124 | 33 | 1608 | 0 | 0 | 8 | 1,533 |
| कुल | 40 | 1,824 | 33 | 1,608 | 6 | 3,474 | 77 | 9,876 |
| दुर्घटना | | | | | | | | |
| 2014-15 | 4 | 443 | | | 2 | 255 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 | | | 4 | 1,893 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 1 | 90 | | | 5 | 1,860 | 0 | 0 |
| 2017-17 | 1 | 33 | | | 2 | 45 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | 6 | 566 | 0 | 0 | 13 | 4053 | 0 | 0 |
| वर्ष | कुल वाहन | कुल दिवस | कुल वाहन | कुल दिवस | कुल वाहन | कुल दिवस | कुल वाहन | कुल दिवस |
| 2014-15 | 52 | 3,546 | | | 56 | 2,355 | 81 | 6,012 |
| 2015-16 | 64 | 2,290 | | | 75 | 4,865 | 36 | 3,258 |
| 2016-17 | 64 | 1,982 | | | 87 | 12,141 | 48 | 4,129 |
| 2017-18 | 66 | 1,845 | | | 118 | 7,725 | 22 | 921 |
| 2018-19 | 49 | 1,133 | 64 | 2,853 | 44 | 3,041 | 50 | 2,863 |
| कुल | 295 | 10,796 | 64 | 2,853 | 380 | 30,127 | 237 | 17,183 |

| बी. कार्यशालाओं में वाहनों की रोक के कारण राजस्व निहितार्थ | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| वर्ष | लोड, जम्मू | | | लोड, श्रीनगर | | | पीएमडी, जम्मू | | | पीएमडी, श्रीनगर | | |
| | दिन | औसत राजस्व प्रतिदिन (₹) | राशि (₹ करोड़ में) | दिन | औसत राजस्व प्रतिदिन (₹) | राशि (₹ करोड़ में) | दिन | औसत राजस्व प्रतिदिन (₹) | राशि (₹ करोड़ में) | दिन | औसत राजस्व प्रतिदिन (₹) | राशि (₹ करोड़ में) |
| 2014-15 | 3,546 | 4,631 | 1.64 | | | | 2,355 | 12,419 | 2.92 | 6,012 | 2,779 | 1.67 |
| 2015-16 | 2,290 | 4,705 | 1.07 | | | | 4,865 | 13,022 | 6.34 | 3,258 | 2,995 | 0.98 |
| 2016-17 | 1,982 | 5,333 | 1.05 | | | | 12,141 | 12,520 | 15.20 | 4,129 | 3,149 | 1.30 |
| 2017-18 | 1,845 | 5,512 | 1.01 | | | | 7,725 | 12,271 | 9.48 | 921 | 3,165 | 0.29 |
| 2018-19 | 1,133 | 5,742 | 0.65 | 2,853 | 5038 | 1.43 | 3,041 | 13,525 | 4.11 | 2,863 | 3,629 | 1.04 |
| कुल | 10,796 | | 5.42 | 2,853 | | 1.43 | 30,127 | | 38.05 | 17,183 | | 5.28 |

(स्रोत: निगम के अभिलेख)

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjk.nic.in